राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ५१वां दिवस [संख्या ४१

शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४।

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म० पू० ८.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह): महोदय, मैं गत सत्र एवं वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

१. राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३

२. जयपुर सूद सदावर्त फंड प्रशासन विधेयक, १९६३।

३. राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६४।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

१. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६४।

२. राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४।

३. राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४।

४. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४।

५. राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४।

६. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४।

७. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४।

(८.७ म० पू०)

खादी बोर्ड की अनियमितताओं की जांच हेतु समिति के निर्माण विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है, जिसका संबंध मुख्य मंत्रीजी ने कल खादी बोर्ड की जांच के सम्बन्ध में समिति की घोषणा की, उससे है। इस समस्या पर, इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार किया जाकर उचित व्यवस्था दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : म इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, १०-३-६४ को मैंने खादी बोर्ड, भारत सेवक समाज और समाज कल्याण के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इन संस्थाओं को करोड़ों रुपयों का अनुदान दिया जाता है, चन्दा एकत्रित किया जाता है, उसके उपयोग की सरकार की तरफ से जांच नहीं की जाती है। इनमें करोड़ों रुपये का घोटाला है और यदि जांच करवाई जाय तो इसमें मैं करोड़ों रुपये का घोटाला साबित कर सकता हूं। इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में खड़े होकर यह कहा, जनसंघ के जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस सम्बंन्ध में आरोप लगाये हैं, मैं उन आरोपों की जांच कराऊंगा और जांच करने के लिये एक समिति निर्णय करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री के उन शब्दों को सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री ने कहा है :

"श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी जनसंघ के नेता ने कहा कि भारत सेवक समाज, खादी बोर्ड आदि में काफी घोटाले हैं, घोटालों का मतलब मैं गबन से लेता हूं।"

मैंने इस पर कहा–घोटाले का मतलब गबन नहीं मिस-एप्रोप्रियेशन से है।

सुखाड़िया साहब फिर बोलते हैं, "उन्होंने कहा कि वे करोड़ों का घोटाला इसमें साबित कर सकते हैं। मैं इस संबंध में कोई भ्रम रखना नहीं चाहता। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी मंशा यह नहीं है कि घोटाले हों, उन पर विचार नहीं हो। हम इस बात का स्वागत करेंगे और इसके लिए मैं एक कमेटी नियुक्त करूंगा कि वह कमेटी इस चीज की जांच करे और विशेष तौर से माननीय सदस्य को उसमें नियुक्त करूंगा।"

मेरा प्रश्न यह था उस समय जो आरोप मैंने लगाये उन आरोपों की बेक-ग्राउन्ड पर ही हमारी सरकार ने इस प्रकार की कमेटी नियुक्त करने की घोषणा की थी।

उसके बाद २५-३-६४ को नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य खादी बोर्ड की कुछ संस्थाओं के बारे में जिक्र कर चुके थे, उसका उत्तर देते हुए माननीय योजना मंत्रीजी ने कहा था: "उन मामलों की जांच के सम्बन्ध में, जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये थे, I think the Committee that has been formed will go into this question also." इस जवाब के बाद और जवाब से पहले सदन में इस प्रकार का इम्प्रेशन रहा है कि खादी बोर्ड भारत सेवक समाज और समाज कल्याण के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं द्वारा धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हमारी सरकार एक समिति नियुक्त करेगी। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल इस सदन में इस बात की घोषणा की कि वह समिति निश्चित आरोपों की जांच करेगी और समिति के सामने निश्चित आरोप प्रस्तुत होने के बाद जांच की कार्यवाही शुरू की जायगी। उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने सदन में १०-३-६४ को घोषणा की थी, उसके अनुसार कल घोषणा नहीं की और इस प्रकार सदन का अपमान किया है।

दूसरा प्रश्न आता है·······

श्री **हरिश्चन्द्र** (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर····

Page No. 3

श्री **भैरोंसिंह** : मैं अभी खत्म कर दूं दो मिनट में।

श्री **हरिश्चन्द्र** : मेरा अर्ज करना है, the matter is very clear.

चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि कमेटी बनाई है और उसके सामने यदि ऐसे तथ्य आते हैं तो उनकी इन्क्वायरी होगी। उसमें क्या गलती की है ? He has said कि यदि उसके सामने प्रश्न रखे जाते हैं तो those will be enquired into. यह कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : माननीय मंत्री महोदय, मुझे समझने की चेष्टा करते तो खड़े होने का कष्ट नहीं करते।

श्री **हरिश्चन्द्र** : मैंने चेष्टा की।

श्री **भैरोंसिंह** : चेष्टा की, पर समझ में कुछ नहीं आया।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसके आधार पर माननीय सदस्य को कोई बात बताने की और कोई किसी तरह का स्टेटमेन्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती इस समय। अगर आवश्यकता भी रहती तो उस समय यह आवश्यकता पैदा होगी जब कि अध्यक्ष महोदय इसकी एडमिसिबिलिटी पर विचार कर लेंगे। या इस पर स्टेटमेन्ट कोई देने के लिये हमें कहा जाता तो उनको भी कुछ कहने का अधिकार होता।

श्री **भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, ये अपना पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर या तो पहले उठाते तो ज्यादा अच्छा होता या तब उठाते जब इस पर व्यवस्था हो जाती। जिस वक्त मामला समाप्त होने लगा उस वक्त आप बोलने को खड़े होते हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि १०-३-६४ को घोषणा करने के बाद यह इम्प्रेशन सदन का रहा कि इन मसलों में आने के लिये इनकी जांच के लिये समिति नियुक्त किये जाने की घोषणा की है, इसे सदन के माननीय सदस्यों ने सही रूप में स्वीकार कर लिया और वे जो मूलभूत आधार को विचारार्थ लेने के लिये सरकार पर आक्षेप लगाने के लिये उसको एक्सपोज करने के लिये तैयारी कर रहे थे, इस इम्प्रेशन के कारण चुप रहे कि सारा मामला जब कमेटी में पेश किया जावेगा तब उन प्रश्नों को सदन में उठाने की आवश्यकता नहीं, समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं और इसलिये नहीं उठाया। इसलिये चूंकि उनको सस्पेन्स में रखा इसलिये उनके मौलिक अधिकारों पर भी सदन में बोलने और सरकार को एक्सपोज करने के अधिकारों पर भी आघात हुआ।

और फिर १०-३-६४ की घोषणा के करने के पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट ही यह कहा कि माननीय सदस्य न जो इस संबंध में आरोप लगाये हैं मैं उन आरोपों की जांच कराऊंगा और जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करूंगा। एक मुद्दा तो यह है।

दूसरा यह कि माननीय सदस्यों को इस तरह से कह कर सस्पेन्स में रखा और बोलने के उनके अधिकारों पर आघात किया।

इन दो प्रश्नों को आधार मान कर मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं चाहूंगा कि इसको सदन में रखने की और प्रिविलेज कमेटी में मूव करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री **अध्यक्ष** : जो तथ्य रक्खे हैं सदन में और जिनका उल्लेख माननीय सदस्य अपने विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस में किया है उस पर कुछ विचार कल हुआ था जो कि हमारी प्रोसीडिंग्ज से सम्बन्ध रखता है। जैसी मैंने शुरू में व्यवस्था दी कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार किया जावेगा और जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं व जिनका अपने नोटिस में उन्होंने उल्लेख किया है उन पर विचार किया जाकर उचित व्यवस्था दी जावेगी।

(८. १४ म. पू.)

श्रम न्यायालय की अवधि विषयक स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री केदारनाथ, श्री मुरलीधर व्यास, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह (१२५) श्री मुकुटविहारीलाल ने दी है।

उनका कहना है कि लेबर कोर्ट कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी अवधि २६ फरवरी, १९६४ को समाप्त हो चुकी है। इस कारण से श्रमिकों को काफी दिक्कत हो रही है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से सूचना मिली है कि सरकार ने लेबर कोर्ट के जजों के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और उसके सम्बन्ध में आज्ञा शीघ्र ही जारी हो जावेगी ताकि जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं वे भविष्य में पैदा न हों। इस सूचना को ध्यान में रखते हुए स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्य श्री भैरोंसिह ने राजस्थान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक सेना की जो तैयारियां हो रही हैं उसके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। अगर मन्त्री महोदय उचित समझें तो उस पर कुछ प्रकाश डालें।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं in the Public interest इस पर कोई प्रकाश डालना उचित नहीं समझता हूं।

श्री **भैरोंसिंह** : आप प्रकाश न डालें, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। पर उस क्षेत्र के लोगों में भय पैदा हो रहा है, उसके निराकरण के लिये सदन के सिवाय और कोई दूसरा स्थान नहीं है, दूसरी व्यवस्था नहीं है कि उनको यह आश्वासन दिया जा सके कि दुश्मन की कितनी ही फौजी तैयारियां हों, क्षेत्र खाली कराये जावें, पर हमारी सरकार इस तरफ से पूरी पूरी सजग है, सशक्त है, और किसी भी स्थिति में इन इवेन्चुएलिटीज को मीट करने को तैयार है।

आप और बातों पर प्रकाश डालें या न डालें, मैं उस सम्बन्ध में प्रेशर नहीं डालूंगा। पर इस प्रकार का एश्योरेन्स वहां की जनता को दिया जाना चाहिये, यह जरूर निवेदन करूंगा

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस की परम्परा को देखते हुए इन मसलों पर मुख्य मन्त्रीजी ने इस हाउस के कई माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लिया था और हाउस की परम्परा यह कहती है कि इस तरह के मसले जब आप लोगों को, माननीय सदस्यों को बताये जावें कॉन्फीडेन्स में लेकर, तो फिर उन मसलों को यहां हाउस में लाया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह कन्वेन्शन के खिलाफ है और यह सिम्पली पब्लिसिटी स्टण्ट कहा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : I take strong exception, Sir; मैं कहता हूं कि जो आदमी इस तरह की जिम्मेदारी की जगह पर बैठकर इस तरह की बात को न समझकर, केवल मुख्य मन्त्रीजी की चापलूसी करने के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें तो यह उचित नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई तथ्य थे तो आपको वहां कहना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : हैं तथ्य। उस समय भी उठाये थे मैंने।

श्री हरिश्चन्द्र : यहां कहने की क्या जरूरत पड़ गई फिर ? आप तो पब्लिसिटी कराना चाहते हैं।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : आप तो चापलूसी कर लीजिये मुख्य मन्त्रीजी की।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह सकता हूं · · ·

श्री भैरोंसिंह : मैं भी कह सकता हूं।

मैं समझता हूं कि यह सारा मसला जानते हुए भी मुख्य मन्त्रीजी चुप बैठे हैं। मुख्य मन्त्रीजी को शर्म आनी चाहिये।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य एवं अनेक माननीय सदस्यों का एक साथ बोलना)

श्री हरिश्चन्द्र : शर्म आपको आनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपको आनी चाहिये, आप मुख्य मन्त्रीजी की चापलूसी करते हैं।

(पुनः शोरगुल, व्यवधान– अश्रव्य)

बिलकुल शर्म की चीज है। मैं बिलकुल ठीक कहता हूं। मैं जो कहता हूं सही कहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : जब आप लोगों को कॉन्फीडेन्स में · · ·

(अनवरत शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कॉन्फीडेन्स की आड में इस प्रकार की बातों को गुप्त रखना जनता को धोखा देना है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को अधिकार है कि वह जितनी बात सदन में कहना चाहे कहे। कितना कहे और कितनी नहीं कहे, खास तौर से ऐसे सुरक्षा सम्बन्धी इश्यूज़ पर, यह सरकार को अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैंने इस पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। मैंने केवल इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि उस क्षेत्र में जनता में भय है। उस भय का निराकरण करने के लिये सरकार यह कहे कि वह सशक्त है, सजग है, सरकार पूरा पूरा प्रबन्ध कर

(श्री भैरोंसिंह)

रही है। इतना कह दिया जावे ताकि लोगों में कॉन्फीडेन्स पैदा हो जावे।

उस पर माननीय मन्त्रीजी यह कहते हैं कि सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में लिया और अब यहां पब्लिसिटी के लिये उन बातों को कह रहे हैं यहां पर।

मैं मुख्य मन्त्रीजी को यह कह कर चलता हूं कि जिस मीटिंग में जो बातें हुई हैं उनको लेकर यदि इस प्रसंग में यहां किसी भी बात का उल्लेख किया हो तो I am guilty of that.

पर उस दिन बैठक हुई उसमें इस स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध नहीं है। मैंने उस बैठक में कही गई किसी बात का यहां उल्लेख नहीं किया। उस बैठक के बाद मेरे पास टेलीग्राम आये, टेलीफोन आये, लैटर आये और ज्यों ही ये सब मुझे मिले मैंने उनकी सूचना उप-गृह मन्त्रीजी को दी, उन सबको दिखाया, मुख्य मन्त्रीजी को भी बताया। उनके बारे में उन्होंने क्या किया, इसकी आज तक भी मुझे सूचना नहीं दी गई कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। वहां के लोगों में व्याप्त भय के बारे में उन्होंने निराकरण के क्या कदम उठाये। जब इस तरह की जानकारी भी मुझे नहीं मिली तो मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया। मैंने मुख्य मन्त्रीजी से कहा, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब से कहा कि आप बता दीजिये, आप क्या कदम उठावेंगे भय के निराकरण के लिये। तो नेशनल इन्टरेस्ट में मैं यह जरूरी समझता हूं कि उनका भय दूर किया जाय। और इसी मुद्दे को लेकर मैंने यह प्रश्न यहां उठाया है, मुख्य मन्त्रीजी की चापलूसी करने के लिये नहीं उठाया; जैसा आप करते ह।

श्री **हरिश्चन्द्र** : मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी से अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के मसले सदन में न उठाये जावें, यह यहां का कन्वेंन्शन रहा है। यहीं नहीं, सारी दुनिया में रहा है कि ऐसे मसलों पर जब Member of the opposition को कॉन्फीडेन्स में लिया जाता है तो माननीय सदस्यों के सामने कोई भी मसला हो तो वह चीफ मिनिस्टर से खुद कह सकते थे, मिल सकते थे लेकिन उस चीज को यहां पर लाना, मैं मानता हूं कि यह पब्लिसिटी स्टण्ट है, और कुछ नहीं है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **भैरोंसिंह** : इस सदन में कोई बात कही जावे वह पब्लिसिटी के पोइन्ट ऑफ व्यू से कही गई है, ऐसा कहना सदन का अपमान करना है, समझ की कमी है; मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

(पुनः शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **चन्दनमल वैद** (उप-मंत्री, उद्योग) चुप रहो।

श्री **विजय सिंह झाला** (नाथद्वारा) : बैठ जावो।

(अनवरत शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप क्यों जोश खा रहे हो चन्दन-मलजी . . .

(पुनः व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री **चन्दनमल वैद** : इस बात पर जोश खा रहा हूं कि पब्लिसिटी स्टण्ट पैदा करते हैं। This is the only reason.

(पुन: अनवरत शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहें ।

(श्री चन्दनमलजी से) बोलना आता नहीं ।

श्री चन्दनमलजी बैद : बैठ जाओ ।

(शोरगुल)

श्री बिजयसिंह झाला : आपको कोई अधिकार नहीं है · · ·

(शोरगुल एवं व्यवधान)

सारे राजस्थान को खा गये · · ·

(शोरगुल)

यह डर किसी और को दिखाइये · · ·

(शोरगुल)

ये आंखें मत दिखाइये · · ·

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की बोर्डर पर खाइयां खोदने और वहां पर पाकिस्तान द्वारा सेना वगैरह इकट्ठी करने के बारे में स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा सामने आई ।

जैसा कि अभी यहां पर बताया गया, बोर्डर के सम्बन्ध में मैंने विरोधी दल के नेताओं को, वहां पर सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की जा रही है, उससे अवगत कराया था । और इसके विस्तार में इस समय इस सदन में जाना उचित नहीं होगा ।

मैं इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं कि जहां तक बोर्डर का सवाल है और बोर्डर के उस तरफ पाकिस्तान की एक्टीविटीज़ हैं उनके बारे में सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है और उसके बारे में पूरी कार्यवाही की जा रही है । वहां रहने वाले लोगों में किसी प्रकार की घबराहट होने की जरूरत नहीं है । सरकार पूरी तौर से उनकी हिफाजत करेगी और आवश्यकता पड़ने पर देश की और बोर्डर की हिफाजत करेगी ।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से सदन के माननीय सदस्यों को सन्तोष हुआ होगा ।

(८.२२ म. पू.)

थाना सदर (बीकानेर) के सैकण्ड आफिसर द्वारा सरपंच के हथकड़ी लगाने विषयक शासकीय वक्तव्य

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि कुछ स्थगन-प्रस्ताव अस्वीकार कर लिये गये थे, पर उनके संबंध में वक्तव्य देने के लिये आज की तारीख निर्धारित की थी । पहले उप-गृह मंत्रीजी अपना उनके बारे में वक्तव्य देंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, श्री मानिकचन्द सुराणा द्वारा प्रस्तुत स्थगन–प्रस्ताव के बारे में मेरा निवेदन है कि—

थानेदार मोहनलाल, सैकण्ड ऑफिसर थाना सदर, बीकानेर दिनांक ३० और ३१ मार्च, १९६४ की मध्य रात्रि के लगभग डेढ बजे गश्त में निकला । चौकुन्टी से उसने कॉन्सस्टेबल निजाम खां को साथ लिय

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गश्त करते करते साडे तीन बजे जब वे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के करीब पहुंचे तो थानेदार के कथनानुसार उसने एक व्यक्ति को बाइसिकल लिये पेड की छाया के नीचे छिपा हुआ देखा। थानेदार के आवाज देने पर भी वह नहीं बोला, और वह साइकल छोड कर भागने की कोशिश करने लगा। इस पर थानेदार और सिपाही निजाम खां ने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। पुलिस वालों की आवाज सुनकर हुसैन खां, ठेकेदार शराब, जिसकी दूकान पास में ही है बाहर आया और उन सबने मिलकर उस व्यक्ति को पकडा।

उस व्यक्ति ने काफी वाद-विवाद के बाद अपना नाम बालूसिंह, पुत्र प्रेमसिंह, निवासी ऊदासर, तहसील नोखा बताया। उसने न तो स्वयं को सरपंच होना जाहिर किया, न ही वह पूरी तौर से यह ही बता सका कि वह रात्रि के समय उस स्थान पर क्यों था। इस पर थानेदार ने उसे धारा ५५।१०९ जा. फो. में गिरफ्तार किया और थाने में लेजाकर उसे थाना अधीक्षक श्री बलदेवसिंह के सामने पेश किया। तत्पश्चात् उसकी गिरफ्तारी की बाबत रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज कर, उसे थाने के बन्दीगृह में रक्खा। थानेदार के अनुसार बालूसिंह की गिरफ्तारी के समय या बाद में जब उसको जमानत पर छोड़ा गया उसके कोई चोट इत्यादि नहीं थी।

इस घटना की सूचना सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बीकानेर को सुबह बालूसिंह के किसी साथी द्वारा दी जाने पर, एस. पी. बीकानेर ने ए. एस. पी. श्री ठाकुर को थाने सदर भेजा। ए. एस. पी. ने थाने सदर पहुंच कर, घटना के हालात सुनकर श्री बालूसिंह को लगभग साढे ग्यारह बजे जमानत पर रिहाई दिलवाई।

तत्पश्चात्, श्री बालूसिंह ने एस. पी. बीकानेर के पास एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि उससे थानेदार ने भद्दे तरीके से पूछताछ की व इस पर जब उसने ऐतराज किया तो मारपीट की और बाद में उसके साथी द्वारा परिचय दे देने पर भी उसे ह. द. ५५।१०९ सी आर. पी. सी. में गिरफ्तार किया गया।

ए. एस. पी. बीकानेर द्वारा इस मामले में जांच करने पर पाया गया कि श्री बालूसिंह उस दिन प्रातः नशे में चूर था और इस कारण पूछताछ पर वह अपना ठीक परिचय नहीं दे सका और झगडा करने लगा। इस आधार पर सैकण्ड ऑफिसर श्री मोहनलाल ने उसे गिरफ्तार किया। डंडे से मारपीट का आरोप निस्सन्देह रूप से सिद्ध नहीं हो सका। परन्तु सब-इन्सपेक्टर द्वारा की गई ५५।१०९ सी आर. पी. सी. की कार्यवाही उस हालत में अनुचित होने के कारण उसे थाने से हटा कर लाइन्स में भेज दिया है और विभागीय जांच नियमानुसार की जा रही है।

प्रातः शौच के लिये ले जाते समय हथकडी लगाने के आरोप की भी जांच विभागीय जांच के दौरान की जावेगी। प्राथमिक जांच से इस मामले में ठोस शहादत न होने के कारण निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक सरकार की नीति, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज के हथकड़ी न लगाने के हेतु है यह पुनः दोहराया जाता है और इसका

Page No. 9

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

खण्डन करने पर उचित दण्ड संबंधित अधिकारी को दिया जावेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह क्लेरिफिकेशन करवाना चाहूंगा कि क्या मेडिकल सर्टिफिकेट की ट्रू कापी जो स्थगन–प्रस्ताव के साथ में पेश की थी उसका भी माननीय मन्त्री महोदय ने अवलोकन किया ? मैं समझता हूं, किया होगा । और उसके अवलोकन से पता लगा होगा कि ८ चोटें उसके शरीर पर blunt weapon से आई हुई साबित हैं । तो क्या ये चोटें मेडिकल सर्टीफिकेट पर दर्ज नहीं हैं; मैं इसके बारे में मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा ।

जब आठ चोटें दर्ज हैं और आप इस बात को भी एडमिट करते हैं कि ५५-१०९ में गिरफ्तार किया गया और यह भी एडमिटेड फैक्ट है कि सरपंच है वह मैट्रिक पढ़ा-लिखा आदमी है, अनपढ़ गंवार नहीं है और इसके साथ ही आपने कोई मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं कराया कि क्या वह वास्तव में नशे में चूर था या नहीं । जहां तक सूचना दी गई है उसमें प्रकट था कि यह सूचना किस बात पर आधारित है । यदि पुलिस द्वारा ही दी गई इन्फोर्मेशन पर आधारित है तो गलत है यह क्योंकि आपने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं कराया ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । पब्लिक रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को हथकड़ी लगाई जाती रही है और उस पर भी सीरियस व्यू लिया गया है, पर सरपंच को हथकड़ी लगाया जाना, ५५-१०९ का केस चलाना, ४।। बजे गिरफ्तार करना और पीटा जाना, यह और भी सीरियस मामला है । मैं मांग करूंगा कि उसका मेडिकल सर्टीफिकेट पेश किया जावे । मैं मांग करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में सरकार की यह घोषित नीति है, कि भूतपूर्व गृह मंत्री जी जानते हैं कि सरपंच को हथकड़ी लगाने पर सस्पेन्ड किया है, तो क्या उनके गृह मन्त्रालय छोड़ने के बाद में उस नीति में परिवर्तन आ सकता है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार उसे सस्पेन्ड करने की मांग स्वीकार करेगी क्योंकि यह किसी इन्डिविजुअल का सवाल नहीं है । आज सरपंच को लगाई, कल एम. एल. ए. को लगायेंगे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल सर्टीफिकेट का ताल्लुक है, डी. ई. क्योंकि ओपन की गई है इसलिये उस संबंध में कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है ।

चोटें जरूर पहुंचीं, जहां तक सर्टीफिकेट का सवाल है; पर ये चोटें आफ्टर थोट हैं या उस वक्त पहुंची, यह प्रश्न अभी निर्णय के लिये बाकी है इसलिये चूंकि इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के मीमो में चोटों का कोई जिक्र नहीं है, सरपंच ने भी लिखाते वक्त इन चोटों का जिक्र नहीं किया और इसके बाद चोटों का जिक्र आपने किया है, सर्टीफिकेट भी पेश किया है तो प्रश्न यह तय करना है कि ये चोटें पहले पहुंची हुई थीं या बाद में पहुंचीं ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा को खड़े देखकर)

मुझे कह लेने दीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कहिये न।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप खड़े क्यों हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये कि आप खत्म करें तो मैं बोलूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं। ये आपको स्वीकृति दे सकते हैं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि प्रश्न यह विवादास्पद है जिस पर निर्णय लिया जा सकता है।

दूसरा, मैंने निवेदन किया कि जहां तक इलेक्टेड परसन्स को हथकड़ी नहीं लगाने की नीति का प्रश्न है, वही नीति आज भी है। ऐसा जो इसमें किया गया है यह अनुचित किया गया है और इसी आधार पर डी. ई. खोलने का one of the circumstances ये भी हैं।

तीसरा अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो वह शराब के नशे में था; इसका क्या आधार है? यह निश्चय ही मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पर आधारित नहीं है। मैंने जैसा इसमें कहा है कि वहां कलाल, उसकी दुकान और यह व्यक्ति सस्पीशियस सर्कम्स्टान्सेज और कलाल का बयान, ये सब स्पष्ट बताते हैं कि वे सस्पीशियस सर्कम्स्टान्सेज़ में पकड गये, इसलिये इसके लिये मेडिकल सर्टीफिकेट नहीं लिया गया। तब भी मैं मानता हूं इसे कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। और यह भी तथ्य डी. ई. के अन्तर्गत निर्णय के लिये है।

तीसरा प्रश्न उठाया है डी.ई. ओपन कर दी गई है और इसकी गिरफ्तारी के संबंध में शंकायें प्रकट की गई हैं उनके आधार पर ही डी. ई. ओपन की गई है। तो इस व्यक्ति को एस. एच. ओ., सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड किया जाना चाहिये था। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी मांग का प्रश्न नहीं है। यह तथ्यों के आधार पर है और हमने निर्णय लिया है आपकी मांग से परे; मांग तो आपकी अब आई है, हमने उसे सस्पेन्ड कर दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारी मांग से परे, आपने इसे सस्पेन्ड कर दिया इसके लिये बधाई देता हूं आपको।

(८.२८ म. पू.)

राजाखेड़ा में डाकुओं के एकत्रित होने विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: राजाखेडा तहसील में डाकुओं के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : डाकुओं के सम्मेलन के बारे में श्री विजयसिंह झाला ने एक स्थगन–प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विषय में कोई भी सूचना किसी भी प्रकार राजाखेड़ा, धौलपुर या अन्य किसी स्थान पर ऐसा सम्मेलन, जिसकी ओर संकेत किया गया है, सरकार के सूत्रों के आधार पर निराधार पाई जाती है।

सितम्बर १९६३ के बाद आज तक अन्तर्प्रान्तीय डाकू दल द्वारा धौलपुर, राजाखेड़ा (राजस्थान) की सीमा में प्रवेश भी नहीं हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सूचना का आधार क्या है ?

श्री विजयसिंह झाला : वह बता रहा हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या उसमें जनसंघ भी शामिल हुआ है ?

श्री विजयसिंह झाला : चुप रहिये। मैं इसका आधार बतला रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह आप क्या कह रहे हैं माननीय सदस्य को ?

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रेम से कह गये हैं इनको तो।

श्री अध्यक्ष : ये समझ गये कि आप मन्त्री हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जब स्थगन प्रस्ताव मैंने पेश किया तो उसके साथ हिन्दुस्तान अखबार की कटिंग भी काट कर प्रस्तुत की थी जिसमें इन सबका उल्लेख था। एक तो वह आधार था। दूसरा आधार यह था कि जब हमारा सम्मेलन हुआ तो उसमें जो व्यक्ति आये थे उनसे भी पूछ-ताछ से पता लगा कि यह सही है।

आज से दस दिन पहले राजाखेडा तहसील में डाकुओं का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डाकू आये थे। उसमें उन्होंने प्रधान मंत्री की भी नियुक्ति की है, जिसका नाम है डाकू जंगा और उप-प्रधान मंत्री है डाकू माधोसिह। और बाकायदा जैसे मंत्रियो के विभागों का बंटवारा होता है वैसे बंटवारा भी हुआ है, जैसे रसद विभाग, गुप्तचर विभाग और साथ ही साथ सूचना विभाग भी खोला है उन्होंने। उन्होंने घोषणा की है कि चम्बल के खादर हमारी राजधानी होगी। और साथ साथ एक आदेश जारी किया है कि जितने भी डाकू हैं पुलिस की वर्दी में रहेंगे। साथ ही साथ न्याय विभाग भी कायम किया है। उन्होंने न्यायाधीश भी बनाये हैं जो कि डाकुओं के बीच में किसी प्रकार का मन मुटाव होगा तो वह फैसला देगा। तो मेरी समझ में यह सारी विस्तृत जानकारी सरकार को है। अखबारों में भी आई है। हम और विशेष जानकारी चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : इतनी डिटेल्ड प्रोसीडिंग की बातें आपको कैसे मालूम हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ऐसा मालूम होता है कोन्स्टीट्यूशन इन्होंने बैठकर बनाया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : लीगल एडवाइजर आप मालूम होते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मुझे मन्त्री की फिक्र नहीं है, पर मुख्य मन्त्रीजी का स्थान अगर डाकुओं ने ले लिया है तो इसलिये मुझे फिक्र है कि कहीं उदयपुर का रिप्रेजेन्टेशन सरकार में समाप्त न हो जावे।

एक माननीय सदस्य : आपको कौनसा पद दिया गया है ? गुप्तचर विभाग सौंपा गया है क्या ?

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले यह बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उसको

(श्री भैरोंसिंह)

हमनें भी देखा और देखकर अपनी शाखाओं को आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर जितनी इन्फोर्मेशन गेंदर कर सकें करें और हमें इत्तला दें। उनसे जो कुछ सूचनायें मिली हैं वे माननीय सदस्य ने सदन में रखी हैं। और इन बातों में तथ्य है। अब वे गवर्नमेन्ट फॉर्म कर पावेंगे या नहीं, पर इस प्रकार की दिमागी कल्पना से वे भले ही अपना तन्त्र स्थापित न कर सकें, पर जनता को आतंकित कर सकते हैं। इसलिये प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाना चाहिये।

श्री **मुकुटबिहारीलाल** गोयल (बयाना): यह समाचार तथ्यपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर इसकी पुष्टि करता हूं।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि वहां पर न्यायालय हैं, डाकुओं के इशारों पर न्याय करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं। अगर कोई किसान बेदखल कर दिया जाता है तो · · ·

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : यह एडजोर्नमेन्ट मोशन है या हाफ एन आवर डिस्कशन ?

श्री **अध्यक्ष** : सामान्य स्थिति पर कहें, इस पर कहें। आप मूल प्रश्न पर कहें।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : इसी पर कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। किसान बेदखल कर दिया जाता है। उसकी बडी सरकार की सेवा में अर्जी जाती है बडी सरकार से यहां मतलब डाकुओं की सरकार से है। वहां फैसला होता है; कहते हैं तुरन्त फुरन्त कि तुम्हारा खेत वापिस। जिसनें लिया उसको पूछते हैं मन्जूर है तुम्हें यह फैसला, हां कबूल है ? नहीं कबूल किया तो गोली से उडा दिया जाता है। तो गोली की नोक पर इस तरह के अनेकों फैसले होतें हैं। लडाइयां होती हैं तो उनका फैसला भी इसी तरह होता है।

मैं यह सब आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता। मुख्य मंत्री जी इसे चाहें प्रशासन की सफलता समझ लें कि उनको यह सब मालूम नहीं, क्योंकि उनका रिपोर्ट मंगाने का तन्त्र है वह है लोकल तन्त्र। उस लोकल तन्त्र के द्वारा आपके पास सूचना आ सकती है, सूचनार्थ नहीं। अगर आपको वास्तविक तथ्य मालूम करनें हैं तो इसके लियें निस्संदेह आपको दूसरी कोई एजेन्सी क्रियेट करनी पडेगी। उच्च अधिकारियों की कोई जांच 'कमीशन आपको नियुक्त करना पडेगा; तब जाकर आप सच्चाई पर पहुंच पावेंगे। मैं तो बार बार इस का उल्लेख यहां बताता रहा हूं। हालांकि यह इलाका मेरा नहीं है, राजाखेडा के सेठजी का इलाका है। उनको ये सब बातें कहनी चाहिये थीं, पर वे सच्चाई कहने से भय खाते हैं इसलिये मुझे कहना पडता है। वे बीमार हैं, भय खाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इसलिये असमर्थ हैं। इसलिये मुझे उनकी ड्यूटी अन्जाम देनी पडती है। यहां मानें में राजाखेडा का इलाका डाकुओं का शरणगृह है। उसे उनका एसीलम बना दिया गया है। इसलिये वहां के त्रस्त जन जीवन के बारे में भी थोडा सच्चाई से सोचा जावे।

मैं मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिशः एवं सदन के सदस्य के नाते पुरजोर निवेदन करूंगा कि वहां की दयनीय दशा के बारे में जन

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जीवन के बारें में, जन-जीवन की सुरक्षा के खातिर कम से कम व्यक्तिगत दिलचस्पी वें थोडी लें तो वहां की जनता का कल्याण हो सकता है ।

वह डाकुग्रों का शरणगृह है । वहां किसी भी भले आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है । मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि यह समाचार ऐंसा है जिससे ग्राम जनता में पैनिक फैल गया है । सब परेशान हैं । आज वहां की पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि इस सब स्थिति को काबू में लेनें के लियें, वहां के लोगों को आश्वस्त करनें के लिये कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा सकता । इसका नतीजा क्या होगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : अध्यक्ष महोदय, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यह एडजोर्नमेन्ट मोशन कॉन्फ्रेन्स से संबंधित था । जनरल स्वीपिंग तरीके से सारी बातें इसमें शुरू हो जाती हैं । मैं समझता हूं, सदन में जो भी प्रश्न उपस्थित हैं उसी तक सीमित रक्खेंगे तो उचित होगा । वरना एक तरफ कहतें हैं भय और दूसरी चीज पदा हो जावेगी और जो अखबार में निकल गया उसको ज्यादा तथ्य मानकर चलेंगे और हम कहतें हैं कि कोई कान्फ्रेंन्स नहीं हुई, तो यह भय जनता में से भी दूर हो सकता है, पर उसको दूर न होने देना सदन का लक्ष्य भी नहीं होगा ।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : नहीं, ऐंसी बात नहीं है, आप जांच करवाइयें। परसों भाग्य से या दुर्भाग्य से····

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रकार के समाचारों का प्रश्न है में यह कहूंगा कि आखिर माननीय सदस्य ने जो समाचार यहां पर कहे हैं वे भी बहुत गंभीर हैं । बहुत संभव है, इस प्रकार की घटनाओं के पीछें जो धौलपुर में हो रहीं हैं कोई बहुत बडा षडयंत्र है । इसके पीछे बड़े बडे लोगों का बड़े हाथ हो और यह तो आम चर्चा है कि वहां के डाकू बडे-बडे लोगों के यहां शरण लेतें हैं और चूंकि वहां पर घने जंगल हैं इसलिये उनको वहां पर डाकू लोग रह सकते हैं, रहतें हैं । डाकू लोग जानवर चुरा कर ले जाते हैं और लोगों को वापिस नहीं मिलते जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाता । सरकार उनका पता लगाने में असमर्थ है । कुछ समय पहले एग्रीकल्चरल विभाग के जानवर चुरा कर लें गयें और उनका पुलिस पता नहीं लगा सकी, आखिर निश्चित रकम देनें के बाद ही फेर वाली हुई । यह क्यों ? इससे साफ जाहिर है कि इसमें बडे बडे लोगों का हाथ अवश्य है । इस संबंध में जी. एस. गौर साहब ने अपनी रिपोर्ट लिखी है, उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंनें बताया है कि इसके पीछें किन लोगों का हाथ है ?

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में डिप्टी एस. पी. का हैड क्वाटंर ही है । एस. पी. के हैड क्वार्टर के लिये सरकार से बार बार निवेदन किया गया, मगर कोई सुन-वाई नहीं हुई और वहां पर एस पी. का दफ्तर अभी तक कायम नहीं किया गया है । जहां पर इस प्रकार की स्थिति है वहां पर एस. पी. का स्थान होना नितान्त आवश्यक है ।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री को इसका पूरा ध्यान है ।

Page No. 14

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मोरीपुरा में, राजपुरा में, सारे लोग जानते हैं कि डाकू लोग कहां पर शरण लेते हैं। नवाबसिंह, मदनसिंह, बाबू पंछी आदि बडे बडे नामी डाकू वहां पर हैं, औरतों का ट्रेड खुले ग्राम होने के किस्से आपके सामने आये हैं, जानवरों की चोरी आए दिन होती रहती हैं। इन सारी बातों को देखते हुए सरकार को इस प्रकार के स्वीपिंग रिमार्क से ही इसको नहीं टाल देना चाहिये कि वहां पर सरकार जागरूक है और स्थिति संतोषजनक है। वहां पर एस. पी. के हैड क्वार्टर के लिये ७ साल से लगातार प्रार्थना की जा रही है कि वहां की डाकुओं की स्थिति को देखते हुए एस. पी. का हैड क्वार्टर रखा जाय, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा वहां पर आज पिछले ७ सालों से वही डी.एस. पी. पडा हुआ है और उसका कभी ट्रान्सफर हो जाता है तो फिर ६ महीनों के बाद फिर रुक जाता है। उसकी लाखों कम्पलेन्ट हैं, मगर फिर भी समझ में नहीं आता कि उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया जा रहा है? जब इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार कायम की है तो इस संबंध में ठोस कदम उठाना चाहिये। पुलिस इसकी इन्क्वायरी करे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस लिये एक कमेटी बिठायें जो सारे धौलपुर की स्थिति को सोचे और उचित कार्यवाही करे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं कि धौलपुर के संबंध में....

श्री विजयसिंह झाला : यह मामला सोशलिस्टों पर छोड दें तो सारा ठीक हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : चम्बल की घाटी की डकैतों की जो प्रोब्लम है उसे सभी जानते हैं, इसके अलावा धौलपुर में कई डाकुओं को गिरफ्तार भी किया है और कई मारे भी गये हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश, यू. पी. धौलपुर और कोटा के कई इलाकों में जो सरकार कार्यवाही कर रही है उसके फैक्ट्स एन्ड फिगर्स में जाने की जरूरत नहीं है। धौलपुर में स्थिति काफी संतोष जनक है और हमको किसी पर्सनल सुझाव से भावुकता में बह कर नहीं चलना चाहिये। यदि हम भावुकता में बह कर कहते हुए चले जायें कि सारी कन्डीशन्स वहां की खराब हो गई हैं तो यह उचित नहीं होगा। इस तरह से डीमोरेलाइजेशन का स्टेटमेन्ट देने के बजाय आपको उनका एप्रीसियेशन करना चाहिये कि वे किस प्रकार से वहां पर कार्य कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि इस तरह से सरकार को कन्डेमेशन किया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। अखबारों में जो स्टेटमेंट आता है वह साफ शब्दों में कहूंगा कि गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): वहां पर हालत खराब है, इसको सभी जानते हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां पर डाकुओं का सफाया करने वाली पुलिस पर्याप्त संख्या में कार्य कर रही है। यू. पी., मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों सरकारें मिल कर काम कर रही हैं और इनका जोइन्ट ओपरेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में समाचार–पत्रों में जो खबर आती है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रख सकते। इसके लिये हमारे श्रोता

Page No. 15

(श्री निरंजननाथ आचार्य :)

बराबर लग रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहते हैं कि बड़े से बडा डाकू वहां का नवाबसिंह है जिसके लिये आप कहते हैं कि वह पकडा गया है, मदनसिंह गोली से मार दिया गया है, मगर यह बिलकुल गलत है । मैं समझता हूं कि सरकार ने जो लोगों को इसके लिये मेडल दिये हैं वे गलत लोगों को मेडल मिले हैं । नवाबसिंह ने संतोषसिंह के घर पर क्या शरण नहीं ली थी ? इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर पुलिस खुद वहां के डाकुओं से मिली हुई है और पुलिस बहुत कमजोर है ।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत कुछ कह दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री इस बात का गर्व करते हैं कि वहां पर शान्ति है मैं यह कहूंगा कि वहां पर शान्ति नहीं है । जानवरों की आम चोरी आए दिन होती हैं, औरतों का खुले आम बाजार लगता है और वहां पर औरतों का व्यापार होता है और फिर भी आप कहते हैं कि वहां पर शान्ति है । आपको कोई भी बात गंभीरता से कहनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बार बार आप एक ही बात को कहते जायेंगे ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जब तक आप सुनवाई नहीं करेंगे अनेकों बार कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! order !!

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : वहां पर किसी भले आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है . . . .

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, उस साइड में बैठे हुए माननीय सदस्य इस तरह से बोलते हैं जैसे किसी को धमकाया जा रहा हो । आपको अच्छी परपराएं डालनी चाहियें, ऐसी परम्परा नहीं डालनी चाहियें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मना कर दिया तो फिर क्यों बोलते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब नहीं बोलूंगा, आपकी आज्ञा से ही बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : शिष्टाचार से बोलें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप श्री चन्दनमलजी से भी कह दें कि वे भी शिष्टाचार से बोलें ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे, तो उन पर भी असर होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है । डाकुओं के सम्मेलन को लेकर कुछ चर्चाएं यहां पर हुई हैं । इस सदन में चर्चाएं होने से संभव है कि कुछ लोगों में पैनिक फैलेगा । इसलिये ज्यादा अच्छा यह हो कि खास तौर से सरकार द्वारा इसका प्रतिवाद कर दिया जाए तो अच्छा होगा । जो वाद विवाद यहां पर हुआ है वह बहुत गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवाद स्पष्ट रूप से किया गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है ।

मैं मुख्य मंत्रीजी को आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं और इस विश्वास के साथ कि कम से कम उनके दिल में न्याय और धर्म की आवाज टकरायेगी, जनता की पवित्र भावनाएं उनके दिल में उतरेंगी, इन भावों से ओत-प्रोत होकर आपके मारफत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी निजी जानकारी वहां पर करवा लें किसी अन्य उच्च अधिकारी को भेज कर, अगर आपको मालूम हो जाय कि एक परसेन्ट भी उन लोगों पर अत्याचारों को रोकने के लिये कदम उठाया है तो आपको वहां की जनता आशीर्वाद देगी और आपके इस भव्य कदम उठाने पर आपका गुणगान करेगी । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सब वातावरण ही बनाया जा रहा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर में जहां पर इस प्रकार की वारदातें आए दिन होती हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर दें जिससे जनता का दुख मिट सके ।

(८.५० म. पू.)

राजस्थान पुलिस के नॉन गजटेड कर्मचारी संघ को मान्यता देने विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निर्णय हो जाने के पश्चात् पहले राजस्थान सरकार इस विषय में सुप्रिम कोर्ट में अपील करने का विचार रखती थी, परन्तु इस मामले के कानूनी पहलुओं पर, जिन दिनों विचार किया जा रहा था तभी सुप्रिम कोर्ट द्वारा एक अन्य केस में फैसला दिया जाकर ऐसे संघों को वैध घोषित किया गया, अतः सरकार द्वारा अपील करने का निर्णय अन्त में नहीं लिया जा सका । तत्पश्चात् राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स के रूल २३ और २३ ए. जो इस विषय में संबंधित हैं उनमें उचित संशोधन करने का मामला नियुक्ति विभाग और विधि विभाग में विचारार्थ गया और अब यह मामला केबिनेट के विचाराधीन है और अति शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, नॉन गजटेड कर्मचारियों की एसोसियेशन के रिकॉग्निशन का प्रश्न गत ८ वर्षों से विचाराधीन है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप बोलें उससे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं ; I seek protection of the Chair, Sir that in public interest it will not be advisable to give a long rope to the debate on this account, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कोई डिबेट रेज़ नहीं कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : I shall pull the rope at the appropriate time.

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८ वर्षों से यह मामला पेंडिंग है, पिछले वर्ष भी पुलिस की यूनियन के संबंध में गृह मंत्रीजी ने कहा था कि इसके रिकॉग्निशन का मामल

Page No. 17

(श्री मनिकचन्द सुराना)

विचाराधीन है। अब भी कह रहे हैं कि विचाराधीन है। ८ वर्ष से जो रवैया सरकार का इस संबंध में रहा है उससे पुलिस के नॉन गजटेड कर्मचारी परेशान होते रहे हैं। हाई कोर्ट से जजमेंट अपने पक्ष में करा कर भी आज उन्हें इसके लिये भूख हड़ताल करनी पड़ रही है और आज वे २ दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार को एक यूनिफॉर्म पोलिसी रखनी चाहिये। जब आई. पी. एस. ऑफिसर्स और आर. पी. एस. ऑफिसर्स अपनी एसोसियेशन बना सकते हैं। गजटेड ऑफिसर्स अपनी एसोसियेशन बना सकते हैं तो नॉन गजटेड कर्मचारियों ने कौनसा गुनाह किया है कि वे अपनी एसोसियेशन नहीं बना सकते। पुलिस के नॉन-गजटेड कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, निश्चित रूप से ज्यादा है, पर ज्यादा संख्या वाले नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारियों के प्रति यह मान कर चलते हैं कि ये लोग हमारे विरुद्ध हैं तो इस प्रकार के उनके प्रति व्यवहार से आप उनमें विरोध की भावना को भडकाते हैं। तो आप उनको रिकॉग्नाइज करिये, इनकी एसोसियेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वे क्या करेंगे ? वे आपसे मिलेंगे, आपके सामने अपने रिप्रेजेन्टेशन रखेंगे, अपने दुःख दर्द की बात आपके सामने रखेंगे. इससे ज्यादा वे और क्या करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि आप अपने कर्मचारियों में इस तरह अविश्वास क्यों करते हैं ? अभी मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि मैं उनके दुःख-दर्द को सुनेंगे, उनके रिप्रेजेन्टेशन्स आयेंगे तो उन पर विचार करके स्वीकार करने योग्य होंगे उन्हें स्वीकार करेंगे। तो यह मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट कन्डक्ट रूल्स की धारा २३ और २३ ए., जिनके आधार पर आपने इनकी एसोसियेशन के रिकोग्निशन को डिनाई किया, उनको हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स माना, कॉन्स्टीट्यूशनली गलत करार दिया है। तो आप क्यों इस तरह की दलील देते हैं और क्यों नहीं इन लोगों की एसोसियेशन को रिकॉग्नाइज करते ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संघ को रिकॉग्नाइज नहीं करने में इन नॉन गजेटेड पुलिस कर्मचारियों के प्रति सरकार का डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है, उसके खिलाफ ३ आदमी भूख हड़ताल पर हैं, कल ३० होंगे परसों १०० हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में मुख्य मंत्री संघ को मान्यता देने पर डेफिनिट कमिटमेंट करें और अगर कोई आधार हों तो वे आधार बतायें कि किन आधारों पर वे इस संघ को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस प्रश्न पर जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि यह विचाराधीन है, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जायगा। इसको अभी वाद-विवाद में ज्यादा न डाला जाय, यही उचित होगा।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : ३ कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं और जल्दी से जल्दी फैसले करने का मुख्य मंत्री ने कहा। यह झगडा ८ वर्ष से चल रहा है, ६२ में हाई कोर्ट ने इस संबंध में फैसला किया और आज मुख्य मंत्री जवाब देते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला किया जायगा। कभी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले का हवाला देते हैं, सुप्रीम

Page No. 18

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोर्ट में जाने की वात कह कर इस मामले को टाला गया। पहले गृहमंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था; पहला आश्वासन भी यही था कि जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे, पर ८ साल इस आश्वासन में गुजर गये। और आज स्थिति यह है कि ५ हजार कर्मचारियों में से १५ की सर्विसेज़ टर्मीनेट कर दी गई, १५० को सस्पेन्ड कर रखा है, रात-दिन विक्टिमाइजेशन हो रहा है। इतना ही नहीं आई. जी. पी. ने सर्कूलर्स इश्यू किये हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है कि कोई नॉन गजटेड कर्मचारी इस यूनियन में शामिल नहीं हो। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए छोटे कर्मचारियों का कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, रात दिन उनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है। डाकुओं से मुठभेड में मारे जाते है तो उनको फौरन कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता, ऐसी बहुत सी शिकायतें मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष: सबको इसके साथ नहीं जोडें, अनिश्चित बात न करें। इस तरह की बात करनी हो तो नोटिस देकर करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मुख्य मंत्री को डेफिनिट कहना चाहिये, विचार करने के लिये काफी नहीं थे क्या, हाई कोर्ट का डिसिज़न काफी नहीं था क्या। इनकी यूनियन को रिकॉग्निशन देने के लिये? आई. पी. एस. आर. पी. एस. ऑफिसर्स की यूनियन्स हैं तो आज मुख्य मंत्री को साफ कहना चाहिये कि उनके संघ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, खुद मुख्य मंत्री जाकर भूख हडतालियों को नारंगी का रस पिलायें। वे सदन के बाहर बैठे हुए हैं। आम तौर से मुख्य मंत्री जनता के सामने जाने में परहेज करते हैं, पर आज वे वहां जायं। तीन कर्मचारी सदन के बाहर भूख हडताल पर बैठे हैं और मुख्य मंत्री डेफिनिट कमिटमेंट नहीं करते। जाइये आप उन कर्मचारियों को नारंगी का रस अपने हाथ से पिलाइये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न साफ करना चाहता हूं। जो एड्जोर्नमेंट मोशन होता है उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया जाता है; उसके बाद क्या बहस का स्वरूप बताना चाहिये, जो सदन में बनता जा रहा है तीन-तीन, चार-चार बार एक-एक माननीय सदस्य बोलते जायं। मैंने कह दिया कि इस पोइन्ट को बहस का इश्यू नहीं बनाना चाहिये, जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जायगा, उसके बाद भी एड्जोर्नमेंट मोशन को बहस का इश्यू बना लिया है।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्य ने नोटिस दिया था उनको विचार रखने का मौका दे दिया गया है। अन्य माननीय सदस्य इस बहस में नहीं पडें तो ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसका तो फैसला कर लें....

श्री अध्यक्ष: क्लेरिफिकेशन साफ हो चुका है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी फैसला कर देंगे। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर विशेष केस के लिये था, एसोसियेशन के रिकॉग्निशन पर क्या किया जा सकता है, पुलिस का प्रशासन में एक विशिष्ट स्थान है, उसका मामला है, इसको बहस का विषय बनाना ठीक नहीं, जबकि मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि हमारे विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई न कोई टाइम तो दें कि एक महीने में, दो महीनों में या साल भर में निर्णय ले लिया जायगा आखिर ८ साल से केस चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कम से कम इतना समय और नहीं लगेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरा दो शब्दों में विनम्र निवेदन है । मैं नहीं चाहूंगा कि पुलिस में अव्यवस्था हो, डिसिप्लिन का सवाल है; लेकिन उनकी भावना के साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति तो अवश्य है । आखिर ८ वर्ष का एक लम्बा अर्सा होता है, सरकार के लिये भी यह अहितकर है, डिसिप्लिन के लिये भी यह अहितकर है और कर्मचारियों के लिये भी अहितकर है यदि निर्णय इस संबंध में देर से होता है ; मुख्य मंत्री ने आश्वासन तो दिया है कि इस संबंध में जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल कर दिया जायगा किन्तु मैं समझता हूं यह आश्वासन जिस रूप से दिया गया है वह नाकाफी है । मुख्य मंत्री को स्वयं को स्पष्टतया कुछ न कुछ संकेत करके कि अमुक समय में इस समस्या का हल निकाल दिया जायगा, कहा जायगा तो ठीक होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक भावना की तरफ संकेत दिया गया। उप-मंत्री महोदय ने संकेत किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य फैसले में इस प्रकार के आर. एस. आर. के क्लॉजेज को अवैध घोषित किया तो सरकार ने तय किया कि नियमों में कोई परिवर्तन किया जायगा, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार संघ को मान्यता देकर नियमों में परिवर्तन करेंगे । अभी मुख्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसमें संकेत मिला है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जायगा, इसमें पोजिटिव और निगेटिव दोनों ही बातें हो सकती हैं । तो सरकार इस बात पर निर्णय ले चुकी है कि वह मान्यता तो नहीं देगी और केवल रूल्स में परिवर्तन करेगी या मान्यता देने के पक्ष में सहानुभूति से विचार कर रही है ।

(९.०० म. पू.)

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जवाब स्पष्ट नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : जवाब स्पष्ट आ चुका है । आप शीघ्र निर्णय एन्टीसिपेट करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन जो लोग भूख–हडताल पर हैं सदन के सामने ··

श्री अध्यक्ष : निश्चित रूप से स्टेटमेन्ट आ चुका है । आप सरकार को बाध्य करें, यह बात ठीक नहीं । जो तथ्य आपको कहने थे– एक बार, दो बार, तीन बार कह दिए । बहस से निराकरण हो नहीं सकता । सरकार के सामने सभी तथ्य हैं, कानूनी तथ्य हैं, सब पर विचार करके सरकार निर्णय करेगी ।

श्री हरिराम चौहान : इस तरह के आश्वासन कितनी बार दे चुके हैं । अब इसके अन्दर निश्चित रूप से कोई आश्वासन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

(६.०२ म. पृ.)

राणा प्रताप सागर बांध में दरार पड जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : राणाप्रताप सागर के सिलसिले में इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव रखे हैं; श्री रामकिशन जी और श्री हांडा ने । इन दोनों ने उस प्रस्ताव के जरिये यह सूचना दी है कि राणा प्रताप सागर का जो बांध बन रहा है उसमें कुछ खम्भे हैं जिनके नम्बर भी उन्होंने लिखे हैं । एक है खंभा नम्बर ७ ए · · ·

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : ८, २४ और २८ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने लिखा है, खंभा नम्बर २४ और खंभा नम्बर २८, ये दोनों नम्बर आपने लिखे हैं और आपने प्रस्तावों में कहा है कि इन खंभों पर जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है वह सही नहीं हुआ है और कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं और बांध को खतरा हो सकता है और नुकसान हो सकता है और वह राज्य सरकार को घाटा पहुंचा सकता है । आपने अपने प्रस्ताव में इसका जिक्र किया है और आपने कह दिया कि श्री भीखाभाई जो उस वक्त सिंचाई मंत्री थे उनको भी आपने सूचना दी थी और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी जांच कराई है और उसके अनुसार जो मुझे सूचना मिली है उसमें बताया गया है कि खंभा नम्बर २४ और २८ जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री हांडा ने किया है उसमें कोई क्रैक्स नहीं हैं और उसके अलावा खंभा नं. २७ और २५ में कुछ क्रैक्स डेवलप हुई हैं । वे क्रैक्स सुपरफिशियल सुपरस्ट्रक्चर के हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कन्स्ट्रक्शन मौके पर हो रहा है, वहां पर जो सीमेन्ट कॉन्क्रीट और दूसरी चीजें यूज में आ रही हैं, उस बारे में वहां पर निश्चित तौर से एक एजेन्सी है इंजीनीयर्स की, वे रात-दिन इसी बात की व्यवस्था करते हैं कि जो कन्स्ट्रक्शन की प्रोग्रेस चल रही है और जिस प्रकार कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उस कन्स्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है और वे रात-दिन इस बात की देख–भाल करते हैं और रोजाना जो प्रोग्रेस उस बांध पर होती है, निश्चित तौर से उसको वाच करते रहते हैं और उनका जवाब मेरे पास आया है कि जिस प्रकार से छोटे छोटे क्रैक्स जो खंभे नम्बर २५ और २७ में डेवलप हुए हैं वे बिलकुल गौण हैं, इम्मेटीरियल हैं और कोई कन्स्ट्रक्शन डिफेक्ट नहीं है और उसकी वजह से जो आशंका सदन के माननीय सदस्यों को हुई कि उससे बांध को नुकसान हो सकता है। इंजीनियर्स का कहना है कि इस प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। खंभे नम्बर ७ में जिस प्रकार से दरारें डेवलप हुई हैं उस बारे में और भी डिटेल में वे जांच कर रहे हैं क्योंकि वे डीपर नेचर के हैं. उससे कोई नुकसान होने की शुरूआत हो सकती है, या नहीं, इस बारे में अभी तक उनका निश्चित् मत नहीं बना है। अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है जो बांध को आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके कन्स्ट्रक्शन में कैसा सुधार किया जाय, इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)
बारे में अगर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये दरारें नुकसान करने वाली हैं तो इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि बांध को नुकसान न हों। इस बारे में वहां के इंजीनीयर मौके पर काम कर रहे हैं और सब लोग जागरूक हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : खंभा नं. ८ ?

श्री नाथूराम मिर्धा ८ में कोई नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ७ में है।

श्री नाथराम मिर्धा :

श्री **नाथूराम मिर्धा** : ७ में नहीं है। उसमें कोई भी नुकसान होने की नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट को निश्चित् अवधि पर पूरा किया जायगा और माननीय सदस्यों ने सतर्कता बरतने की तरफ हमारा ध्यान दिलाया, उस बारे में हम सतर्क हैं, हम व्यवस्था कर चुके हैं। इंजीनियर्स वहां रात-दिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि कन्स्ट्रक्शन का प्रोग्रेस, एग्रीमेन्ट में जैसा स्पेसीफिकेशन है, वैसे हो; इस बात का रात-दिन ध्यान रखते हैं।

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय भी खुद स्वीकार करते हैं कि खंभा नं० ७ में जो डिफेक्ट्स हुए हैं, गंभीर किस्म के हैं और बांध को नुकसान हो सकता है। सरकार को नोटिस में लाने का जो मेरा उद्देश्य था वह पूरा हो गया। जब श्री भीखाभाई सिंचाई मंत्री थे, हम लोगों ने उनके लिए उसको सूचना दी कि इसमें खराब मेटीरियल लगा हुआ है, हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह नहीं किया। बल्कि राष्ट्र के हित में सूचना दी थी और हमारी निश्चित् मान्यता है कि जब आपके पास जांच का परिणाम आएगा तो पता लग जाएगा कि किस प्रकार का मेटीरियल लगा हुआ है और लगना चाहिये था। वहां के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर सरकार को धोखा देने की चेष्टा की है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब श्री भीखाभाई वहां गए थे और आश्वासन देकर आए थे कि हम इसकी जांच करेंगे तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

दूसरी बात कि अगर जांच नहीं करवाई तो मंत्री लोग जो इस तरह के आश्वासन देते हैं और पूरा नहीं करते तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा तो गिरती है, लेकिन उससे पहले तो हमारी प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। लोगों के अन्दर भावना हो गई है कि लोगों के प्रतिनिधि उद्घाटन करने के लिए और भजन करने के लिये होते हैं। हम फायदा तो नहीं उठाते हैं लेकिन गालियों में आपके साथ शामिल हो जाते हैं।

तीसरे वहां की जो कम्पनी है उसके कई तरह के दुराचरण सरकार के नोटिस में आते रहते हैं। सरकार उस कम्पनी के काम को समाप्त कर, उनके रवैये को सरकार दुरुस्त करने की हिम्मत रखती है तो मंत्रीजी स्पष्ट कर दें। मैं मंत्री महोदय से पिछले दो मुद्दों पर जरूर जवाब चाहूंगा।

श्री योगन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके लिए उनका मैं किसी हद तक आभारी भी हूं कि एक्सपर्ट कमेटी, इंजीनियर्स की विजिलेन्स कमेटी इस सम्बन्ध में जागरूक है और वह जांच कर रहा है; लेकिन एक तथ्य को मैं उनके सामने स्पष्ट रखूंगा कि चम्बल मजदूर यूनियन ने एक रिटन मेमोरेन्डम सवा साल पहले माननीय मंत्री श्री भीखाभाई जी के सामने प्रस्तुत किया था और उस मेमोरेन्डम में उन्होंने केटेगरिकली यह स्टेट किया था कि मोडर्न कन्स्ट्रक्शन में कोई नहीं है। कार्पोरेशन जो कि इस कार्य को कर रहा है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वह मोडर्न कन्स्ट्रक्शन उस कार्य को ठीक रूप से नहीं कर रहा है। यह उन मजदूरों के द्वारा दिया हुआ मेमोरेन्डम था जो राणा-प्रताप सागर बांध के निर्माण में आज पत्थर उठाते हैं और लगाते हैं, उन्होंने केटेगोरिकली यह स्टेट किया था कि पत्थर को धोये बगैर लगाया गया और जो मिक्स्चर हैं, मसाला है उसका जो प्रोपोर्शन है वह प्रोपर प्रोपोर्शन में नहीं मिलाया गया। यह मेमोरेन्डम सवा साल पहले माननीय मंत्री महोदय को दिया गया और माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इसकी जांच करवायी जायगी। मैं नहीं जानता कि इन्जीनियर्स की बिजिलेन्स कमेटी थी या नहीं, लेकिन एक बात यह स्पष्ट है कि कोई एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच नहीं करायी गयी थी और पिलर नम्बर ७ क्रेक हुआ, फाउन्डेशन में क्रेक हुआ और मंत्री महोदय को स्वीकार करना पडा है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं कि पिलर ७ में सीरियस क्रेक है और पिलर नं. २५ और २७ में भी है। यह सीरियस बात है। यह मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कोर्पोरेशन कई मजदूरों को पैसा नहीं देता, इस प्रकार का यह कोर्पोरेशन कन्स्ट्रक्ट करें और ४॥ करोड का अकेले इस मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन को काम दिया जाय और सरकार से हर प्रकार रियायतें हों और उस कार्पोरेशन के कार्य के बारे में कोई इन्फोर्मेशन दें तो जांच न करें इसका कारण क्या है? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

राणाप्रताप सागर डेम इस प्रकार की योजना है जिस पर देश आशा लगाये हुए हैं जिस पर उम्मेदें बंधी हुई हैं, उस राणा प्रताप सागर जैसी महान योजना के लिये हम इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं कर सकते। राणाप्रताप सागर जैसी योजनाओं के लिए हमें विजिलेन्ट होना पडेगा। भाखरा और दामोदर बांधों में भी ऐसे क्रेक्स हुए थे और राणा प्रतापसागर बांध में इस प्रकार के क्रेक होते हैं और इस कारण योजना खत्म हो जाती है तो यह एक गम्भीर विषय है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार सीरियसली जांच करें और मोडर्न-कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन के कन्स्ट्रक्शन की जांच करे। माननीय भीखाभाई ने क्या किया और क्या एक्सपर्ट कमेटी ने इस सम्बन्ध में किया, यह जानना चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे कहने के बाद माननीय सदस्यों ने कहा।

श्री फतहसिंह (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय में कहना है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): उन्होंने उखाड कर देखा है।

श्री फतहसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं राणा प्रतापसागर डेम पर गया। वहां मैंने देखा कि तीन परसेन्ट सीमेन्ट लगायी है। उसमें रेत मिली हुई है अधिक। तीन परसेन्ट सीमेन्ट मिलाते हैं और मिट्टी मिलाकर बीच में भी देते हैं। पांच–छः परसेन्ट सीमेन्ट मिलाना चाहिये। तीन परसेन्ट मिलायी है तो वह क्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? नख से नहीं घोलते हैं।....

श्री चोसरसिंह (बेंगूं): यह मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी में है और मैंने खुद ने भी इसको देखा है।

Page No. 23

श्री **फतहसिंह** : मैं मकान बनाता हूं। बी. ए. वगैरह इंजीनियरिंग पास करके आ जाते हैं, अनुभव नहीं होता। कहा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मेरे सामने उखाड कर बताया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्रैक्स आने का कारण क्या है ? यह भी माननीय सदस्य ने अभी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हमारी बड़ी बड़ी नदी-घाटी योजनाओं में क्रैक्स आते हैं। अभी राणा प्रताप सागर के सम्बन्ध में क्रैक्स आने के बारे में वाद विवाद हो रहा है। तो क्या डिजाइन में कोई डिफेक्ट है ? कन्स्ट्रक्शन में कोई एतिहाती नहीं बरती जाती या मेटीरियल खराब है ? आखिर-कार आपको इन्क्वायरी करनी चाहिये, इसमें जांच करनी चाहिये। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और अगर इसी तरह से क्रैक्स होते रहे तो मेरे ख्याल से आज गवर्नमेन्ट के लिए बिल्कुल डिस्ग्रेस है, शर्मनाक बात है, यह नहीं होना चाहिये।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया खम्भा नम्बर २५, २७ में जो छोटे क्रैक्स हैं, दरारें हैं वे सिर्फ ऊपर की तह में सीमेन्ट में हैं जिससे कि कोई मेटीरियल खराब लगाया हो, कन्स्ट्रक्शन खराब हो, मोस्ट सुपरफिशियल क्रैक्स हैं, सीमेन्ट जिस प्रकार ऊपर लगाते हैं इसलिए नेचुरल कन्स्ट्रक्शन का असर है। कन्स्ट्रक्शन खराब नहीं है। खम्भा नम्बर ७ के बारे में डिटेल्स में जाकर जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कन्स्ट्रक्शन दुबारा कराने की आवश्यकता पड़ेगी या सुधार के जरिये यह ठीक हो सकता है, तो इसकी जांच करने के बाद ही टेक्निकल लोग इसको ठीक करेंगे।

श्री भीखाभाई जी के प्रश्न को लेकर रामानन्द जी ने कहा, उनके नोटिस में आ गई तो इन्जीनियर्स के द्वारा सतर्कता क्यों नहीं बरती गयी और उसके लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की। जैसा रामकिशन जी ने कहा कि मिनिस्टरों का काम यह है कि भाषण करना और खाना खाना·····

श्री **रामकिशन** : मैंने यह नहीं कहा कि इसलिये नहीं किया····

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : Whether any enquiry was made or not ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : उनके कहने के बाद में जब दुबारा प्रश्न आया तो यह कहा कि श्री भीखाभाई मौके पर जाकर उनको जो इंजी-नियर्स को कहना था वे कह चुके। श्री भीखा-भाई का कर्तव्य था, जो बात उनके नोटिस में आयी थी यह उनका कर्तव्य था कि वे इसके लिए इंजीनियर्स को कहते और उन्होंने कह दी और वह ठीक की गई।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कौनसी एक्स्पर्ट-कमेटी बिठायी ? उन्होंने बिठाने के लिये कहा था। मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : आप बिराजिये, सुनिये तो सही।। आपकी मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पर काफी कृपा है।

Page No. 24

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार की कृपा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मजदूरों से आपका ज्यादा सम्बन्ध है और आप उनसे नाराजगी जाहिर करते हैं । जैसा मैंने कहा जो समय पर कार्यवाही करने की थी की गई हमारे इंजीनियर्स द्वारा । और भी मैं कहना चाहूंगा कि मोडर्न कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने जैसा कन्स्ट्रक्शन करना चाहिये था नहीं किया. उन पर यदि जो पेनल्टी की जा सकेगी, की जायगी और कन्स्ट्रक्शन उसका दुबारा आवश्यक हुआ तो कोस्ट देनी होगी उनको ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्लेक लिस्ट भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कायदे में जो कुछ होता है वह किया जावेगा । मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से हमारी कोई हमदर्दी हो, ऐसी बात नहीं है । जो सजा उनको मिलनी चाहिये वह दी जायगी । २५ और २७ खम्भों की तो सीरियस है नहीं । जहां तक खम्भा नं० ७ का प्रश्न है उसकी डिटेल्स में जांच की जा रही है और कम्पनी ने गलती की है तो उस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न और है ।

(९.१८ म. पू.)

सिंचाई विभाग के कुछ ओवरसियरों की पदोन्नति में अनियमितताओं पर शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री): दूसरा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ओवरसीयर्स से सबोर्डिनेट इंजीनियर्स के प्रश्न को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया था । उनके प्रस्ताव की मंशा यह थी कि इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट में जो अनक्वालिफाइड ओवरसीयर्स हैं उन लोगों को जो प्रमोशन देने की व्यवस्था की गई है वह उनकी राय में ठीक नहीं है । उन्होंने यह कहा कि जो अनक्वालिफाइड हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं ऐसे ओवरसीयर्स को असिस्टेन्ट इंजीनियर्स के लिए प्रमोशन देना उनकी राय में उचित नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी राय से इत्तिफाक नहीं करता । इसलिए नहीं करता कि एक इसी प्रकार का इंजीनियरिंग विभाग पी. डब्ल्यू डी. का है, पी. डब्ल्यू डी. के इंजनियरिंग विभाग में रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो ओवरसीयर्स डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको दस साल का ओवरसीयर की सर्विस पूरी करने के बाद प्रमोशन दिया जायगा और जो क्वालीफाइड या डिप्लोमा होल्डर्स ओवरसीयर नहीं हैं उनको असिस्टेन्ट इंजीनियर्स में प्रमोशन देने के लिए उनकी मयाद १५ साल की सर्विस की रखी है । इस प्रकार की व्यवस्था बिल्डिंग और रोड्स विभाग में भी है । इर्रिगेशन विभाग के जो रूल्स थे इसी प्रकार के रूल्स थे कि ओवरसियर्स को १५ साल के एक्सपीरियेन्स के बाद में असिस्टेन्ट इन्जीनियर का चान्स दिया जा सकता है । इसी प्रकार के विभागीकरण के बाद डिप्लोमा होल्डर्स, और नोन डिप्लोमा होल्डर्स के लिये स्पेसिफिकली रूल्स के अन्दर प्रावधान नहीं था । इर्रिगेशन विभाग में अपने विभाग की एक्सप्रेक्टिस बना रखी थी कि क्वालिफाइड

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हीं को प्रोमोशन्स दिये जायं, नोन क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं दिया जाय। इस प्रकार से जो नोन क्वालिफाइड ईरिगेशन विभाग में काम कर रहे थे उन्होंने सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया कि जब इस प्रकार की व्यवस्था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के बिल्डिंग एन्ड रोड्स में है तो उसी प्रकार की सिमिलर व्यवस्था ईरिगेशन विभाग में की जानी चाहिये, क्योंकि रूल्स इस प्रकार के ईरिगेशन विभाग में नहीं हैं, इसलिये हम लोगों को आज तक प्रोमोशन नहीं मिल पाया है; २५-३० साल की सर्विस हो जाने पर भी आगे चान्स नहीं मिलता, उनको आगे तरक्की के अवसर नहीं। ईरिगेशन विभाग ने इस पर गौर किया, विचार किया और कुछ नियमों में परिवर्तन किया और ठीक उसी प्रकार के परिवर्तन कर दिये गये जिस प्रकार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के बिल्डिंग और रोड्स में थे। वही व्यवस्था इस विभाग में करने के लिये रूल्स बना दिये; जो ओवरसियर क्वालिफाइड हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिनका दस साल का एक्सपीरियन्स होगा उन लोगों को इल्लिजिबल समझा जायगा, असिस्टेन्ट इंजीनियर के प्रोमोशन के लिये जब कोई इस प्रकार की वेकेन्सी होगी जो कि उनके कोटे के अन्दर निश्चित हो।

कुछ लोगों का तो डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होता है और कुछ पोस्टें प्रोमोशन्स की होती हैं वे रिजर्व होती हैं। मेरे ख्याल से शायद २५ प्रतिशत पोस्ट्स इस प्रकार की होती हैं जो प्रोमोशन से भरी जाती हैं। जब कोई प्रोमोशन कोटा में वेकेन्सी होगी इन नियमों के अनुसार जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं और उनकी दस साल की सर्विस होगी तो उनको इन पोस्ट्स के लिये इल्लिजिबल करार दिया गया है, साथ में दूसरी बातों को; मेरिट्स, सर्विस आदि को ध्यान में रखते हुए प्रोमोशन के लिये चान्स दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था नये नियमों में की गई है। इत्तफाक हो सकता है, डिप्लोमा होल्डर्स खुद मोनोपोली चाहते थे और उनकी राय से मेल भी खाती हो, लेकिन मैं उनकी राय को स्वीकार नहीं कर सकता। सिस्टर डिपार्टमेन्ट में जब एक प्रकार का नियम है, दूसरे विभाग के अन्दर दूसरे प्रकार के नियम हों, इसको हमने ठीक नहीं समझा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट में असिस्टेन्ट इंजीनियर का कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक प्रोमोशन का सवाल ही पैदा नहीं होता ....

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है, फिर कभी उठाइये।

श्री हरदत्त सिंह (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दा उठाया है उसका संबंध १९ मार्च, १९६३ मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न ४५९ से संबंध रखता है। उस वक्त श्री भीखाभाई सिंचाई मंत्री थे; उन्होंने जो सबोर्डिनेट ओवरसियर्स को तरक्की दी थी, उसके लिये कहा था यह सब एडहॉक बेसिस पर किया गया है, इसकी जांच जारी है। उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है माननीय मंत्री महोदय ने आदेश दिया था उन लोगों को जिनको प्रोमोट किया गया है उनके रिवर्शन की कार्यवाही की जाय। ऐसा फाइल पर आदेश है, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई

(श्री हरदत्तसिंह)

और रूल्स में परिवर्तन कर दिया गया। इस संबंध में रूल्स के बारे में एतराज है २५ जनवरी, १९६४ को जो रूल्स बने हैं, शिड्यूल बने हैं जूनियर पोस्ट का क्लेम है, क्लेम नम्बर वन में जो प्रावधान है नोन क्वालिफाइड नोन डिप्लोमा होल्डर्स ओवरसियर्स को किस प्रकार तरक्की दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वे बिल्कुल डिफेक्टिव हैं। नोन क्वालिफाइड नोन डिप्लोमा होल्डर्स ओवरसियर्स हैं उनके लिये टेक्निकली कोई बात नहीं, उसको आप भले ही दर-गुजर, कर दें, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन एकेडेमिक क्वालिफिकेशन भी नहीं रखी है। रूल्स के मुताबिक व सिंचाई विभाग में इंजीनियर बन सकता है। एकेडेमिक क्वालिफिकेशन भी आप किसी प्रकार नहीं रखते हैं, यह उचित नहीं है; इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रूल्स पर गौर करें। श्री भीखाभाई ने पहले फाइल चलाई थी, एडहॉक बेसिस पर इनका प्रोमोशन मानकर रिवर्शन के लिये लिखा था, उसका क्या कुछ किया वह आप सदन के सामने रक्खें और कम से कम रूल्स में यह प्रोवीजन जरूर कर दें ओवरसियर के लिये टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं मानते तो १५ साल का अनुभव और एकेडेमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक एफ. एससी. कुछ न कुछ तो अवश्य तो रक्खें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि....

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : हर बात में आप ओपीनियन रखते हैं क्या ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए नोन क्वालिफाइड आदमी नहीं रखे जाने चाहिये। हमारे यहां १४ एस. डी. ओज. नोन क्वालिफाइड मैट्रिक हैं और ओवरसियरों की तो कोई तादाद ही नहीं....

श्री **हरदत्तसिंह** : मैट्रिक नहीं नोन मैट्रिक हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कम से कम टेक्निकल जोब्स के लिये जहां हम एक्सपर्ट कमेटी, और विजीलेन्स कमेटी की बातें करते हैं नोन मैट्रिक एस. डी. ओ. और नोन क्वालिफाइड ओवरसियर रखते हैं तो राजस्थान कैनाल का क्या होगा, राणा प्रतापसागर डेम का क्या होगा ? इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में डेफीनिटली यह पोलिसी बनानी चाहिये। टेक्निकल स्टाफ का जहां तक ताल्लुक है उसमें केवल क्वालिफाइड आदमियों को ही लिया जाय। आपकी जो इस संबंध में नीति है वह ठीक नहीं है। आपके यहां आज भी यह स्थिति एग्जिस्ट करती है कि नोन क्वालिफाइड और नोन मैट्रिक एस. डी. ओ. और ओवरसियर काम करते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होल्डर्स और सर्टिफिकेट प्राप्त शुदा लोगों को चान्स नही मिलता, उनको प्रोमोशन का चान्स नहीं मिलता; इससे सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आता है, काम का स्टेन्डर्ड गिरता है। कम से कम इतनी महरबानी टैक्निकलडिपार्टमेन्ट पर मत करिये, इसी पर हमारा विकास आधारित है।

श्री **अब्दुलजब्बार** : डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट असिस्टेन्ट इंजीनियर और इंजीनियर का हो जाता है। ओवरसियर को जब अपग्रेड का प्रश्न उठाया तो वह उसी हालत में हो सकता है जो ऑलरेडी असिस्टेन्ट इंजीनियर्स काम करते हैं उनका कन्फर्मेशन किया जाय। हमारे यहां ऐसे असिस्टेन्ट इंजीनियर्स हैं जिनको दस दस साल हो गये किन्तु उनका कन्फर्मेशन नहीं होता। ऐसी हालत में उनकी सर्विसेज की गारन्टी नहीं, प्रमोशन नहीं मिलता है। तो सरकार को रूल्स बनाकर सख्ती से कदम उठाना चाहिये। अगर उस पर अमल नहीं होता है तो आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलता है।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : मेरा यह निवेदन है कि तजुर्बेकार को मौका दिया जा सकता है। अमेरिकन इंजीनियर जिसकी देखरेख में भाखरा बान्ध का निर्माण हुआ वह कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं था, लेकिन उसको इस प्रकार के बान्ध बनाने का बहुत तजुर्बा था और उसी आधार पर उन्होंने यह बनाया। अगर डिप्लोमा होल्डर को ही चान्स दिया जायगा और तजुर्बेकार का ख्याल न रखा जायगा तो यह चलने वाला नहीं है। आज-कल डिग्रियों का जहां तक सवाल है वह तो इधर उधर से आ जाती हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने साइन्स पढी नहीं है।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : साइन्स मैं आपको पढ़ा सकता हूं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आज साइन्स इतनी एडवान्स हो गई है कि जो नोन क्वालिफाइड ओवरसियर्स हैं वे भी सी. टी. एम. के एक्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में ऐसी बात कहना कि तजुर्बेकार को ही चान्स मिलना चाहिये, यह बात ठीक नहीं है। अमेरिका से जो इंजीनियर आया था हालांकि वह मैट्रिक नहीं था इसके बावजूद भी उसने सैकडों एक्जामिनेशन पास किये थे और वह क्वालिफाइड था।

श्री **अध्यक्ष** : यह आपको पता है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। एक-दो बात ही इस संबंध में कहना उचित समझूंगा कि यह स्थिति जो आप कह रहे हैं कि यह योजना का काम है और इसमें बहुत क्वालिफाइड आदमी होने चाहियें और क्वालिफाइड आदमियों के नहीं होने से बहुत नुकसान हो सकते हैं। इस संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब तो बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि जो भी नये रिक्रूटमेन्ट्स किये जाते हैं, ओवरसियर्स, सबोर्डिनेट सर्विस के अन्दर उसमें सारे के सारे सर्टीफिकेट और डिप्लोमा होल्डर्स ही लिए जाते हैं। इसलिये इनमें नये तरीके से प्रोमोशन का सवाल पैदा ही नहीं होगा। ये रूल्स तो सिर्फ उन लोगों के लिये हैं जो कि बहुत पुरानी रियासतों के समय में ऐसे ओवरसीयर्स जो कि २५-२५ साल की सर्विसेज के हैं और जिनको तजुर्बा है और उस समय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में डिप्लोमा और इस प्रकार के एजूकेशन की सुविधायें नहीं थीं और वे इस लाइन में बहुत वरसों से काम कर रहे हैं और एक अर्से के बाद यदि उनको कोई प्रमोशन का रास्ता नहीं दीखता है जब कि दूसरे विभागों में यह व्यवस्था मौजूद है तो इरिगेशन विभाग में ऐसे लोग जो कि बहुत पुरानी सर्विस के हैं उनका यदि अपोइन्टमेन्ट और प्रमोशन न हो तो उनमें बड़ा भारी डिस्कन्टेन्टमेन्ट होता है और इसलिये मौजूदा स्थिति में ऐसे लोगों को भर्ती करने या प्रोमोशन देने का प्रश्न नहीं है। आज तो हमारे यहां डिप्लोमा और सर्टीफिकेट होल्डर्स आदमी बहुत हैं और अब हम उन्हीं की भर्ती करते हैं। पुराने लोगों के लिये, चूंकि कोई अवसर नहीं है तो उससे डिस्कन्टेन्टमेन्ट विभाग में पैदा होता है। उसी बात पर विचार करके यह फैसला किया गया है और नियमों में परिवर्तन किये गये हैं ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो क्या सरकार ने नीति के आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं उनको सर्विस से नहीं निकाला जायेगा ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मंत्रि-मण्डल का गठन भी इसी आधार पर किया गया है ।

श्री **हरवर्त्तसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा जो मुद्दा उठाया है वह यह है कि १४ ओवरसीयर्स के संबंध में है और उन्हें प्रमोशन दिया गया है; उनके बारे में मेरा प्रश्न था कि सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक उनका प्रमोशन नहीं था। एकेडेमिक और टैक्नीकल क्वालिफिकेशन के मुताबिक भी नहीं थे और उस पर माननीय भीखाभाई जी ने कहा था कि एडहॉक बेसिस पर किये गये हैं और उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे और मैंने स्पेसिफिक अलेज किया है और उन्होंने आर्डर्स भी दिये थे कि रिवर्ट किये जायं, उसका क्या हुआ ? सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक इस तरह से प्रमोशन दिये गये हैं कि कोई का नम्बर २ पर था कोई ३० नम्बर पर था और कोई ११ नम्बर पर था; उनको बिल्कुल एडहाक बेसिस पर प्रमोशन दिये गये । इस सारी व्यवस्था से सारे विभाग में गड़बड़ी है । इसलिये इस पोइन्ट पर ध्यान रख कर माननीय मंत्री महोदय स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा हो । उन्होंने अपनी बात ही कही है। मैं इस चीज को मानता हूं कि आइन्दा आप ऐसे लोगों को चान्स नहीं दे रहे हैं जो कि डिप्लोमा और सर्टीफिकेट होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन जिन १४ ओवरसीयर्स को तरक्की दी है उनके एक्सपीरियेन्स को आपने किस तरीके से नापा है । उनके रिवर्शन के आर्डर्स दे दिये थे और इसके बाद माननीय वर्तमान सिंचाई मंत्री महोदय आये तो उन्होंने रूल्स में परिवर्तन कर दिये । मुझे रूल्स में परिवर्तन करने से नाराजगी नहीं है, लेकिन रूल्स में परिवर्तन किये हैं उनमें एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स का स्टेन्डर्ड कुछ न कुछ तो रखना चाहिये और जो १४ आदमियों को तरक्की दी है उसका आधार क्या है, यह बताना चाहिये था ।

तीसरी बात यह है कि इसके लिये सरकार को नोटिस दिया जा सकता है । यह मामला अगर कोर्ट में गया तो एक पोइन्ट और इस संबंध में अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय

(श्री हरदत्तसिंह)

सिंचाई मंत्री महोदय इसमें अगर उनकी हार हो तो यह सरकार को खर्चा देना पडेगा।

(६.३५ म. पू.)

अनूपगढ़ व पूगल क्षेत्र में सज्जी के ठेके संबंधित आधे घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, सज्जी के प्रश्न को लेकर मैंने आधे घन्टे की चर्चा उठाई है। सज्जी के अलग अलग प्रोनन्सियेशन हैं; कोई इसे सज्जी कहता है और कोई इसे साजी कहता है। जिस क्षेत्र से यह मामला संबंधित है वहां इसे सज्जी कहते हैं। यह सज्जी एक पौधे से निकाली जाती है, जिसको लानी या लाना कहते हैं। लाना को जलाने से और लानी को जलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको सज्जी कहते हैं। यह सज्जी आम तौर से दो प्रयोगों में आती है; एक तो कपड़े वगैरह धोने में और साबुन वगैरह बनाने में और इसके अतिरिक्त पापड़ों के अन्दर भी सज्जी काम में आती है ......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : वह जलाई कैसे जाती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हांडी में बनाई जाती है।

श्री **हरदत्तसिंह** (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, उसे कोई साजी और कोई सज्जी कहता है, लेकिन कोई उसे भाजी न कहने लग जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हांडी में बनाई जाती है या नहीं, लेकिन खोपड़े पर जरूर मली 'जाती है !

अध्यक्ष महोदय, साजी या सज्जी जैसा भी आप कहें, यह गंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र और बीकानेर डिवीजन के पूगल क्षेत्र के अन्दर आम तौर से इसके वार्षिक ठेके होते हैं और यह सज्जी तीन प्रकार की होती है। एक तो कंगन सज्जी, एक काली सज्जी और एक चौवा सज्जी। यह बहुत कीमती चीज होती है और इस समय इसकी कीमत ३७०) रुपये प्रति मन है और पिछले दिनों में भी इसकी कीमत ६०) रुपये से लेकर ३७०) रुपये प्रति मन तक गयी है। सन् ५९ से लेकर आज तक किसी सज्जी के जो ठेके हुए हैं उसके संबंध में मैंने प्रश्नों द्वारा कुछ आंकडे मांगे। इससे पहले कि आज इन ठेकों की स्थिति क्या है मैं इस पर आऊं और मैं इन आंकड़ों को सदन के सामने रखूंगा। सन् १९५९-६० में अनूपगढ़ तहसील के अन्दर इसी सज्जी का ठेका १ लाख १५ हजार रुपये में हुआ और २८,७७५ रुपये १।४ डिपोजिट इसके ठेके के संबंध में किया गया। सन् १९६०-६१ में यह ठेका २ लाख ३१ हजार १५० रुपये में हुआ था और ५७,६८७ रुपये इस संबंध में १।४ डिपोजिट करवाया गया था। ये दोनों राशियां सारी की सारी सरकार के द्वारा वापिस कर दी गयी हैं। सन् १९५९-६० और ६०-६१ में दो प्रकार की सज्जी जो कि निकाली है–एक तो कंगन सज्जी और एक चौवा सज्जी उनकी रेट्स ३०) रुपये और ६०) रुपये जो कि सबसे कम रेट्स रही हैं उसको लेते हुए उस इलाके के अन्दर जो सज्जी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के द्वारा और जो बिल्टियों के द्वारा रिपोर्ट की है उसकी को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को लेकर केल्कुलेट करें तो यह भी मैं रखूंगा कि सरकार ने ये आंकड़े भी दिये कि कितनी सब्जी उस इलाके से बिल्टी के द्वारा गयी। तो सन् १९५९-६० में १३ हजार १११ मन सब्जी अनूपगढ़ स्टेशन से बुक हुई। इसके अलावा बहुत सी सब्जी ६-७ स्टेशनों से और जाती है; जैतसर, सरूपसर, कल्याणकोट, चालीस जी० बी० पट्टा स्टेशन, विजयनगर आदि स्टेशन हैं, इनसे भी सब्जी बुक होती है जिनका कि इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं है और वे आंकड़े सिर्फ अनूपगढ़ से ही जितनी सब्जी बुक हुई है उसके ही आंकड़े हैं। १९६०-६१ में २६,६७० मन सब्जी बुक हुई है और १९६१-६२ में १०,३०३ मन सब्जी बुक हुई जिसकी ऑक्ट्रोय ड्यूटी कुल ३१८३ मन सब्जी के ऊपर ली गयी। १९५९-६० में और १९६०-६१ में ४,४०० मन पर ही ऑक्ट्रोय ड्यूटी ली गयी और १९६१-६२ में ७,७९९ मन के ऊपर ऑक्ट्रोय ड्यूटी ली गयी इतनी कम ऑक्ट्रोय ड्यूटी लिये जाने का जस्टीफिकेशन माननीय लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट मिनिस्टर खुद ही जानते हैं कि अनूपगढ़ के म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को उन्होंने खुद ने सस्पेण्ड किया और तीन दफा सस्पेण्ड किया और तीन दफा बहाल किया और साजी के जो ठेकेदार थे उनसे उनका बहुत निकट का सम्बन्ध था। इस कारण भी हो सकता है कि ऑक्ट्रोय ड्यूटी का बड़ा भारी इवेज़न अनूपगढ़ तहसील के अन्दर हुआ है। लेकिन फिर भी इन आंकड़ों को लेते हुए मैं आपके सम्मुख केल्क्यूलेट करूंगा, अध्यक्ष महोदय, १०) रुपये के हिसाब से सब्जी की वेल्यू का केल्क्यूलेट और चौवा की वेल्यू ६०) रु० मन के हिसाब से केल्क्यूलेट करें तो ११,६३,४६०) रु० की सब्जी कॉन्ट्रेक्टर ने निकाली। यह तो निकाली चौवा सब्जी, और रफ सब्जी ३,८१,६९०) रु० की निकाली; तो टोटल १५,७५,१५०) रु० की ५९-६० के अन्दर सब्जी निकाली। और सरकार ने ३,४६,१५०) रु० में ठेका दिया। इसकी सरकार ने चौथाई रकम भी वापस कर दी और ३,४६,१५०) रु० के अन्दर भी सरकार ने कुछ वसूल नहीं किया। आप अन्दाजा लगाइये कि ३,४६,१५०) रु० का ठेका बनता था और १५,७५,१५०) रु० कान्ट्रेक्टर ने कमाये। यह तो मैं अनूपगढ़ के आंकड़े दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। अगर सारे स्टेशनों के आंकड़े कलेक्ट किये जायें, कान्ट्रेक्टर के पास जितना टोटल एरिया था तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह तो १२ लाख कॉन्ट्रेक्टर ने कमाये। आप ६-७ स्टेशनों की बिल्टी को लेलें तो कान्ट्रेक्टर को मिले, मैं बड़ी नम्रता से अर्ज करूं कि जब कि कॉन्ट्रेक्टर से एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ और सारी की सारी इस सम्बन्ध के अन्दर जो चौथाई राशि थी वह भी सारी की सारी वापिस कर दी।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न, जब मैं सदन में प्रथम बार आया था, तब मैंने सदन के अन्दर पेश किया और कुल ३ लाख के गबन-घोटाले की बात की थी। और उसके बाद जहां तक मुझे विदित है कि इसके अन्दर केवल एक या दो क्लार्क इस एन्क्वायरी के अन्दर सस्पेण्ड हुए थे। इतने लाखों रुपयों का घोटाला दो क्लार्क्स ने कर डाला, ऐसी बात संभव नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अब मैं इस सज्जी के बारे में ६२-६३ के वर्ष के बारे में कुछ संकेत करूंगा। उसका केवल ५७,०००) रु० का ठेका हुआ और ६३-६४ में केवल ४७,०००) रु० की सज्जी का ठेका हुआ। मैं आपका ध्यान दो तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा; एक तो यह है कि सन् ६२-६३ और ६३-६४ में एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ गया। पहले से कई गुना एरिया ऑफ ऑपरेशन हो गया। सन् ५६ में सज्जी के जो ठेके की शर्तें थीं उनमें यह स्पष्ट इंगित था। मैं सन् ५६ का नोटिस जो १३ जुलाई, १६५६ को निकला आपके सम्मुख उपस्थित करूं, जिसमें पूगल, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में सज्जी के निर्माण की बात की गई है। इसमें साफ इंगित था कि इसका क्षेत्रफल वहां तक समझा जायगा जहां तक कि ऐसे क्षेत्र में सज्जी का पौधा पैदा होता है, और इस विषय में निम्नलिखित जगहों पर यह लागू नहीं किया जायगा :–

(१) ऐसे क्षेत्र जो निजी सम्पत्ति में हों,

(२) वे क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व रखते हों,

(३) वे क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व घोषित कर दिये गये हों और

(४) वे क्षेत्र जो अस्थाई रूप से खेती के लिये दिये गये हों।

अध्यक्ष महोदय यह शर्त सन् ५६ के नोटिस के अन्दर थी। यह शर्त सन् ६१ में मौजूद रहती है, लेकिन ३१ अगस्त, सन् ६३ के अन्दर यह जो चौथा आइटम था गायब कर दी गई। इन्डस्ट्रीज विभाग के द्वारा केवल तीन क्षेत्रों के अन्दर सज्जी के काटने की ठेकेदार को आज्ञा रही वह अध्यक्ष महोदय, इस तरह से है :–

(१) वे क्षेत्र जो निजी सम्पत्ति में हों,

(२) वे क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व के हों और

(३) वे क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व घोषित कर दिये गये हों और जो टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स के क्षेत्र थे उनको इसमें से निकाल दिया था। जहां आरजी काश्त करते थे और इयरली बेसिस पर लैण्ड रेट होती है उस सारे एरिया को इन्क्लूड इसके अन्दर कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के अन्दर जो जमीन उसके कमाण्ड और कल्चरेबल एरिया में आती है उसका १।४ क्षेत्र केवल अनूपगढ़ तहसील के अन्दर निहित है और सारे गंगानगर जिले की आठ तहसीलों का जितना एरिया है उतना केवल अनूपगढ का एरिया है, और इस क्षेत्र के अन्दर सूरतगढ और पूगल का क्षेत्र भी सम्मिलित करते हैं तो हजारों काश्तकार ऐसे हैं कि जिनके पास टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के अन्दर जमीनें हैं। ठेकेदार ने पहले भी कोशिश की है कि सज्जी उस जमीन से भी काटें। लोग कमिश्नर के पास भी गये हैं इस संबंध में और कमिश्नर ने टीनेन्सी एक्ट की दफा ५ के प्रोविजन्स ३७ और ३२ के तहत यह फैसला निश्चित रूप से दे दिया है, जो कि मैं आपके सम्मुख पेश करूंगा कि सज्जी जो है उस पर टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स का मुकम्मिल राइट है; हक है, जैसे कि पाला, कीकर और बबूल और चीजें हैं, जिसके राइट्स कल्टीवेटर्स को रीप करने के, टीनेन्ट को रीप करने के हैं, उसी प्रकार सज्जी के पौधे पर राइट्स हैं। यह जजमेंट कमिश्नर ने दे दिया है, और कमिश्नर का यह जजमेंट जो कि नं० १४। १६५६, नं० १५ अपील १६५६; यह बहुत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

क्लियर है और इसकी कुछ क्लॉजेज में आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को सज्जी काटने का अधिकार है ....

श्री **अध्यक्ष** : आप बता दें कि क्या मकसद था उनका ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उन्होंने स्पेसिफिकली ....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न यह है कि इस बात का नोटिस दिया है हाफ एन अवर के डिस्कशन के बारे में :

'A member wishing to raise a matter shall give notice in writing to the Secretary three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall shortly specify point or points that he wishes to raise; "

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा पोइन्ट यह है कि एक तो उस क्षेत्र के एरिया है, यानी सज्जी के इस ठेके के सम्बन्ध में लाखों रुपयों का गोलमाल ।

पोइन्ट नं० २ यह है कि कॉन्ट्रैक्टर ने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से मिलकर उस अकालग्रस्त क्षेत्र के अन्दर टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स के हक के ऊपर एक बहुत बडा कुठाराघात किया है ।

और तीसरा पोइन्ट यह है कि अकालग्रस्त क्षेत्र के अन्दर जहां पर कि फोडर की पोजीशन बहुत खराब थी और अनाप-शनाप पशु मर रहे थे तो ठेकेदार ने लोन को भी काटा है और उन लोगों का, टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स का जिनके सब्सिस्टेन्स का एक जरिया सज्जी रह गया था उनसे भी उनको डिप्राइव किया गया है ।

तो कमिश्नर महोदय ने अपने फैसले के अन्दर इस चीज को स्पष्ट घोषित कर दिया, इस चीज पर स्पष्ट फैसला दे दिया कि टेम्पोरेरी कल्टीवेटर को सज्जी काटने का अधिकार है, लेकिन १९६३ के नोटिस में इस चीज को टाला गया, गायब कर दिया गया और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने सज्जी को एक केमिकल बताते हुए टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स के राइट्स को माना और ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि लोगों ने इस सम्बन्ध में और मैंने स्वयं ने सरकार को एक के बाद दूसरे तार दिये कि वह सज्जी का ठेका जिससे २० लाख से ज्यादा रकम उस क्षेत्र में निहित होती है तो उसको ठेका केवल ५७,०००) और ४७,०००) रु० में दिया गया था । और जो नोटिस इस ठेके का, इस बोली का दिया गया वह नोटिस भी इस प्रकार का है कि आम लोगों को इस ठेके की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । उस नोटिस की एक प्रति मैं अपने साथ लाया हूं :

"इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान या समय पर उपस्थित होकर बोली लगायें । ठेके की शर्तें व अन्य जानकारी सम्बन्धित उद्योग अधिकारी और क्षेत्रीय उप-संचालक, उद्योग विभाग, जयपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा नीलाम के समय बताई जायगी ।"

"नीलाम के समय बताई जायगी", यह जो एरिया एक्सकेवेशन का बढ़ा, जो एरिया बढ़ा है उसको पहले घोषित नहीं किया गया,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं बताया गया और उसको गुप्त रखा गया कि गरीब काश्तकारों के हकों के ऊपर कुठाराघात किया जायगा। यह निश्चित समय के ऊपर बताया जायगा। वह एक कमरे में बैठकर बताया गया, एक कमरे में बैठकर इसकी सूचना दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में काश्तकारों ने एक के बाद दूसरे रिप्रेजेन्टेशन किये।

इस प्रकार की घटनायें हुई। कांट्रेक्टर के आदमी बंदूक लेकर गये और टेम्परेरी कल्टीवेटर्स या टीनेन्ट्स ने जो सज्जी काट रखी थी उसको बंदूक की नोक पर उठाकर ले गये। मेरे पास एप्लीकेशन्स हैं, जो उन्होंने एस. पी., कलेक्टर और आई. जी. पी. को दी थी। हर घटना के बाद उसकी कॉपीज मेरे पास हैं . . . .

श्री **हरिश्चन्द्र** (उद्योग मंत्री) : पुलिस में रिपोर्ट की है क्या ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** . वे पुलिस स्टेशन पर गये, वहां उनकी एफ. आई. आर. चॉक आउट नहीं हुई।

श्री **हरिश्चन्द्र** : I want to know the basis just to facilitate us to go into the depth of the case.

श्री **अध्यक्ष** : सारा प्रश्न यह है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने जो नोटिस भाग (४) निकाला और उसके बाद पत्र भी लिखे कि टेम्परेरी कल्टीवेटर्स पर भी कांट्रेक्टर्स के अधिकार हैं, वहां के अधिकारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : I shall reply. आपने कहा कि बंदूक की नोक पर सारा किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई इस बारे में मैं जानकारी चाहता था।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : केसेज तो मेरे पास बहुत से हैं लेकिन बदकिस्मत लालू बावरिया जो अनूपगढ़ के रावला का रहने वाला है और ५ हजार बीघा मौरूसी जमीन राव साहब बलदेवसिंह ऑफ सत्तासर की है, वहां पर राज दादीजी, जोधपुर की भी जमीन है, कर्नल बहादुरसिंहजी की भी जमीन है, रणजीतसिंहजी ब्रिगेडियर की भी जमीन है। उस पर उनका खातेदारी हक था और सज्जी निकालने का हक भी उनको कमिश्नर के फैसले के अनुसार था। उन्होंने लालू बावरिया को ठेका दे रखा था। थानेदार गणपतिसिंह, रावलिया का पटवारी और आशाराम कांट्रेक्टर—ये सब लालू बावरिया के यहां गये और उसकी सज्जी उठा लाये। थाने में उसने रिपोर्ट की तो एफ. आई. आर. चॉक आउट नहीं की। उन ब्रिगेडियर और कर्नल साहब ने भारत सरकार को भी रिटन में कम्पलेन्ट की। उसके बाद उन लोगों ने लालू बावरिया को डराया, धमकाया और कहा कि ठेके की रकम हमसे ले लो और सज्जी हमको देदो।

श्री **हरिश्चन्द्र** : Have you informed the Collector in writing that the FIR is not being registered ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सारे लेटर्स मैं साथ में लाया हूं, उनको यह बताकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। यदि मंत्री महोदय, इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो सारी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एप्लीकेशन्स जो एस. पी. को, डी. आई. जी. पी. को एफ. आई. आर. नहीं चॉक आउट करने के बारे में लिखी है और थानेदार ने साथ जाकर सज्जी दिलवाई है, जो सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, मंत्रीजी को दे दूंगा, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लालू बावरिया को दो दिन तक इल्लीगल डिटेन्शन में रखा, कॉंट्रैक्टर और उसके कारकूनों को और उसके बाद वे लोग वहां गये और वहां जाकर ३ मण चोवा और काली सज्जी जिसकी कीमत १६००) रु० बनती है उठा लाये। और जब १० जनवरी को और सज्जी बन चुकी थी तब आशाराम, पुलिस का मुंशी और चार आदमियों को लेकर वहां लालू बावरिया के खेत पर पहुंचे और उस लालू बावरिया से उन्होंने कहा कि बताओ तुमने ठेका लिया है तो उसके कागज कहां हैं। जब उसने कॉंट्रैक्ट पेपर्स बताये तो उन्होंने उनको फाड़कर उसके सामने फैंक दिये और उससे कहा कि तुमको यहां से ले जाकर पाकिस्तान के बोर्डर पर छोड़ेंगे, वहां पर पास में भी दूसरे बावरिया और थे, उन्होंने शोरगुल किया तब उसको छोड़ दिया। फिर वे दुबारा गये और ६,५००) रु० की कीमत का सामान जिसमें १० मण चोवा, ५५ मण लोन और ७० मण काली सज्जी उठा कर ले गये। यह एक बदकिस्मत लाला बावरिया की ही कहानी नहीं है, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी सज्जी सारी की सारी कट्रेक्टर्स ने उठाई। इसके साथ साथ यह अर्ज करदूं कि लोन जिसकी कीमत २०)रु. मण बाजार में है और लोकल १०)रु. मण है उसको पशु खाते हैं। भेड़ें, ऊंट और गायें खाती हैं और यह राठी नस्ल के पशुओं का कन्सेन्ट्रेटेड एरिया है। प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में कलक्टर ने मंजूर किया था कि लोन नहीं काटने दिया जायगा, लेकिन उसके बावजूद भी काटा है और इसके कारण बहुत पशुओं की मृत्यु हुई है।

अंत में मैं यह अर्ज करूंगा कि सारे आंकड़ों को देखते हुए जो लाखों रुपयों का सज्जी के संबंध में घोटाला हुआ है १६५६ से १६६४ तक इस संबंध में मैं विश्वास करूं कि इसमें चन्द लाख न होकर ३०-४० लाख से अधिक लाख रुपयों का नुकसान हुआ है जो सरकारी अधिकारियों के संकेत से हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस गंभीर मसले पर गंभीरता से जांच कराइये और अभी ३ महीने और बाकी हैं, कांट्रैक्टर सज्जी न उठाले उस पर कदम उठाइये, जांच की जाय कि किस प्रकार कमिश्नर के डिसीजन के बावजूद टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स के खेत से उठाई, टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स ने एप्लीकेशन्स दे दीं उनकी जांच करवाकर सारा का सारा माल उनको वापिस कराया जाय। यही प्रार्थना करता हुआ। मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रश्न हैं। एक तो यह कि सन् ५६-६० और ६१ इन तीन सालों में ठेकेदारों से रकम मिलना तो अलग बात रही लेकिन दो चौथाई हिस्सा जमा कराया था वह भी दिफेंड कर दिया। इसमें कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात नहीं थी। सरकार के लाखों रुपये गये और दो-चार अफसरों ने मिलकर सारी गलत रिपोर्ट दीं, जानवरों को जो चीज मिलती वह गई, लोगों को रोटी-रोजी

(श्री केदारनाथ)

मिलती वह गई और पैसा गया। इन तीन वर्षों में पैसे वापिस करने में लाजमी तौर से रिश्वत चली, पैसा चला और लाजमी घोटाला चला।

दूसरा प्रश्न यह है कि रेवेन्यू कमिश्नर के ऑर्डर के अनुसार १०–१२ साल से जो काश्त करते आये हैं उनके रोटी-रोजी का प्रश्न है, उनको सज्जी निकालना अलाउड है। वह सज्जी निकालता है, वहां काश्त नहीं होती है, एक किस्म का घास होता है जो जानवरों के खाने के काम आता है, इसलिये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने कमिश्नर के फैसले को क्यों ओवर राइड किया? इसमें यदि स्टेट का इन्ट्रेस्ट होता या पब्लिक इन्ट्रेस्ट होता तो बात समझ में आ सकती थी। तीन चार ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट वालों ने कमिश्नर के फैसले को ओवर राइड किया है। यह नीति का प्रश्न है, सरकार की रेवेन्यू को नुक्सान हुआ है, काश्तकारों को नुक्सान हुआ है, केवल कुछ अफसरों ने पैसा लेकर यह सब किया है।

तीसरा प्रश्न अकाल का है। इस अकाल के समय में जब कि सरकार ने काश्तकारों को सहूलियतें देने के लिये हिदायत करदी है तो ऐसे समय में लोगों को बेदखल करके उनकी रोटी रोजी छीनना और पशुओं के लिये जो चारा होता है उससे उनको वंचित करना सिर्फ दो–तीन आदमियों के इन्ट्रेस्ट के लिये इस तरह का फैसला करना, गलत है। इसमें न सरकार का इन्ट्रेस्ट है न पब्लिक का इन्ट्रेस्ट है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह इलाका ऐसा है जहां की पैदावार लाखों रुपयों की होती है, जिसका फायदा केवल दो–तीन लोगों को दिलाने में लाजमी तौर से लाखों रुपयों का गबन हुआ है। इसकी जांच होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

(१०. म० पू०)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, जो माननीय सदस्यों ने पहले कह दी हैं। मैं सरकार से यह जानकारी करना चाहता हूं कि सज्जी के ठेके में ठेके की रकम और अर्नेस्ट मनी एक चौथाई रूप में जमा कराई गई, उस रकम को माफ करने का या रिफंड करने का अधिकार किस अधिकारी को था? जिस अधिकारी ने यह आदेश दिया था, क्या तीन लाख तक का अमाउन्ट रिफंड करने का अधिकार उसके जुरिस्डिक्शन में आता था? क्या मंत्रिमंडल से उसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी? क्या मंत्रिमंडल ने उसकी स्वीकृति दी है? और इस स्वीकृति को देने से पहले क्या किसी अधिकारी के द्वारा इस बात की जांच कराई गई थी कि जिस कॉन्ट्रेक्टर को यह कॉन्ट्रेक्ट दिया गया, उस कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों में गवर्नमेन्ट की तरफ से जो वायदे पूरे किये जाने चाहिए वह पूरे नहीं किये गये और गवर्नमेन्ट के ऊपर वायदे न पूरे करने के कारण इस बात की लाएबिलिटी आती है कि कॉन्ट्रेक्टर को अपने कॉन्ट्रेक्ट के वर्किंग में जो प्रोडक्शन का फायदा उठाना चाहिए था वह नहीं उठा पाया– क्योंकि उसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से स्लेकनैस थी, इस बेसिस के ऊपर इन्क्वायरी होकर, स्लेकनैस का बेसिस मान कर रुपया रिफंड किया गया तो सरकार ने क्या जांच की है कि स्लेकनैस क्यों हुई? कौन दोषी है और उसको

(श्री भैरोंसिंह)

दंड देने के लिए अब तक सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह आता है कि कॉन्ट्रेक्टर को जो रकम रिफंड की गई, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, में और १९६२-६३ का अभी पेंडिंग है लेकिन इन तीन वर्षों की रकम रिफंड की गई ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : दो साल ।

श्री **भैरोंसिंह** : दो साल की रकम रिफंड की गई, उन कॉन्ट्रेक्टर्स को कॉन्ट्रेक्ट केवल एक वर्ष का दिया गया, एक वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट में क्या यह सही है कि कॉन्ट्रेक्ट की मियाद खत्म होने के बाद उन कॉन्ट्रेक्टर की तरफ से यह एप्लीकेशन दी गई कि कॉन्ट्रेक्ट के वर्किंग में हमारे सामने डिफीकल्टी आई हैं, गवर्नमेन्ट को अपनी तरफ से जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, गवर्नमेन्ट उसमें स्लेक रही है और इस स्लेकनेस के कारण घाटा हुआ है, उस घाटे की स्थिति में न कॉन्ट्रेक्ट मनी दे सकता हूं और न अर्नेस्टमनी के रूप में रकम जमा कराई, वह करा सकता हूं, इसलिए रिफंड मिलना चाहिए ? मेरी जानकारी के अनुसार १९५९-६० और १९६०-६१ में इन दोनों सालों में रिफंड की एप्लीकेशन उस साल की एन्ड में नहीं आई या साल के बीच में नहीं आई लेकिन जब दोनों साल समाप्त हो गये और तीसरा साल आया उस समय एप्लीकेशन दी गई । उस एप्लीकेशन के बेसिस पर मैं जानकारी करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रेक्टर की लाएबिलिटी यह थी या नहीं, जिस वक्त वर्किंग ऑपरेशन का पीरियड था उस वक्त यह नोटिस में लाता कि कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार मुझे घाटा हो रहा है और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेन्ट की स्लेकनेस है । गवर्नमेन्ट उसकी जानकारी करती और फिर निर्णय पर पहुंचती । लेकिन गवर्नमेन्ट इस स्थिति में यह मानने को तैयार है कि कॉन्ट्रेक्ट की मियाद एक साल खत्म हो जाय, दूसरी साल आये और वह भी खत्म हो जाय और दो साल के बाद एप्लीकेशन लेकर, जांच करा कर या बिना जांच किये ही सरकार के अधिकारी या मंत्रिमण्डल इस प्रकार के के निर्णय को लें कि अर्नेस्ट मनी या कॉन्ट्रेक्ट मनी रिफंड कर दिया जाय ।

जहां तक टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के ऊपर सज्जी का प्रश्न आता है, मैं जानकारी करना चाहूंगा, क्या यह सरकार का निर्णय था, जिसके आधार पर कॉन्ट्रेक्टर ने दूसरी जमीनों के अन्दर जाकर सज्जी का उत्पादन किया या सज्जी को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं बल्कि कब्जा करने की कोशिश की ? गवर्नमेन्ट की क्या पॉलिसी थी कि इस प्रकार की जमीन पर कॉन्ट्रेक्टर का कब्जा हो सकता था, जब कि शर्त थी उसमें यह मेन्शन किया गया है कि वह उस जमीन पर, जो दूसरे लोगों की काश्त में है, जो दूसरे लोगों के अधिकार में है, जो उसके वर्किंग ऑपरेशन में नहीं है, वर्किंग ऑपरेशन के बाहर है ? अब मैं कानूनी पहलू पर नहीं जाता कि उसने जमीन पर कब्जा किया, लेकिन उस एरिया के बाहर की जमीन पर यदि सज्जी प्राप्त की है तो क्या सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर रॉयल्टी या अर्नेस्ट मनी के रूप में रुपया लिया है और वर्किंग आपरेशन के एरिया से बाहर ऑपरेशन करने के कारण ठेकेदार पर पैनल्टी इम्पोज की है ? यदि नहीं की है तो क्यों नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण दें ?

Page No. 37

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और काफी तथ्य सामने आ चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तथ्य और...

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण पॉइन्ट ही सामने आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तथ्य सामने नहीं आया है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट की व्याख्या करने के बाद, कि सज्जी हटाई जा सकती है, जो कि कमिश्नर के फैसले के प्रतिकूल था, इस वजह से जो टीनेन्ट्स के हकूकों पर कुठाराघात हुआ है और जो आर्थिक नुकसान पहुंचा है तो क्या सरकार उस नुकसान की किसी तरह क्षतिपूर्ति टीनेन्ट्स को आर्थिक नुकसान से बचाने का आश्वासन देगी। इस बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सज्जी के मामले को लेकर इस सदन में जो आधा घंटे की चर्चा हुई है। उसके बारे में जो स्थिति, इन दो या तीन दिन में मैंने ग्रहण करने की कोशिश की है, उसको मैं माननीय सदस्यों के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं सारे फैक्ट्स, जो कि १९५९ से लेकर १९६४ तक के फैक्ट्स हैं, की गहराई में मैं जा पाया हूं, लेकिन इन दो दिनों के अर्से में इस बात की कोशिश की गई है कि जितने फेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं उनको देखा जाय और जो मेरी नजर में बातें आई हैं उनको मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा।

इस सज्जी के आॅक्शन के बारे में दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, १९५९-६० और १९६०-६१ का एक ग्रुप है और १९६१-६२ और १९६२-६३–ये,दो साल चलती हैं, वह एक अलग ग्रुप है। तो इन दो ग्रुप्स में जो पहले मैंने आपको दो साल बताये उनमें रिफंड हुआ है, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा। पोजीशन १९५९-६० की है कि २७ और २८ अक्टूबर को १९५९ में यह ठेका दिया गया ३० अप्रेल १९६० तक के लिए और इसमें पब्लिसिटी भी हुई, मायने ड्यू पब्लिसिटी उसके बारे में दी गई और एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी के द्वारा यह आक्शन हुआ और १९५९...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : १९५९ का आक्शन बता रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : १९५९-६०। ७० बिडर्स पार्टीसिपेटेड आक्शन के अन्दर और जो हाइएस्ट बिडर था उससे १ लाख १५ हजार का बिड आया, जो कि हंसराज को दिया गया, चौथान जो है वह वसूल किया गया, जो चौथान की रकम होती है; २८,७५० रु०, यहां तक तो यह मामला ठीक चलता है। इसके बाद जो कॉन्ट्रेक्टर है, उसके आक्शन होने के बाद कागज डाइरेक्टोरेट से मूव होते हैं और सेक्रेटेरियट के लिए, मायने डाइरेक्टोरेट से वह जो कागजात चलते हैं, वह...

श्री रामानन्द अग्रवाल : डाइरेक्टोरेट का प्रश्न कहां पैदा हुआ ? १९५९ में तहसीलदार ने केस तय किया था।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है, वहां से २७-११-५९ को डाइरेक्टोरेट से मंजूरी चलती है

(श्री हरिश्चन्द्र)
सैक्रेटेरियट के लिए कि इस आक्शन को सैंक्शन किया जाय। डाइरेक्टोरेट से जो कागजात रवाना होते हैं उसकी तारीख ७-१२-५६ है, मायने २७-११-५६ को टाइप होकर जाते हैं और ७-१२-५६ को वहां से वे एक्चुअली रवाना होते हैं। अब जो दिक्कत आती है वह यह है कि गवर्नमेन्ट से सैंक्शन इश्यू होती है वह १५-४-६० को होती है, यानि अप्रेल में; इस बीच में ठेकेदार इस पॉइन्ट को उठाता है कि क्योंकि सरकार ने ठेका मंजूर नहीं किया है, इस वास्ते मुझे चौथाई रकम वापिस दी जाय। इस पाइन्ट का एग्जामिनेशन होता है और यह तय पाया जाता है कि लीगल ओपीनियन ली जाती है। लीगल ओपीनियन यह आती है कि जब एग्रीमेन्ट नहीं हुआ और क्योंकि इतनी देरी से सैंक्शन हुई इसलिये चौथाई रकम कॉन्ट्रेक्टर को लौटा दी जाय। उस पर वह चौथाई रकम कॉन्ट्रेक्टर को लौटा दी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पाइन्ट सामने नहीं आया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे आप सुन लें, फिर जो भी प्रश्न आपके रह जायं उनका मैं आप को उत्तर दूंगा। तो वह रकम लौटा दी जाती है। इस बीच में क्या होता है कि ६०-६१ के ठेके का सवाल भी शुरू हो जाता है और उसका आक्शन होता है, ऑक्शन होने तक तो कोई दिक्कत नहीं आती.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १६, १७ जुलाई, ६० को ?

श्री हरिश्चन्द्र : ३, ४ अगस्त को··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका नोटिस है, उसमें यह है...

श्री अध्यक्ष : कोई खास फर्क नहीं है, आप सुनिये।

श्री हरिश्चन्द्र : Material point I am giving you.

कमेटी बनादी जाती है, अपवाइज दी जाती है, पहले जो था उसमें परिवर्तन किया गया, पहले जो ठेका हुआ, उसमें सारी लैंड को रख दिया गया, उसके बाद परिवर्तन यह होता है। कि अपवाइज ठेका दिया जायगा, २५ हाइयेस्ट बिडर्स को ठेका दिया गया। २,३०,२५० हाइयेस्ट बिड्र्स की फीगर्स आती है। अब पोजिशन यह है कि यह जो अमाउन्ट है उसके लिये गवर्नमेन्ट जो सैंक्शन देती है, ६०-६१ का ठेका होता है, उसकी जो गवर्नमेन्ट सैंक्शन देती है, वह देती है ३-१०-६१ को·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : Again next year also ?

श्री हरिश्चन्द्र : Next year also. ऐसा है मैं बताऊं, १-६-६० से ३०-४-६१ का ठेका होता है, उसका बिडिंग होता है, उसकी जो मंजूरी जाती है ३-१०-६१ को आती है·····

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Is it creditable ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am clearifying the position.

पोजिशन यह होती है कि जब सैंक्शन दी जाती है रिफंड की तो जो ५६-६० की रिफण्ड होती है उसमें ६०-६१ की भी

(श्री हरिश्चन्द्र)

सेंक्शन इन्क्लूड करके सेंक्शन दे दी जाती है। क्योंकि लीगल श्रोपीनियन यह आई कि मंजूरी देर में पहुंची इस वास्ते रिफंड कर दिया जाय, इसको मैंने थोड़ा और एग्जामिन किया, अभी कोई खास ओथेन्टिकेटेड बात नहीं कह सकता, जो कागजात, फाइलें मंगा कर देखे, उनके आधार पर कहता हूं, लेकिन इसकी गहराई में भी जायेंगे। जब यह कन्ट्रेक्ट हुआ तो उस वक्त यह अन्डरस्टेन्डिग दी गई कि यह प्रोवीजनल अन्डरस्टेंडिग है...

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : राईटिंग में या जुबानी ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : चन्द की राईटिंग में दी गई, मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता चन्द की जुबानी दी गई होगी। अभी वेरिफाई किये बिना नहीं कह सकता। अब जो पॉइन्ट अन्डर कन्सिड-रेशन है वह यह है कि जो ५९-६० का रिफण्ड हुआ उसमें ऐसी अन्डरस्टेन्डिग नहीं थी, इसलिये जो लीगल श्रोपीनियन आई उससे अमाउन्ट रिफण्ड कर दिया, पर ६०-६१ की प्रोवीजनल अन्डरस्टेंडिग थी।

इसको मान लिया जाय कि प्रोवीजनल अन्डरस्टेन्डिग है, अब लीगली इसको एग्जामिन करने की बात है, क्या प्रोवीजनल एग्रीमेन्ट होने के बाद भी रिफण्ड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इस बात को लीगली एग्जामिन कराने के बाद ही मैं हाउस के सामने कह सकता हूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। लीगल श्रोपीनियन आगे जो आ रही है, ६०-६१ की चौथाई अमाउन्ट दी गई है, क्योंकि प्रोवीजनल एग्रीमेन्ट वहां हो चुका था और वह होने के बाद अब हम लीगली उसको रिकवर कर सकते हैं तो उसकी कार्यवाही सरकार उठायेगी और रिकवरी करेगी, अगर लीगल श्रोपीनियन उसके फेवर में आती है तो रिकवरी की कार्यवाही की जायगी...

श्री **भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : लीगल श्रोपीनियन लिये बगैर ही पहले रिफण्ड क्यों कर दिया गया...

श्री **हरिश्चन्द्र** : आप समझे ही नहीं, मैं इतना बोला, आपके कतई पल्ले नहीं पड़ा। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं गलती हो...

श्री **भैरोंसिह** : आपने यह कन्डीशन बताई कि लीगल श्रोपीनियन अब अगर यह आ गई कि रिकवर किया जा सकता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि रिफण्ड करते वक्त ही लीगल श्रोपीनियन क्यों नहीं ले ली गई जिस लीगल श्रोपीनियन की अब आप बात कर रहे हैं ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : मैंने जो कहा उसको आप समझे ही नहीं। मैंने यह अर्ज किया कि एक आर्डर निकला ५९-६० की चौथाई रकम को रिफण्ड करने का उसी आर्डर का, उसी पर्मिशन का हवाला लेकर ६०-६१ का रिफण्ड कर दिया गया, तो वह पर्मिशन गलत है, जब तक लीगल श्रोपीनियन नहीं ले ली जाती ६०-६१ के बारे में रिफण्ड नहीं करना चाहिये, पर ५९-६० की पर्मिशन आई उसमें ६०-६१ को भी मिला कर रिफण्ड कर दिया...

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रश्न यह है कि...

श्री **अध्यक्ष** : बहस न करें, मन्त्री महोदय के पास जो तथ्य हैं वे रख रहे हैं। बीच में बहस करेंगे तो जो बातें क्रम से आ रही है वे भी नहीं आवेंगी।

श्री भैरोंसिंह : जिसकी मन्त्री महोदय चर्चा कर रहे है, वह लीगल ओपीनियन क्यों नहीं ली कि रिफण्ड करना लीगल्ली जस्टिफाइड था कि नहीं ? यह पहले ओपीनियन क्यों नहीं ली ?

श्री हरिशचन्द्र : मैंने जो भाषण दिया उसको आप समझ ही नहीं पाये, मैंने यह कहा कि ५९-६० का केस लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर हुआ, उसमें प्रोविजनल एग्रीमेन्ट नहीं था · · ·

श्री अध्यक्ष : अभी बहस नहीं हो, आप कहे जायं अपने क्रम से, अभी इन बातों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र : और कुछ कमी रह जाय, आप मुझ से समझ लें । मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि अगर लीगली वसूली की जा सकती है आज भी, तो उसकी वसूली हम करेंगे · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या तो कन्ट्रेक्टर से या जिस ऑफिसर ने ऐसा हुक्म दिया ।

श्री हरिशचन्द्र : हां, जो भी होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले वाला केस भी लॉ डिपार्टमेन्ट को भेजें, उसमें भी देख लें कि सारे तथ्य थे कि नहीं, वर्किंग का पजेशन दे दिया गया था या नहीं । इन सारे तथ्यों पर लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवा लें ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : ५९-६० का तो वर्बली कह दिया कि ऑपरेट कर लीजिये · · ·

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप शान्ति रखिये । ऑर्डर का मतलब शान्ति है ।

श्री हरिश्चन्द्र : ३० जून, ६२ तक का था इसे भी वाइड पब्लिसिटी दी, उसी प्रकार कमेटी बना दी जैसे पहले थी, ऑक्शन हुआ, ऑक्शन १४५ हजार में हुआ ६१-६२ में । उस १९६१-६२ में से अमाउन्ट ऑफ कान्ट्रेक्ट रिकवर्ड सो फार है १,२२,८५०, अमाउन्ट ड्यू २२,१५० । पी. डी. आर. की रिकवरी चल रही है इस बारे में । अब किसी तरह से १९६२-६३ के दो दफा ऑक्शन्स है उन ऑक्शन्स में भी जो फोर्मेलिटीज़ बरतनी चाहिए थीं वे बरती गई और ५७ हजार में ठेका गया । उसमें सारे का सारा अमाउन्ट रिकवर हो चुका है । आपने जो पोइंट उठाया है उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फैक्टस आपके सामने रखीं कि ५७ हजार में तय हो चुका है और १९६३-६४ में ४७,००० का ठेका हुआ और हमने यह उसमें फर्क कर दिया कि १।४ के बजाय ३।४ पहले लिया गया तो ३५,२५० वसूल हो चुका है और ११,७५० बाकी है, और अमाउन्ट की रिकवरी की कार्यवाही चल रही है । अब जो पाइंट आपने उठाया है कि टर्मस और कन्डीशन्स में जो फर्क आया उस बारे में मैंने जांच कराई है । आपने जो केस रेफर किया वह ठेका १९५९-६०, उसके तीन कन्डीशन्स थे, यानी वह क्षेत्र जो किसी की निजी संपत्ति है, वह क्षेत्र जो राष्ट्र महत्व के रख दिए हैं और वह क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व घोषित कर दिये जायं । ये तीन कन्डीशन्स १९५९-६० में थीं । इसके बाद जो केस आपने रेफर किया वह केस दायर हुआ; केस दायर होने के बाद कमिश्नरी से जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद जो हमारा अगला था याने १९६०-६१ उसमें, क्योंकि वह वहां का जजमेंट हो चुका था, इस वास्ते १९६०-६१ के अंदर वह क्लाज

(श्री हरिश्चन्द्र)

इन्कलूड कर दिया गया, याने एक क्लॉज और बढा दिया गया—वह क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्वड घोषित कर दिया जाय और एक ओर वह क्षेत्र जो अस्थाई रूप से खेती के लिए दिया हुआ है। यह कन्डीशन इसलिये जोडा गया क्योंकि वहां का डिसीजन हो चुका था। अब जो आपका कहना है कि यह डाइरेक्टोरेट ने मिल-मिलाकर १९६१-६२ में जो ठेका हुआ उसमें से कर दिया गया तो इस पॉइंट को एग्जामिन किया गया तो जो बात मेरे सामने आई वे सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह बात सही है कि वह कन्डीशन वहां से हटा दी गई, लेकिन · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपका कहना गलत है, जो नोटिस हुआ है वह २६ जुलाई, १९६० को हुआ है, जिसमें आपकी चौथी चीज शामिल कर दी गई और जजमेंट उसके बाद हुआ है। जजमेंट हुआ है नवम्बर, १९६० में, जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। आपका जजमेंट जो है वह बाद में हुआ है और आपके इन्कलूजन पहले हैं। चौथी चीज, जुलाई के नोटिस की मेरे पास कॉपी है :

"सज्जी ठेका अनोपगढ १६-७–६०" सूरतगढ २०-७-६०, जजमेन्ट होता है २ नवम्बर, १९६० को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उसमें वे शर्तें मौजूद हैं।

श्री हरिश्चंद्र : १९६०-६१ का जो ठेका हुआ उसमें जुड़ गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : जजमेंट को देखकर या सुन कर नहीं जोड़ा गया।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है। अगर होगा तो I would take my words back. मैं बारीकी में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इन्कलूड हो गया उससे जो आपका पोइंट था वह कवर हो जाता है। अब आपका कहना है कि एक्सक्लूड क्यों किया गया। इनका कहना यह है कि केस इन्स्टीट्यूट होते ही हमने जोड़ दिया। अब आपका कहना यह है कि जो १९६१-६२ में वह कन्डीशन फिर हटा ली गई, उसके सिलसिले में मुझे कहना है कि जो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स तीन के हैं, उसको देखा गया, वह जोड़ा गया है। उसमें लिखा है ठेकेदार का क्षेत्रफल वहां भी समझा जायगा, वहां भी ऐसे गैर-काश्त क्षेत्र से सज्जी पैदा होती है और इस विषय में निम्नलिखित जगह लागू नहीं होता, यानी एक तो कन्डीशन है जो वेस्ट लैंड है वह तो ठेके के अंदर है; जो वेस्ट लैंड से बाहर है वह ठेके के अंदर नहीं है, यानी ऐसा गैर-काश्त क्षेत्र जो वेस्ट लैंड है वह खातेदार के अंदर इन्क्लूडेड है। मुझे बताया गया है कि ठेका हो जाने के बाद जो एरियाज़ ठेकेदार के पास थे उसके अन्दर कॉलोनाइजेशन वालों की जो जमीन ऐसी थी कि जो ठेकेदार के पास थी उसके टेम्पोरेरी कल्टीवेशन में दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार के पास कैसे थी ? आपने डिमार्केशन तो किया नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिमार्केशन तो रेवेन्यू वाले करते हैं, रेवेन्यू का आदमी उसमें होता है। रेवेन्यू ने कह दिया कि यह वेस्ट लैंड है।

Page No. 42

(श्री हरिश्चन्द्र)

कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेण्ट ने टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के लिये उनको दे दी। तो हमने यह कहा, यहां से लिख कर जो चिट्ठी गई है उसमें बताया गया है कि अगर वह जमीन ठेके में इन्क्लूडेड थी तो बताएं ताकि हम ठेकेदार से क्या मुआवजा हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में निर्णय लिया जाय। यह चिट्ठी कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट और कलेक्टर को लिखी गई है, तो यह कहना कि ठेकेदार ने वहां प्राइवेट कल्टीवेशन के अंदर दखल दिया है, सही नहीं है। जहां तक ऐसे एरियाज जो कि ठेका देने के बाद कल्टीवेशन के लिये दिये गये हैं, यह मैटर अंडर एग्जामिनेशन है और उसमें कहा गया है कि यह बात बताएं कि यह ठेके में थी या नहीं। हमारे हिसाब से वह ठेकेदार को दे दी गई थी। अब कॉलोनाइजेशन ने दिया है टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के लिए तो वह ठेकेदार का राइट हो जाता है कि वह क्लेम करे कि ठेके में थी··

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो भाषा नेक्स्ट ईयर में बदली गई जिसमें फोर्थ सेन्टेन्स निकालकर और गैर-काश्त जोड़ा गया जिससे एम्बीग्विटी क्रिएट की गई, इसकी क्या वजह थी ?

श्री हरिश्चन्द्र . I cannot tell you.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जमीन अलॉट हो रही थी।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो मैंने भूमिका बताई कि इन सारी चीजों के होने के बाद क्या एक्शन लिया जायगा :

"I find that as regards auction for 1959-60, the department auctioned the area and the case was sent to the Directorate. The Directorate made reference to the Government for sanction. The sanction was delayed and the party, on the ground that they could not work the area because of the late sanction, got the 1/4th deposit refunded. The Law Department also advised the refund. For the delay in the Secretariat action has already been taken against the Section Officer and the U. D. C. by stoppage of increment with cumulative effect. On appeal, the punishment given to the Section Officer has been set aside by the Government. For any delay in the Directorate the Director of Industries is already conducting the enquiry. I shall also ask the Director of Industries to look into the facts of the case and ascertain whether there was any negligence on the part of any Directorate officer which was responsible for the alleged working of the area by the party and consequent losses to the Government.

As regards auction for 1960-61, the department had sanctioned the auction provisionally in anticipation of confirmation by the Government. I further find that the refund of 1/4th deposit has also been made

(श्री हरिश्चन्द्र)

for 1960-61. In this case also there was delay in the issue of sanction. I propose to enquire into the matter as to who was responsible for the delay and who was responsible for advising the refund for 1960-61 on the analogy of the year 1959-60. I will also have the matter enquired into as to why, though the Directorate was in the know of the provisional sanction of the contract by the department, the refund was made for 1960-61 without ascertaining whether the contractor had actually produced Sajji or not.

Besides, as refund for 1960-61 seems to have been obtained by the party on wrong grounds and false pretexts, legal advice will be obtained to see if Government dues can be realised from the party".

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I think..........

श्री अध्यक्ष . No more now.

श्री रामानन्द अग्रवाल : For 1959-60, whether the contractor........

श्री अध्यक्ष . Order please !

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(१०.३३ म. पू.)

राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सरकारी जमीन देने विषयक आधे घंटे का वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज को जयपुर शहर में मिर्जा इस्माइल रोड पर जो जगह अलॉट की गई है उसके संबंध में मैंने जो प्रश्न पूछा था और जो उत्तर हमारी सरकार की ओर से दिया गया था वह नाकाफी होने की वजह से मैंने यह चर्चा उठायी है ।

चार तरह की बातें मैं सरकार से जानना चाहता हूं । एक तो है मोड ऑफ अलॉटमेन्ट के बारे में कि यह जमीन जो कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने इस चेम्बर ऑफ कॉमर्स को अलॉट की है उसे अलॉटमेन्ट करने के इम्प्रूव ट्रस्ट ने जो रूल्स बनाये हैं उसमें एक तरीका है, उसके अनुसार जो भी प्रोपोजल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हों वह एक कमेटी के द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये । जहां तक मेरी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, यह जमीन पहले से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पजेशन में है या उसकी प्रोपर्टी नहीं थी । बहरहाल जब भी प्रोपोजल्स भेजे और प्रोपोजल्स भेजने के बाद किसी भी कमेटी ने जब भी विचार किया उसके बाद में गवर्नमेन्ट जानकारी देगी कि आया कि जिस किसी भी पार्टी को, जिसको पहले यह अलॉटिड थी उसको इस संबंध में नोटिस दिया गया या नहीं, बुलाया गया या नहीं बुलाया गया और इस संबंध में उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया ? उस निर्णय के क्या आधार थे ? इस बारे में गवर्नमेन्ट को क्लेरिफिकेशन करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि पुराने जयपुर राज्य में जयपुर की बाल विकास समिति को यह ही जमीन अलॉट की गई थी । हमने खुद इस जमीन में नोटिस बोर्ड लगा देखा है बाल विकास समिति का और जहां तक मुझे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जानकारी है कि माननीय राज्यपाल इसी बाल विकास समिति के, जो सारे राजस्थान के आधार पर भी है, उसके पेट्रोन हैं और आप भी इस बाल विकास समिति से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक ऐसी इन्स्टीट्यूशन को, जो वास्तव में इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट रूल्स के तहत पब्लिक और चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन कहा जा सकता है, यह जमीन पहले ही अलॉटेड थी; तो फिर किस बिना पर, किस आधार पर ये प्रोपोजल्स इनीशियेट हुए हैं, किस तरीके से वहां पर विचार हुआ, किस आधार पर हुआ और कैसे निर्णय किया गया? इस बात पर सरकार प्रकाश डाले कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का क्या निर्णय था? उस समिति का क्या निर्णय था और कब कब ये निर्णय लिये गये और फिर गवर्नमेन्ट ने कब इस पर निर्णय लिया?

दूसरा मैं टर्म्स ऑफ अलॉटमेन्ट के बारे में जानना चाहता हूं कि जो भी आपने इस सवाल के उत्तर में कन्डीशन्स बतायी हैं वो तो सिर्फ तीन हैं। लेकिन उसके अनुसार भी उस रोज मुख्य मंत्री महोदय ने, ३ तारीख को जब यह प्रश्न आया था तो, उन्होंने इस बात को कहा था कि चेम्बर जिसको यह जमीन अलॉट की गई है वह इस जमीन को बेच नहीं सकेगा। कोई इस प्रकार की शर्त है? सप्लाई की तीन कन्डीशन्स हैं। उनमें इस बात का जिक्र नहीं है। उसमें इस बात का जिक्र भी नहीं है कि जितनी जमीन है वह एक रुपया माहवार की लीज पर दे दी जाय। उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं है कि वह जमीन कितने साल के लीज पर है। वह लीज किसी के ऑक्शन पर रिवाइवल है या नहीं? उस लीज में आप क्या कन्डीशन्स रखने वाले हैं? अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही रिलेवेन्ट प्रश्न है। इस बात के बावजूद भी कि इस जमीन का अलॉटमेन्ट उचित है या अनुचित है, उसके बावजूद यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अनुचित होते हुए भी आपने दी तो क्या कन्डीशन्स दर्ज कराये? क्या एक चेम्बर ऑफ कोमर्स और इन्डस्ट्रीज उस जमीन को केवल एक म्युजियम और एक सभा भवन के रूप में ही बनाकर इस्तेमाल करेंगे, या उस में मार्केट बनायेंगे, या दुकान बनायेंगे, किराये पर चलायेंगे या मुनाफा कमायेंगे? आया कि चेम्बर वहां पर केवल अपने म्युजियम के लिये और केवल सभा भवन के लिए इस प्रकार का एक ऑर्डिनरी ऑफिसर कायम करके जो इस म्युजियम की देख रेख करे और सभा भवन की देख रेख करे इस हद तक इसको सीमित रखेंगे या आया कि एक बाकायदा म्युजियम बनाने के बहाने चेम्बर की तमाम एक्टीविटीज कन्डक्ट करने का, अपने चेम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरी दफ्तर कायम करने का और उसके जरिये तमाम नेफेरियस एक्टीविटीज करने का सबलेट करके इसके जरिये किराया कमा सकेंगे। अपनी लीज को ट्रान्सफर करके अपना मुनाफा कमाने का अधिकार होगा या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस प्रकार की अगर कोई कन्डीशन्स जो लीज दिया गया है उसमें लगाने का विचार किया है, सरकार लीगली उसमें इन्टरफियरेन्स कर सकती है या नहीं? ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत लेसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ग्रगर चाहता है तो लेसी को ट्रान्सफर करने का ग्रधिकार है या नहीं ? ग्राप इसमें कॉमन लॉ को रिकॅग्नाइज करते हैं या नहीं ? इस प्रकार की कन्डीशन लगाने का ग्रधिकार है या नहीं ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । क्या इन प्रश्नों पर सरकार ने विचार किया या नहीं ? लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट करके ग्रापने इस प्रकार जमीन देने के बारे में सोचा है या नहीं ? इन बातों का उत्तर देने की कोशिश करें ।

तीसरी बात, ग्रध्यक्ष महोदय, जो रूल ८ है अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का उसके ग्रन्दर यह कहा गया है ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स या स्कूल हों जो पब्लिक एडेड हो या चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन हो, साइमलटेनियसली दोनों कन्डीशन हैं इसमें पब्लिक व चेरिटेबल दोनों कन्डीशन्स होनी चाहिये । मेरे ख्याल से चेम्बर ग्रॉफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री को ग्रापके भुवनेश्वर ग्रधिवेशन के ग्रनुसार ग्राप उसे चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन मानने लग गये हों, लेकिन साधारणतया जो चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन की परिभाषा है उसके ग्रन्दर यह नहीं ग्राती । चेम्बर ग्रॉफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री पब्लिक इन्स्टीट्यूशन हो सकती है, इस रूप में कि पब्लिक के बहुत से लोगों की इन्स्टीट्यूशन है लेकिन इसका चेरिटेबल पर्पज हो, यह हर्गिज नहीं है । यह एक क्लास की इकोनोमी इन्टरेस्ट के लिये काम करती हैं । मैं समझता हूं इसके विधान की कॉपी मैंने माननीय मंत्री महोदय से मांगी थी कि वे उसको सदन की मेज पर रक्खें । उसकी प्रतिलिपि मुझे सप्लाई की गई होती तो मैं बता सकता था, लेकिन मैं उसको बगैर देखे कह सकता हूं उसके विधान में ग्रौर कई ग्रॉब्जेक्टस लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन यह चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन हैं, इस प्रकार का उल्लेख उसमें नहीं हो सकता । वे ग्रपनी क्लास के इन्टरेस्ट को पॉइन्ट ग्राउट करने के लिये, उनकी पॉलिसीज को चॉक ग्राउट करने के बारे में इन तमाम क्वेश्चन्स पर विचार करने एवं पार्लियामेन्ट ग्रौर ग्रसेम्बलीज में ग्रपने इन्टरेस्ट को देख, रेख करना उसका काम है । मैं चाहता हूं इस बारे में जो टर्म्स ग्रॉफ ग्रलॉटमेन्ट, मोड ग्रॉफ ग्रलॉटमेन्ट हैं उसका भी क्लेरिफिकेशन करें।

तीसरा प्रश्न है पर्पज ग्रॉफ ग्रलॉटमेन्ट । सरकार ने जो कन्डीशन्स बतायी हैं ग्रौर जो वक्तव्य मुख्य मंत्री महोदय ने दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था ग्रौर उसमें ग्रंकित है कि किसी पोलिटिकल पर्पज के लिये इस जगह का, इस भवन का इस्तेमाल नहीं किया जायगा । ग्रध्यक्ष महोदय, इस संस्था ... । एक सप्ताह भी नहीं हुग्रा, एक दिन भी नहीं हुग्रा, पहली ही मिटिंग में, शिलान्यास के दिन, १२-१३ मार्च को जो इस जगह पर ग्रधिवेशन हुग्रा उस ग्रधिवेशन में जो भाषण दिये गये, बाहर से ग्राने वाले ग्रतिथि महानुभावों ने, श्री बिड़ला जी ने जो ग्रपना भाषण पढ़ा उस तमाम भाषण में पोलिटिकल एडवाइज रूलिंग पार्टी को देने से भरा हुग्रा भाषण था । वे कहते हैं, गवर्नमेन्ट को नारे देने पड़ते हैं, जनता को साथ रखने के लिये । समाजवाद के नारे के पीछे सरकार चलती है, कांग्रेस की इन बातों से कोई चिन्ता करने की ग्रावश्यकता नहीं है । इसके कहने की बात ग्रौर है ग्रौर करने की बता ग्रौर है । लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर पब्लिक सेक्टर के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर की हिमायत की गई । पब्लिक सेक्टर का क्रिटिसिज्म है, जो सरकार की एक पॉलिसी है मैं ग्रगर यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी कहूं कि जिस पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के रूप में सरकार स्वीकार कर चुकी है, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिये इस जगह को प्लेटफॉर्म बनाया गया श्री घनश्यामदास बिड़ला द्वारा, जो हिन्दुस्तान में केपीटलिस्टों के मोनोपोलिस्ट नेता हैं, जो पब्लिक सेक्टर के दुश्मन हैं, उसके खिलाफ जिन्होंने हिन्दुस्तान में जिहाद बड़े पैमाने पर छेड़ रखा है उन्होंने ही इस पहले अधिवेशन में इस कन्डीशन को तोड़ दिया। यहीं तक नहीं, वहां पर बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया गया कि हमें इलेक्शन्स में हिस्सा लेना चाहिये, अपने प्रतिनिधि लोक सभा और विधान सभाओं में भेजना चाहिये अपनी इन नीतियों को आगे बढाने के लिये, जिनकी नीति पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है प्लान्ड इकॉनॉमी के खिलाफ है। मैं निवेदन करूंगा, जो कन्डीशन सरकार द्वारा लगाने की बात कही गई है न केवल उस कन्डीशन को तोड़ा गया है, ओपनली पब्लिक सेक्टर की इस सरकार की खुद की घोषित नीति है उसको सबवर्ट करने का अखाड़ा बन गया है। ऐसे संगठन को यह सरकार जमीन अलॉटमेन्ट करे, जो उनकी नीति के खिलाफ अमल करती हैं। या तो सरकार यह कह दे कि सरकार इस बात में इन्टरेस्टेड है, उनको खुद को इन नीतियों में विश्वास नहीं है, इसलिये वे खुद ही ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं, या उनकी पार्टी में इस प्रकार के लोग मौजूद हैं जो पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है, प्लान्ड इकॉनॉमी को सेबोटेज करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिस पर्पज के लिये अलॉटमेन्ट किया गया है वह पर्पज क्या है, उस पर्पज के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस जमीन की जो करेन्ट मार्केट वेल्यू बतायी है वह सवा दो लाख की बतायी है। सरकार ने जो एरिया इसका बताया है इसको स्क्वायर यार्ड में तब्दील करें तो ६,५०० के करीब बनती है। सरकार ने जो कीमत दी है वह २५ रुपया गज की दी है। जब कि इसी प्रकार की जमीन जो रेडियो स्टेशन के पास है जो नीलाम हुई है जो रिमोट एरिया है, जिसकी यहां से भी कम कीमत है वह १७५ रुपया स्क्वायर यार्ड बिकी है, नीलाम हुई है। मैं यह कह सकता हूं यह जो चौडे रास्ते के बाहर जमीन इनको दी गई है इसका २०० रुपया गज से कम मार्केट वेल्यू नहीं हो सकती। इस हिसाब से यह १८ लाख रुपये की करीब जमीन बनती है। सरकार ने, जान-बूझकर अन्डर एस्टीमेट करके बताया है और फेक्ट्स को सप्रेस करने की चेष्टा की है। और अनुचित तरीके से एक विशिष्ट वर्ग को, सरमायेदार वर्ग को जबर-दस्त फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जान बूझकर, अन्डर एस्टीमेट करके, इस सदन को गलत फहमी में डालने की कोशिश की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन सारे प्रश्नों का उत्तर सरकार दे।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने जो जमीन का अलॉटमेंट किया है, जिस संस्था से काटकर दी है जिस पपर्ज के लिये दी है वह साफ हो चुका है, उसमें गलती हुई है तो सरकार इस बिना पर "देर आयद दुरूस्त आयद" सवेरा का भटका शाम को भी घर आजाय तो भटका

Page No. 47

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ नहीं माना जायगा । सरकार को चाहिये कि इस अलॉटमेन्ट को केन्सिल कर दे, इसको प्रेस्टिज का सवाल न बनायें कि सुखाड़ियाजी वहां पर चले गये, उनकी मौजूदगी में यह अधिवेशन हुआ, यह शिलान्यास उनकी उपस्थिति में हुआ है । इस प्रकार के तबके का एक रवैया है जो फूड प्रोब्लम को पीछे से सेबोटेज कर रहे हैं और आम जनता को भूखा मार कर जमाखोरी और मुनाफाखोरी कायम रखना चाहते हैं; उनको भड़का रहे हैं, उस वतके को इस प्रकार की फेसीलिटीज दें, आम जनता की जो १८ लाख की जमीन होती है उनको मुफ्त में दे दें और खुला मुनाफा कमाने की छूट दे दें ! मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप कितनी ही कन्डीशन इन पर लागू कर दें, लीगली किसी कन्डीशन को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट में जायेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, आप उनका कुछ नहीं कर सकेंगे, मुफ्त में जो जमीन दे दी गई है उससे लाखों रुपया किराये का कमायेंगे, स्टॉक एक्सचेन्ज खोलेंगे । एक दफा आपके हाथ कटे तो फिर सभाले नहीं संभलेगा, लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली गई तो माफ करना डिपार्टमेन्ट की राय आपकी इच्छा की माफिक न होकर उनकी इच्छा के माफिक होगी, उनकी इच्छा के अनुकूल अधिक राय आ सकती है । यही बात मान कर चलना चाहिये ।

आपने कौनसी क्लास के इंटरेस्ट के लिये ऐसा किया है, किसके हितों को आप सेव करते हैं, इसको आप पोलीटीकल अखाडा बना कर नहीं चलेंगे तो आप एक बडी गलतफहमी में रहेंगे । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहूंगा कि इस बात की जांच तो आप करें ही कि किस तरीके से यह क्यों दी गई, लेकिन नतीजा इसका यह निकलना चाहिये कि आप उस जमीन के अलॉटमेंट को कैंसिल करें और वास्तव में कोई चैरीटेबिल इन्सटीट्यूशन; जैसे बाल विकास समिति वगैरह हो, उनके पास ही रहने दें या इसी प्रकार के संगठन को दें तभी ठीक रहेगा ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस पर एक और तथ्य···

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैं एक बात और कहना चाहता हूं ·······

श्री अध्यक्ष : बस ! माननीय मंत्री महोदय

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, इस हाफ एन ऑवर डिस्कशन के अन्दर यह बताना चाहता हूं कि जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने २४-९-५९ को खत लिखा, उसमें उन्होंने यह बताया कि यह जमीन जयपुर कौंसिल ऑफ चाइल्ड वैलफेयर को ५ साल की लीज पर दे दी गई थी, जो खत्म हो रही है और उन्होंने जयपुर कौंसिल ऑफ चाइल्ड वैलफेयर को लिख दिया कि वह इसको रिन्यू न करें । उसके साथ ही उन्होंने यह भी सिफारिश की कि यह जमीन फ्री ऑफ कोस्ट राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स को दी जाये । इस मामले के अन्दर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने केबीनेट के अन्दर इनफोर्मली ८-१०-५९ को इसका फैसला किया कि राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स को यह जमीन दी जाये । लेकिन यह जमीन ३-१०-६२ को दी गई, जब कि फैसला १९५९ का था । उसी दौरान में

Page No. 48

(श्री बरकतुल्ला खां)

सवाल यह पैदा होता है कि जैसा मेरे दोस्त जो अलवर से आते हैं उन्होंने कहा कि इसको गवर्न होना चाहिये था, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है १७ जुलाई, १९६१ के अन्दर, जिसका हवाला उन्होंने देते हुए कहा था कि सेक्शन १ का (आई) और सेक्शन ८ के अन्दर गवर्न होना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह फैसला इससे पहले ले लिया गया था और नोटिफिकेशन बाद में आया। उसके साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०२ है उसके अन्दर बहुत क्लियरली यह डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिये नहीं लेकिन इण्डस्ट्री के लिये और किसी पर्पज के लिये गवर्नमेंट जमीन अलॉट कर सकती है और गवर्नमेंट ने जो यह जमीन अलॉट की इसमें गवर्नमेंट का मकसद यह नहीं था कि वह किसी को कोई फायदा देना चाहती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मकसद यह था कि हम राजस्थान के अन्दर जैसे और प्रदेशों के अन्दर एग्जीबीशन्स होती हैं, परमानेंट तरीके से इन्डस्ट्री को एग्जीबिट किया जाता है उनको सामने रखा जाये। उसके साथ ही साथ जयपुर में कोई डीसेण्ट पब्लिक हॉल नहीं था, जहां मीटिंग वगैरह की जा सकती हो, उसके लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और इसके अन्दर यह शर्त तय की गई कि इस हॉल को गवर्नमेंट जब चाहेगी अपने पर्पज के लिये फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल करेगी। एग्जीबीशन के लिये राजस्थान के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट का जो भी अपना प्रोडेक्शन है उसको वहां एग्जीबिट करें ताकि दूसरे लोग, टूरिस्ट्स और इंडिस्ट्रलिस्टस जो भी आयें वे हमारे प्रोडक्ट को देखें और उसका फायदा उठायें। उसके साथ ही साथ यह भी कन्डीशन इम्पोज की गई और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने कहा उसके बाद कन्टीन्यूअसली इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोई लेकुना इस तरह का न रह जाये क्योंकि यह तय हुआ है कि यह जमीन सिर्फ चैम्बर के आफिसेज के लिये, हॉल के लिये और एग्जीबीशन के लिये दी जा रही है। तो इसके अलावा कोई यदि चेम्बर ने किसी और दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ऑलरेडी इस तरह के क्लॉज डाल रखे हैं कि अगर कोई और काम में लेंगे तो यह जमीन मय बिल्डिंग के राजस्थान गवर्नमेंट में रिवर्ट हो जायेगी। उसमें कोई लेकुना रहता है तो हम लॉ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं कि उसको थोरोली एग्जामिन करे।

इसी तरीके से जो हमारा कॉन्ट्रेक्ट बनने जा रहा है उसको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो लीगल कमेटी है वह इसको स्टडी कर रही है और इसका ख्याल रख रहे हैं कि इसमें कोई लेकुना न रह जाये और जहां तक यह जमीन दी जा रही है ....

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आप तो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी लें कि कोई लेकुना रहा तो मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

श्री **हरिराम चौहान** : सवाल तो यह है कि उनको दी ही क्यों गई है ?

श्री **बरकतुल्ला खां** : मुझे पर्सनल को कैसे पकड लेंगे, अगर कल यहां नहीं रहा तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो यह कहें कि मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कोई लेकुना रहा तो ।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय न कहें तो भी उनकी जिम्मेदारी है ही।

श्री बरकतुल्ला खां: जहां तक कॉन्स्टीट्यूशनल रेस्पोन्सीबिलिटी है वह तो रहती है, लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट हूं या लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट का एक्सपर्ट हूं। मैं फाइनल ऑथोरिटी नहीं हूं कि ऐसा फूलप्रूफ कॉन्ट्रेक्ट बना सकता हूं जिसमें कोई लेकुना न रहे। जो हमारे पास बैस्ट लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वे इस पर सब कुछ करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई लेकना न रहे· · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह तो हम भी जानते हैं कि आपके कन्धों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। चलाने वाले दूसरे ही हैं, लेकिन आप मजबूर हैं।

श्री बरकतुल्लाखां: इसके अलावा यह भी क्लॉज़ रखा गया है कि यह पोलीटिकल पर्पज़ेज के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जायेगी। जैसा अलवर से आने वाले दोस्त ने कहा कि इस तरह का वहां कोई डिसीज़न हुआ है। मैं समझता हूं कि वे स्वयं अच्छे लॉयर हैं और हम भी जानते हैं कि जो क्लाज़ रखा गया था वह यह था कि यह बिल्डिंग चेम्बर के ऑफिसेज, हॉल और एग्ज़ीबीशन के लिए बन रही है और वह किसी पोलीटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की जायेगी। उसके अन्दर यह नहीं था कि ग्राउन्ड नहीं दिया जायेगा। अभी जो कुछ हुआ है और ग्राउन्ड के ऊपर हो रहा है, यह होने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ आई है और जिसको हम सोच रहे हैं कि अगर ग्राउन्ड का इस्तेमाल हो सकता है तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मकान नहीं है तो पब्लिक मीटिंग का अखाड़ा बनाया जा सकता है, तो इसमें सरकार सोच रही है कि उस प्रोविजो में जहां बिल्डिंग को कवर किया है उसको ग्राउन्ड में भी कवर कर लेंगे।

यहां जो गार्डन बनेगा उसमें बच्चों के आने की इजाजत होगी, वे वहां आ सकेंगे, बैठ सकेंगे और एन्जॉय कर सकेंगे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आइन्दा ओपन ग्राउन्ड में ऐसी चीज बन जाये और ऐसा क्लॉज़ बन जाय कि उसका वह पोलीटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां तक सब-लेटिंग का सवाल है या री-सेल का सवाल है हर तरीके से कोशिश करके यह ख्याल रखा जायेगा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स किसी को न बेच पाये, न वहां दूकान बना पायें क्योंकि हमारी अण्डरस्टेंडिंग यही है कि उनके आफिसेज़ के पर्पज़ के लिए, हॉल के लिए और एग्ज़ीबीशन के लिए यह ग्राउन्ड दिया जा रहा है। इसमें बिल्डिंग बनेगी। इसके अलावा यदि दूकानें बनती हैं तो इजाजत देना गवर्नमेन्ट के अख्तियार में है, जो उसका नक्शा होगा वह इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट पास करेगा और गवर्नमेन्ट के पास एप्रूवल के लिए आयेगा। इसलिए अगर वे दूकान नाजायज़ तरीके से बनाना चाहें तो बना नहीं सकते और अगर नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करें तो कॉन्ट्रेक्ट के अन्दर यह क्लॉज़ रखा गया है कि इस तरह की कोई चीज की तो यह सारी की सारी प्रोपर्टी गवर्नमेन्ट के अन्दर रिवर्ट हो जायेगी।· · · ·

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : इन दूकानों में शो रूम हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने कहा है कि इन इन कामों के लिए दिया गया है, किराया या सब-लेटिंग का प्रश्न पैदा नहीं होता। उसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसी को मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अभी जो मीटिंग हुई उसमें पोलीटिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया; अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इस बुनियाद पर यह अलॉटमेन्ट केन्सल कर देना चाहिए, जहां कि शुरुआत की इस बात से होती है जिसको कि आप प्रोहिबिट करना चाहते हैं। तो आप तो इसी प्रकार के संगठनों को दें अव्वल तो, नहीं तो आवश्यकता नहीं थी। गवर्नमेन्ट किसी मजबूरी में आगयी तो इस बात पर कॅसिल कर सकते हैं और ऐसा कर देना चाहिए······

(११.०० म, पू.)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल ।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : बिडलाजी ने यह कहा·····

श्री अध्यक्ष : आपके लीडर ने बता दिया कि बिडलाजी ने क्या कहा । (श्री हरिराम चौहान के बोलते रहने पर) Order please ! माननीय सदस्य अभी काम बहुत है ।

श्री **हरिराम चौहान** : उन्होंने दिल खोलकर यह बात कही कि यह व्यापारियों के आन्दोलन का केन्द्र होगा ······

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट एश्योरेन्स यह दे कि यह पोलिटिकल पर्पजेज के लिये इस्तेमाल नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : वह एश्योरेन्स दिया गया है स्पष्ट शब्दों में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को गवर्नमेन्ट ने स्वीकार कर लिया कि चाहे वह प्रश्न बिल्डिंग का अर्थ यह जो निकला है तो यह प्रश्न आता है कि वह पोलिटिकल पर्पजेज के लिये इस्तेमाल नहीं होगा; तो एब्सोल्यूटली गवर्नमेन्ट का मकसद चाहे "बिल्डिंग" शब्द लिखा गया हो, यह सारे ग्राउन्ड वगैरह से था, और उस ग्राउन्ड को उन्होंने पोलिटिकल पर्पजेज के लिये इस्तमाल किया है । तो इस बुनियाद के ऊपर इसको कैन्सिल किया जाना चाहिए, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह आश्वासन देना चाहिए क्योंकि इसमें दो कॉजेज हैं । एक तो १८ लाख की जमीन देने का कोई किसी किस्म का जस्टीफिकेशन नहीं है । इस प्रकार का म्यूजियम करना है तो और जगह जमीन लेकर कर सकते हैं । वह इस तरह की गरीब संस्था नहीं है । इस प्रकार से उनको देने का जस्टीफिकेशन नहीं है । फिर उसमें जो यह लूप होल था उसको उन्होंने तोड दिया, फिर भी कैन्सल करने को तैयार नहीं हैं तो इसकी क्या वजह है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री नाथूलाल करौल ।

(विराम)

माननीय सदस्य अभी बहुत काम है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा :Mr. Spoaker, Sir......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान नहीं है ।

श्री हरिराम चौहान : जनता का वे फैसला नहीं कर सकते हैं इस तरह से · ·

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य नियमों का पालन करें।

श्री हरिराम चौहान : बरबाद कर दिया है मंत्री महोदय ने बिडला के कहने से..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : I shall not permit any speech on this.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं सरकार की इस नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं और सरकार की सरमायेदार-परस्ती के खिलाफ वॉक आउट करते हैं, अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : This is simply disgraceful.

श्री अध्यक्ष : इस पर हाउस में पार्टी लीडर्स बोल सकते हैं। order please·

श्री हरिराम चौहान : (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की तमीज कीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : We also walk out in protest.

श्री अध्यक्ष : You should have done it much earlier and saved the time of the House.

(११.५ म. पू.)

तहसिल चाकसू में भूमि एकीकरण के कार्य से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान दिलाना

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत तहसील चाकसू, जिला जयपुर में भूमि एकीकरण के कार्य से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य (राजस्व) मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री **परसराम मदेरना** (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, चाकसू ने भूमि-एकीकरण कार्य प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव पंचायत समिति द्वारा दिनांक १०-५-६२ को पारित किया। दिनांक ११-६-६२ को इस पारित किये गये प्रस्ताव की पुष्टि भी की गई। इसी आधार पर पर तहसील में अक्तूबर, १९६३ को इसको भूमिकरण कार्य करने हेतु भेज दिया गया था। पंचायत समिति ने दिनांक ११-११-६३ व १०-१-६४ को प्रस्ताव किये कि उनके यहां कार्य भूमिकरण नहीं किया जाय क्योंकि भूमिकरण योजना में अनियमितताएं होती हैं व भ्रष्टाचार होता है हालांकि यह योजना उत्तम है। इस बारे में पंचायत समिति को विश्वास दिलाया गया कि भूमिकरण अच्छी तरह व नियमानुसार किया जायगा· · ·

Page No. 52

(श्री परसराम मदेरणा)

(जिन माननीय सदस्यों ने बहिर्गमन किया था उनका सदन में पुनः प्रवेश)

और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर-कानूनी कार्यवाही की जायगी। क्योंकि कार्य भूमिकरण उनकी अनुमति से कराया गया था, अतः चालू कार्य को बन्द करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं सोचा गया, क्योंकि स्टाफ भेजने का कार्य करने में सरकार की काफी धनराशि व्यय हो चुकी थी, भू-प्रबन्ध अधिकारी, गंगापुर, को आदेश दिया गया कि वे पंचायत समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करें, वे उनकी शंका का समाधान करें। कर्मचारियों द्वारा आतंक फैलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भूमि एकीकरण कार्य राजस्थान भूमिकरण अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम ४ के अनुसार सलाहकार समितियों की राय से किया जाता है। अभी तक अधिकांश ग्रामों में जिनमें कार्य भूमिकरण किया जा रहा है वहां पर सलाहकार समितियां नियमानुसार व ग्रामवासियों की सम्मति के अनुसार गठित की जा चुकी हैं।

कन्सोलिडेशन कार्यालय से पुलिस द्वारा कोई दबाव जनता पर नहीं डाला जाता है। जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है वहां तक जनता में कोई असन्तोष भूमिकरण कार्य के बारे में नहीं है। अभी तक जिन ग्रामों में कार्य किया गया है ऐसी कोई शिकायत कार्य अथवा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इस तहसील में प्राप्त नहीं होना पाया जाता है। अधिकांश ग्रामों में सलाहकार समितियों का गठन व काय भूमिकरण रूप से चल रहा है। इस तहसील में १९२ गांव हैं और जिनमें से इस कार्य के लिये ११२ ग्राम सिलेक्ट किये गये हैं, इनमें ६० ग्रामों में सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है और उनकी सलाह से ग्रामों में कन्सोलिडेशन का कार्य किया जा रहा है।

भूमि-एकीकरण योजना, कृषि-सुधार एवं कृषकों की आर्थिक उन्नति में विशेष स्थान रखती है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना आपके क्षेत्र में पंचायत समिति की मांग पर प्रारम्भ की गई थी। यदि पंचायत समिति को भूमि-एकीकरण कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य में संदेह या आपत्ति हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये जा चुके हैं कि वे नियमानुसार कृषकों की भलाई को पहले से भी ज्यादा ध्यान में रखते हुए कार्य करें तथा पंचायत समिति की मीटिंग में भाग लें और समतियों को भूमि-एकीकरण की काय-प्रणाली और प्रगति से समय समय पर अवगत कराते रहें और सदस्यों द्वारा बताई गई आपत्तियों का नियमानुसार निवारण करें। तथा, अध्यक्ष महोदय, चूंकि कई ग्रामों से ये शिकायतें आई हैं कि वहां पर प्राइमरी कार्य शुरू नहीं हुआ है तो सैटलमेन्ट कमिश्नर, जयपुर को कन्सोलिडेशन ऑफिसर, गंगापुर को जो अभी सैटिलमेन्ट ऑफिसर के स्थान पर ऑफिशियेटिंग वर्क कर रहे हैं, उन्हें इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये गये हैं कि जिन ग्रामों में प्राइमरी वर्क प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां कार्य विथ-होल्ड कर दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि भूमि-एकीकरण का कार्य जिन ग्रामों में चल रहा है वहां नियमानुसार कार्य किया जायगा व भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्य-वाही की जायगी।

श्री नाथूलाल करौल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया है कि कार्य सुचारु रूप से किया जायगा और ईमानदारी के साथ किया जायगा। मैं आपके द्वारा माननीय उप-मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस सब-स्टेशन कोटखावदा पर पंचायत खुर्द बापू गांव में जयसिंहपुरा के नाथ पटेल को जबरदस्ती सर्वेयर के द्वारा ले जाया गया और पुलिस स्टेशन के कर्मचारी द्वारा उसके साथ ज्यादती की। मैंने एक उदाहरण दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का दूसरा उदाहरण यह है, पंचायत थली ग्राम दबे बाढ की है जहां पर ग्रामवासियों को यह धमकी दी जा रही है कि वे भूमि का एकीकरण करायें वर्ना पुलिस के हवाले किये जायेंगे। गांव वाले पांच या सात रोज पहले आये थे, माननीय अध्यक्ष, तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं मंत्री महोदय से मिलूंगा और लड्ढा साहब जब वे यहां थे तो उनसे मिला और उनसे मैंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की।

माननीय अध्यक्ष, तीसरा उदाहरण और मैं देता हूं कि उन्होंने इसके लिये पंचायत ठीकरिया मीनगान के सरपंच को नोटिस दिया है सवयर ने तो उसने कहा है कि जल्दी से जल्दी गांव वालों को तैयार कर लो वर्ना पुलिस के हवाले किये जाओगे। ये मैंने तीन एग्जाम्प्ल्स दी हैं, अगर आप एन्क्वायरी बिठायें तो मैं साबित करने को तैयार हूं।

दूसरी बात यह है कि वहां पर सी. ओ. है वह अपने सर्वेयर को यह कहता है कि सर्वेयर झूठ-मूठ कन्सोलिडेशन एक्ट, १९५४ की धारा ५ के तहत लोगों को यह पॉवर्स दिये गये हैं कि कोई भी आदमी कन्सोलिडेशन कराने वालों को बहकावे तो वह उसकी सजा कर सकता है। इससे यह होगा कि सर्वेयर झूठ मूठ सर्वेयर से रिपोर्ट करा कर अपने पास में ले लेगा और वह ओन दी स्पॉट एन्क्वायरी नहीं करेगा और ऑफिस में बैठे हुए एन्क्वायरी करा लेगा और लिखित में दे देगा इन्चार्ज पुलिस को कि एक माह की सजा करता हूं; तो एक महीने की सजा हो जाती है। यह षडयन्त्र सी. ओ. की तरफ से रचा जा रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति ने दो बार रिजोल्यूशन पास कर दिया कि यह नहीं होना चाहिये। १० मई को एक प्रस्ताव पास किया था वह गुमराह में पास हो गया। १० जनवरी, ६४ को फिर प्रस्ताव पास हुआ, पंचायत समिति की मीटिंग में सर्व सम्मति से पास हुआ है, जिला प्रमुख श्री नारायण चतुर्वेदी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि कन्सोलिडेशन नहीं होना चाहिये। प्रोसिडिंग्ज देख ली जायं। गवर्नमेन्ट यह कह रही है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन यह तो समाजवादी समाज वहां एकतन्त्र राज्य हो गया। यदि आप जबर्दस्ती से करना चाहते हैं तो बात अलग है। वहां पर जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं वह यह सारा काम करा रहे हैं। उनको वहां से हटाइये, ऐसा नहीं हो कि वह किसी को सजा करा दे क्योंकि उसको पॉवर्स हैं। वह वहां पर बैठा बैठा हिदायत दे देगा तो किसी को सजा हो जायगी। आप जबर्दस्ती

(श्री नाथूलाल करौल)

से करवाना चाहते हैं तो मर्जी ग्रापकी है। सी. ग्रो. को वहां से तुरन्त हटाया जाय। जो लोग रजामन्दी से कन्सोलिडेशन करवाना चाहते हैं उनके वहां करें तो ऐतराज नहीं है, लेकिन जो नहीं करवाना चाहते हैं उनके वहां नहीं करवाया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य खुद मानते हैं कि पंचायत समिति के प्रस्ताव के बाद यह कार्य प्रारम्भ किया गया। बाद में इसको डिस्कन्टिन्यू करने के लिये जनवरी में दूसरा प्रस्ताव पास किया। उससे पहले ग्रक्टूबर में स्टाफ भेजा जा चुका था ग्रौर काम शुरू किया जा चुका था ग्रौर काफी धनराशि खर्च हो चुकी थी। कन्सोलिडेशन की स्टेजेज हैं। जब स्टेजेज में काम शुरू करते हैं, नक्शे वगैरह बन जाते हैं, उसके बाद डिस्कन्टिन्यू नहीं कर सकते। जैसा माननीय सदस्य ने कहा पुलिस द्वारा हैरेसमेन्ट होगा, कन्सोलिडेशन एक्ट की धारा ५; नहीं, ३६ के नीचे सर्वे मार्क्स को रिमूव करते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस ग्राई. पी. सी. के नीचे बनता है ग्रौर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में केस दायर होता है। सजा देने का पुलिस को ग्रधिकार नहीं है। मैं फिर भी विश्वास दिलाता हूं कि जहां से शिकायत ग्रायगी वहां हम सैटलमेन्ट कमिश्नर को भेजेंगे ताकि गांव-वालों को कोई ग्रापत्ति हो तो उसका निराकरण हो जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि सरकार की घोषित नीति के ग्रनुसार केवल उसी जगह कन्सोलीडेशन किया जायगा जहां कि पंचायत समिति इस ग्राशय का प्रस्ताव पास करे ग्रौर यहां की पंचायत समिति ने दो बार प्रस्ताव पास किये कि हम नहीं कराना चाहते ग्रौर इससे होने वाली छोटी-बडी दिक्कतों का हवाला माननीय सदस्य ने दिया। मैं समझता हूं इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य तो यहां तक कहते हैं कि जहां जहां गांव वाले चाहते हैं वहां करा लीजिये। ग्रभी तो इसकी शुरुग्रात ही है, कई स्टेजेज बाकी हैं। इसलिये मैं पुनः कहूंगा कि पुनः इस पर ग्राप विचार करेंगे ग्रौर जहां पर गांव वाले नहीं चाहते हैं वहां नहीं किया जाय ग्रौर जहां चाहते हैं वहां किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया था · · · ·

श्री ग्रध्यक्ष : निवेदन खत्म हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : यह कानूनी · · ·

श्री अध्यक्ष : Order please !

(११. १२ म. पू)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल ने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। जिसमें उन्होंने यह बताया है कि राज्यपाल महोदय का इस वर्ष का ग्रभिभाषण संविधान के ग्रनुच्छेद १७६ के ग्रनुरूप नहीं था। उनके ग्रभिभाषण में विधान सभा को ग्राहूत करने के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला गया जिसका उल्लेख उनके ग्रभिभाषण में होना चाहिये था। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक २२ फरवरी, १९६४

(श्री अध्यक्ष)

को श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उनके निर्देशों की अवहेलना मुख्य मंत्री द्वारा की गई है और श्री अध्यक्ष के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना किया जाना आसन और सदन के अपमान की गणना में आता है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि श्री अग्रवाल द्वारा यही मामला एक औचित्य प्रश्न द्वारा दिनांक २२ फरवरी, १९६४ को सदन में उठाया गया था और उस पर मेरे द्वारा व्यवस्था भी दी जा चुकी है और उसी समय श्री अग्रवाल द्वारा उठायी गयी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में मैं पुनः उसी प्रश्न पर विशेषाधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(११.१४ म. पू.)

राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : Select Committee on Rajasthan Soil and Water Conservation Bill, 1964

१. श्री नाथूराम मिर्धा
२. श्री भीमसिंह
३. श्री भगराज चौधरी
४. श्री लालाराम
५. श्री हरलाल
६. श्री देवेन्द्रकुमार
७. श्री मती नगेन्द्रबाला
८. श्री घासीलाल यादव
९. श्री रावतराम
१०. श्री दलपतसिंह
११. श्री शंकरलाल
१२. श्री तेजाराम
१३. श्री छुट्टनलाल
१४. श्री मानसिंह (१०६)
१५. श्री नाथूलाल करौल
१६. श्री हरिप्रसाद (पाटन)
१७. श्री हरिराम चौहान
१८. श्री हरदत्तसिंह
१९. श्री केसरीसिंह (८९)
२०. श्री मुकुटबिहारीलाल
२१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया
२२. श्री मती निर्मला देवी नाहर

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी । प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत, मैं श्री नाथूराम मिर्धा को इस प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

(११.१५ म. पू.)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति को)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के सदस्य निम्न माननीय सदस्य होंगे :—

१. श्री निरंजननाथ आचार्य
२. प्रो. केदारनाथ
३. श्री रामानन्द अग्रवाल
४. श्री रामकिशन
५. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
६. श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(श्री अध्यक्ष)

७. श्री मोहनराज
८. श्री दुर्गालाल बाढदार
९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१०. श्री जुझारसिंह
११. श्री भीमसेन
१२. श्री तेजाराम गहलोत
१३. श्रीमती गौरी पूनिया
१४. श्री अमरसिंह (दूदू)
१५. कु. उमा माथुर

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत, मैं श्री निरंजननाथ आचार्य को इस प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

(११.१८ म. पू.)

युनाइटेड डेमोक्रेटिक फंट के कुछ सदस्यों द्वारा संयुक्त समाजवादी दल के साथ मिलकर कार्य करने विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष : मुझे दो पत्र मिले हैं, जो कि मैं सदन में पढकर सुना रहा हूं ।

"सेवा में,

श्री अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

महोदय,

संयुक्त समाजवादी दल के विधान सभा के सदस्य तथा लोकराज परिषद् के सदस्य जो विधान सभा में युनाइटेड डेमोक्रेटिक फन्ट के नाम से काम करते चले आ रहे हैं आज से डेमोक्रेटिक फंट के १० (दस) सदस्य तथा सयुक्त समाजवादी दल के ७(सात) सदस्य, संयुक्त समाजवादी दल के रूप में काम करेंगे । इस दल का कार्यक्रम वही रहेगा जो संयुक्त समाजवादी दल का है

भवदीय
हरदत्तसिंह (वि. स. ५८)
मुरलीधर व्यास (११९)
स. स. दल" ।

एक अन्य पत्र और है जो इस प्रकार है :

"महोदयजी,

हम निम्न लोकराज परिषद् के सदस्य तथा विधान सभा में संयुक्त डेमोक्रेटिक फन्ट के सदस्य हैं तारीख ११-४-६४ से राज्य विधान सभा में सयुक्त समाजवादी दल के साथ मिलकर काम करेंगे :—

(१) उमरावसिंह
(२) मांगीलाल
(३) प्रभुलाल सेन्टर
(४) नत्थीसिंह
(५) चन्द्रसिंह
(६) बालूराम चौधरी
(७) केदारनाथ
(८) मोहनलाल सारस्वत
(९) जसवन्तसिंह
(१०) हरदत्तसिंह"

(११.२० म. पू.)

बजट लीकेज विषयक मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : दिनांक २-४-६४ को मैंने इस सदन में कहा था कि जिस दिन बजट

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

प्रोजल्स को बजट भाषण के कुछ समय पहले प्रेस प्रतिनिधियों को बता देने के आक्षेप पर जो बहस हो रही थी मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था । मैंने कहा था कि मैं तत्काल इस संबंध में कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं हूं और मैं पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही सदन को पूर्ण स्थिति से अवगत करा सकूंगा ।

मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है । प्रथम तो मैं यह दोहरा देना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि बजट के लीकेज से सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है । परन्तु जब माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि वित्त मन्त्री की ऐसी स्थिति में त्याग-पत्र दे देना चाहिये तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि "जो व्यवस्था हुई है उसको मैं पहले पढ़लूं और देख लूं । उसमें यदि माननीय अध्यक्ष महोदय ने लीकेज होना स्वीकार कर लिया है तो उनकी व्यवस्था मेरे लिये मान्य है और मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसी दौरान में इस प्रकार कहा, "मैंने यह नहीं कहा कि लीकेज हुआ है" । स्वयं श्री मानिकचन्द सुराणा ने उस रोज यानी ३०-३-६४ को माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करते हुये कहा कि," आपने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन्स में बजट लीकेज की संभावना की और संकेत किया है" । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में निम्नलिखित पंक्ति कही थी : "पत्र प्रतिनिधियों को बजट साहित्य वितरित करने की जो व्यवस्था की गई उससे माननीय सदस्यों को उक्त साहित्य उपलब्ध होने से पहले पत्र प्रतिनिधियों को प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है "।

अब प्रश्न यह है कि क्या पत्र प्रतिनिधियों को बजट की प्रतियां माननीय वित्त मंत्री के बजट के भाषण के पहले ही बांट दी गई थीं या नहीं ?

२-४-६४ को सदन में वाद-विवाद के दौरान में श्री मानिकचन्द सुराणा ने कहा था कि टेलीप्रिन्टर से टाइम्स ऑफ इन्डिया को बजट प्रोपोजल्स सायं ७ बजकर १० मिनट पर और इन्डियन एक्सप्रेस को ६ बज कर २२ मिनट पर प्राप्त हो गये थे । इस विषय में जानकारी करने पर यह मालूम हुआ कि टाइम्स ऑफ इन्डिया को टेलीप्रिन्टर से बजट के सिलसिले में कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए थे और इन्डियन एक्सप्रेस को भी ये समाचार ६ बजकर २२ मिनट पर भेजा गया था । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कह दूं कि यू. एन. आई. का दफ्तर राजस्थान हाउस से बहुत नजदीक है और वहां पहुंचने में तीन-चार मिनट ही लग सकते हैं ।

६-३-६४ को माननीय वित्त मंत्री महोदय का बजट भाषण शाम के ५ बजे शुरू हुआ । उस दिन सदन की कार्यवाही ६ बज कर ४० मिनट पर समाप्त हुई । माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के समाप्त होने और उस रोज सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बीच में कुछ बिल्स भी इन्ट्रोड्यूस किये गये, जिनमें भी कुछ समय लगा । माननीय वित्त मंत्री ने अपना भाषण सायं ६ बज कर ३४ मिनट पर समाप्त कर दिया था । यदि यह भी मान लिया जावे कि उनका भाषण ६.३५ मिनट पर ही समाप्त हुआ तब भी

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

पूरे भाषण में ६५ मिनट लगे । इन ६५ मिनटों में माननीय वित्त मंत्री ने ४५ पृष्ठों से भी अधिक विस्तार का भाषण सदन के सामने पढा । माननीय सदस्यों को विदित होगा कि टैक्स प्रोपोजल्स का विवरण ४१ वें पृष्ठ के दूसरे पैराग्राफ पर ही समाप्त हो गया था । इन ४१ पृष्ठों को पढने में माननीय वित्त मंत्री को अधिक से अधिक कुल ८६ मिनट (१ घंटा २६ मिनट) लगे होंगे । जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि यदि अधिक से अधिक ८६ मिनट का समय भी विचार में लिया जाय तब भी माननीय वित्त मन्त्री के टैक्स प्रोपोजल्स की घोषणा ६ बजकर २६ मिनट तक अवश्य ही समाप्त हो चुकी होगी ।

३०-३-६४ को इस विषय के वाद-विवाद के दौरान में माननीय श्री सतीशचन्द्र ने यह कहा था कि वित्त विभाग से कोई आदमी बजट साहित्य लेकर दिल्ली नहीं गया । यह आरोप सही नहीं है । वित्त विभाग के श्री सत्यनारायण को बजट साहित्य के साथ दिल्ली भेजा गया था । उनसे भी जांच की गई और उनका यह स्पष्ट बयान है कि ३०-३-६४ को सायंकाल ६-३० मिनट पर पत्र-प्रतिनिधियों को बजट साहित्य वितरित किया गया था । इस साहित्य में मुख्य २ प्रोपोजल्स के सिनोप्सिस भी पत्र-प्रतिनिधियों को तैयार मिली थीं ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा टैक्स प्रोपोजल्स की घोषणा सदन में करने से पहले बजट साहित्य का वितरण दिल्ली के पत्र-प्रतिनिधियों को नहीं किया गया । इसलिये बजट लीकेज का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुछ माननीय सदस्यों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की परम्पराओं की ओर संकेत किया था । मैंने इस सम्बन्ध में जिन सम्बन्धित पार्लियामेंट्स में ऐसे उदाहरण हुए हैं उनका अध्ययन किया । इस सम्बन्ध में दो उदाहरण मिलते हैं । सन् १९३६ में मिस्टर टी. एस. थॉमस ने इस्तीफा इसलिये दिया था कि उन्हें केबीनेट के मेम्बर होने के नाते बजट की जो सूचना प्राप्त हुई थी उसको उन्होंने बजट भाषण होने के पहले ही बाहर बता दिया था । सन् १९४८ में हिग डल्टन ने त्याग-पत्र दिया था क्योंकि परिणाम की गम्भीरता का विचार न रखते हुए उन्होंने बजट भाषण के पहले ही टैक्स प्रोपोजल्स के एक अंश के बारे में स्वयं कुछ संकेत कर दिया था ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि ये दोनों ही उदाहरण वर्तमान स्थिति में लागू नहीं होते । सन् १९५६ में जब श्री चिन्तामणि देशमुख भारत के वित्त मंत्री थे तब प्रेस से चोरी हो जाने के कारण बजट भाषण के कुछ उद्धरण बंबई में एक दिन पहले ही वितरित हो गये थे । लोक सभा के अध्यक्ष ने उस समय लोक सभा में यह कहा कि डाल्टन और थॉमस के उदाहरणों में वे मंत्री स्वयं अनाधिकृत रूप से बजट की सूचना देने के लिये उत्तरदायी ठहराये गये थे । उन्होंने कहा था कि चिन्तामणि देशमुख के विरुद्ध यह नहीं कहा जा सकता कि वे स्वयं अनाधिकृत रूप से बजट की पूर्व सूचना देने के जिम्मेदार हैं ।

जैसा कि मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि इस केस की परिस्थितियों में तो बजट का लीकेज हुआ ही नहीं, क्योंकि टैक्स प्रोपोजल्स की घोषणा करने के बाद ही दिल्ली में पत्र-प्रतिनिधियों को बजट साहित्य वितरित

Page No. 59

(श्री मोहन लाल सुखाडिया)

किया गया था । अतः माननीय वित्त मंत्री को किसी भी लीकेज के सम्बन्ध में उत्तरदायी ठहराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्त में माननीय अध्यक्ष का मैं आभारी हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान बजट साहित्य के वितरण करने की व्यवस्था की ओर आकर्षित किया और कहा कि हम इस पर पुनः विचार करके देखें और ऐसी व्यवस्था करें कि बजट के लीकेज होने की किसी प्रकार की कोई सम्भावना ही नहीं रहे । माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में हमारी व्यवस्था में और भी सतर्कता लाई जावेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी मुख्य मंत्री ने बजट लीकेज पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि श्री सत्यनारायण से जांच की गई जो वित्त विभाग के क्लर्क हैं । मैंने मुख्य मंत्री को दो पत्र इस संबंध में दिये थे और मैंने उनसे विशेष तौर से इस बात का निवेदन किया था कि जो पत्र-प्रतिनिधि उस प्रेस कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित थे उनसे शपथपूर्वक बयान लेने की व्यवस्था आप करें और फिर इस बात की जांच करें कि बजट स्पीच दिल्ली के अंदर किस वक्त में वितरित की गई थी । मुझे स्पेसिफिक सूचना थी कि उनको यह बजट स्पीच ६ बजे दिल्ली के अंदर वितरित की गई । माननीय मुख्य मंत्री जो यह कहते हैं कि ६.२६ मिनट पर टैक्सेशन प्रोपोजल्स इस सदन में आउट हो गए थे । यदि मुख्य मंत्रीजी की इस दलील को स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी जब तक सारे प्रेस के प्रतिनिधियों से मुख्य मंत्रीजी ने कोई स्टेटमेंट ऑन ओथ लेने की व्यवस्था नहीं की है तब तक सिर्फ आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक क्लर्क के आधार पर जिसने वित्त मंत्री ने जो यह सर्टीफिकेट दिया है कि ६-२६ पर या साढे ६ बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेन्स हुई थी और बजट स्पीच डिलीवर की गई थी, मैं समझता हूं कि इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित नहीं है ।

यह जनतांत्रिक परंपराओं का प्रश्न है । वित्त मंत्रीजी से हमारा न कोई प्रेजुडिस है और न हमारा लगाव है । मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात को कैसे जस्टीफाइ कर सकते हैं कि वे उन लोगों से स्टेटमेंट्स ओन ओथ लेने की कोई व्यवस्था न करें और सिर्फ अपने क्लर्क के, जो वित्त मंत्री के नीचे एक कर्मचारी है, स्टेटमेंट के भरोसे पर सर्टीफिकेट दे दें । मैं मुख्य मंत्री से यही कहूंगा कि आप डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स से स्टेटमेंट लें और ऑन ओथ स्टेटमेंट लें और ऑन ओथ स्टेटमेंट लेने से पहले आप उनको एश्योर करें कि आपकी सरकार का यह इन्टेन्शन नहीं कि वे तथ्यों को ट्विस्ट करें । ऐसा कोई रेफरेंस आपकी स्पीच में नहीं मिलता है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो एन्क्वायरी मुख्य मंत्री ने होल्ड की है यह सारा सदन इस बात को महसूस करेगा, अपने हार्ट ऑफ हार्ट्स में कि आपने कोई प्रोपर एन्क्वायरी रीजनेबल और डिलिजेंट व्यक्ति के द्वारा नहीं कराई और ऐसा न करने से यह आपका मैलाफइडी ओमीशन है । यह मैलाफइडी ओमीशन आपने एक कैबीनेट कलीग को प्रोटैक्ट करने के लिये किया है ।

जब श्री लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे तो उनसे भी इस्तीफा

(श्री मनिकचन्द सुराणा)

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ले लिया था। शास्त्री जी कोई खुद गाडी नहीं चला रहे थे, लेकिन रेलगाडी की जो दुर्घटना हुई उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और उन्होंने अपने गुरुत्तर पद से इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उन पर कृपा थी, ६ महीने बाद फिर उनको मिनिस्टर बना दिया। आप भी इसी तरह से जनतांत्रिक परम्पराएं निभावें तो आप उनसे इस्तीफा लें। हमने डाइरेक्टली इस्तीफा के लिये नहीं कहा है। हमने कहा है कि आप प्रोपर एन्क्वायरी होल्ड करें एन्क्वायरी के बाद में निष्कर्ष निकलें और उससे यदि स्पष्ट हो कि बजट लीकेज हुआ है तो उसके बाद इस्तीफा लें। लेकिन आपने एन्क्वायरी होल्ड नहीं की और कह दिया एक क्लर्क के बयान के आधार पर कि साढे ६ बजे बजट स्पीच बांट दी गई और कोई बजट लीकेज नहीं हुआ। इस एन्क्वायरी से हमें संतोष नहीं है। हम समझते थे कि मुख्य मंत्री अपने व्यक्तित्व को देखते हुए और अपने ट्रेडीशन्स को देखते हुए और अपनी हाई पोस्ट को देखते हुए प्रॉपर एन्क्वायरी होल्ड करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एन्क्वायरी की है वह एन्क्वायरी, मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, एन्क्वायरी नहीं है बल्कि सिर्फ अपने केबिनेट कलीग को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। आपने हाउस ऑफ कॉमन्स का उदाहरण दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि डाल्टन का रेफरेन्स दिया है—उसने टैक्स प्रोपोजल्स की तरफ इशारा किया था। वह पार्लियामेन्ट की प्रिसिक्ट में आने के बाद किया था। एक पार्लियामन्ट के मेम्बर साहब सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने कहा, "क्या पी रहे हो, यह मंहगी होने वाली है"। बजट में यही था और जब लोगों को पता चला कि सिगरेट पर टैक्स की बढोत्तरी हो गई है। तो खास कर इस रिमार्क पर, जो पार्लियामेन्ट की प्रिसिक्ट में दिया गया था डॉल्टन ने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें ६.२६ तक टैक्स प्रपोजल्स या बजट प्रपोजल्स का लीकेज होता है, अगर डिपार्टमेन्ट के रिप्रेजेंटेटिव या सरकार के सेक्रेटरी प्रपोजल आउट कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के पत्रकार भी उस प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मौजूद थे। लेकिन उनके स्टेटमेंट लेने की हिम्मत आप नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रेस रिप्रेजेंटेटिव इस सदन के प्रिसिंक्ट्स में मौजूद हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी एन्क्वायरी से गर्क किया है, इसलिये मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जो प्रेस प्रतिनिधि हैं उनको इस हाउस की बार के समक्ष ऑन ओथ स्टेटमेंट देने के लिये निवेदन किया जाय और उनका स्टेटमेंट लिया जाय। इसके साथ ही मैं डिप्टी डाइरेक्टर को भी बुलाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही वह गजटेड ऑफिसर हैं, लेकिन हम उन पर भरोसा करते हैं कि वे ऑन ओथ स्टेटमेंट देंगे तो सही देंगे। उनका स्टेटमेंट मुख्य मंत्रीजी ने नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट ऑन ओथ लिया जाय और होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट ऑन ओथ लिया जाय और ....

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : ले लो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : होम मिनिस्टर कह चुके हैं। मेरे सेन्टेन्स के कहने के पहले कह चुके हैं, ले लीजिये। मैंने जो नाम बताये हैं उनका स्टेटमेंट ग्रॉन ग्रोथ लेने के लिये प्रावधान है। होम मिनिस्टर खुद इस सदन में बैठे हैं····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : हाउस सक्षम है, सर्वोपरि है।

एक माननीय सदस्य : ग्राप भूल रहे हैं, ये होम मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे प्रेस प्रतिनिधियों के बयान लेने की हिम्मत नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री एक मोरेल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। वे मोरेल क्राइसिस में इस हद तक सफर कर रहे हैं कि उसकी ब्रिंक ग्रॉफ पेसीफिक पर खडे हुए हैं। इससे ग्रागे जाने का क्या नतीजा होता है, यह ग्राप भी जानते हैं ग्रौर सदन भी जानता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी डेमोक्रेसी के ट्रेडीशन्स का त्याग करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप डेमोक्रेसी के ट्रेडीशन्स का त्याग न करें क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को दफना दिया है, इस प्रकार का चार्ज ग्रायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस के ग्रन्दर ग्रभी तक ग्रापने एन्क्वायरी नहीं की है इसलिये इस हाउस की एक कमेटी इसकी एन्क्वायरी करे। ग्रौर मुख्य मंत्री ग्रौर वित्त मंत्री से इस्तीफे लिये जायं क्योंकि ग्रध्यक्ष महोदय, जिस रिपोर्ट पर हम बहस कर रहे हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रॉपर एन्क्वायरी करने से वे पीछे हटे हैं। ग्रगर प्रॉपर एन्क्वायरी करते ग्रौर प्रॉपरली स्टेटमेंट रेकॉर्ड हुए होते तो सच्चाई सामने ग्राती।

इसके साथ ही इस सदन के सामने श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल ने यह प्रिविलेज मोशन मूव किया था। इन्होंने सबसे पहले सूचना दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि ये फैक्ट्स किस ग्राधार पर दिये हैं। हमने चिट्ठी भेजी, उसमें दो नाम सजेस्ट किये; एक ऋषि कुमार मिश्रा, पेट्रियोट के रिप्रेजेंटेटिव ग्रौर बी. डी. खोराला, नव भारत टाइम्स, दिल्ली प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव–लेकिन उनसे जांच नहीं की गई। बी. डी. खोसला को मैंने ट्रंक कॉल किया ग्रौर जानकारी की कि क्या राजस्थान सरकार या मुख्य मंत्री ने जांच करने की कोशिश की ग्रौर उनका कोई स्टेटमेंट रेकॉर्ड किया है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ग्राया नहीं है। इन सारी परिस्थितियों से यह साफ है कि मुख्य मंत्रीजी ने ग्रपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है ग्रौर जो एन्क्वायरी इन्होंने होल्ड करने को कहा था वह नहीं की है ग्रौर एक ग्रनडिफैन्डेबल फाइनेन्स मिनिस्टर को डिफेन्ड करना चाहते हैं, एक लॉस्ट हॉर्स को डिफेन्ड करना चाहते हैं। यह ग्रापकी रूलिंग हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रौर वित्त मंत्री महोदय का पर्टिक्यूलर एश्योरेन्स है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदन की प्रोसीडिंग्ज हैं उनमें उनका यह ग्राश्वासन मिल जायगा। उन्होंने कहा, डेफीनिटली मैं एश्योर करता हूं, मैं कहता हूं–मेरी बजट स्पीच समाप्त होने के बाद दिल्ली में बजट की प्रतियां बांटी गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मेरा प्रपोजल है, इसको मैं वापिस लेता हूं, ग्रगर जो कॅटेगेरिकल एश्योरेन्स है फाइनेन्स मिनिस्टर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का उसको निकाल दें । आपने जो रूलिंग दी, उसमें यह संकेत है कि जो स्पीच बांटी–उसमें इस बात की सम्भावना है कि प्रेस प्रतिनिधियों को पहले मिल गई और इस सदन के माननीय सदस्यों को बाद में मिली ।

हमारा एलीगेशन यह था कि छः बजे प्रतियां बांटी गई । और हमारे गवाह हैं ऋषि कुमार मिश्रा और बी. डी. खोसला । लेकिन जो तफतीश की गई उसमें इनके स्टेटमेंट रेकॉर्ड नहीं करना चाहते । अध्यक्ष महोदय, इसीलिये यह एन्क्वायरी यूजलैस है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री को डिफेन्ड करते हुए यह कहा है इसलिये मैं, समझता हूं कि वित्त मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है । यह इस बात का सुबूत है कि इसमें मुख्य मंत्री की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी वित्त मंत्री की है । अगर वे डेफीनिट ढंग से एक्ट करते तो निश्चित रूप से यही राय रख सकते थे । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस बात की व्यक्तिगत जानकारी थी कि प्रेस प्रतिनिधियों को छः बजे बजट की प्रतियां बांटी गईं, उनके दिमाग में जो मुख्य मंत्रीजी के कैरेक्टर के प्रति सम्मान था वे मुख्य मंत्री के इस रुख से अपनी राय में रद्दोबदल करेंगे और वे यह विश्वास करने लगेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का जनतांत्रिक परम्पराओं में कोई भरोसा नहीं है और सत्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सदन के द्वारा एन्क्वायरी होल्ड करायें और पांच आदमियों की कमेटी बनायें । और पांच आदमियों की कमेटी बने वह अपनी प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी जो प्रेस के प्रतिनिधि हैं, जो सदन की प्रिसिक्ट्स में मौजूद हैं, प्रेस गैलेरी में–ऋषि कुमार मिश्रा, इनका स्टेटमेंट रेकॉर्ड करें । अगर मुख्य मंत्रीजी यह नहीं करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री का नाम इतिहास में उन लोगों में लिखा जायगा जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में जनतंत्र और जनतंत्रीय परम्पराओं का गला घोंटा और उनका परित्याग किया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष: विधि मंत्री ।

श्री भैरोंसिंह: थोडा ....

श्री अध्यक्ष : इस पर अब बहस नहीं करें ...

श्री भैरोंसिंह: बहस नहीं कर रहा हूं । मुख्य मंत्री ने बात कही है उसकी ताईद कर रहा हूं । मैं समझता हूं ....

एक माननीय सदस्य: ताईद के भाषण अलाउड हैं ।

श्री अध्यक्ष: ताईद अलाउड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण करने के बाद पोजीशन ऐसी आ गई है कि हाउस को उसका काग्नीजेन्स लेना पडेगा । वह कैसे आई है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया उसके संबंध में–उन्होंने एन्क्वायरी की या नहीं की, जो पर्सन्स इस मामले से कन्सर्न्ड थे, उनके स्टेटमेंट लिये या

Page No. 63

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं, मैं इस पहलू पर नहीं जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने कैटेगेरिकली इस बात को स्वीकार किया है, इस सदन के अन्दर बजट का भाषण ६.३६ के ऊपर खत्म हुआ और इस बात को भी स्वीकार किया है कि वहां पर प्रेस प्रतिनिधियों को बजट की प्रतिलिपियां ६ बजे····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ६.३०।

श्री भैरोंसिंह : सॉरी ६.३० बजे दे दिया गया। इसका मतलब यह हुआ, बजट भाषण समाप्त होने से पूर्व बजट की प्रतियां प्रेस के प्रतिनिधियों को दे दी गई– यह एक एडमिटेड फैक्ट है।

एक बात माननीय वित्त मंत्री के भाषण में जो उन्होंने इस्तीफा देने की कही है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्ज मंगा लें, और मंगा कर इस बात को देख लें–उन्होंने कैटेगोरीकली इस सदन के अन्दर कहा था कि मेरे भाषण के समाप्त होने से पूर्व यदि प्रेस के प्रतिनिधियों को भाषण की प्रतिलिपियां दे दी गई हैं, तो मैं सदन में त्याग-पत्र देऊंगा। इसे और माननीय मुख्य मंत्री के कमिटमेंट को टेली करके, मैं सदन के सामने कहना चाहूंगा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य जो बात चाहते थे, माननीय वित्त मंत्रीजी जिस बात पर एसर्ट करते थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मसले की एन्क्वायरी करके माननीय वित्त मंत्री को एग्जोनरेट करने को कहा है– इन तीनों चीजों को एक साथ देखा जाय तो यह निर्णय निकलता है कि वित्त मंत्री को तुरन्त इस सदन से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री महोदय इन्कार कर दें कि उन्होंने सदन में यह बात नहीं कही। वे इन्कार नहीं कर सकते, प्रोसीडिंग्ज में लिखा हुआ है, अब किस बात की एन्क्वायरी होगी? वित्त मंत्री क्या कह कर बच निकलने की कोशिश कर सकते हैं? किस तरह मुख्य मंत्री इनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं? क्वेश्चन्स दो ही हैं–एक तो त्याग-पत्र का प्रश्न और दूसरा बजट लीकेज का प्रश्न। त्याग-पत्र का प्रश्न तो वित्त मंत्री महोदय ने हल कर दिया। दूसरा प्रश्न आता है बजट लीकेज का। इस संबंध में मैं विशेष टेक्निकेलिटी में न जाकर जो हमारे पार्लियामेंटरी कन्वेन्शन्स डेवलप हुए हैं उनके ऊपर कोई पार्लियामेन्टेरियन, लीगल नोलेज वाला आदमी यह नहीं कह सकता कि बजट भाषण समाप्त होने से पहले अगर बजट पब्लिक में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाय तो बजट लीकेज नहीं हुआ। अगर यह बजट लीकेज नहीं तो फिर बजट लीकेज का क्या मतलब? क्या बजट के पेजेज से मतलब है कि १५ वां पेज इतने बजे पढा गया, १६वां पेज इतने बज कर इतने मिनट पर पढा गया। ६ बज कर ३८ मिनट पर यहां बजट भाषण समाप्त किया और हमारे हिसाब से ६ बजे और मुख्य मंत्रीजी की जांच से ६.३० पर दिल्ली में बजट की प्रतियां प्रेस वालों को बांट दी गई। यदि बजट भाषण समाप्त होने से पहले पब्लिक में चला गया तो भी बजट लीकेज नहीं हुआ, यह कौनसा कन्वेन्शन है, कौनसा पार्लियामेंटरी कन्वेन्शन है? मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट के बाद, बजट लीकेज की बात और त्याग-पत्र की बात ये दोनों एस्टेब्लिश होती हैं। मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट से यह बात एस्टेब्लिश हुई है कि बजट भाषण समाप्त होने से पहले बजट की प्रतियां

(श्री भैरोंसिंह)

प्रेस वालों को बांटी गई और जब यह एस्टेब्लिश हो गया कि बजट की प्रतियां बजट भाषण से पहले डिस्ट्रिब्यूट कर दी गई तो वित्त मंत्रीजी ने सदन में कमिटमेंट किया है कि वे त्याग-पत्र दे देंगे, यदि बजट की प्रतियां पहले डिस्ट्रिब्यूट कर दी गई हों तो। ये दोनों बातें एस्टेब्लिश हो गई हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस्तीफा दे दें।

सदन में जो वित्त मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया उसकी लाइनें मैं सदन के समक्ष पढ कर सुनाता हूं: "उसमें अगर यह है कि बजट की प्रतियां पहले बंट गई हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।" तो अच्छा यह है कि व स्वयं वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, वे स्वयं इस्तीफा नहीं दें तो अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश इस सदन की परम्परा को निभाने के लिये हो कि वित्त मंत्री के पद से वे त्याग-पत्र दे दें। एन्क्वायरी का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो एन्क्वायरी हुई है वही त्याग-पत्र दिलाने के लिये पर्याप्त है, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं बचा सकती। इसलिये इनको त्याग-पत्र देना चाहिये और इन्हें त्यागपत्र देना पडेगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष,....

श्री **अध्यक्ष** : आपके दल के नेता बोल चुके हैं। अगर माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहें तो बहस का नोटिस दें। इस तरह अनुचित तरीके से बहस नहीं की जा सकती।..

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं एक पोइन्ट क्लीयर करना चाहता हूं।

चूंकि मैंने यह प्रश्न इस सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का; यहां सब तथ्य रखे, आपने व्यवस्था दी, उसके दौरान में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जोश में आकर इस्तीफे की बात कही, ये सारी स्थितियां पैदा हुई इस्तीफे की बात के बाद। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुख्य मंत्री जांच करें तो वह जांच अधूरी होगी जब तक कि जांच में कम्प्लेनेन्ट के बयान नहीं लिये जावें। बिना कम्प्लेनेन्ट के बयानों के वह जांच किसी भी दुनिया के कौने में, किसी भी कानून के अनुसार, किसी भी सिद्धान्त के अनुसार सही नहीं मानी जा सकती, जिसमें शिकायत करने वाले से जांच के बारे में तथ्यों की जानकारी नहीं की हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक यह जांच है यह बिल्कुल निरर्थक है, बिलकुल इन्कम्प्लीट है अधूरी है, मैलाफाइडी है और केबिनेट कलिग को बचाने के लिये है। उस दिन जो इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी एन्क्वायरी की वह क्या चीज थी? वित्त मंत्री ने कहा वह मैं पढ कर सुनाता हूं :

'जो व्यवस्था हुई है उसको मैं पहले पढ लूं और देख लूं उसमें अगर यह है कि बजट की प्रतियां पहले बंट गई हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।'

मुख्य मंत्री ने जांच के बाद जो इस संबंध में स्टेटमेंट दिया है उसमें निश्चित तौर पर, अन्डिस्प्यूटेडली, केटेगोरिकली कहा है कि ६.३६ मिनट पर भाषण समाप्त हुआ, ६.३० पर उनके अनुसार दिल्ली में बजट की प्रतियां बांटी गई। तो स्वयं उनका एडमिशन है। वित्त मंत्री ने यहां साफ कहा है कि बजट की प्रतियां यहां वितरित होने से पहले अगर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिल्ली में पत्रकारों को दे दी गई हों तो वे इस्तीफा दे देंगे, यह बिल्कुल साबित हो चुका है कि पहले वितरित हो गई। इन्क्वायरी का स्कोप केवल इतनासा था कि यहां वितरित होने से पहले वितरित हुई या नहीं। मेरा प्रिविलेज मोशन यह था कि माननीय सदस्य को बजट प्रतियां मिलने से पहले पत्रकारों को वितरित कर दी गई। मुख्य मंत्री ने जो जांच की है वह कानून कोई जांच नहीं, नैतिकता की दृष्टि से जांच नहीं। अगर इसे जांच माना भी जाय तो उसमें भी यही कहा गया है कि यहां से पहले वहां वितरित की गई हैं और सदन में उन्होंने कहा है कि अगर पहले वितरित हो गई हैं तो इस्तीफा दूंगा, तो उनको अपने कहने के अनुसार इस्तीफा दे देना चाहिये, उनको जो उन्होंने कहा है उससे नहीं मुकरना चाहिये। हाउस में कहने को कह जाते हैं, फिर अपने कहने से मुकर जायें, यह ठीक नहीं है, सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिये, यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके लिये इतनासा पर्याप्त है कि उनको आगे के लिये सदन की बैठकों के समय उनके बाहर दौरे रख दिये जायं या इसी तरह का कार्यक्रम रख दिया जाय और उनको अजमेर के लिये विदा दे दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य सदन के सामने आये, जैसे कि वित्त मंत्री महोदय ने खुद अपनी इन्क्वायरी के बाद अपने स्टेटमेंट में इस सदन में रखा था, मुख्य मंत्री ने अपनी इन्क्वायरी में उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। अध्यक्ष महोदय, इस बात को इस सदन में स्वीकार किया जा चुका है कि दिल्ली में जो पत्र-प्रतिनिधियों में बजट की प्रतियां बांटी गई, वे यहां बांटने से पहले बांट दी गई। पत्र-प्रतिनिधियों को चाय पार्टी दी गई उसमें भी लगभग आधा घंटा लगा होगा। तो इस समय जो तथ्य सदन के सामने रखे गये हैं, मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि साढे छः बजे पत्र-प्रतिनिधियों को बजट स्पीच दी गई, अगर उस तथ्य को भी इसके साथ जोडा जाय तो साफ जाहिर है कि पत्र-प्रतिनिधि ६ बजे दिल्ली में इकट्ठे किये गये, ६ बजे उनके सामने बजट की प्रतिलिपियां रख दी गईं, इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सतीशचन्द्रजी की ओर से आरोप लगाया गया है और मुख्य मंत्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उसको, वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है उसको, इन तीनों बातों को एक साथ जोड कर देखें तो यह साबित हो जाता है कि पत्र-प्रतिनिधियों को दिल्ली में ६ बजे अवश्य इकट्ठा किया गया।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि पत्र-प्रतिनिधियों के इकट्ठा होते ही पहले चाय पार्टी दी गई या पहले बजट की कॉपियां दी गई। यह तथ्य सदन के सामने आना चाहिये था। ६ बजे पत्र-प्रतिनिधि इकट्ठे हुए तो पहले चाय पार्टी दी गई या पहले बजट की कॉपियां वितरित की गईं, कन्ट्रोवर्सी थोडे से पीरीयड के बारे में है तो यह तथ्य सदन के सामने आना चाहिये था, आधा घंटा चाय पार्टी में भी लगा होगा। तो बहुत लाइट एन्क्वायरी हो जाती है। जो लोग वहां मौजूद थे उनसे इस बात को पूछा जाता, इन तथ्यों के बारे में पूछा जाता कि आते ही कॉपियां दे दी गई या बाद में दी गई।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इस एन्क्वायरी में केवल फाइनेन्स डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी के बयान लिये गये हैं ।

मैं समझता हूं कि यह एन्क्वायरी बिल्कुल अधूरी है । इसलिये यह संभावना और यह शक अभी भी रह जाता है । उस एक स्टेटमेंट से यह बात साफ नहीं हो जाती कि पत्र-प्रतिनिधियों की मीटिंग के बाद ६।। बजे बजट की कापियां वितरित हुई, बल्कि इससे यह जिज्ञासा होती है उनको कि एक नयी चीज मिली है, बजट जैसी चीज मिली है, उनकी कॉपीज वहां मौजूद थी, इसलिये यह संभावना ज्यादा मालूम होती है कि उस चीज का वितरण किया हो । मैं समझता हूं, अगर मुख्य मंत्री महो॰ार कैटेगेरीकली इस बात पर एन्क्वायरी करने के बाद यह फाइन्डिग देते कि पत्र-प्रतिनिधियों को पहले इकट्ठा किया गया, उनके अन्दर पहले उन कॉपीज को नहीं बांटा गया और चाय पार्टी होने के बाद, जो कि ६।। बजे खत्म हुई, उनको दे दी गई तो सदाकत माना जा सकता था । तो, अध्यक्ष महोदय, यह एन्क्वायरी अधूरी है । और इस सदन की एक कमेटी के द्वारा फिर एन्क्वायरी की जानी चाहिये ताकि पूरे तथ्य सामने आ सकें । लेकिन जितनी परिस्थितियां आयी हैं, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ७ मिनट पहले, माननीय वित्त मंत्री का भाषण ६.३७ पर ज्यादा से ज्यादा खत्म हुआ, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह माना है कि कॉपीज पत्र-प्रतिनिधियों को ६.३० बजे वितरित कर दी गई, सात मिनट पहले उनको बांट दी गई । वित्त मंत्री ने कैटेगेरीकली कहा है कि बजट भाषण के पहले बांटी गयी हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा । इसलिये यह उनके मोरल का प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष : बोलने का क्रम शुरू हो गया ह तो बोलने दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने, सदन के समक्ष इस सम्बन्ध में चर्चा हुई, उसको ध्यानपूर्वक सुना। माननीय मुख्य मंत्रीजी का बयान भी मैंने ध्यान से सुना। सदन में तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। एक मि. टॉमस और एक डॉल्टन । ये तो युनाइटेड किंग्डम के थे; चान्सलर ऑफ एक्सचेकर दूसरे मंत्री ने जो स्तीफा दिया वे अपनी भारत सरकार के लालबहादुर शास्त्री थे उन्होंने दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह तो एक कॉन्शियस और आत्मा का प्रश्न है। अगर वित्त मंत्री का काश्यंयस यह कहता है कि उनके द्वारा भूल हुई और सख्त भूल हुई तो उसका निर्णय तो केवल मात्र वे ही कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों की भावना के साथ सहानुभूति रखता हूं, लेकिन हम चाहे जो कुछ भी कहें, अगर यह सरकार अमुक चीज नहीं करना चाहती, अगर माननीय वित्त मंत्री इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो We cannot make an unwilling horse drink water. वे इसके लिए आमादा या तैयार नहीं हैं तो हम कहने के नाते कुछ कहें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं तो सरकार को और माननीय वित्त मंत्री को यहां कहूंगा कि यह

Page No. 67

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कॉन्शंस का प्रश्न है और आपकी कॉन्श्यंस के अनुसार आप निर्णय लें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह बिलकुल ठीक बात है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न इस सदन में आया, कल मैं हाजिर नहीं था और जब कल हमारे दल के सदस्य विचार कर रहे थे तो हम कोई राय नहीं बना पाये थे लेकिन अभी मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया और माननीय सदस्य श्री मनीराम[illegible] ने प्रोसिडिंग पढ़ी तो उससे मेरे सामने एक बात साफ हो गयी। कौल साहब ने, कैसी परिस्थिति रही हो, जो वादा किया है उन्हें उसको निभाना चाहिए। वैसे मैं शुरू में ही यह मान चल रहा था कि बजट लीकेज तब मानना चाहिये जब मेटीरियल इकट्ठा हो। सुराणाजी को भी मैंने यही राय दी थी। बजट लीकेज के सम्बन्ध में मेटीरियल देने की बात है। वह प्रश्न दूर हट गया। यहां यह प्रश्न आ गया है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि बजट की प्रतियां बजट भाषण से पूर्व बांट दी गई, तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। एक बात है। शासन में आने पर उससे मोह हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ जो मोह है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन कर्तव्य और मोहब्बत में कर्तव्य को चुनना पड़ता है। पद के साथ जो मोहब्बत हो जाती है, उसके साथ कर्तव्य को चुनना पड़ता है। पद के साथ एक मोहब्बत हो जाती है, उसको अपने आप नहीं छोड़ा जाता। दुनिया में कई उदाहरण हैं कि लोगों ने सुख सुविधाओं और प्रतिष्ठा को छोड़ कर कर्तव्य के लिए फकीरी ले ली है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री महोदय निश्चत रूप से अपनी वाणी को कीमत दें। उन्हीं लोगों की विशेष तोर से संसार में कीमत और प्रतिष्ठा रही है जिन्होंने अपनी वाणी की कीमत आंकी है, जो अपनी वाणी की कीमत को निभाना जानते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जैसे तथ्य सामने आये हैं, ६.३० पर पत्र प्रतिनिधियों को कोपीज दिया जाना और ६.३६ बजे शाम को बजट का भाषण यहां समाप्त होना। जो बात मुख्य मंत्रीजी द्वारा यहां कही गई है उसको भी इस रूप में माना जाय तो ६.७ [illegible] की प्रतियां मिनट पहले ही उनको बजट [illegible] बांट दी गयीं थीं। इससे स्पष्ट है कि बजट का लीकेज हुआ है। पहला मुद्दा यह है कि इस दृष्टि से भी वित्त मंत्री इस्तीफा दें। स्वयं अपने भाषण में वे कह चुके हैं।

दूसरा सवाल मुख्य मंत्रीजी से सम्बन्धित है। मुझे अफसोस है। मैंने दिल्ली के अखबारों में उस समय यह पढा था कि मुख्य मंत्री ने में यह कहा कि मैं इन्क्वायरी करूंगा और इसकी जानकारी करूंगा। उन्होंने क्या जानकारी की? यही जानकारी की कि वे अपने साथी को बचाना चाहते हैं। क्यों नहीं उनको बचाना चाहेंगे? वे उनके साथी हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि वे अपने साथी को बचाना चाहते हैं। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मुझे इसके लिए कोई रंज नहीं है, गम नहीं है सुखाड़िया साहब कौल साहब को बचाना चाहें, लेकिन यहां सुखाड़िया साहब या कौल साहब का सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि मुख्य मंत्रीजी पर सारे राज्य की जिम्मेदारी है। विवाह शादी के मामले में आप उनको

(श्री रामकिशन)

मदद कर सकते हैं, उनके दुःख-दर्द में आम उनकी मदद करें, इसके लिये हमें कोई एतराज नहीं है? इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी से इस्तीफे की मांग करता हूं और मुख्य मंत्रीजी पर चार्ज लगाता हूं कि उन्होंने जान बूझकर सदन में गलत बयानी की, उन्होंने पूरी जानकारी नहीं की, जो इससे सम्बन्धित थे उनको सुना नहीं केवल भाषण के लिए दो-चार लाइनें निकाल कर ले आये। यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी घातक है, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

हमारे विरोधी दल के [illegible] कह रहे थे कि यह तो आत्मा का प्रश्न है। लेकिन जब आप इधर बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि तकलीफें कैसे हैं, आप फिर रोयेंगे, चिल्लायेंगे, हम भी उस वक्त कहेंगे कि आपकी हालत क्या थी, उस वक्त आप नहीं सुनते थे। हम यह मानते हैं कि हमारी हालत खराब है अभी हमारी हालत में सुधार होने में अभी दस पांच वर्ष लगेंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बचायें, आपकी हालत खराब हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गलत बयानी की, सदन को आश्वासन देकर पूरा नहीं किया, आश्वासन पूरा करने का बहाना किया और तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि जांच करने को कहा, वह अधूरी जांच की। इसलिए मैं मेरे दल की ओर से निश्चित रूप से मांग करता हूं कि वित्त मंत्रीजी को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दल में युवकों की कमी नहीं है। वैसे ही चाहते हैं। यदि वे परम्परा नहीं निभाते हैं, वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री यदि परम्परा तोड़ें तो इस पार्टी का नाम परम्परा तोड़कर, वायदे खिलाफी पार्टी हो जायगा, जिसका मुझे दुःख है।

हम इस पार्टी में पहले कलपुर्जे भी रहे हैं। यदि वित्त मंत्रीजी खड़े होने का साहस कर रहे हैं तो ताली बजाना ठीक रहेगा, वर्ना समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और यह लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा के लिए भी बड़ी घातक चीज होगी।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटमेन्ट के बाद यह कहा [illegible] गया कि मुझे जो जानकारी करनी चाहिये थी वह नहीं की गई, स्टेटमेन्ट्स लेने चाहिये थे प्रेस कोरेस्पोन्डेन्ट्स के और दूसरों के मैं समझता हूं, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रेस कोरेस्पोन्डेन्टस को मैं ओथ पर स्टेटमेन्ट लेने के लिये प्रेस नहीं कर सकता...

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): ऐसी व्यवस्था कर सकते थे।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**: मैं उनको ओथ पर स्टेटमेन्ट देने के लिए प्रेस नहीं कर सकता। डिप्टी डाइरेक्टर के लिये कहा गया कि उनसे इस बारे में जानकारी करूं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनसे भी ओथ पर स्टेटमेन्ट दिलवाया गया होता और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि उनसे जानकारी नहीं की गई। उनसे जानकारी की गई, मैं इस भ्रम को दूर करने के लिये कि इस प्रकार की जानकारी करने का प्रयत्न नहीं किया गया इस संबन्ध में बता देना चाहता हूं, उन्होंने यह जानकारी दी है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

"I wish to submit that press correspondents were requested to assemble in the Rajasthan House by the Director of Public Relations at 6.00 P.M. on 6-3-64. The Director and myself were away at a function and reached the Rajasthan House just a minute or two before 6.00 P.M. on that day. Tea and refreshments were served to the press correspondents. This took some time. After this the sealed budget envelopes and documents were brought to the hall where the press correspondents had assembled. The bundles were opened and papers sorted out and everything was in tact. After this they were handed over to the correspondents who were present. They left Rajasthan House just after 6.30 P.M. or so".

मैंने जो कुछ भी जानकारी ग्रोथ एडमिनिस्टर करवाये बिना प्राप्त की है उसी जानकारी के आधार पर सदन को सूचना दी है।

जिन प्रेस के कोरेस्पोन्डेन्ट्स के बारे में जिक्र किया गया उनसे मैंने बातचीत की है। उन्होंने यह कहा कि हमारे कोड के मुताबिक हम इस बारे में वाद-विवाद में और स्टेटमेंट देने में नहीं पडते, स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। इसके अलावा एन्क्वायरी के बारे में और क्या कर सकते थे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अभी वह पोइन्ट छोड दीजिये। वित्त मंत्री महोदय ने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के अनुसार मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बजट की प्रतियां भाषण समाप्त होने से पहले वितरित होगई थीं, ऐसी हालत में जो कमिटमेंट उन्होंने किया है उसे वे पूरा करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अब स्पष्टीकरण हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बजट का वितरण पहले हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आगे जो सवाल लिया जाने वाला है वह बडा अहम सवाल है, खाद्यान्न के सवाल पर विचार करना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जहां तक इस समस्या का सवाल है मुख्य मंत्री का वक्तव्य इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा है। जो नई बात सदन के सामने आयी थी वित्त मंत्री के कहने के बाद कि टैक्स प्रोपोजल बजट स्पीच के समाप्त होने पहले अगर आउट हो गये, यह मान लिया जायगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इसको पढ कर भी सुनाया है। इस संबंध में जो बात कही गई है वह स्पष्ट है कि वे इस्तीफा दे देंगे। यह इस प्रकार की बात नहीं है कि जो दस-पांच मिनट में डिस्पोज ऑफ हो जाय। खुद ने स्वीकार किया था कि यदि इस प्रकार की स्थिति हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इस संबंध में पहले वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य सदन में आ जाय, जो बहस इतनी देर हुई है उसका असर उन पर क्या हुआ है, तो उससे इसका हल निकल आयगा। विरोधी दल के नेता ने जो बात कही कि यह तो कॉन्श्यंस का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा बहस न करें । दो लाइन में ही कह सकते थे ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस यह है कि जिन साहबान ने मेरे मुंह में चीज रखनी चाही, तोड मरोड कर रखनी चाही....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Very cowardly..

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास इस समय प्रोसीडिंग है....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : पसीना पोंछ लें....

श्री बालकृष्ण कौल : आपका पोंछ देता हूं ।

एक माननीय सदस्य : घबराइये नहीं, अभी तो पसीना आना ही शुरू हुआ है ।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, these are the words, "अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो व्यवस्था दी है उसको मैं देख लूं, और वहां कहीं उस व्यवस्था में कहीं लीकेज हुआ है तो....

(इन्टरप्शन्स)

जो व्यवस्था हुई है उसको पहले मैं पढ लूं और देख लूं, उसमें अगर यह है बजट की प्रतियां पहले बंट गई और लीकेज हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा "

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह था उस वक्त भी और अब भी कहीं आपकी व्यवस्था में यह होता लीकेज, हुआ है तो मैं इस्तीफा दे देता....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कॉपियां तो बंट गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने जो व्यवस्था दी है उसमें कहीं भी लीकेज नहीं माना है; ऐसी अवस्था में मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वादा दिया है तो निभाना पडेगा, कौल साहब को इस्तीफा देना पडेगा ।

श्री अध्यक्ष : जब कि सदन में परम्पराओं की चर्चा चल रही है वैसी हालत में अगर माननीय सदस्य परम्पराओं की चर्चा में किस तरह का व्यवहार करें उसका पहले ध्यान रखा जाना चाहिये । जो कुछ भी इस बारे में जानकारी की गई वह स्पष्ट रूप से सदन के सामने आ चुकी है, उससे सदस्यों को सन्तोष हुआ है या नहीं; इस बहस में न जाकर जो वक्तव्य वित्त मंत्री महोदय ने और मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है उस पर अब बहस करने की आवश्यकता नहीं है । अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो हमारे रूल्स के अन्दर प्रावधान है उसके अनुसार वे प्रस्ताव ला सकते हैं, मोशन दे सकते हैं उस पर नियमों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बहस को यहीं समाप्त कर दिया जाय । अब आगे जो कार्यवाही है वह ली जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से निवेदन कभी खत्म नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of Privilege, sir, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १५८ के अन्तर्गत मैं प्रिविलेज मोशन सदन में मूव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रिविलेज मोशन का संबंध इसी प्रसंग से है जिसके संबंध में अभी तक चर्चा हुई है । इस सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): I rise on a point of order, Sir. This point of privilege cannot be raised here. There is a particular procedure prescribed in our rules under which it should be raised and the hon'ble Speaker cannot allow the point of privilege here. There are precedents that it cannot be raised off-hand at any time. When there is a provision, it should come thorugh that provision.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उप-गृह मंत्री प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से परिचित नहीं हैं । अगर परिचित होते तो अध्यक्ष महोदय के सामने जब मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, इसका अर्थ यह होता है कि अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दे दी थी ।

अध्यक्ष महोदय जो कुछ भी कर रहे हैं वह नियमों के अन्तर्गत कर रहे हैं और उन्हें आपसे गाइडेन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : विशेषधिकार का प्रश्न सदन में किसी समय भी उठाया जा सकता है।

(हियर, हियर)

श्री भैरोंसिंह : मैं यह ही तो कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उसके बहाने से लम्बा भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पहले यह बता दूं, माननीय उप-गृह मंत्री जी को कि सदन में आइन्दा नियमावली को बिना पढ़े पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज न करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह व्यवस्था नहीं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था उसका अर्थ यह है कि सदन में सरकारी पक्ष की ओर से या सदन के किसी भी माननीय सदस्य की ओर से सदन में जो बात कही जाये, घोषणा की जाये, सरकार के किसी एक्शन के संबन्ध में जानकारी दी जाय या किसी भी समय किसी बात का उल्लेख किया जाये तो उस मेम्बर के प्रति सदन का सम्मान करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ उसने मुंह से कहा है वह सदन के सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए उस बात को पूरा करें। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सदन में किसी माननीय सदस्य ने क्या बात कही और वह किस हद तक उसको पूरी नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

जी ने सदन में जो बात कही उसको, मैं फिर दोहराऊंगा, जो उन्होंने कही :

"श्री बालकृष्ण कौल : आप सुन तो लीजिए जो व्यवस्था हुई है उसको मैं पहले पढ़ लूं और देख लूं उसमें अगर यह है कि बजट की प्रतियां पहले बंट गयीं और लीकेज हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।"

यहां पर दोनों प्रश्न एक दूसरे के ऊपर डिपेन्डेड नही है कि बजट की प्रतियां बंट गयी और लीकेज हुआ। क्वेश्चन सदन के सामने दो हैं। एक तो बजट की प्रतियां बट गयीं और दूसरा लीकेज हुआ। उन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद एस्टेब्लिश हो गया कि बजट की प्रतियां तो पहले बंट गयीं। अब लीकेज होने का जहां प्रश्न आता है यह कभी निर्णय नहीं हुआ कि लीकेज नहीं हुआ। बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हुई है उसकी लाइट में यदि इस बात को आप स्वीकार करें तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट बताया है कि सदन में भाषण समाप्त होने से पूर्व यदि बजट की प्रतियां बंट जाती है तो बजट लीकेज होने की सम्भावना रहती है। तो इन्क्वायरी हमने इस बात की जरूर की है कि भाषण समाप्त होने से पूर्व बजट की प्रतियां बंटी या नहीं और उसके संबंध में निर्णय इस प्रकार का है कि बजट की प्रतियां पहले बंटी है, लेकिन उस सम्भावना के बारे में कोई जांच नहीं की कि लीकेज हुआ है या नहीं। यह लीकेज है या नहीं, इस बात पर सदन ने विचार नहीं किया। सदन के सामने केटेगोरीकली जो बात आई है वह यह है कि बजट की प्रतियां उनके भाषण के पूर्व बंट गयीं। अध्यक्ष महोदय की रूलिंग के अनुसार बिना जांच किये हुए यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि उसमें लीकेज होने की सम्भावना है और ऐसी स्थिति के अन्दर हम इस प्रश्न को यदि यह लेकर चलें कि यह कन्डीशन प्रिसीडेन्स है तो कन्डीशन प्रीसीडेन्स नहीं है बल्कि इसके दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक इश्यू तो साबित हो चुका है कि बजट की प्रतियां भाषण समाप्त होने के पूर्व बंट गयीं, लेकिन दूसरे इश्यू को वे स्वीकार ही नहीं करते है कि बजट का लीकेज हुआ या नहीं।

दुनिया के किसी भी पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर में यह चीज नहीं मिल सकती। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी या सदन का कोई भी माननीय सदस्य एक भी उदाहरण आज तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की हिस्ट्री से लेकर हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में एक भी उदाहरण ऐसा पेश कर दें कि जिसके अन्दर बजट के रोज या बजट स्पीच समाप्त होने से पूर्व बजट की प्रतियां बांट दी जायें। यह जायज हो तो एक उदाहरण भी पेश कर दें आप; तो मैं विरोधी दल की ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि हम उस प्रश्न के ऊपर किसी प्रकार से प्रेस नहीं करेंगे; लेकिन जहां इस प्रकार की कोई चीज नहीं है और आज तक के जो कन्वेंशन्स हैं और अपने यहां की विधान सभा में भी कभी यह बात पैदा नहीं हुई कि बजट के भाषण पढ़े जायें और दिल्ली में उसकी प्रतियां बंट जायें। यह परम्परा अभी वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने एस्टेब्लिश की है और उसको डेवलप कर रहे हैं। उस परम्परा के अनुसार यह वाजिब है कि बजट की प्रतियां बजट भाषण से पहले नहीं बंट

(श्री भैरोंसिंह)

जानी चाहिए और यह माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो कहा है कि प्रतियां नहीं बंटी हैं, यदि इसके अन्दर कोई महत्व की बात नहीं होती कि बजट की प्रतियां बंट जायें तो वित्त मंत्रीजी नहीं कहते कि बजट की प्रतियां बंट गयी हैं। यह मामला अपने आप में इतना सिगनीफिकेन्ट है कि उसको उन्होंने खुद ने रियलाइज किया है और रियलाइज करने के बाद ये दो शर्तें उन्होंने ले लीं कि बजट की प्रतियां यदि पहले बंट गयीं तो उसका टेक्नीकली सेन्स यह होता है कि बजट का लीकेज हुआ है और उसके कन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिव रूप से दृष्टि में लायेंगे तो उसका निश्चित परिणाम यह आयेगा कि बजट की प्रतियां यदि भाषण के समाप्त होने से पहले बंटती हैं तो वह लीकेज है। वे आज त्याग-पत्र न दें, लेकिन उनके त्याग-पत्र नहीं देने की कार्यवाही इस सदन का अपमान है और सदन का जहां अपमान होता है वहां विशेषाधिकार का प्रश्न होता है; उसी को मैंने सदन के सामने उपस्थित किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, one aspect of the case is disposed of, कि बजट की प्रतियां पहले बंटी। क्वेश्चन यह है कि भैरोंसिंहजी का सेकिण्ड पोइन्ट मानें तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी के सारे वक्तव्य और सारी जानकारी से यह चीज साबित नहीं होती कि बजट का लीकेज नहीं हुआ है। यह तो तथ्य है कि कॉपीज का पहले डिस्ट्रिब्यूशन हो गया। हमारी मान्यता है कि यदि कॉपीज का पहले डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है तो यह अपने आप में लीकेज है। या तो इस प्रश्न पर इस संबंध में आप चाहें तो एडवोकेट जनरल को बुला लें या लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर करें। यह सारा टेक्नीकल मैटर है। बजट के लीकेज के संबंध में मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी राय दे दी। इसलिये मैं समझता हूं कि दोनों कन्डीशन्स फुलफिल हो जाती हैं और इस दृष्टि से आगे इस संबंध में वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उचित समझें तो यह हो सकता है कि इस मैटर को अभी पेंडिंग रखा जाये और फिर कभी, कल या परसों या इसके बाद जब भी सदन मिले तो एडवोकेट जनरल को बुलाकर इस संबंध में बहस की जाय कि क्या ये बजट की प्रतियां पहले बंट जाना बजट का लीकेज है या नहीं। प्रायर डिस्ट्रिब्यूशन बजट का लीकेज नहीं है तो क्या है? बजट की प्रतियां निश्चित रूप से पहले बंट गयीं और अध्यक्ष महोदय, आपसे भी हम व्यवस्था चाहेंगे कि क्या बजट की प्रतियों का बंट जाना बजट भाषण समाप्त होने से पहले बजट लीकेज नहीं है? अध्यक्ष महोदय, अगर इस संबंध में आप व्यवस्था दें और टेक्नीकल वे में करें तो इस प्रश्न को पेन्डिंग रखा जाये, केरीओवर किया जाये और फिर इस संबंध में जब कभी सदन की बैठक हो तो उस पर विचार किया जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा।

जिस दिन यह बहस हुई उस दिन यह निवेदन किया था कि आप स्वयं इसकी जांच

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करें और उस पर आपने फैसला दिया था कि नियमों के तहत तो इस प्रकार की कोई जांच नहीं की जा सकती और आपने सिर्फ संकेत दिया था कि अगर बजट की प्रतियां पहले बंट गयीं तो इसकी सम्भावना है कि बजट लीकेज होता ह । वह सिर्फ इतना ही नहीं कि जो कोटेशन्स पढ़े और अभी सदन के माननीय सदस्य ने सदन की कार्यवाही में से कोटेशन्स पढ कर सुनाये; उसके अलावा वित्त मंत्री जी का एक और कोटेशन है प्रोसीडिंग्स में और वह यह है कि, "इसलिए मैंने कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से जाहिर हो कि बजट लीकेज हुआ है तो आपकी व्यवस्था को मानते हुए मेरा फर्ज है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिये"। यह भी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्क्वायरी आपने नहीं की। आपने जो संकेत दिया, उसके बाद इन्क्वायरी मुख्य मंत्रीजी ने की और उस इन्क्वायरी में जो कि इन्क्वायरी इनकम्प्लीट है, फिर भी उससे यह नतीजा निकला कि ६ बजकर ३० मिनट पर बजट की प्रतियां बंट गयीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें डिस्प्यूट क्या है? यह भाषण ६.४० पर या ६.३७ पर समाप्त हुआ और माननीय मुख्य मंत्रीजी के अनुसार बजट की स्पीच ६.३० पर दिल्ली में बंट गयीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें डिस्प्यूट क्या है? आपके द्वारा जो व्यवस्था की गयी, आपने दिल्ली में बजट की प्रतियां पहले बांट दीं; अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बजट लीकेज है या नहीं? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मसले पर राय का प्रश्न नहीं है। सब तरह से जो अण्डरस्टेंडिंग वित्त मंत्री जी की थी कि प्रतियां पहले बंट गयीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लीकेज हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह बात सही है; उस रोज तो लीकेज की संभावना थी। अब चूंकि बजट की प्रतियां पहले बंट गयीं इसलिये मुख्य मंत्री जी का फर्ज है कि जो आश्वासन वित्त मंत्री जी ने दिया है उसको निभाने के लिए तैयार नहीं हों तो उनको चाहिए कि वे उनका इस्तीफा ले लें और यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस सदन में जो मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिये गये हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और जनतंत्र का तो उससे गला ही घुटेगा। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री **शीशराम** ओला (खेतडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहस चल रही है इसमें केवल ३-४ मिनट का फर्क है। हाउस की घडी से आप अपनी घडी मिलाकर देखें तो उसमें भी ४-५ मिनट का फर्क मिलेगा; तो यह फर्क तो सब जगह मिलेगा, इसलिये ३-४ मिनट का फर्क कोई फर्क नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : फौजी घडी में फर्क हो तो वह फौजी अफसर क्या कर सकेगा?

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो प्रश्न चल रहे हैं; एक तो बजट की प्रतियों का वितरित होना और दूसरे लीकेज होना। इस संबंध में मेरी जो राय है वह यह है कि जैसे ही बजट की प्रतियां बंट गई या किसी भी व्यक्ति को दी

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

जाती है और जैसे ही दी जाती हैं, जैसे ही वे बांटते हैं, देते हैं तो वह बजट लीक हो जाता है। मैं इस सम्बन्ध में इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि इसका मतलब यह नहीं लिया जाना चाहिये कि किसी आदमी को हमने बजट की कॉपी वितरित कर दी और उसको ६ महीने तक नहीं पढे या दो घन्टे या चार घन्टे तक नहीं पढे तब तक बजट का लीकेज नहीं हुआ। प्रश्न केवल यह है कि अगर इसको कानूनी नुक्ते-नजर से देखा जायगा तो जिस क्षण कॉपियां हैण्डओवर कर दी गई उसी क्षण बजट का लीकेज हो गया, आपने आउट कर दिया। इसलिये यह संभावना उठाना कि बजट इतने मिनट पर, इतने सैकण्ड पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद में उन्होंने पढा होगा तो उसमें घन्टा लगेगा, मिनिट लगे होंगे, सैकण्ड लगे होंगे, यह सवाल नहीं है। The leakage was tantamount to negligence of such a nature. निश्चित् इस सम्बन्ध में जो मेरी राय है वह यह है कि जैसे ही बजट की कॉपियां दे दी गई, लीकेज उसी क्षण हो गया। पढना और काम शुरू होना बिल्कुल इम्मेटीरियल है। इसका मतलब यह लिया जाना चाहिये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिहनगर): अध्यक्ष महोदय ....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय विधि मंत्री।

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बोलने के बाद में इस प्रश्न पर ट्रेजरी बैंचेज से कोई बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, मगर चूंकि माननीय सदस्यों ने खास तौर से माननीय वित्त मंत्री जी के स्टेटमेन्ट पर जो कि उन्होंने सदन में दिया और उसमें उन्होंने दो बातें कहीं जो कि अभी सदन के सामने माननीय सदस्यों ने पढ़कर और माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाई।

एक बात तो, अध्यक्ष महोदय, बजट की कॉपीज के डिस्ट्रीब्यूशन की है और दूसरी लीकेज की। ये दोनों बातें हैं। बजट की कॉपीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस कॉरेस्पोन्डेन्ट्स को हो जाना is itself leakage नहीं समझा जा सकता और उसके लिये मैं आपके सामने जब निवेदन कर रहा हूं तो मैं माननीय सदस्यों को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अपने देश के अन्दर इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। १९५४ और १९५६ में दो घटनाएं लोक सभा के अन्दर बजट के लीकेज के सिलसिले के अन्दर जो सवाल उठाया गया था उसको माननीय सदस्य बहुत से जानते हैं। दो सवाल हाउस ऑफ कॉमन्स में पैदा हुए। उनका जिक्र माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बयान में किया और जो कि यहां पर लागू नहीं होता। थॉमस के केस में और डाल्टन के केस में जो लफ्ज निकाले वे लीकेज वित्त मंत्री ने खुद ने डाइरेक्टली अपने मुंह से कहे, चाहे उनका इन्टेन्शन कुछ भी हो। एक केस में थॉमस ने खुद ने केबीनेट का मेम्बर होने की वजह से जो इल्म था उसको उसने अपने किसी साथी को बताया जिससे उसने अनड्यू एडवान्टेज उठाया। इससलिए उस केस के अन्दर लीकेज टॅन्टे-माउन्ट टू नेग्लीजेन्स और जिसके अन्दर क्रिमिनल लाएबिलिटी भी पैदा होती है।

Page No. 76

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिये थॉमस की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है ।

दूसरा डाल्टन का केस है । डाल्टन ने हाउस के अन्दर जाते हुए एक माननीय सदस्य को जो सिगार पी रहे थे कहा "This habit is going to cost you more in future"; यह उसने कहा था । इसलिये उस वक्त, चाहे दूसरा केस डिफरेन्ट है, मेलाफाइड इन्टेन्शन न होते हुए भी क्योंकि वह बात कही थी और स्टेटमेन्ट दे दिया मेम्बर ने उसकी वजह से लीकेज माना गया ।

लोकसभा में दो घटनाएं हुई हैं । वे ऐसी हैं कि जो हमको गाइडेन्स दे सकती हैं । लोक सभा में एक बार जब बजट की प्रेस से चोरी हो गई थी तो प्रेस से चोरी हो जाय, और बम्बई में एक दिन पहले छप जाय, इसके लिए फाइनेन्स मिनिस्टर को रेस्पोन्सिबल नहीं माना गया । बम्बई में छपा और दिल्ली में छप गया मान लो थोडी देर के लिए तो भी फाइनेन्स मिनिस्टर को रेस्पोन्सिबल नहीं समझा जा सकता ।

दूसरा वह केस है जिसके अन्दर लोक सभा में पहले यह कन्वेन्शन था कि प्रेस कॉरेस्पोन्डेन्ट्स को प्रेस ब्यूरो एक कमरे में इकट्ठा कर लेता था और इकट्ठा करके वहां पर बजट के दो हिस्से होते थे; पहले लोकसभा में बजट का एक हिस्सा होता था, उसके बाद दो हिस्से कर दिये और; 'ए' और 'बी' ए में तो जनरल बजट होता है और बी में टैक्सेशन प्रोपोजल्स होते हैं । तो प्रेस ब्यूरो प्रेस कॉरेस्पोन्डेन्ट्स को इकट्ठा करके ए पार्ट पहले दे देता था और देने के बाद सब लोग ए पार्ट को लेकर एग्जामिन करते थे और फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच लोक सभा में चलती रहती थी और पार्ट बी जब शुरू होता था तो पार्ट बी उनको दे दिया जाता था । हाउस के बाहर उनको, स्पीच खत्म होने के बाद एलाउ किया जाता है । एक दफा प्रेस ब्यूरो की गलती से पार्ट ए की जगह पार्ट बी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और १२ कोरेस्पोन्डेन्ट्स फाइनेन्स मिनिस्टर को सुनने के लिये प्रेस गैलेरी में चले गये । फिर मालूम पड़ा कि गलती हो गई तो उसके बाद दौड कर कॉपियां इकट्ठी की गई and thanks to the co-operation of the press वे कॉपियां वापिस मिलीं और पार्ट ए. उनको दिया गया । उसमें किसी ने उसको पढ़ा हो, लेकिन प्रेस ने वापिस कॉपियां दे दीं । उसको लीकेज नहीं समझा गया । दूसरी मिसाल यह मिलती है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक डिसीजन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो आपने उनको और फंसा दिया, आपकी तरफ से यह कहकर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप उनकी वकालत कर रहे हैं या फंसा रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं प्रिवी कौंसिल की एक रूलिंग दूंगा, जो मैंने कहे उसके सम्बन्ध में ।

श्री मथुरादास माथुर : दो-चार मिसालें सारी हैं । न तो लोक सभा में कोई एग्जाम्पल

(श्री मथुरादास माथुर)

मिलती है और न हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट लीकेज की मिसालें मिलती हैं, और न कोई रूलिंग या प्रिसीडेन्स मिलता है। ऐसी सूरत में अब सदन के सामने जो प्रश्न है आज के दिन उसमें यह वास्तव में बजट प्रोपोजल्स टैक्सेशन के, जिसके लीकेज मायने रखता है वह उसी कोर ऑफ दी बजट है जिसके लीकेज से लोगों का, आम जनता के किसी आदमी का फायदा या नुकसान हो सकता है वह यहां सदन के सामने रखने के पहले प्रेस वालों को दे दिया तो भी लीकेज नहीं मानता जब तक कि प्रेस वाले रिलीज न कर दें और हमारे प्रेस वाले डेमोक्रेटिक इन्स्ट्रूमेन्ट के अन्दर बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, they are an important limb.

हमारे यहां यह परम्परा नहीं है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जब कि दूसरी स्टेट के अन्दर यह परम्परा है कि उनको ६–७ घन्टे पहले दे देते हैं, अखबार वालों को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण दे देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अलग बात है।

श्री मथुरादास माथुर : यह गुजरात के अन्दर है, यह महाराष्ट्र के अन्दर है, they only write "Not to be released till such and such time." प्रेस वालों पर इतना कॉन्फीडेन्स किया जाता है जितना कि माननीय सदस्यों को देने में कान्फीडेन्स करते हैं। यह हमारा प्रिंसिपल है। डेमोक्रेटिक सेट अप में प्रेस बहुत बड़ा वैपन है and thanks to the Indian press, they have not betrayed the confidence of the Government of the day and the legislature of the day.

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता कि लीकेज में और डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर आपको फर्क डालना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिये अगर वहां लोगों को चाय पिलाने के बाद में ६-३१ के ऊपर ६-२६, ६-२९, ६-३२ या ६–३३ के ऊपर यह सब बातें एक २ सैकिन्ड घड़ी से हिसाब लगाकर कहना कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और उसके बाद में प्रेस के लोगों को भी पढ़ने में भी समय लगता है, ५ मिनट या १५ मिनट। हम सुनते हैं तो उसको अन्डरस्टैन्ड करने में समय लगता है। प्रेस में जाकर वह ६-५० पर रिलीज हुआ है। दुनिया में सबसे पहले ६-५० पर लीकेज होता है और सदन में स्पीच ६-३५ पर खत्म हो गई तो किसी मायने में लीकेज नहीं समझा जा सकता है। फाइनेन्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। दिल्ली में प्रेसको रेस्पोन्डेन्टस को कोई आदमी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो इसके मायने यह हुए कि जब कि यह रिलीज हो गया, जिम्मेदारी समझी जाती है, यह परम्परा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है। अब सवाल इसमें है महत्वपूर्ण . .

एक माननीय सदस्य : लालबहादुर शास्त्री . .

श्री मथुरादास माथुर : Leakage is one thing and distribution of budget papers is another. And then distribution of papers to the press people and the public is different. Press is a privileged class under democratic set-up.

इसलिये प्रेस को पेपर्स ५ मिनट पहले दे देना या १ मिनट पहले दे देना, मैं किसी

Page No. 78

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह का लीकेज नहीं समझता हूं। इसे लीकेज कहीं नहीं माना गया है। यदि इसको लीकेज माना जाता तो १६५५ में लोक सभा में उस समय के फाइनेन्स मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता। हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि कॉपीज का वितरण हीं लीकेज हुआ है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उनकी तीन तीन कंडीशन्स थीं, जो फुलफिल नहीं होती हैं; इसलिये स्तीफा देने का प्रश्न नहीं उठता, न प्रिविलेज मोशन बनता है, न लीकेज बनता है। अब यह क्या बनता है, यह मैं नहीं कह सकता....

श्री अध्यक्ष : हवा बन रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये मैं पर्मिशन चाहता हूं।

माननीय योजना (व विधि) : मंत्रीजी ने यह बात कही है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस बजट भाषण को नहीं बंटवाया। म कहना चाहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर का एक क्लर्क, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा, बजट की कॉपीज लेकर दिल्ली गया और फाइनेन्स मिनिस्टर के बजट भाषण की प्रतियां वह प्रेस प्रतिनिधियों को बांटता है तो उसका सारा का सारा दायित्व फाइनेन्स मिनिस्टर पर आता है। वे इस बात से बचने की कोशिश करते हैं कि इसमें मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था। उन्होंने डाल्टन का जिक्र किया, सिगरेट के बारे में उन्होंने कुछ बता दिया था, उसमें भी उनका मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था, लेकिन सारी रेस्पोन्सिबिलिटी उन पर आई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में भी राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर पर डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी आती है क्योंकि बजट की प्रतियां उनका भाषण विधान सभा में समाप्त होने से पहले बांटी गईं।...

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष विशेषाधिकार का प्रश्न है जिसको माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने उठाया। जो बातें उन्होंने लिखित में बताई वे ही भाषण में उठाई गईं। मैं इस पर कोई बहस करने की आज्ञा नहीं देता हूं। इस पर यथासंभव विचार करके जैसी प्रतिक्रिया होगी उस प्रकार किया जायगा।

(१२.३२ म० प०)

खाद्य स्थिति पर होने वाले शासकीय वक्तव्य विषयक औचित्य प्रश्न

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of Order अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव खाद्यान्न क्रय योजना पर विचार के संबंध में खाद्य मंत्रीजी प्रस्तुत करना चाहते हैं इस संबंध में मेरी आपत्ति यह है कि यह सदन के नियम २६३ के अन्तर्गत, "A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House, but the House shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

a member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and the vote of the House shall be taken on such motion."

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह मोशन सरकार की किसी पॉलिसी स्टेटमेन्ट के संबंध में हो सकता है। यह जो प्रस्ताव खाद्य मंत्री महोदय प्रस्तुत करना चाहते हैं यह कोई सरकार की नीति नहीं है। सरकार की नीति पर्चेज योजना के बारे में नहीं है, कोई पर्चेज़ स्कीम नहीं है या तो प्रस्ताव यह होना चाहिये कि सरकार की स्टेट ट्रेडिंग स्कीम है उस पर विचार किया जाय, क्रय विक्रय की स्कीम है उस पर, मगर क्रय पॉलिसी के नाम की कोई पॉलिसी नहीं है, योजना नहीं है। जिस प्रकार इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया है, उसको पास करने की अनुमति चाहते हैं, वह अनुमति इस प्रकार से नहीं दी जा सकती। सरकार की जो स्कीम स्टेट ट्रेडिंग; पर्चेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की है it should be in appropriate terms, well drafted and as per rules of the House.

और मैं समझता हूं, जहां तक वे संशोधन चाहते हैं तो पहले जो गलती हो गई है उस पर रिग्रेट शो करके अनुमति प्राप्त कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने आपत्ति की है, जिस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा, जो इस प्रकार है :

"राजस्थान खाद्यान्न क्रय योजना पर विचार किया जाय"

वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि नियम २६३ के अन्तर्गत वह नहीं आता है। नियम २६३ में अन्य बातों के साथ साथ यह लिखा है : "A motion that the policy or situation or statement or any other matter.........."

इन सारी बातों में जिस समस्या की ओर संकेत किया गया है और बहस होगी उससे समावेश हो जाता है इसलिये मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को पेश करने में कोई आपत्ति है।

अब प्रश्न यह रहता है कि क्रय योजना के साथ साथ विक्रय का या और कोई खाद्यान्न से संबंधित विचार किया जाय, इस पर मेरी व्यवस्था यह है कि मंत्री महोदय ने जो पिछली बहस के समय कहा था और जो नोट वितरित किया गया है उसमें क्रय योजना है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व बहस की थी और ज्यादा आंकड़े तथा तथ्य चाहते थे इसलिये विशेषरूप से इस बहस में क्रय समस्या के लिये और क्रय योजना क्या है इस पर और जोर देने का कहा गया है। फिर भी मंत्री महोदय चाहें और सदस्यगण चाहें तो वितरण संबंधी मामला है वह भी उठा सकते हैं और मैं समझता हूं मंत्रीजी निराकरण करेंगे। यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(१२.३७ म० प०)

खाद्यान्न स्थिति पर विचार-विमर्श हेतु समय उपलब्ध करने विषयक वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक निवेदन और है। लगभग पौण बजने आया है और खाद्यान्न की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए आज का पूरा दिन रखा गया था, इस दृष्टि से लगभग ५ घंटों का वाद-विवाद हो सकता था; इस बारे में बहुत रचनात्मक सुझाव दिये जा सकते हैं। आपने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि एक दिन बढ़ाकर ११ तारीख इसके लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फिक्स अप की थी । हालांकि जो पहले मसले लिये गये थे वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन यह भी निश्चित तौर से अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है और संपूर्ण राज्य से संबंधित है । खरीद किसानों से और वितरण जनता से संबंधित है और दोनों के बीच की कड़ी–एजेन्सी व्यापारियों से संबंधित है, तीनों वर्ग और सरकार बीच में है । और राज्य में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिये सभी माननीय सदस्यों की ज़िम्मेदारी है । इसलिये घंटे भर में इस पर वाद-विवाद करके कन्क्ल्युज़न या निश्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, सिर्फ फोर्मेलिटी पूरी कर लें, इसके अलावा कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। यदि इधर से एक एक पार्टी के नेता बोलेंगे तो चार पार्टीज़ इधर हैं और कांग्रेस की तरफ के भी दो-दो सदस्य बोलेंगे तो ६ सदस्य बोलेंगे और एक एक, आधा-आधा घंटा भी लेंगे तो भी ढाई-तीन घंटों का समय चाहिये । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार करना अभी स्थगित करके सायंकाल ३ बजे या ४ बजे फिर मीट कर लें और इस पर पूरी तरह से विचार कर लें क्योंकि आज बैठक खत्म होने के बाद सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी कॉंस्टिट्यूएन्सीज में जायेंगे और उनसे वहां पर सभी लोग पूछेंगे; राज्य में और तरह की स्थिति पैदा न हो, शान्ति-व्यवस्था के लिये सरकार की जितनी जिम्मेदारी है हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, इसको महसूस करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही इस समय स्थगित की जाकर सायंकाल ४ बजे या सुविधा हो तब से ५ बजे से या ६ बजे से फिर हाउस मीट करे और रात को १० बजे तक हम इस पर विचार करें। हम यह भी करने को तैयार हैं कि रविवार की छुट्टी का उपयोग न करके रविवार को भी बैठ सकते हैं । हम हर शनिवार को बैठें; मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण मसला है, कानून भी है, उस दृष्टि से कल का समय इसके लिए निर्धारित किया जा सकता है और सदन की बैठक प्रातःकाल ८ बजे उसी प्रकार हो सकती है, ८ से १२ हो सकती है, केवल मात्र चार घंटे तक और उस बैठक में कोई प्रश्न, कोई दूसरा मसला, कोई सदन उठाना चाहे या आधा घंटे का विवाद करना चाहे तो वह एडमिट नहीं किया जाय, उसको इजाजत नहीं दी जाय । इसलिए ८ से १२ या ९ से १ बजे तक रख लें या जो आपको सुविधाजनक हो और आज की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह निर्विवाद है कि खाद्यान्न की समस्या ऐसी समस्या है जिसके बारे में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे । लेकिन यह पहला समय नहीं है, जब इस समस्या पर विचार किया गया है समय समय पर बजट के दौरान और उसके बाद भी सरकार की ओर से ज्यों ज्यों निर्णय किये गये हैं इस समस्या के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है । अब उसके बाद, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, निराकरण करने के लिये विचार करना चाहते हैं । विषय इसका नहीं है कि यहां बहस होकर समस्या का निराकरण हो जाय, क्योंकि न प्रस्ताव है और न कुछ बात है । पिछली बहस में जो मसले आये थे, उन पर मंत्री महोदय ने कहा

(श्री अध्यक्ष)

था कि दो-चार दिन में जो निर्णय लेंगे उसके संबंध में बता देंगे और माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनका इस समस्या को सुलझाने में ध्यान रखेंगे। इसलिये मैं नहीं समझता कि इस पर बहस बढाई जाय। अब सरकार की तरफ से वक्तव्य हो जाय, जो निर्णय लिये हैं उन पर चर्चा करके इस बहस को समाप्त करा जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय विरोधी दल के माननीय नेताओं को बुलाया और चर्चा कर रहे थे उस समय प्रसंग उपस्थित हुआ था कि इस समय विचार किया जाय या बाद में विचार किया जाय और यह बात तय हुई कि इस समय विचार कर लिया जाय और कल सदन में बहस किस प्रकार की होती है, कल किस प्रकार के विचार माननीय सदस्य रखते हैं––उन पर ध्यान रखते हुए निर्णय लेने की स्थिति आयेगी, इस समय को कैसे मीट किया जा सकता है––इस पर विचार करने की पोजीशन आयेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करनी है, वह और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि सरकार की ओर से नोट प्रस्तुत कर दिया गया है, सरकार का स्टेटमेंट आ चुका है। सरकार इसमें परिवर्तन करना चाहती है, अपनी नीतियों में हेर-फेर करना चाहती है या सरकार किस हद तक रिजिड है–इसके बारे में जो विचार माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के सामने लाये जाते हैं उन पर सरकार विचार करने के लिये तैयार है, जैसा कल बताया था कि विचार करने के लिये हम तैयार हैं। अब हम विचार प्रस्तुत नहीं कर पाये तो सरकार किस प्रकार विचार कर पायेगी। इस तरह तो जो सरकार ने नोट दे दिया है, सरकार की जो नीति सामने आ गई है उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज तक जो सदन में विचार हुआ है वह तो मंहगाई के बारे में····

श्री अध्यक्ष : लाइसेन्स की कन्डीशन्स पर चर्चा हुई है, वितरण की व्यवस्था के बारे में हुई है, व्यवस्था के बारे में हुई है···

श्री भैरोंसिंह : सारे राजस्थान में इस प्रश्न पर हडताल हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बहस का समय निकाल रहे हैं; इसमें माननीय सदस्य कुछ समय और बहस कर सकते थे।

यह मेरे लिये संभव नहीं है। यदि सरकार नहीं चाहती है and unless the Government accepts it, I cannot do it. ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट कुछ कहे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : केवल पैंतालीस मिनट रह गये हैं और यह ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बहस · · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे। उधर के पक्ष के माननीय सदस्य भी सुझाव देना चाहेंगे, इधर के पक्ष के माननीय सदस्य सुझाव देना चाहेंगे। पैंतालीस मिनट के अन्दर क्या बहस हो सकती है ? यह विषय महत्वपूर्ण है। खाद्य समस्या के सब पहलुओं के संबंध में सरकार को सुझाव देने का हमारा अधिकार है—अब सरकार उन सुझावों को माने या न माने। किन्तु मेरा पुरजोर रूप से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को कि कल कम से कम इस संबंध में तीन घंटे मुकर्रर किये जायें, ६ से १२ · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शाम को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चार बजे से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि आप उचित समझें तो शाम को तीन घंटे रखें, चार से सात। आधा घंटा में कोई भी बहस बहस के रूप में नहीं हो सकती। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में आप पुनर्विचार करें और कम से कम तीन घंटे का समय बहस के लिये सदन को दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस स्प्रिट में आज की बहस को पोस्टपोन किया गया है और सेटर्डे का दिन इस पर्टीक्यूलर विषय के लिये दिया गया है; क्योंकि यह विषय बहुत जरूरी है इसलिये शाम को रख लिया जाय। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बहस हो जाय, बल्कि सरकार की जो पालिसी है उसको एग्जामिन करने का मौका मिलता है। जनता इस बात को समझ ले कि सरकार अपनी बात पर कैसे जमी हुई है और किस तरह ऑर्डर को लगाया गया है। इस सबके लिये आवश्यक है कि सब तरफ से विचार रखे जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव अभी सदन के सामने रखा उस पर सदन के माननीय सदस्यों को कुछ बातें कहने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो जरूर करदें। सदन के माननीय सदस्यों की कॉन्सेसस ऑफ ओपिनियन बनती हैं तो इस बारे में और समय दिया जाय—सरकार को कोई एतराज नहीं है।

(हियर,–हियर)

वह समय होना आज ही चाहिये, ऐसा बहुत से माननीय सदस्यों का कहना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल भी हो सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर विवाद को चालू रखें, क्योंकि सदन को डेढ बजे तक चलना है। फिर शाम को चार बजे, पांच बजे से आठ बजे तक—तीन घंटे तक इस बारे में चर्चा कर सकते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(हिअर-हिअर)

और उसका नियंत्रण ठीक ढंग से हो और ठीक ढंग से बहस हो तो हमें कोई एतराज नहीं है।

राजस्थान में खाद्यान्न स्थिति पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य और उस पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य शुरू कीजिए।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस परिस्थिति को रखने के सिलसिले में अपनी बहस को इस वक्त लम्बा नहीं करूंगा, इसलिए कि बहुत सी बातें जो आज तक की हैं, उनके बारे में समय-समय पर इस सदन के फ्लोर पर मैं अपनी बातों को कहता रहा हूं, जो समय समय पर स्थिति डेवलप हुई उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये और उसके साथ जो आज तक किया है उसके बारे में नोट की प्रतिलिपियां सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुंच चुकी हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सदन में जो कुछ पहले कहा था और जो लाइसेंसिंग आॅर्डर है उसमें जो प्रावधान है-उन प्रावधानों के बारे में क्या विचार किया जा सकता है और क्या इस सरकार के लिए सम्भव है-उसके बारे में डिटेल में सदन में मैं निवेदन कर चुका हूं। इसके साथ ही एक अमेंडमेंट आॅर्डर आज के एक्स्ट्राआॅर्डिनरी गजट में प्रसारित किया जा चुका है। तो जहां तक आॅर्डर का ताल्लुक है, आॅर्डर फाइनल है, जो आज तक सरकार ने बनाया है और जो सरकार ने कहा है, उस बात को उस आॅर्डर में माना है और वह लाइसेंसिंग आॅर्डर अमेंडमेंट के रूप में जनता के सामने आ चुका है।

इसके साथ ही साथ जो परिस्थितियां इस राजस्थान में इस दौरान में, गुजरे आठ-दस दिन में अलग अलग जगह पैदा हुई हैं, जिन मंडियों के व्यापारियों ने धन्धा बन्द कर रखा है जो अनाज से सम्बन्धित हैं-उनमें जो सरकार ने वितरण की व्यवस्था और इन्तजाम किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि कुछ नई दुकानें खोल कर; जैसे कठिनाइयां उत्पन्न हुई, जनता को राहत दिलाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, उसको करने के लिए कदम उठाया है। इसके साथ साथ सरकार ने इस बात का भी इन्तजाम किया है जो कि मैंने डिटेल्ड नोट माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी ? इन सब बातों का जिक्र किया है। मैं अभी माननीय सदस्यों के सामने व्यवस्था की रूप-रेखा रख देना चाहता हूं। इसके बारे में सरकार की

(१२.४८ म० प०)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ओर से आॅर्डर जारी हो चुके हैं और जहां तक सूचना मिली है, कई कई मंडियों में खरीददारी की व्यवस्था हो गई है और आगे वितरण की क्या व्यवस्था है, प्राइसेज के बारे में क्या-तो जैसा मैंने कहा, माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद और सारी बातें सोचने के बाद अगर सरकार ने आवश्यकता महसूस की तो जो कुछ बातें डालने की आवश्यकता होगी और जो परिवर्तन करने की, रद्दोबदल करने की आवश्यकता उस व्यवस्था के अन्दर हुई तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सरकार निश्चित तौर पर, जो सुझावों पर विचार करने की ओर कदम उठाने की आवश्यकता महसूस करेगी, वह उठायेगी। इस समय सदन का समय ज्यादा न लेकर, जो अब तक किया है वह माननीय सदस्यों के सामने रख दिया है। इन बातों को रखने के बाद मैं आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग हो और माननीय सदस्यों के सुझाव कन्स्ट्रक्टिव रूप में सामने आयेंगे, इस दृष्टि से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस सदन के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मुझे अवसर मिलेगा तो उस वक्त मेरी बात आपको कहूंगा। अब ज्यादा समय न लेकर मैं निवेदन करता हूं कि जो समय बचा है उसमें माननीय सदस्य अपनी बात कहना चालू करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ तारीख २४-२-६४ को प्रोमलगेट किया गया और उस तारीख को अर्थात् २४-२-६४ को उक्त ऑर्डर गजट के अन्दर शाया किया गया। इस ऑर्डर को, इस आदेश को तारीख १-३-६४ से लागू किया गया और गजट के अन्दर इस संबंध में सूचना शाया हुई है वह जनता के समक्ष ता० १८-३-६४ के पहले नहीं पहुंच सकी अर्थात् उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन तक किसी को भी पता नहीं था, १८-३-६४ तक किसी को भी पता नहीं था इस नये ऑर्डर के सम्बन्ध में। तब यह एक मैं समझता हूं आश्चर्यजनक बात है। १-३-६४ से इस नये हुक्म को लागू करना और जनता के पास १८-३-६४ तक उसकी कोई भी सूचना नहीं पहुंचना, यह कहां तक उचित है, सरकार स्वयं विचार करे। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार को इस संबंध में पुनः विचार करना चाहिए और मैं यदि इस व्यवस्था को एक तरह का धोखा या फ्रॉड नहीं कहूं तो कम से कम मैं इतना तो कहूंगा कि यह व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं, इस व्यवस्था में कमी है और इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये। यह काम उन अनेक कामों में से मैं समझता हूं एक ऐसा काम है कि जिसके द्वारा सरकार धीरे धीरे अपनी साख जनता के समक्ष खोती जा रही है, सरकार अपना हाथ जनता की नाड़ी पर, नब्ज के ऊपर नहीं रखते हुए जनता की उमंगों, आकांक्षाओं के अनुसार चल नहीं रही है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के अन्दर अभी सरकार ने जो एक्स्टेंशन किया है वह किया है ७-४-६४ तक। मैं समझता हूं मैं कोई व्यापारियों के साथ पक्षपात करने के लिये नहीं कहता, लेकिन वे भी मनुष्य है और जो व्यवस्था उनके सम्बन्ध में की है उस सम्बन्ध में मेरी उनसे सहानुभूति है और अगर कोई भी अन्य व्यक्ति उनकी जगह होता, उसको अपने धंधे से वंचित रखा जाता तो वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता। जो सरकार ने वक्तव्य दिया है, उसके सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बीच–बचाव का रास्ता निकालना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि यह योजना पूरी नहीं है, इन्कम्प्लीट है। यह तो मैं भी स्वयं मानने को तैयार हूं कि ऐसी योजना कम्प्लीट नहीं हो सकती।

Page No. 85

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

In the very nature of things the scheme must remain incomplete and it should gradually undergo a process of completion as time goes on in the light of experience gained.

तो उपाध्यक्ष महोदय, इन्कम्प्लीट स्कीम के सम्बन्ध में न तो सरकार को दोषी ठहराना है न कोई इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन करना है, लेकिन मैं सरकार से अवश्य निवेदन करूंगा कि व्यापारियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, शनैः शनैः जो भी अनुभव सरकार प्राप्त करे उनके आधार पर इस योजना को कम्प्लीट करने का प्रयास करे। सरकार के इस योजना के सम्बन्ध में जो इरादे हैं उन इरादों का भी कोई अनुमान नहीं किया जा सकता कि दरअसल सरकार क्या करना चाहती है। अगर सरकार एक वस्तु को एक रूप से, एक नीति से, एक सिद्धान्त से लेकर कम्प्लीट करना चाहती है तो भी हम समझ सकते हैं, किन्तु न रात न दिन, न घोड़ा न गधा, एक होच-पोच स्कीम कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया; उस होच-पोच स्कीम को कोई नाम दिया जाकर सरकार चलायेगी तो मेरे ख्याल से यह होच-पोच स्कीम चलनी कतई असंभव है, सरकार का यह दुस्साहस जनता का उत्पीड़न और शोषण करेगा इस व्यवस्था के द्वारा सरकार बदनाम होगी। यह व्यवस्था सरकार की बदनामी का बायस बनेगी। और मैं सरकार को पुरजोर वार्निंग देता हूं, सरकार के कुछ इसके पीछे इन्टेशन्स होंगे वे सरकार के मन में होंगे; या तो सरकार को साहस नहीं है या सरकार बिल्कुल हॉल्डिंग रख कर रुक रुक कर आगे बढना चाहती है। जो कुछ भी हो मैं सरकार को वार्न कर देना चाहता हूं कि उसको नीति के सम्बन्ध में स्पष्टतया एक साफ धारणा लेकर चलना चाहिये कि हमारी मंजिल यह है, उस तक हमें पहुचना है और इतने समय के अन्दर अन्दर पहुंचना है। अगर यह नहीं है तो स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करते हुए इसमें सुधार करने की ओर भी विचार करना चाहिये।

सिक्योरिटी लाइसेंसिग के बारे में क्या कहें, अजीब प्रकार का प्रावधान है। सदन के चारों तरफ से रोष और विरोध प्रकट हुआ है; किस तरह से राजस्थान में इस प्रावधान के सम्बन्ध में एक खास सीन बना है, नजारा बना है, उनमें सरकार के प्रति रोष है, वहां सरकार पर अदूरदर्शिता और कई कई अन्य चार्जेज भी लगाये जा रहे हैं। इस लाइसेंसिग सिक्योरिटी के बारे में मैं यदि यह निवेदन करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वाभिमानी और स्वावलम्बी दूकानदारों को एक जरायम पेशा के रूप में मान लिया गया है। संभवतः ५, २५ व्यापारी ऐसे हैं जो दोषी हैं। उनको आप कड़ा दण्ड दीजिये, पर आम तौर से लाइसेंसिग सिक्योरिटी की व्यवस्था करके सारे दूकानदारों को सारे व्यापारी तबके को आप समझें कि दोषी है, गुनहगार है, उसको लाइसेंसिग सिक्योरिटी की व्यवस्था का सब्जेक्ट किया जाय तो मेरे ख्याल से यह निर्णय अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा ही नहीं किन्तु मैं इस स्थिति में मन्त्री महोदय को निवेदन करूं कि यह निरी आपकी हठधर्मी हो, चाहे मूर्खता हो, आप चाहे जो कुछ कहें किन्तु मेरी तो समझ के यह बिलकुल बाहर है।

आज सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कहे कल कुछ, कहे तो कल इस देश में रहने वालों को

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी आप कहें कि सबकी जमानत होनी चाहिए' तोमेरी समझ से यह तो बड़ी अजीबोगरीब पॉलिसी है ।

(१.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं इस लाइसेंसिंग सिक्योरिटी के संबंध में अगर इसका कम्परीज़न भी गन लाइसेंसिंग व्यवस्था से भी किया जाय तो बन्दूक ऐसी चीज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को मार भी सकता है । यदि वहां पर भी कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं रखी तो यहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था करना मेरे ख्याल से एक बहुत बुरी चीज है इससे असंतोष पैदा होगा और दूकानदारों और व्यापारियों के लिए उत्पीड़न बढ़ेगा । तो इस दुर्व्यवस्था के संबंध में मैं असंतोष प्रकट करता हूं, घोर विरोध भी प्रकट करता हूं और सरकार से पुरजोर रूप से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिक्योरिटी के संबंध में पर्याप्त रूप से सरकार विचार करे और संशोधन लाए । सरकार अपने गत अनुभवों से भी कोई सबक, कोई लैसन नहीं लेना चाहती, कोई लाभ उठाना नहीं चाहती । जो भी चीज सरकार कन्ट्रोल के अन्तर्गत लेना चाहती है वही दुर्व्यवस्था अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से होती है, यह बिल्कुल एक स्पष्ट बात है । अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैं भीलवाड़ा गया । वहां पर व्यापारियों ने यह कहा कि व्यक्तिगत जो व्यापारी है वह गुड़ अगर ६५-६६ रुपए के अन्दर भी बेचता है तो सहकारी समितियों के अन्दर काला, रद्दी किस्म का गुड़ ६० रु० में बिकता है । यह तो ऐसीव्यवस्था है कि कॉम्पीटिटिव बेसिस पर भी मेरे ख्याल से नहीं चलेगी । अगर आप हठधर्मी द्वारा उसको चलाएं तो मैं कहता हूं कि वह एक भ्रष्टअधिनायकवाद है । आपको कोई न कोई योजना लानी चाहिए । अगर आप सहकारी समितियों को भी सफल बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, आपको अधिकार है, लेकिन जब आप यही नहीं कर सकते तो आप एक स्वावलम्बी दूकानदार को जो शुद्ध और अच्छी चीज एक भाव के अन्दर, एक नियंत्रित भाव के अन्दर बेचते हैं, उसके संबंध में भी रुकावट डालना मेरे ख्याल से सर्वथा अनुचित है और जनहित के बजाय यह जनता के लिए अहितकर होगा ।

आपने यह भी व्यवस्था की है कि सहकारी समितियों से सिक्योरिटी न ली जाय; तो सहकारी समिति भी एक व्यापारी है, आप उनसे नहीं लेते हैं तो फिर दूसरों से क्यों लेते है ? खास तौर से जो रिटेल सेलिंग मर्चेन्ट्स हैं उनके साथ आप सिक्योरिटी की व्यवस्था के संबंध में विचार करें; यह मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर अगर यह व्यवस्था लागू होगी तो मैं नहीं समझता कि क्या होगा । मैं समझता हूं कि वहां पर निश्चित रूप से हाहाकार मच जायगा । किसान अनाज देकर तेल, तम्बाकू, ममड़, कपड़ा लेते हैं । छोटे दूकानदार पहाड़ों के अन्दर, छोटे २ गांवों के अन्दर रहते हैं, वे गरीब लोग कोई भ्रष्टाचार करें भी तो कितना कर सकते हैं, यह सरकार स्वयं विचार करे । वे चीज लेते हैं और गल्ला देते हैं और बहुत सी जगह मैंने यह भी देखा है कि गाय, बैल, बकरी भी देकर लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी उस क्षेत्र के अंदर अनादि काल से आज दिन तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक बार्टर सिस्टम है । उस बार्टर सिस्टम को भी अगर आप भंग कर देने की व्यवस्था करेंगे तो उन छोटे छोटे सैकड़ों और हजारों गांवों के अन्दर क्या आप ग्रेन बैंक्स लाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, मेरी समझ में नहीं आया । मैं इस चीज को समझता हूं कि संभवतः मेरी समझ में कोई गड़गड़ हो तो मंत्री महोदय इस संबंध में कोई प्रकाश डालें और मैं तो यही कहूंगा कि आज का जो वहां पर वातावरण है, आज यह छोटे दूकानदारों के संबंध में जो अमल है, उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो हॉरनेट्स नेस्ट (Hornet's nest) को इन्वाइट करेंगे, चारों तरफ से विरोध होगा, चारों तरफ से अशांति होगी और आप सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे । यदि आपने वहां पर इस चीज को हठधर्मी के द्वारा लागू किया तो भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी, एक गैथ क्रिएट होगा, उसको फिलअप नहीं कर सकोगे ।

आपने २५०) रु० की सिक्योरिटी छोटे व्यापारियों के लिए रखी है । मैं समझता हूं कि छोटे व्यापारी के लिए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना थोड़ा होगा और बहुत से लोगों के पास तो पहिनने को वस्त्र की व्यवस्था नहीं तो वह २५०) रु० अपनी कमाई में से निकालकर और सिक्योरिटी के रूप में जमा कराए तो मेरे ख्याल से जुल्म है और ज्यादती की पराकाष्ठा है । मैं सरकार से पुरजोर रूप से इस संबंध में निवेदन करूंगा कि इस सिक्योरिटी की व्यवस्था को रीटेल सेलर्स के संबंध में स्टोप करें, बंद करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार बाजार के अंदर, अनाज के बाजार के अंदर एक बड़े व्यापारी, एक बिग होलसेल मर्चेन्ट के रूप से दाखिल होता है तो मैं यह समझता हूं और आप भी अनुभव कर सकते हो कि कुछ दिनों के लिए भाव गिरेंगे, लेकिन उस चीज को आपको जारी रखने के लिए भी कोई न कोई व्यवस्थित ढंग से विचार करना चाहिए ।

सबसे बड़ा प्रश्न, मैं समझता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का है । आप क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में व्यवस्था करना चाहते हैं ? इस संबंध में भी कुछ न कुछ आपके मन में धारणा होगी, उसके अनुसार आप चलेंगे । यदि इस संबंध में आप कोई प्रकाश डाल सकते हैं तो सदन को कॉन्फीडेंस में लेकर प्रकाश डाल सकते हैं; तो मेरे ख्याल से सदन के लिए और सरकार के लिए हितकर होगा ।

आपने १३२ मंडियों के संबंध में जो कुछ भी प्रावधान रखा है वह तो हम सबको ज्ञात ही है । यह डेढ़ लाख वर्ग मील के राजस्थान के अंदर यह व्यवस्था कहां तक पर्याप्त है ? यह सरकार स्वयं जानती है कि इससे कुछ नहीं होना है । बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां से किसान २५-२५ मील, बल्कि ३०-३० मील चल कर मंडियों पर आएगा । यह कभी हो सकता है ? मेरे खयाल से इससे और भी दुर्व्यवस्था फैलगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पर्चेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच में जो अन्तर रखा है वह २॥) रु० है । २॥) रु० का नफा । आप कहते हैं "नो प्रोफिट नो लोस" के बेसिस पर आपने यह मार्जिन रखा है; न नफा होगा न घाटा होगा । तो मैं सरकार को इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस २॥) रु० को एडमिनिस्ट्रेटिव

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चार्जेज़ के रूप में मान कर चलते हैं तो मैं उदाहरण यह देना चाहता हूं कि अगर २।।) रु० के मार्जिन के बेसिस पर कोई व्यापारी ही चले तो व्यापारी का दिवाला ही आउट हो जाय। आपको मैं यह निवेदन फिर से कर दूं कि ये २।।) रु० एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ या और कुछ, यह व्यवस्था बहुत मंहगी होगी और मंहगी होने के कारण जनता के लिए यह व्यवस्था हितकर हो, ऐसा मैं नहीं मानता।

सम्भवतः कुछ सदस्य मेरे पास बैठे हों, उनका सिद्धान्त हो कि यह राज्य ही व्यापार अपने हाथ में खाद्यान्न का, अन्न का ले। मैं उनका इस सम्बन्ध में कोई विशेष विवेचन नहीं करना चाहता था। यह अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है इसको मैं अवश्य जानना चाहता हूं। जहां तक मेरा और मेरी पार्टी का व्यक्तिगत सम्बन्ध है मैं तो स्पष्टतया यह निवेदन करता हूं कि मुनाफाखोरी हो उसको सरकार अवश्य रोके, लेकिन आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप भंग करके उसकी जगह पर कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाती है सरकार, तो सरकार की नीति दूषित है, बुरी नीति है, कोई नीति ही वह नहीं है, मेरे खयाल में वह एक होच-पोच नीति है और सरकार के निर्णय में, सरकार की नीति में जनता का भी विश्वास नहीं है और किसी का विश्वास होना दुश्वार है क्योंकि वह न इधर जायगी और न उधर जायगी और सिवाय दुर्व्यवस्था के इसके सम्बन्ध में और कुछ नहीं हो पायगा। यदि आप यह समझते हैं, यह समाजवादी योजना है तब भी मैं कहता हूं कि आपकी योजना कोई संतोष जनता को नहीं देती है तो वह कोई योजना ही नहीं है, वह विनाशकारी और असंतोष-जनक है और उसका मैं हामी नहीं बन सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में खाद्यान्न के स्टॉक की खाना तलाशी के द्वारा जांच की और जहां तक मैंने सुना है व्यापारियों के पास जो कुछ भी खाद्यान्न जयपुर के अन्दर प्राप्त हुए वह जयपुर के लिए चार दिन के लिए पर्याप्त होता है, इतना ही खाद्यान्न प्राप्त हुआ। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह स्टॉक आप चाहते हैं कि यह होर्डिंग की संज्ञा में आता है तो मैं समझता हूं कि यह होर्डिंग नहीं है। यह तो एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके द्वारा मैं कहूंगा कि छोटे-मोटे व्यापारियों को अपना गुजारा, अपना व्यापार करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकतानुसार उनके पास स्टॉक था वह ही सरकार को मिला है और सरकार को इस सम्बन्ध में भी संतोष कर लेना चाहिये कि होर्डर हो उनको पकड़ा जाय। लेकिन जो होर्डिंग नहीं करते उनके लिए यह कानून लागू करके दुर्व्यवस्था पैदा करना और वितरण के सम्बन्ध में एक नयी योजना बना कर असंतोष बढ़ाना, मेरे खयाल में यह एक अनुचित बात है।

सरकार इस सम्बन्ध में, जहां तक कि मैं समझता हूं, भाव इस हद तक घटा देगी कि किसान उन भावों से सरकार को खुशी के साथ अन्न देने के लिए तैयार हो, यह भी एक समस्या संदिग्ध है। जहां तक मेरी जानकारी है, सुना है कि आगरा के अन्दर ७२) रु० प्रति क्विन्टल गेहूं बिकता है और यह आपने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार ४३) रु० या ४३) के लगभग पर-क्विन्टल। सरकार ने ये भाव मुकर्रर किये हैं। मैं यह समझता हूं कि यह भाव बहुत कम है। किसान खुशी के साथ

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपको अनाज नहीं बेचेगा और इसके अन्दर भी दुर्व्यवस्था होगी। इसके अन्दर भी, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार होगा और अन्य राज्यों के अन्दर जहां पर खाद्यान्नों का स्टोर करने के लिए सुव्यवस्था नहीं थी, उदाहरणार्थ मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको निवेदन करूं, वहां गोडाउन्स के अन्दर दो-तीन साल पहले ही एक लाख, सवा लाख टन गेहूं बिगड़ना शुरू हुआ और एक महीने तक गोडाउन्स तक नहीं खोले गये, गोडाउन्स के अन्दर बदबू आनी शुरू हुई, फिर खोल कर आधा गेहूं बचाया गया और नीचे था गोडाउन्स के अन्दर वह सब सड़ चुका था। अगर आप होर्डिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं और अगर आपके पास गोडाउन्स की सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं है, फिर दुर्व्यवस्था होती है, खाद्यान्न सड़ जाता है तो मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लगाया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं सरकार को पुरजोर शब्दों में वार्निंग देता हूं कि कोई भी आप व्यवस्था करें, स्टॉक के सम्बन्ध में व्यवस्था करे तो आप पहले गोडाउन्स की व्यवस्था करें और गोडाउन्स के लिए जब तक आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आपके स्टोकिंग करने के लिए खूब सोच करके धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें और भी दुर्व्यवस्था होगी।

सरकार ने १७ करोड़ रुपया इस व्यापार के लिए मंजूर किया है। ६ करोड़ रुपया सरकार शुरू में खर्च कर रही है, यह कहा जाता है। तो सरकार पहले से ही एक दिवालिया स्थिति के अन्दर है और इतना रुपया और लेकर उसकी फाइनेंन्सेज को स्ट्रेन करेगी और उसके कर्मचारियों को और ज्यादा काम देगी, तो मेरे खयाल से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी भी सफर करेगी और एक राज्य की इकोनॉमी के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला उत्पन्न हो सकता है।

तो मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि आप पास्ट लेसन्स से, पास्ट एक्स्पीरियेन्स से अनुभव लें। गुड़ और शक्कर के विषय में जो कुछ भी दुर्व्यवस्था हुई है उसके सम्बन्ध में भी पूर्ण-रूपेण विचार करके आपको आगे बढ़ना हो तो आपकी मर्जी है, किन्तु मैं तो स्पष्टतया आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप व्यापारियों को भी व्यापार करने देंगे, उसके साथ साथ आप कोई न कोई ऐसी योजना लायें कि बड़े व्यापारी के भी भाव निर्धारित कर सकें। उस भाव के निर्धारण की व्यवस्था ऐसी हो जिससे काश्तकार को भी लाभ हो, काश्तकार का जो उत्पादन के सम्बन्ध में खर्चा हो उसके लिए भी व्यवस्थित रूप से विचार करें, मार्जिन भी उसका उचित रूप से छोड़ें तब तो आपकी वह योजना फलदायक हो सकती है, नहीं तो यह निरर्थक योजना ही नहीं है, इससे राजस्थान की जनता में घोर अशान्ति, भुखमरी और जलालत बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेग्जिमम और मिनिमम प्राइसेज के संबंध में सरकार को पूर्णतया विचार करना चाहिये। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि ऑल इन्डिया बेसिस पर कोई न कोई प्राइस मुकर्रर करनी चाहिये। कीमतें स्थिर करने का संभवतः आपको अधिकार नहीं है, लेकिन आपको यह तो अधिकार है कि ऑल इन्डिया प्राइस लेवल बनाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संबोधित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करें और उनसे कहें कि आप कोई न कोई यूनीफॉर्म पॉलिसी तो एडोप्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पाक्षिक हिसाब के संबन्ध में फॉर्म प्रेसक्राइब किया गया है मेरे ख्याल से छोटे व्यापारी के लिये तो यह असंभव स्थिति उत्पन्न करेगा। बहुत से छोटे व्यापारी अशिक्षित हैं, उनको फॉर्म्स के भरने का ज्ञान तक नहीं। अगर आप उनके द्वारा यह आशा करें कि वे फॉर्म्स भरें जो कुछ भी जमा-खर्च हैं वह व्यवस्थित ढंग से करें, यह चीज बीस वर्ष तक भी देश के अन्दर आप आशा करें, नहीं हो पायेगी। इस संबन्ध में प्रेक्टिकल एप्रोच होना चाहिये। जो भी नीति है वह इस तरह की नीति होनी चाहिये जिससे छोटे व्यापारी के व्यापार क्षेत्र में दखल न हो। अगर आप दखल ही करना चाहते हैं तो आपके पास अमला, स्टाफ इतना नहीं कि इस व्यापार में दिन प्रतिदिन के ट्रान्जेक्शन में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं दुर्व्यवस्था होगी, भ्रष्टाचार और मुलाजिमों की आपा-धापी द्वारा उन बेचारे व्यापारियों को दुखी बनायेंगे, उसके साथ साथ आप जनता का उत्पीड़न भी बढ़ायेंगे। अगर आप सुदृढ रूप से, सक्सेसफुल रूप से करें तो यह चाहे सहकारी रूप से हो या सरकारी रूप से करें या और कोई रास्ता निकालें मुझे तो दीखता है यह आपके बूते के बाहर है। आप करना चाहते हैं, कुछ भी आपसे नहीं हो पायेगा, यह मैं वार्निंग देता हूं। अगर आपको जो कुछ भी करना है वह शनैः शनैः करें धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त करते जाइये; बाई इवोल्यूशन, बाई स्टेप इसको करिये। आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। जो सदियों की जमी हुई व्यवस्था है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे तो उसको फिर से जमाने में मुश्किल हो जायगी। मोस्ट डेन्जरस सीच्युएशन आप क्रिएट करेंगे। मैं आपको यह निवेदन करता हूं।

अगर आप इस योजना के अन्दर असफल होंगे तो आप कॉम्यूनिज्म के हाथ सबल बनायेंगे। आप चाहें या न चाहें कॉम्युनिज्म को आप बैकडोर से इन्ट्रोड्यूस करेंगे। आपको इस बारे में पुर्नविचार करना चाहिये। आप क्या करने जा रहे हैं? आप इस तरह से देश को भुखमरी और जलालत देंगे और जो सदस्य इधर बैठे हैं उनके हाथ मजबूत करेंगे और आप अपनी आत्म हत्या बुलायेंगे। या तो आप यह स्पष्ट रूप से यह कहिये कि जो बर्मा के अन्दर योजना लागू हुई वह यहीं पर भी लाना चाहते हैं। छोटे व्यापार, धन्धों को, सबको समाप्त करना चाहते हैं और सारे ट्रेड्स को राष्ट्रीयकरण योजना के अन्दर लेना चाहते हैं; अगर आपकी यही योजना है तो स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक पार्टी का शासन घोषित करिये, विधान को एब्रोगेट करिये, रद्द करिये तो भी हम समझ सकते हैं देश को दूसरी ओर पहुंचाने का संकेत है। नहीं तो, मैं यह कहूंगा, आपकी नीति कोई नीति नहीं है, कोई सुदृढ नीति नहीं है, स्वच्छ नीति और नेकनीयती भी नहीं है।

कर्मचारियों के लिये आपने खास व्यवस्था की है। उसको स्पेशल क्लास और प्रिविलेज क्लास रखने की जरूरत है। इस संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आम जनता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के लिये आप क्या कर रहे हैं इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण करना चाहिये । अगर आप आम जनता के लिये भुखमरी और जलालत लाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पुनः विचार करना चाहिये । इस संबंध में आपकी योजना क्या है ? आपकी नीति क्या है ? आपने स्पेशल एरियाज, खास क्षेत्र के अन्दर यह व्यापार सीमित करने की योजना की है, उसका भी मैं विरोध करता हूं ।

आपको राजस्थान को एक इकाई के रूप में मान करके चलना चाहिये । अगर राजस्थान को एक इकाई मानते हैं तो सारे राजस्थान में फूड ग्रेन्स लाइसेन्स के अन्तर्गत व्यापार करने की आजादी देते हैं, इसके अन्दर कोई बात नहीं है । इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि होलसेल व्यापारी और रिटेलर्स में जितनी भी कम तफावत हो सके वह करें । होलसेल डीलर और रिटेलर में कोई भिन्न भाव नहीं हैं । अगर होलसेल डीलर सरकार बन जाती है तो होलसेल डीलर और रिटेलर की डेफीनिशन के संबंध में निवेदन करूंगा, आप इस संबंध में विचार करके इसमें जो भिन्न भिन्न भाव हैं, डिफरेन्स हैं उनको आप कम करने की चेष्टा करें ।

पंजाब के फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के फूड ग्रेन्ज लाइसेन्सिग ऑर्डर के मुकाबले वह बहुत लिबरल है, उदार है । इसी के साथ साथ गुजरात में किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी करके युनिफॉर्मिटी बेसिस पर ठोस कदम लेकर इस पर आप विचार करें। राजस्थान के अन्दर आप जो कुछ भी करेंगे एक तरह से कुए के मेंडक के समान योजना होगी ; हालांकि उनकी जो व्यवस्था होगी और आपकी जो व्यवस्था होगी उसमें तालमेल होना परमावश्यक है ।

फूड ग्रेन्स के इम्पोर्ट के संबंध में मैं राज्य सरकार को पुरजोर रूप से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आप अधिक से अधिक आजादी रखें, उसके अन्दर रुकावट न लायें । रुकावट लायेंगे तो घातक नीति अख्तियार करेंगे, यह मैं समझता हूं ।

समाजवाद समाज के लिये हैं, न कि समाज समाजवाद के लिये । समाज को समाजवाद के लिये अर्पण नहीं किया जा सकता । अगर समाज को समाजवाद के लिये अर्पित कर देते हैं तो कोई समाजवाद नहीं ला सकते । मैं तो इस नीति को दमघोट नीति कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस डेमोक्रेसी के अन्दर हमें कम्प्रोमाइज के रूप में चलना चाहिये, एडजेस्टमेन्ट के आधार पर हम बीच-बचाव करें, व्यापारी वर्ग के साथ सम्मानपूर्वक एक टेबल पर बैठ कर बातचीत करें, और उनसे एडजस्टमेन्ट सीक करें और मिल कर आप अगर कोई रूपरेखा बनायेंगे तो आपकी व्यवस्था ठीक रूप से चल सकेगी, नहीं तो जो आपकी नीति है वर्तमान विधान के सिद्धान्त के अनुसार, नागरिक अधिकार, फन्डामेन्टल राइट्स के अनुसार ठेस पहुंचाने वाली और अनुचित नीति है । मेरा उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन है कि पार्शियली कन्ट्रोल आप फड ग्रेन्स का करना चाहें तो

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

करें, उसमें आप प्राइसेज पर नियन्त्रण पार्शियल कन्ट्रोल द्वारा कर सकते हैं। अगर आप वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको यह व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिये। आप व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करें। आप उनका सहयोग प्राप्त करेंगे तभी आपकी योजना सफल होगी, वर्ना इसके परिणाम राजस्थान की जनता के लिये भयंकर होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १.३० बजे सायं ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४)

(प्रातःकालीन बैठक)

स्तम्भ

१. सदन की मेज पर रखा गया विधेयकों का विवरण १

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने गत सत्र एवं वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

२. स्थगन-प्रस्ताव ७

निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई:—

(१) श्रम न्यायालय की अवधि से संबंधित श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का स्थगन-प्रस्ताव।

(२) भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों से संबंधित श्री भैरोंसिंह का स्थगन-प्रस्ताव।

३. मंत्री एवं उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य १४

(क) श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-गृह मंत्री, ने निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों से संबंधित विषयों पर वक्तव्य दिये:—

(१) थानेदार श्री मोहनलाल द्वारा श्री बालसिंह सरपंच के हथकडी लगाने की शिकायत संबंधी।

(२) राजाखेडा में डाकुओं के एकत्र होने संबंधी।

(३) राजस्थान पुलिस के नोन गजटेड कर्मचारी संघ को मान्यता न दिये जाने संबंधी।

(ख) श्री नाथराम मिर्धा, सिंचाई मंत्री ने—

(१) राणाप्रताप सागर बांध में दरारें पड जाने से उत्पन्न स्थिति, तथा

(२) सिंचाई विभाग के कुछ ओवरसियरों की पदोन्नति में अनियमितताओं पर वक्तव्य दिये।

४. आधे-घंटे की चर्चा ५७

(१) तहसील अनूपगढ़, तथा पूगल क्षेत्र में सज्जी के ठेके से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ (४ पी. डब्लू. एम.) के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा, ने आधे-घंटे की चर्चा उठाई।

उद्योग मंत्री, श्री हरि चन्द्र ने बहस का उत्तर दिया।

(२) राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सरकारी जमीन दिये जाने से संबंधित प्रश्न संख्या ६६ (एस. एन. क्यू.) के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर श्री रामा-

स्कम्म

नन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने आधे घंटे की चर्चा उठाई।

स्वायत्त शासन मंत्री श्री बरकतुल्ला खां ने बहस का उत्तर दिया।

५. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना १०२

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री नाथूलाल करौल, ने तहसील चाकसू, जिला जयपुर में भूमि एकीकरण के कार्य से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री परसराम मदेरणा, उप-मंत्री, ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

६. विशेषाधिकार प्रश्न १०८

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विधान सभा को आहूत करने के कारणों पर प्रकाश न डाले जाने संबंधी श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा के विशेषाधिकार प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

७. प्रवर समितियों के सदस्यों की नामावली १०९

अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा की :—

(क) राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४

स्कम्म

(ख) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४

८. अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना १११

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि विधान सभा के युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट के कुछ सदस्यों ने उन्हें यह सूचना दी है कि वे समाजवादी संयुक्त दल के साथ मिलकर विधान सभा में समाजवादी संयुक्त दल के रूप में कार्य करेंगे।

९. मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य ११२

मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाडिया ने बजट लीकेज के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

१०. खाद्य स्थिति पर विचार १५६

श्री नाथूराम मिर्धा, खाद्य मंत्री के प्रस्ताव पर राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना पर विचार किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह बोल रहे थे कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४ (सायंकालीन बैठक) की कार्य सूची

राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक अग्रेतर वाद विवाद

*शुद्धि-पत्र

[शनिवार, ११ अप्रेल, १९६४ (प्रातःकालीन बैठक)]

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८	४	सम्वन्धी	सम्बन्धी
९	अन्तिम से ५ व २	श्री भैंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
१०	७	श्री भैंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
१३	६	श्री चन्दनमलजी वैद	श्री चन्दनमल वैद
१३ से १३६		नोटः—इन स्कम्भों में जहां कहीं "श्री मोहनलाल सुखाडिया" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर कृपया यह पढ़ें:— "श्री मोहनलाल सुखाडिया"	
२०	१८	श्री अध्ययक्ष	श्री अध्यक्ष
३०	८	श्री अक्ष्यक्ष	श्री अध्यक्ष
३३	शीर्षक	११ अप्रेल, ६४	११ अप्रेल, ६४—
,,	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुराना)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
४१	७	**श्री नाथूराम मिर्धा** ८ में	**श्री नाथूराम मिर्धा** : ८ में
४१	९	श्री नाथूराम मिर्धा	—
४२	२२	श्री योगन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५४	१	श्री मुकुटविहरीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
५९ से ८५ तक	शीर्षक	ओवरसियर विषयक-११ अप्रेल, ६४—आधे घंठे की चर्चा	सज्जी के ठेके सम्बंधी—११ अप्रेल, ६४-आधे घंटे की चर्चा
७१	शीर्ष व ९	श्री भैंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
७४	अंतिम से २	श्री हरिशचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
७६	५	,,	,,
७९	६, २०	,,	,,
९१	शीर्षक	कॉमसे को-११ अप्रेल, ६४—भमि देने विषेयक	कामर्स को-११ अप्रेल, ६४—भूमि देने विषयक
९८	शीर्षक	भमि	भूमि
१०२	५	तहसिल	तहसील
,,	१४	श्री परसराम मदेरना	श्री परसराम मदेरणा
१०३	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
१०९	अंतिम से ३	श्री देवन्द्रकुमार	श्री देवेन्द्रकुमार
११०	९	श्री हरिाम चौहान	श्री हरिराम चौहान
१२६	शीर्षक	वक्त य	वक्तव्य
१४३	,,	११ अप्रेल, ३४-	—११ अप्रेल, ६४—
१४६	अंतिम से ५	श्री मानिकचन्द सराणा	श्री मानिक चन्द सुराणा

१	२	३	४
१५२	२२	श्री सतशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	अंतिम से २	श्री मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
१५५	१७	(व विधि) :	व विधि
१५८	२६	विययक	विषयक
१७३	शीर्ष	(महारावल श्री लक्ष्मणसिह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिह)
१८५	१८	मत्री एव उप-मत्री	मंत्री एवं उप-मंत्री
१८६	अंतिम से ६	श्री हरिचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
१८७	१	अग्राल	अग्रवाल
१८८	१०	मख्य मत्री	मुख्य मंत्री

*नोटः—विस्तृत शुद्धि पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ५१वां दिवस [संख्या ४२

शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४
(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म. पू. ८.१५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कमजोर आदमी पहले बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सभी बलवान् हैं।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में खाद्यान्नों के क्रय विक्रय को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति पर विचार करना आज हम सबके लिये आवश्यक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्यों पैदा हुई, इस सम्बन्ध में इस विषय पर विचार करने से पूर्व थोड़ा और बातों पर विचार किया जाय तो इस स्थिति का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है, उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। पिछले वर्ष जुलाई के महीने से लेकर इस फरवरी के महीने तक लगातार अनाज के भावों में बढ़ौत्तरी हुई....

श्री उपाध्यक्ष: Shall I interrupt a little?

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा भी कहना था और मैं भी ठीक समझता हूं कि इस विषय पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य १५ से २० मिनिट के बीच में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह: पार्टियों का भी समय रखा होगा?

श्री उपाध्यक्ष : १५ से २० मिनिट, यह पार्टीज़ का ही समय है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ये भाव बढ़ते जा रहे थे, सरकार की तरफ से उनको रोकने के लिए जो प्रयत्न करने चाहिये थे, वे नहीं किये गये । सस्ते गल्ले की दूकानें यदि सरकार उस समय अधिक मात्रा में खोलती तो इन भावों पर काफी सीमा तक कन्ट्रोल किया जा सकता था । इस सदन में मांग की गई, इस सदन के बाहर भी मांग की गई पर सरकार की ओर से इसकी कोई संतोषजनक व्यवस्था करने का ढंग नजर नहीं आया । उसका नतीजा यह निकला कि अनाज के भाव उस सीमा तक बढ़ गये जिसमें कि खरीदने की लोगों की सहन शक्ति नहीं थी । हिन्दुस्थान की दूसरी राज्य सरकारों ने और हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस मसले को लेकर विचार किया और भारत सरकार द्वारा राजस्थान को अलग जोन निर्धारित किया जाकर राजस्थान सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट को रोका । इस सम्बन्ध में सारे प्रान्तों में यह नई भावना आई कि मंहगाई के मुख्य कारण मुख्य रूप में व्यापारी हैं । व्यापारी को दोषी ठहरा कर उस भूमिका में हमारी सरकार ने उसका इलाज ढूंढने की कोशिश की और उस इलाज को ढूंढने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि व्यापारी को किसी प्रकार कन्ट्रोल किया जाय जिसके कारण भाव नहीं बढ़ सकें । सरकार एक तरफ यह भी स्वीकार करती गई कि खाद्यान्नों का उत्पादन घटा, यह भी स्वीकार करती गई कि हमारे प्रान्त से जो अनाज बाहर जा रहा था उस अनाज को रोकने में राजस्थान सरकार असमर्थ है, भारत सरकार के निर्णय से ही उसे रोका जा सकता है । उस स्थिति में सरकार ने केवल एक मसले के ऊपर विचार कर यह तय किया कि यदि व्यापारी को हमने कन्ट्रोल में ले लिया तो हम भावों को कन्ट्रोल में ले आयेंगे । भारत सरकार ने, व्यापारियों को कन्ट्रोल में कर लिया जाय, इसके लिये एक मोडल आॅर्डर बनाया है । जितनी प्रोविन्शियल सरकारें थीं उनका सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में मोडल आॅर्डर पर विचार हुआ, अलग अलग स्टेट्स को स्वतन्त्र छोड़ दिया कि किस तरह मॉडल आॅर्डर को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लागू करें । राज्य सरकारों और विशेष तौर से राजस्थान की राज्य सरकार ने उस पर ऐसा समझा कि जो एक मॉडल आॅर्डर बना है, वह हमारे ऊपर भारत सरकार की तरफ से डिक्टेशन है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिये और यदि हमने उस डिक्टेशन को स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार भारत सरकार को अप्रसन्न कर देगी । मैं समझता हूं, खाद्य स्थिति का हल आज की परिस्थितियों में कोई सरकार, या भारत सरकार अकेली नहीं कर सकती । इस समस्या का हल निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एग्रीड फोर्मुला के आधार पर किया जा सकता है । एग्रीड फोर्मुला इस खाद्य समस्या का एक संतोषजनक हल निकालने में असफल हो सकता है लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि हमारी राजस्थान सरकार ने मॉडल आॅर्डर यूं का यूं लागू कर दिया । पंजाब सरकार ने उसमें हेरफेर कर दिया, मध्यप्रदेश सरकार ने उसमें हेरफेर कर दिया, गुजरात ने उसमें हेरफेर कर दिया । राजस्थान के पड़ोसी राज्यों ने इस कानून में आमूल परिवर्तन करके

(श्री भैरोंसिंह)

इसको लागू करने की व्यवस्था की तो हमारी सरकार के सामने वह मॉडल ऑर्डर एक समस्या के रूप में खड़ा हो गया। आज यह कहा जाता है कि व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि व्यापारी हड़ताल भी छोड़ दें, सरकार के इस मॉडल ऑर्डर के मातहत लाइसेंस ले लें, सिक्योरिटी जमा करा दें, उसके बाद भी राजस्थान की खाद्य की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसलिए नहीं हो सकता कि पंजाब के अन्दर, यू.पी. के अन्दर, मध्यप्रदेश और गुजरात के अन्दर जो अनाज के भाव हैं वे भाव राजस्थान के मुकाबले में काफी महंगे हैं। हमारी सरकार ने जो मूल्यों का निर्धारण किया, उन मूल्यों के आधार पर उन पड़ोसी राज्यों के मूल्यों की तुलना की जाय तो इस बात का अन्दाजा होगा कि राजस्थान सरकार ने जो भाव निर्धारित किए हैं वे सस्ते हैं जब कि दूसरे राज्यों में ज्यादा हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितने हैं?

श्री भैरोंसिंह : आपको पता है। मैं तो समय की बचत करना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं बताऊं कि बम्बई में गेहूं के भाव ७५) रु० से लेकर ८०) रु० प्रति क्विंटल, अहमदाबाद में ७०) से ७२) रु० प्रति क्विंटल, कोल्हापुर में ७४) से ७५) रु० प्रति क्विंटल, दिल्ली में ७०) रु० प्रति क्विंटल, कानपुर में ७०) रु० प्रति क्विंटल, पंजाब के अन्दर ६२) से ६३) रु० प्रति क्विंटल। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे राजस्थान के रेट्स निर्धारित किए वे कम हैं उस कमी से फायदा उठा कर जो भी अनाज हिंदुस्तान के अन्दर है, वह निश्चित रूप से स्मगल होगा। आपने इस मॉडल ऑर्डर के अन्दर केवल व्यापारी के द्वारा लाइसेंस लेने की व्यवस्था है, किसान इसकी तारीख में नहीं आता। नतीजा यह होगा कि पड़ोसी राज्यों की सीमा पर रहने वाले किसान कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि राजस्थान की मंडियों में सस्ती कीमतों पर अनाज बेचें, वे अनाज का स्मग्लिंग करेंगे, राजस्थान में अनाज की कमी आएगी और उसका परिणाम यह होगा कि अनाज गोडाउन्स में न रहकर अनाज अंडरग्राउन्ड चला जायगा और फिर यह समस्या भीषण रूप में आकर खड़ी होगी। यदि यह विचार करें तो हमारी सरकार के सामने पहले फर्ज यह होता है कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कह दे कि आपको यदि कोई कानून लागू करना है, खाद्य के संबंध में कोई नीति निर्धारित करनी है, खाद्य के संबंध में कोई व्यवस्था करनी है तो वह व्यवस्था पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर होनी चाहिए, पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर नहीं होती है तो कम से कम पड़ोसी राज्यों के स्तर पर होनी चाहिए और उसकी सारी जिम्मेदारी हम भारत सरकार पर डालें और उस जिम्मेदारी से स्वयं मुक्त होने की कोशिश करें। यदि हमने यह जिम्मेदारी ली तो भारत सरकार आज चाहे राज्य सरकार को कुछ भी कहे कि आपको मॉडल ऑर्डर लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसे लागू करने से जो कठिनाइयां क्रिएट होंगी उसके लिए आपको भारत सरकार को कह देना चाहिए कि उन्हें हल करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आज हम भारत सरकार पर डिपेंड करके चलें वह भारत सरकार जो अपने ऑर्डर को बाकी

(श्री भैरोंसिंह)

राज्यों में लागू नहीं करवा सकी, वह राजस्थान में लागू कराने की स्थिति पैदा करती है तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार राजस्थान को अपना एक केन्द्र बनाकर, अपना फील्ड बनाकर इस बात का एक्सपेरीमेंट करना चाहती है कि यह ऑर्डर जनता किस रूप में स्वीकार करती है, इस ऑर्डर द्वारा जनता का कितना भला हो सकता है, व्यापारी कितना विरोध कर सकते हैं। आज इस राजस्थान को एक पोलीटिकल एजीटेशन के रूप में, राजस्थान को पोलीटिकल आइडियोलोजी की फील्ड बनाकर भारत सरकार एक्सप्लोइट करना चाहती है। हम राजस्थान को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, पोलीटिकल एजीटेशन के एक्सपेरीमेंट के लिए फील्ड नहीं बनने देंगे, उतनी हिम्मत राजस्थान सरकार में होनी चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से भारत सरकार से कह दे, आगाह कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्या इस बात की है कि वह व्यापारी जिसको हमने मुनाफाखोर समझ लिया, मैं कोई उसकी वकालत नहीं करता, वह मुनाफा कमाए, इस बारे में दूसरी राय नहीं रखता कि उस मुनाफे को कंट्रोल किया जाय, लेकिन व्यापारी एक एजेंसी है प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर के बीच में उसके लेबर का एवजाना हम उसे मुनाफे के रूप में देते हैं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने व्यापारी को दोषी ठहराया कि उसने मुनाफा कमाया, कम कीमत के अंदर लेकर ज्यादा कीमत में बेचा। मैं राजस्थान सरकार को इसके लिए दोषी ठहराता हूँ कि उसने मार्जिन ऑफ प्रोफिट क्यों नहीं निर्धारित किया, सरकार तो मॉडल ऑर्डर को लेकर यहां आ गई। भारत सरकार पर इस बात का दबाव डाला जा सकता है कि मार्जिन ऑफ प्रोफिट तय करना चाहिए, सीलिंग प्राइस तय होने चाहिए। हमने मिनिमम प्राइस तय कर दी तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उससे सीलिंग प्राइस नहीं गिरती। मार्जिन ऑफ प्रोफिट राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के अंदर महंगाई बढ़ी और अनुचित फायदा उठाया गया। आज भी खाद्य के संबंध में हमारी सरकार ने जो नोट पेश किया है उसमें उल्लेख नहीं किया कि सरकार सीलिंग प्राइस या मार्जिन ऑफ प्रोफिट के बारे में क्या विचार रखती है। तो जब तक ये दोनों बातें तय नहीं होतीं और हाफ हार्टेड वे में जिस प्रकार सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है तो उसका लाभ नहीं होगा, उस व्यवस्था के कारण केऑस क्रिएट होगा, ट्रेडर्स नाराज हैं ही, उसके साथ साथ कन्ज़्यूमर्स और किसान दोनों निश्चित रूप से नाराज होंगे। मॉडल ऑर्डर में दो बातों की व्यवस्था है; एक सिक्योरिटी की और दूसरी होलसेल बिज़नेस को समाप्त करने की। जहां तक सिक्योरिटी का संबंध है मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई लोजिक नहीं है।

हिन्दुस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड किसी भी चीज को देखें, अपराध करने से पहले किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती है। आप ट्रेडर्स को इज्जत वाला समझकर चलते हो, जिस व्यक्ति को आप समाज के अंदर सम्मान देते हैं, उसको यह कहें कि यदि तुमको अपना काम करना है तो सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, तुमने कोई अपराध किया तो सिक्योरिटी

(श्री भैरोंसिंह)

का फोर्फीट किया जायगा। इसका मतलब तो आप व्यापारी को इतना बेईमान समझते हो ? यदि वह रूल्स का वायोलेशन करता है तो सरकार इतनी कमजोर है कि अपने रूल्स के अनुसार व्यापारी पर पेनल्टी इम्पोज़ नहीं कर सकती ? इस डिसीज़न के पीछे कौन सा लॉजिक है ? हमारी सरकार कहती है कि व्यापारियों को पहले सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी और फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह लॉजिक आपने केवल फूडग्रेन्स डीलर्स के साथ क्यों लागू किया, बाकी के साथ क्यों नहीं किया ? ऐसा लगता है कि हमारी सरकार रुपया एकत्रित करना चाहती है और सरकार स्टेट ट्रेडिंग करना चाहती है। यह सिक्योरिटी लगभग २ करोड़ रुपए की हो जाएगी। राज्य सरकार इसका क्या करना चाहती है ? यदि व्यापारी भी इस बात की गारंटी दे, जिस गारंटी में कोई शिकायत न हो, ऐसी गारंटी दे कि यदि फलाना व्यापारी जुर्म करता है, यदि डाइरेक्टर, कमिशन या लाइसेंसिंग ऑथोरिटी या सरकार किसी प्रकार का जुर्माना इम्पोज़ करती है तो मैं दूंगा। इस प्रकार जहां कानून में व्यवस्था होती है वहां आप सिक्योरिटी इम्पोज़ करने की बात क्यों ला रहे हैं ? आप स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप स्टेट ट्रेडिंग करना नहीं चाहते। सरकार स्पष्ट रूप से कह दे कि हम किसी प्रकार का सिक्योरिटी का पैसा नहीं लेना चाहते तो ५० परसेंट विरोध दूर हो जायगा।

दूसरे इसमें जो मोटा क्लॉज़ है वह है क्लॉज़ ९। उसमें व्यवस्था है कि एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को अनाज नहीं बेचेगा, स्पेसिफाइड एरियाज़ से बिना अनुमति के अनाज नहीं लाया जायगा। यह बात देखने में बहुत सुन्दर लगती है लेकिन यदि होलसेल बिजनेस गल्ले का खत्म होता है तो उसका परिणाम क्या होगा ? भाव कंट्रोल होंगे या नहीं, लेकिन जो किसान अनाज पैदा करता है उसको जो एक्चुअल मार्केट प्राइस मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगी तो रिज़ल्ट यह होगा कि हम होलसेल बिजनेस के नाम पर किसान के इन्ट्रेस्ट्स पर बहुत बड़ा आघात करने की चेष्टा करेंगे। आपने तय कर दिया कि एक स्पेसीफाइड एरिया से दूसरे एरिया से अनाज नहीं लाया जा सकेगा। इसका मतलब क्या होगा ? यह आपका स्टेट ट्रेडिंग, आपका यह कंट्रोल आर्टिफिशियल कमी बताएगा आर्टीफिशियल कमी के कारण इन्टरडिस्ट्रिक्ट ट्रेड करप्शन का बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा। करप्शन के साथ साथ भाव कंट्रोल करने की उसमें प्रवृत्ति नहीं रहेगी, उसका पोलीटिकल एक्स्प्लोइटेशन भी होगा। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के किसान यदि सरकार के पक्ष में नहीं रहते हैं तो गंगानगर जिले के अंदर हमारी सरकार एक कानून भी लागू कर सकती है कि गंगानगर का अनाज गंगानगर के बाहर नहीं जाएगा, उसका नैचुरल जो परिणाम होने वाला है कि वहां शोषण होगा, किसान त्राहि-त्राहि करेगा। हमारी सरकार ऐसी स्थिति का लाभ उठाना चाहे तो यह कह सकती है कि यदि किसान का साथ दे तो हम डिसीज़न लेकर गंगानगर जिले के बाहर अनाज ले जाने की अनुमति दे सकते हैं, तो किसान के प्रोड्यूस का भाव बढ़ेगा और दूसरे जिलों में जहां अनाज महंगा है वहां के किसानों से कहा जाएगा कि तुम्हारे जिले में अनाज लाने की अनुमति हम दे सकते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, यदि तुम हमारा साथ दो। तो इस तरह से आप राजस्थान की जनता को करप्ट बनाना चाहते हैं। मैं दूसरी बातों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता; रिटर्न्स के, स्टेटमेंट्स के। ये सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सख्त हैं। यदि हमें इस ट्रेड को चलाना है तो इतनी सख्ती के साथ ट्रेड नहीं चल सकता। आपको इस सख्ती में कमी करनी पड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर व्यापारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। १४) रुपये मन गेहूं देने वाला किसान आज राजस्थान में नहीं है, वह एक साइकोलोजीकल इफेक्ट है। आज से एक–दो महीने पहले २८) रुपए मन के अंदर गेहूं बिका, यह बात किसान के दिमाग में जमी हुई है। किसान समझता है कि २८) रुपये मन में जो गेहूं बिका है उसको आज राजस्थान सरकार १४) रु० मन में बेचना चाहती है। कौन सा किसान ऐसी बुद्धि का दीवालिया होगा कि २८) रुपये मन जो गेहूं बिक चुका है उसे १४) रु० मन में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा? मान लीजिए कि आज किसान तय कर देता है कि हम १४) रुपये में नहीं देंगे तो आप कहां से लाएंगे? किसान इन भावों में नहीं देगा, उधर खाने वाला अनाज के लिए तरसेगा। तो यदि हम इन तीनों कड़ियों-किसान, व्यापारी और उपभोक्ता-को मिलाकर समाज की सर्विस कराने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप मानकर चलिए कि स्थिति पर काबू नहीं कर सकेंगे।

राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की है कि १४२ मंडियों पर क्रय की व्यवस्था होगी। इसके लिए कलेक्टर्स को पॉवर्स दी हैं, लेकिन राजस्थान के ३ लाख वर्गमील के क्षेत्र में जहां लगभग ७ हजार ग्राम पंचायतें हैं, ऐसे बड़े क्षेत्र में हम १४२ दूकानें खोलकर किसान का अनाज नहीं खरीद सकते। किसान का अनाज यदि हम नहीं खरीद सकते तो वितरण की व्यवस्था नहीं होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि राज्य सरकार आज श्री सोहनलाल दुग्गड़ को बुलाकर कहदे कि राजस्थान का अनाज खरीद ले तो वह टेलीफोन से खरीद सकता है। सरकार को शायद व्यवस्था करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, मशीनरी जुटानी पड़ेगी। लेकिन उसी व्यक्ति से यदि कह दिया जाय कि वितरण की व्यवस्था भी टेलीफोन से स्वयं जाकर करे तो पैसे के बल पर भी नहीं कर सकता। अनाज के उत्पादन से अधिक भारी चीज है वितरण। हमारी सरकार ने खाद्य का नोट प्रस्तुत किया है, उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार खरीद करने का विचार कर रही है। लेकिन वितरण की क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आप समझते हैं कि कोई गांव में काम करने वाला मजदूर, तहसील हैडक्वार्टर में जाकर अनाज खरीदेगा? आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो व्यवस्था कर दी लेकिन राजस्थान में केवल सरकारी कर्मचारी हों ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में बाकी जनता भी है जो गांवों में रहती है। उनसे हम कहे कि यहां से ३० मील दूर मन्डी है वहां से अनाज खरीद लाए तो उन्हें अनाज किस भाव में पड़ेगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार सिक्योरिटी के प्रोवीज़न को वापिस ले ले, होलसेल बिज़नेस के ऊपर जो पाबन्दी

Page No. 103

(श्री भैरोंसिंह)

लगाई है उसे हटा ले, इस कानून को सरल बनाये और लोग अनुचित मुनाफा न उठा सकें इसलिए मिनिमम प्राइस के साथ साथ मैग्ज़ीमम प्राइस या सीलिंग प्राइस निश्चित करे। जिस समय भाव बढ़ते हैं उस समय सरकार अपने स्टॉक को रिलीज़ करे और भावों पर कन्ट्रोल करने की चेष्टा करे। यदि इतना भी सरकार नहीं कर सकती है तो एवरेज प्राइस खरीद कर तय कर दे और मार्जिन ऑफ प्राफिट तय कर दे। ऐसी व्यवस्था से सरकार जनता को अनाज पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हल हो सकता है। उसका जनता का प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करेगा। आपने जो व्यवस्था की है उसको आप आज वापिस नहीं लेंगे, कल उसको वापिस लेंगे, पांच दिन बाद उसको वापिस लेंगे। नई प्रोब्लम्स पैदा होंगी। फूड रॉयट्स हो सकते हैं, लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। उसको मीट-विथ करने के लिए पहले ही सोच समझ कर उसको हल करें। उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर राजस्थान की दो करोड़ जनता की प्रतिष्ठा को बनायें। उनको सहूलियतें किस प्रकार मिल सकती हैं, इस पर विचार करें। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाये कि लोग अनुचित मुनाफा न उठा सकें, मार्केट समिति दायरे में फ्लक्चुएट न हो। उन सब बातों को सरकार ध्यान में रख कर आवश्यक कार्यवाही करेगी तो, मैं समझता हूँ, कि आज की स्थिति में जो समस्या पैदा हुई है उसका समाधान कर पायेगी।

श्रीउपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस विषय पर विरोधी दल के नेता और जनसंघ के भाषण हुए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज यह जो समस्या है यह समस्या किसी पार्टी अथवा दल की नहीं है। मैं इसके विषय में सही बहस हो सके इसलिए सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान उन स्थितियों की ओर ले जाना चाहूँगा जिनके कारण यह कानून सरकार को निकालना पड़ा।

सवाल तो यह है कि पिछले साल, कुछ भी कहा जाय, लेकिन यह सही है, मैं नहीं मानता कि व्यौपारियों ने, मैं इस तरह की बात कहूं कि उन्होंने कोई बेईमानी की या वे बुरे हैं, यह गलत है। स्वतन्त्र रूप से से बिज़नेस करना है, स्वतन्त्र मार्केट है। क्रय-विक्रय का काम मार्केट के हिसाब से करते हैं। जो इकोनोमिक्स को बेस किया है, देश में भाव बढ़े हैं। एक होलसेलर ने दूसरे होल सेलर को बेचा। कमीशन मिलता है, एक मसल्हई तरीके से फायदे की बात है, कानून तो एक्सपेक्टेड था, जिसके जरिये भाव इस हद तक बढ़े हैं। सारे व्यौपारी भी और और लोग भी इसको महसूस करते हैं और इतना ही नहीं सारे देश में त्राहि त्राहि मच गयी। इस तरीके से मची कि रिफ्लेक्शन हुआ और भाव बढ़े। अचानक भाव बढ़ गये और उस कारण खाद्यानों की जो स्थिति हुई वह बड़ी विचारणीय होने लगी। उस कारण सारे देश में यह आवाज उठी कि कम से कम खाने पीने की चीजें निश्चित मूल्यों पर, कम मूल्यों पर, जनता को मिलनी चाहिये।

हम जब सदन में इकट्ठे हुए थे, उस वक्त की याद दिलाना चाहता हूं, इस निश्चित

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

धारणा से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज गवर्नमेंट के ही नहीं बल्कि सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर हैं उनके मजदूरों और सरकारी नौकरों ने असंतोष व्यक्त किया कि जो मंहगाई के कारण उनको इन्टेरिम तरक्की दी वह नाकाफी है और इसका कारण हैं बढे हुए भाव, हम बार बार यहां कहते रहे हैं कि नाकाफी हैं, हमने वाकआउट किया है, मजदूरों को गरीबों को, हमने बहुत आगे बढ़ कर कहा है, ५) रु० देने से काम नहीं चलता, उनको २०) दिया जाय। प्रदर्शन किये गये, जैसे उन नौकरों की परवाह तो ऑपोज़िशन वाले ही करते हों। इस तरह की चीज़ का सरकार नतीजा निकाल कर, हिन्दुस्तान भर में यह चीज़ हुई है, सरकार मजबूर होकर कदम उठाती है। सरकार का कदम इसलिए नहीं उठता कि उसको कोई शौक हो गया है। यह बात की जा रही है वह जबरदस्ती की जा रही है और स्टेट ट्रेडिंग की पोलिसी है। स्टेट ट्रेडिंग की पोलिसी सरकार की नहीं है। सरकार ने निश्चित रूप से एक प्रकार से देश को आज जो मांग है उसको पूरा करने के लिए कदम उठाया है कि इस चीज़ से हम किसी तरह से देश को निकालें। पचवर्षीय योजना और विकास के काम चालू हैं। उनमें लेबर की जरूरत है और उनकी जरूरतों को पूरा करने को योजना होना आवश्यक है। देश भर की प्रगति पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। एक चीज़ का इलाज करते हैं, उधर महंगाई देते हैं और इधर भाव बढ़ जाते हैं। मंहगाई वाले भी काम नहीं चला सकते। घर घर में देखो, दुख और उत्पीड़न होता है। उस उत्पीड़न को खत्म करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े हैं। व्यापारियों का सहयोग लेना पड़ा है, सदन का सहयोग लेना पड़ा है। आप धमकियों से और दूसरी चीजों से केऑस पैदा करते हैं, यह न हमारे लिये न आपके लिए और न देश के लिए अच्छी बात है। हमें अच्छी तरह से, सही तरीके से बहस करके नतीजे पर पहुंचना चाहिये। सरकार ने कभी व्यापारियों को नहीं कहा है कि आप व्यापार न करें। बल्कि सरकार ने कहा कि अमुक क्लॉज़ है उसके नीचे सिर्फ इतनी सी बात है कि जो होलसेलर्स हैं उनको दूसरे होलसेलर्स को नहीं बेचने दिया जायगा। होलसेलर्स मसरूई रख कर बेचते हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। जो नोन्स हैं उनसे निकलना आवश्यक होगा मुल्क के लिए और देश में यह बात तय की गई है कि क्यों कीमतें बढ़ती हैं। जवाब यह आया कि मसरूई ढंग से व्यापारी कीमतें बढ़ा देते हैं और अमर बेल की तरह छाने वाली क्लॉस पैदा कर देते हैं और बिचौलिये हैं, मैं मानता हूं उनका कोई कुसूर नहीं है, लेकिन इस तरह फायदा करके अपने लिये कमा कर बहुत सा रख लेते हैं। कम से कम लोगों पर बन्धन डाल कर सरकार किसी तरह से इस चीज़ को सुधारे। उसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को नहीं बेच सकेगा। मैं गलत मानता हूँ कि सिक्योरिटी की प्रोब्लम है, गोडाउन्स या दूसरी परेशानियां हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको बातों को समझने की कोशिश मैंने भी की, आपने भी की; सबसे बड़ा तरीका यही है कि किसी तरीके से एक होल सेलर व्यापारी को दूसर होल सेलर व्यापारी को एक दफा बेचने की इजाजत दे दी। यही तुक है जिस पर सरकार का बिल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

डिपेन्ड करता है और यह सरकार के लिए मुश्किल होगा कि एक होलसेलर से दूसरे होलसेलर को बेचने की इजाजत सरकार दे। इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्ट को सरकार नहीं चलाना है। सरककार इजाजत नहीं दे सकती।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। इसमें ध्यान रखना चाहिये यह कानून एक कोम्पेक्ट कानून है, कहीं से भी खिसके तो व्यापारी और एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थिति है उन दोनों को एक होते देर नहीं लगेगी। यह चीज़ है। ये दोनों एक हो गये तो फिर आपको और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए होलसेलर्स को भी सोचना चाहिये। देश के मजदूर, किसान और जो दूसरे तबके हैं वे इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि खाद्यान्न के लिए खुली छूट दी जाय। आप बहस करते हैं, दो पैसे का टैक्स लगाते हैं। बम्बई से तार आता है और उसे खोलते ही पैसे बढ़ जाते हैं। बगैर किसी कारण के टैक्स लगा देते हैं आज तो, दो रुपये भाव बढ़ गये। इस तरह से मन चाहे तौर पर भाव बढ़ा देते है किसी को बहस करने की जरुरत नहीं। इसीलिये सरकार कानून लायी है इसे निश्चित रूप से लागू करना है।

अब मैं दूसरी ओर आगाह और करना चाहता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं कि सीलिंग प्राइस मुकर्रर करेगी सरकार। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात और जो दिक्कत है सरकार के सामने वह तो व्यापार करने के बाद दिक्कतें आयगी उसका समाधान कर लिया जायगा। इससे यह कहना कि सरकार व्यापारियों के खिलाफ है गलत है। सरकार की यह मंशा है कि वह भावों पर नियन्त्रण रखे और जनता तक सही दामों में पहुंच जाय।

इसके साथ साथ मैं व्यापारियों से और दूसरों से निवेदन करना चाहता हूँ कि और मुल्कों में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, वहां जहां पर अधिनायकवाद है उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन मैं आपके मिसाल को तौर पर कहूँगा कि अभी अभी बरमा में जिस प्रकार की घटनायें हुई हैं उस ओर हमारे व्यापारियों को भी ध्यान रखना चाहिये। आज यहां पर तो केवल लाइसेन्स लेने की ही पाबन्दी लगायी है इससे व्यापारी लोग इतने रुष्ट हो गये और हड़ताल कर दी। उन व्यापारी वर्ग को अपने पड़ौसी मुल्कों में जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिये। मैं आपके सामने बरमा की मिसाल रखता हूं। वहां क्या हालत हुई, व्यापारियों को ध्यान में रखना चाहिये। वह की सरकार ने एक दिन के अन्दर अन्दर कीमतें गिरा दीं। एक ही दिन में सारा व्यापार वहां की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, हम कानून से काम करना चाहते हैं आपको इसे रिकग्नाइज़ करना चाहिये। हमारे सामने पचासों दिक्कतें आने पर भी हम कानून से चलना चाहते हैं। पड़ोस वाले क्या करते हैं, एक दिन के अन्दर रंगून में कीमतें गिर गईं और वालिन्टियरी सरकारी नौकरों ने वह काम संभाल लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग इसके अन्दर काम करना चाहते हैं वे सामने आये। वहां एक दिन में क्या होता है जब कि वहां की

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जनता को चीजों की कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण दिक्कतें बढ़ रहीं थीं, कन्जूमर्स स्टोर्स को कब्जे में लेने की बात उड़ी तो कीमतें बहुत ही डाउन आ गई। दूसरे दिन क्या होता है सारे स्टोर्स पर सरकार ने कब्जा कर लिया और सारे मुल्क के अन्दर सारे स्टोर्स पर कब्जा कर लिया और सब माल को उधार खाते लिखा गया। उनके वहां जो नौकर थे उनको उन्हीं में नौकर रख लिया गया और हर स्टोर्स पर अपना आदमी बिठा दिया। यहां सरकार यह कहना नहीं चाहती। दूसरे अधिनायकवादी देशों में अभी तक तो यह हो जाता। हमारे यहां का व्यापारी वर्ग भी वह स्थितियां पैदा करना चाहता है। वह इस तरह की हालत पैदा कर रहा है कि यहां केऑस हो, विकास की जो योजनायें चालू हैं वे रुक जायं। व्यापार में भी एक पर्टीकुलर वर्ग इस ओर जा रहा है कि वह इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करें और यहां अधिनायकवाद ले आयें। हम तो जो कोई कदम उठाते हैं उसके लिए बातचीत करते हैं, हर पार्टी वाले से मिल-जुलकर उसके लिए उपाय ढूंढते हैं, रास्ता निकालते हैं। लेकिन यदि अधिनायकवाद यह होता तो आज जो स्थिति रंगून इत्यादि में हुई वह भी यहां होती और उस समय आप भी कांग्रेस को याद करते। आपके स्टोर्स पर कब्जा हो जाता, लेकिन हमारी सरकार को हमेशा यही नीति रही है कि सबको साथ लेकर चला जाय; व्यापारी वर्ग और सरकार मिल करके कोई रास्ता निकाल लें। इसके साथ साथ सरकार को यह साफ कर देना चाहिये कि हमारा कोई इरादा स्टेट ट्रेडिंग का नहीं है। लेकिन हम इसके साथ साथ यह चाहते हैं कि अनाज पैदा करने वाले को, उपभोक्ता को सही कीमत पर अनाज मिल सके और किसान को अपनी पैदावार का सही दाम मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अपील करूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार को यह निवेदन करें कि जितने भी प्रोविन्सेज़ हैं उनमें एक ही तरह की नीति हो, एक ही प्रकार का कानून हो। पंजाब अपनी तरह का कानून बनाये, राजस्थान अपनी तरह का बनाये और गुजरात अपनी तरह का बनाये; यह उचित नहीं है। जब यहां से व्यापारी वर्ग केन्द्रीय सरकार से मिलने गया तो वहां उनसे कहा गया कि हमने तो एक मॉडल कानून बनाकर दे दिया है, सरकार उसमें चाहे जैसा कर सकती है, सरकार पर छोड़ दिया है इस प्रकार कहना सेन्टर की गलती है। यह कानून सारे देश में एक ही प्रकार का होना चाहिये। हम भी यह नहीं चाहते कि हमारे यहां के व्यापारी को किसी प्रकार की तकलीफ हो और साथ ही यह भी नहीं चाहते कि जनता को दुःखी होने दिया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न पर जो बहस चल रही है मैं समझता हूं सरकारी पक्ष और विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देना चाहते हैं यहां केवल बहस के लिए बहस नहीं करना चाहते। जो स्थिति आज पैदा हुई है उसके लिए क्या किया जा सकता है और जो सरकार द्वारा किया गया है और उसमें क्या कमियां हैं उस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हालत यह है वह सरकार के लिए शर्मनाक बात है। तीन

(श्री रामकिशन)

आयोजनाओं के बाद भी सिंचाई की योजनाओं पर अरबों रुपया व्यय करने के बाद भी और कृषि विभाग पर १२ करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी अन्न के मामले में हम अपने प्रान्त को आत्म निर्भर नहीं कर पाये हैं। जहां तक खाद्यान्न का सवाल है यह सारे देश का सवाल है! इस सम्बन्ध में यदि देश में कोई नीति निर्धारित होती है उससे उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा उसका असर सारे देश पर पड़ेगा।

इन १२ सालों में आपने केवल नारे के रूप में इसको दिया है। पहली योजना में आपने 'अधिक अन्नउपजाओ' का नारा दिया, दूसरी पंच वर्षीय योजना में 'एक्सपोर्ट करो', और तीसरी योजना का मुख्य नारा आपने दिया कीमतों पर नियन्त्रण करो। इतना होने पर भी आज स्थिति यह पैदा हुई है कि अन्न का उत्पादन बढ़ा नहीं। इसलिये कीमतों के नियंत्रण का सवाल पैदा हुआ है........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राजस्थान में अनाज का उत्पादन बढ़ा है, राजस्थान से बाहर भेजते हैं अनाज को।

श्री रामकिशन : अगर राज्य सरकार यह मानती है कि हमने उत्पादन बढ़ाया है तो उस हिसाब से कीमतें नहीं बढ़नी चाहियें और उस उत्पादन वृद्धि का लाभ सारे देश को मिलना चाहिये। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के लोग तो सुखी रहें और राजस्थान प्रदेश के लोग भूखों मरें, यह भी नहीं होना चाहिये।

मैं सब से पहले सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई हैं और उसमें जो असफलता हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है।

एक दूसरी बात और बताऊं कि सरकार यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती कि व्यापारी लोग नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये आज नहीं कर रहे हैं, अगर १२ साल का बाजार का उतार चढ़ाव देखें या आजादी के १५ सालों का हिसाब लगावें तो हर साल यह होता है कि फसल के वक्त पर भाव नीचे आ जाते हैं और उपभोक्ता का जब नम्बर आता है तब कीमतें बढ़ा देते हैं और आठ–दस रुपया मन का फर्क पड़ जाता है। सिवाय बीच के दो–तीन वर्षों को छोड़कर बाकी लगातार यही होता रहा है। महंगाई ही महंगाई होती जा रही है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कोई नीति बनाने जा रही है उसके पीछे आखिर उसकी मंशा क्या है ?

एक तो यह हो सकती है कि जो नोट आपने वितरित किया है–कृषि मन्त्रीजी ने, उससे लगता है कि सरकार की मंशा स्टेट ट्रेडिंग की नही है। उनकी मजबूरी है इसलिये कर रहे हैं। वे तो केवल कीमतें घटाना चाहते हैं और इसमें व्यापारियों ने सहयोग नहीं दिया, तब इसमें वे बढ़ें हैं। अगर सरकार की यह धारणा है तो उसे असफलता के दर्शन होंगे यह निश्चित है। जब हम नीति नहीं बना पाते तो मेरी समझ में नहीं आता यह कौनसी गवर्नमेन्ट है ? मेरी राय में न तो पूंजीवादी सरकार है, और न समाजवादी। इसको क्या कहें यह समझ में नहीं आता। कर्म से इसे पूंजीवादी कहेंगे और वाणी से समाजवादी। जब पूछते हैं कि स्टेट

(श्री रामकिशन)

ट्रेडिंग करना चाहते हो, कहते है मंशा तो नहीं है। फिर कैसे कर रहे हो-कि मजबूरी है। पूंजीवादी ही सरकार हो तो उसे समझाया जा सकता है, समाजवादी हो तो उसे रास्ते पर लाया जा सकता पर, शायद यह सरकार तो पराजयवादी और अवसरवादी है। इसको रास्ते पर लाना कठिन हो जाता है। इसकी हालत तो यह है कि गंगा गये गंगादास, जमना गये जमनादास। जनसंघ वालों और स्वतन्त्र पार्टी वालों का जोर बढ़ेगा तो व्यापारियों को छूट दे देंगे। साम्यवादियों का जोर बढ़ेगा तो गला घोंटदिया उनका। पंच की हैसियत से बीच में बैठे रहेंगे। अब उसमें सफलता मिली तो कह दिया कांग्रेस ने किया और अगर फेल हुए तो कहदेगें हमने तो उनके कहने से किया-अपनी जिम्मेदारी से हमेशा बचने की कोशिश ये करते हैं। आप थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीखें। राज करते करते आपको पन्द्रह साल हो गये हैं। अनुभवी हो गये हैं, परिपक्व ज्ञान वाले हैं। हम से ज्यादा अनुभवी, विचारशील, विवेकी, बुद्धिशाली सब कुछ हैं।

हम तो निवेदन करेंगे कि आपने आखिर अपना मत क्या बनाया है ? आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं ? नहीं करना चाहते तो दूसरी तरह का सुझाव देंगे। मेरी मान्यता है अगर आप सही माने में पूरे मन से स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अनाज का थोक व्यापार, सारी खाने पीने की चीजों का थोक व्यापार, जनता की अत्यन्त उपयोग की चीजों का व्यापार निश्चित तौर पर सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। पर सरकार मन से यह चाहती है, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। तो फिर किस तरीके को अपनाना चाहिये तो इसके लिये सुझाव देना चाहता हूँ।

यह कीमतों की चढ़ोतरी अनाज में हुई क्यों ? अनाज की पैदावार कम हुई, खपत ज्यादा हुई, आमदनी कम हुई। इसलिये। तो इसलिये निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के पास आप जावें और लिखा भी है इन्होंने कि यह हमारा इनीशियेटिव नहीं है, भारत सरकार का है-उसने ऑर्डर दिया। उसके अनुसार परिवर्तन भी आपने कर दिये हैं। तो सबसे बड़ा सुझाव मेरा यह है कि आप उसके पास जावें। आज व्यापारी बैंकों से रुपया लेकर अनाज के व्यापार में लगाते हैं। आप भारत सरकार से कहें कि वे रिजर्व बैंक से कहें, उससे घोषणा करावें कि अनाज के व्यापार में एक नये पैसे का उधार नहीं देंगे, एक नया पैसा अनाज के व्यापार में नहीं लगाने दिया जावेगा। इसका नतीजा क्या होगा ? अनाज के व्यापारी जो आज पचास साठ प्रतिशत तक कर्जा ले लेते थे वह नहीं मिलने से उसको लेने और स्टाक करने की उनकी क्षमता कम हो जावेगी।

अगर सरकार समाजवादी नहीं है, पूंजीवादी है तब उसके लिये यह सुझाव है।

दूसरी बात निवेदन यह करनी है। इस चीज से बच नहीं सकते, आप यह कह कर टल नहीं सकते कि हमारा क्या कुसूर है। खाने पीने का जहां तक सवाल है हिन्दुस्तान में उसके भाव आप निश्चित कर दें कि खाने पीने की समस्त चीजों के भाव कम से कम ये होंगे और ज्यादा से ये होंगे। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक फायदा नहीं होगा उपभोक्ता को।

(श्री रामकिशन)

अफसोस है आपने नोटिस जारी किया भावों के बारे में–१५), १६) और १७) रु० मन के । मैं भूतपूर्व गृहमन्त्रीजी से तो नहीं कहूँगा । वे शहर के रहने वाले हैं, पर कृषि मन्त्रीजी किसान हैं । वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली में जावें और जांच करें कि जो गेहूँ का भाव उन्होंने तय किया है वह क्या है ?

आप अचनेरा चले जावें जिसके भाव आपने १५)रु० तय किया है वह २२) रु० और २३) रु० मन के भाव में वहां मिलेगा। तो इससे आपका उद्देश्य पूरा होगा नहीं । जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि अनाज आवेगा नहीं । पर मैं कहता हूं आवेगा तो सही, क्योंकि राजस्थान में १६ लाख किसान ऐसे गरीब और मजबूर हैं कि वह तो आप १४) रु० में खरीदेंगे तब भी बेचेगा, १५) रु. में खरीदेंगे तब भी बेचेगा और १६) रु० में भी बेचने को मजबूर हो जावेगा, दो रुपया मन भी आप खरीदेंगे तब भी बेचेगा । उनके पास और कोई रास्ता नहीं है । वे मजबूर हैं । उनके पास जिन्दगी बसर करने का इसके अलावा और साधन नहीं है ।

आप बखान करते हैं हमारी सरकार वैलफेयर स्टेट है, न्याय और समानता का बर्ताव करने वाली सरकार है, तो आपका फर्ज हो जाता है कि कीमतें आप ऐसी तय करें कि जिससे किसान को भी अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिल जावे । किसान को उसकी जरूरी चीजें ठीक कीमत पर उसको मुहैया हो जावे ।

यह केवल अनाज से ही सम्बन्धित सवाल नहीं है । आप गेहूं उससे सस्ता खरीदना चाहते हैं, बाजरा, जौ, चना सस्ता खरीदना चाहते हैं । पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी यह भी जानने की कोशिश की कि आप उसकी जो उसको जरूरी चीजें देते हैं वे उसको किस भाव मिलती हैं । कपड़ा उसको किस भाव मिलता है, मिट्टी का तेल, लोहा आदि उसको किस भाव मिलता है । जिन चीजों को किसान खरीदेगा, जो चीजें कारखाने से आती हैं वे उसको महंगी मिलेंगी, वे सस्ती देने की बात आप नहीं करेंगे, पर किसान जो बेचेगा वह सस्ती होनी चाहिये, खरीदेगा वह सस्ती नहीं होनी चाहिये । तो इस तरह किसान दो बार पिटेगा–बेचते वक्त, और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते वक्त ।

तो यह अखिल भारतीय सवाल है । इसके लिये जब तक अखिल भारतीय नीति नहीं बनेगी तब तक आप टुकड़ों में फैसला नहीं कर सकते, करते हैं तो गलत होंगे वे फैसले आपके, नुकसानदेह होंगे, बस के लिये कठिनाइयां पैदा करेंगे ।

तो इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पहला काम तो आप यह करें कि मौजूदा कीमतें जो आपने स्थिर की हैं वे कम हैं, उनको ऊंचा लावें । जिसका मूल्य १६) रु० रखा है वह २०) रु० से कम नहीं होना चाहिये ।

दूसरा, जो बीस रुपया मन में लें उसे किसी भी हालत में चाहे पाली में दें, चूरू में दें, कलकत्ता या बम्बई में दें–२२।।) रु० से ऊपर न हो । इस तरह से आमदनी खर्च और नफे की नीति नहीं बनेगी तब तक उपभोक्ता को और किसान को फायदा नहीं होगा ।

(श्री रामकिशन)

तीसरा सुझाव है लाइसेंसों को ऊटपटांग बनाने के बजाय आप यह करिये कि कोई भी व्यापारी, थोक व्यापारी पचास–सौ बोरियों से ज्यादा नहीं रख सकेगा और उसको भी आज का आज या अधिक से अधिक १५ दिनों में बेच देना पड़ेगा।

अगर ये तीन बातें आपने कर दीं तो कीमतें नीचे रहेंगी। इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जावेगी। एक, बैंक से निवेदन किया जाय, दूसरे, कीमतें बांध दें, और तीसरे स्टॉक पर पाबन्दी लगा दें।

अगर आप समाजवादी बनने की कोशिश करते हैं तो अनाज के थोक व्यापार को आप सीधे सादे तरीके से अपने हाथ में ले लें और लेते वक्त ध्यान रखें कि एक मिशन की तरह, एक विश्वास की तरह काम करना होगा। पूरे मन से इसमें लगना होगा। पर अगर पांचवें सवार बनने की कोशिश करते हैं तो मेहरबानी करके आप यह मत करिये। मैं निवेदन करूंगा आपने इतने दिनों राज कर लिया, पांच सात साल आपको राज और करना है। तो इसमें हाथ मत डालिये क्योंकि आपके पास मशीनरी जो इसके लिये होनी चाहिये उपयुक्त वह नहीं है। आप में वह विश्वास और ताकत नहीं है।

आपके प्रशासन के लिये मैं यह नहीं कहता कि सभी कलेक्टर बेईमान हैं, सभी सेक्रेटरी बेईमान हैं। पर इस बात को योजना मन्त्री भी जानते हैं, कृषि मन्त्री भी जानते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी को किसान गाड़ी वाले ने अगर दो रुपये दे दिये तो फर्स्ट क्वालिटी में उसका माल गिन लेगा, नहीं तो फर्स्ट हुआ तो सेकण्ड में भी मुश्किल से गिनेगा। किसान इस पर लुटता जावेगा और इसे आप भी मानते हैं आप रोक नहीं सकेंगे। तो या तो आप ईमानदार प्रशासन खड़ा करें तो फिर स्टेट ट्रेडिंग की बात करें। पर जैसा कि आपकी जानकारी में भी पूरी तरह से है कि आपका प्रशासन आज ईमानदार नहीं है तो मौजूदा हालत में आप जो कर सकते हैं उसके लिये तीन तरह के सुझाव मैंने दे दिये हैं।

एक निवेदन और कर दूं। आपने इस सारे व्यापार के लिये पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। कृषि मन्त्री मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, १०–१५ गुना ज्यादा पढ़ाई की है, अनुभवी हैं। पढ़ाई भी उनकी अच्छी हुई है। योजना मन्त्रीजी की क्या कहूँ, वे तो बड़े अर्थ शास्त्री, योजना शास्त्री, फिलॉसफर, दर्शन शास्त्री, कानून आदि सभी मामलों में लम्बी तरह से अपनी रुचि और गति रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : एम० एल० ए० शास्त्र भी एक होता है।

श्री रामकिशन : आपकी तो सभी चीजों में तीव्र गति है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भारत नाट्यम् भी होता है।

श्री मथुरादास माथुर : जो कर रहे हैं आप।

श्री रामकिशन : भारत नाट्यम् तो नहीं, पर फैंसी ड्रेस शो हो तो आप बाजी

(श्री रामकिशन)

मार सकते है, आप कभी गललंगोट लगा कर आते हैं, चमकदार चश्मा लगाते हैं। बड़ी शानदार ड्रेस में रहते हैं। पर इससे मुझे मतलब नहीं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आपने पांच करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें आप सारे राजस्थान का कैसे पर्चेज़ कर लेंगे। इस से तो आप गंगानगर जिले का भी पूरा नहीं खरीद पावेंगे। इस पांच करोड़ से तो आप केवल दस परसेन्ट ही पर्चेज कर पावेंगे सारे राजस्थान में।

नतीजा क्या होगा इसका ? स्टेट ट्रेडिंग भी किया, पर इससे भी व्यापारी आपसे नाराज होंगे, किसान नाराज हुआ, और उपभोक्ता नाराज, एम० एल० एज० नाराज, एम० पी० नाराज। केवल कुल मिला कर सात मेम्बर आपसे खुश होंगे इन १८ मिनिस्टरों में से भी। क्योंकि इन १८ में से भी ११ की एक राय है, और सात की एक राय। अब इन सात मंत्रियों की वजह से करना चाहते हैं तो आप भयंकर भूल करेंगे।

तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो लाइसेंसिंग ऑर्डर है इसमें खुदरा और थोक व्यापारियों की स्पष्ट व्याख्या करिये। मैं जानकारी चाहूंगा कृषि मन्त्रीजी से कि जैसे भरतपुर जिले की बात आप करते हैं तो वहां होता क्या है ? एक दुकानदार है जो दस पांच बीस बोरी अनाज हर दिन खरीदता है और बेच देता है। अब उसको आप थोक कहेंगे या खुदरा ? वह स्टॉक नहीं करता पर बीस मन या १५ मन की एक गाड़ी आती है या जाकर खरीदता है और दो तीन पांच सात रुपया किराया का जोड़ कर उसे काट कर जो बच जाता है ले लेता है और माल बेच देता है। अब उसको आपने थोक कह दिया तो समस्या क्या खड़ी होगी ? वह हर गांव में जाकर और किसान किसान से खरीद कर लाना बन्द कर देगा और किसान को स्वयं को मण्डी में आना पड़ेगा अपना अनाज लेकर। अभी तो वह बहुतों से इकट्ठा करके ले आता है, पर तब सबको अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी लेकर मण्डी में आना पड़ेगा। उनका जो एक दिन का काम छूटेगा और अलग अलग गाड़ियों में अनाज भर कर लाने पर खर्चा होगा, व्यवस्था पर खर्चा होगा वह भी राष्ट्रीय क्षति होगी इसलिए गांवों में जो छोटे व्यापारी हैं २० मन ३० मन अनाज बेचने वाले उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दें कि वह खुदरा व्यापारी हैं या थोक व्यापारी हैं ?

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने धारा ६ में व्यवस्था की है कि एक थोक व्यापारी दूसरे थोक व्यापारी को नहीं बेच सकेगा। समझ में नहीं आता कि यह आपको किस ने सुझाया ? यह ड्राफ्ट किस ने बना कर दिया। जब एक व्यापारी जो कि थोक का काम करता है वह दूसरे थोक व्यापारी को नहीं बेच सकेगा, तो मण्डी में तो कुल ही ५–६ खुदरा व्यापारी होते हैं और उनके पास ज्यादा से ज्यादा दस-दस हजार रुपये होते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है ? गंगानगर आज एक प्रॉड्यूसिंग एरिया है, अलवर भी ज्यादा पैदावार करने वाला क्षेत्र है, भरतपुर भी ज्यादा पैदावार करने वाला क्षेत्र है और इसी तरह से सवाई माधोपुर भी अन्न के मामले में प्रॉड्यूसिंग एरिया है। इन एरियाज़ से जब तक आप डेफीसिट इलाकों के अन्दर अनाज नहीं भेजेंगे तब तक

(श्री रामकिशन)

व्यापारी कैसे व्यापार करेंगे ? व्यापारी हड़ताल नहीं तो और क्या करेंगे ? कम से कम आप इतना तो कर दो कि अधिक उत्पादन वाले इलाके से डेफीसिट इलाके को अन्न भेजा जा सकेगा और वहां का व्यापारी उस कमी वाले इलाके के व्यापारी को बेंच सकेगा। तब तो इसका कुछ अर्थ निकल सकेगा अन्यथा इस सारी नीति का कोई अर्थ ही निकलने वाला नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि अगर सरकार की स्टेट ट्रेडिंग की मंन्शा नहीं है, मैं मानता हूं कि आपकी मन्शा नहीं है जैसा आप कहते हैं तो फिर आप व्यवस्था करें कि इतना अनाज इतनी जगह से बेच पायेंगे। चूरू, बीकानेर के व्यापारी इतनी रेट से ऊंचा नहीं बेच सकेंगे। आप इन सारे झंझटों में काम नहीं कर सकते तो आप तय कर दीजिए कि जिस समय भी बाजार में २०)रु. या २१) रु० मन से ऊंचा जायेगा तो सरकार स्टॉक को जब्त कर लेगी। आप कहेंगे कि हमारे पास चैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको उस पर निगरानी रखनी होगी। अगर यह कर देंगे तो भी आपका मामला सुलझ जायेगा और मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि अगर आपको उनसे अनाज ही लेना था तो जुलाई अगस्त में लेते। मेहरबानी करके किसानों को क्यों मार रहे हैं ? व्यापारी तो आपके बस में आने वाले हैं नहीं। हमारा तो क्या है, हम सब किसान बन जायेंगे। एक व्यापारी कहेगा श्रीनाथूराम जी के गांव के आदमी से कि मेरा अनाज है और मुझे रोकें नहीं। नतीजा यह होगा कि आपने किसान को मार दिया। इन सारी समस्याओं का समाधान यह है कि आप कीमत बांधो। स्टॉक पर आप प्रतिबंध लगा दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे दो-तीन मिनट हैं। अभी समाप्त करता हूं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि आप जमानत किसलिए ले रहे हैं ? जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम से भी जमानत ली जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पर अविश्वास किया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप व्यापारियों से किसलिए जमानत मांग रहे हैं ? कौन सा उद्देश्य है ? मेरे ख्याल में एक उद्देश्य तो यह है कि यह कानून तोड़ेंगे तो भय बना रहेगा कि यदि कानून तोड़ा तो जमानत जब्त हो जायेगी। लेकिन आपने इसका दूसरा पक्ष नहीं देखा कि आपकी मशीनरी इतनी भ्रष्ट है कि जिस दिन से जमानत का जब्त करने का आदेश दे देंगे उस समय हर इलाके से दो तीन हजार की आमदनी हो जायेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा और अगर आप कहते हैं कि हम तो नहीं देखना चाहते हैं तो आप आंख बन्द करके किसी गड्ढे में कूदना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं। यह राष्ट्रीय सवाल है इस लिए हम आपको उस कुए में नहीं कूदने देंगे। हमारा फर्ज है और हमारा धर्म है हम आपको कूदने नहीं देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : आपको लेकर कूदेंगे।

श्री रामकिशन : हमें संग लेकर डूबेंगे तो तसल्ली रहेगी कि हम और आप साथ रहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : नीचे आप और ऊपर हम रहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): वह तो पैंदे में जायेंगे तो मालूम पड़ेगा।

श्री रामकिशन : मैं इतना चाहूंगा कि नीचे ऊपर का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि आप इस जमानत वाले क्लॉज़ को साफ करें। आप किसलिए जमानत लेना चाहते हैं? मैंने दूसरा पक्ष बताया है। हमारे योजना मंत्री और वित्त मंत्री महोदय सारे पहलुओं को समझते हैं कि ऐसा ऐसा राज्य में होता है। मैं चाहूंगा कि इन ऑर्डर्स को बगैर बहस के और जिद्द के ४–५ आदमी फिर बैठ जायें और देख लें। मैं कहना चाहता हूं कि ५० परसेन्ट तो आप ट्रेड करें और ५० परसेन्ट कम्पीटीशन पर छोड़ दो। इससे किसान को लाभ हो जायेगा, व्यापारियों को संतोष हो जायेगा और सरकार भी इस पोज़ीशन में आ जायेगी कि जब चाहे कीमत गिरा देगी। मैं इसी सुझाव के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइसेन्सिंग ऑर्डर पर कुछ समझदार बैठें और एक एक क्लॉज़ में क्या संशोधन हो सकते हैं उसको करें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार (सहाड़ा–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की खाद्य स्थिति को देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है उसके लिए मैं उसका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्यादातर गांवों में रहने वाले हैं और हम जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। हम खेती करने वाले किसान हैं। जिस समय हम अनाज पैदा करते हैं तो रात और दिन मेहनत करके, जिस दिन हमारे खेतों में अनाज आता है तो व्यापारी लोग ५) रु० की चीज देते हैं, ५) रु० का कपड़ा देते हैं उसके बदले में ८–१० रुपये का अनाज हमारे पास से ले जाते हैं। इस हालत को देखते हुए जो सरकार ने कानून बनाया है वह बिलकुल ठीक है और मैं उसका स्वागत करता हूं। इसमें क्या होगा कि जितने काम करने वाले हैं वह गेहूं के अलावा दूसरा अनाज सस्ते भाव वाला खाते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और जितना अनाज लेना चाहते हैं वह नहीं मिल पाता है और पैसा भी नहीं है। जो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और जो महाजन हैं उन्होंने अपनी हवेलियां बना ली हैं। कौन सा ऐसा गरीब किसान है जिसने मकान बनाया है? किसान जो रात और दिन मेहनत करता है उसने कोई गांव में पक्का मकान नहीं बनाया है। तो सरकार ने जो नियम बनाया है यह गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय ने सुबह कहा था कि एक किसान ५) रु० में बकरी दे देता है, सस्ते कीमत में गाय दे देता है, बैल दे देता है–उसका कारण क्या है? यह मैं जानता हूं क्योंकि मैं आदिवासी इलाके में रहने वाला हूं। ५ रुपये की कोई चीज लेते हैं तो १० रु० की बकरी ५) रु० में बेच देते हैं। १००) रु० की गाय को २०) रु० में दे देते हैं, १००) रु० का बैल महाजन को २०–२५ रु० में दे देते हैं। तो सारी चीज हमारी ब्याज में ही चली

(श्री देवेन्द्रकुमार)

जाती है। ब्याज को देते देते हम लोग मर रहे हैं। यह जो कानून सरकार ने बनाया है इसका मैं स्वागत करता हूं और मानता हूं कि इस तरह से सरकार ज्यादा से ज्यादा अच्छा कदम उठाकर गरीबों को फायदा दे। दूसरी चीज यह है कि भावों के बारे में माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे। २०–२२ रुपये का गेहूं का भाव है तो हमें भी फायदा रहेगा इसके लिए सरकार और भी कोशिश करे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दी जाये ....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): घर की बात मत कहो।

श्री देवेन्द्रकुमार : आपकी और हमारी हालत हम जानते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री देवेन्द्रकुमार : आप खेती करना नहीं जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम रात दिन ठंड में सिकुड़ने वाले किसान हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए और महाजनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा न दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा सख्ती से कानून लागू किया जाये जिससे हम फायदा उठा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनाज के संबंध में खरीद करने और बिक्री करने के संबंध में जो लाइसेंसिंग आॅर्डर निकाला है उसके बारे में व्यापारियों की ओर से हड़ताल हो रही है। दूसरी तरफ किसानों की फसल बाजार में आनी शुरू हो गयी है और उसके कारण जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है, उस वातावरण में आज हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर आज किसी सही नतीजे पर पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि उस पृष्ठभूमि को हमें अवश्य देखना पड़ेगा जिस पृष्ठभूमि से इस कन्ट्रोल आॅर्डर की आवश्यकता पैदा हुई, कुछ उन कदमों को उठाने की आवश्यकता पैदा हुई जो इसी सदन में माननीय सदस्यों ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हुई थी या बजट पर बहस हुई थी महंगाई के कारण जो भयंकर स्थिति हमारे प्रान्त में पैदा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है कि पिछले वर्ष जब मार्च के महीने में जहां गेहूं के भाव १४, १५ और १६ रुपये मन थे वहां फरवरी में जब हम इस सदन में मिले तो वह भाव ३२) रु० मन तक पहुंच गये। यह बात भी सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि ग्रेन लाइसेंसिंग आॅर्डर, १९५८ लागू था और उसके तहत लोगों ने लाइसेन्स लिए हुये थे। उसके बावजूद भी यह स्थिति सामने आई। चारों तरफ प्रान्त में एक हाहाकार मचा, जगह जगह पर आन्दोलन हुए। क्या तो सरकारी क्षेत्र और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र जो भी मेहनतकश तबका था, खुद किसान तबका था, उनको इस महंगाई के अन्दर २५,–३०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुपये के भाव का बीज खरीदना पड़ा और इस तरह की गम्भीर स्थिति हमारे प्रान्त में पैदा हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति पैदा हुई, उस स्थिति में जो भी सरकार के नियम थे—चाहे वह लाइसेंसिंग ऑर्डर, ५० का हो या कोई भी नियम हो—इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस ऑर्डर के होते हुए भी सरकार ने ट्रेड को एक तरह से फ्री ट्रेड बिलकुल करार दिया । बावजूद इस बात के कि उस लाइसेंसिंग ऑर्डर के कुछ रेगुलेटरी मैज़र्स हो सकते थे, सीलिंग प्राइस फिक्स की जा सकती थी, सीलिंग प्राईसेज़ मुकर्रर करके जो भी गोडाउन्स में अनाज था उसको उन भावों पर बिकवाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस कदम को नहीं उठाया और शायद इस ख्याल से कि जिस तरीके से जिन लोगों के पास अनाज है वह उस अनाज को ठीक कीमतों पर बेचेंगे । लेकिन जो भी स्थिति बनी वह हमारे सामने है और इस सदन ने कितने ही जुलूसों को देखा है जो कि महगाई के प्रश्न को लेकर इस सदन के बाहर इस शहर में निकाले गये जिनमें मांग की गयी थी कि ज्यादा बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाये और जितनी मंहगाई बढ़ती है उसके अनुपात में जो भी फिक्स्ड इन्कम वाले लोग हैं या मेहनतकश तबका है या बीच का तबका है उसके मुकाबिले में उतनी ही उनकी इन्कम में चाहे महंगाई वृद्धि के रूप में हो या और तरीके से आमदनी बढ़ाने के रूप में हो, उसमें बढ़ोतरी की जाये । उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में इसी सदन में इस बात की मांग की गयी और विशेष तौर पर हमारे दल की ओर से और दूसरी पार्टियों की ओर से भी और इस ओर बैठने वाले यू०डी०एफ० की ओर से, जब इस फ्रीट्रेड का करिश्मा इन पिछले ६ महीनों में देखने को मिला जिसमें बावजूद लाइसेंसिंग ऑर्डर के, रेगुलेटरी मैज़र्स के होने के भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । तो पिछले ६ महीने का तजुर्बा शीशे की तरह हमारे सामने है कि चाहे कोई व्यापारी इन्डिविजुअली उसका जिम्मेदार न हो, चाहे उनका चेम्बर उसके प्रति जिम्मेदार न हो लेकिन जिस तरीके का यह इकोनोमिक सिस्टम, जिस तरीके का यह खरीद और बिक्री का सिस्टम है जो हमारी स्टेट में रायज है यह अपने आप में इनफ्रिन्ज़ीकली शोषण करने का तरीका है । यह फ्री ट्रेड का ऐसा तरीका है जिसमें किसान को ज्यादा क्रॉप नहीं होने की वजह से अनाज को एक सीमित सीमा के अन्दर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है । जो लोग साधन सम्पन्न हैं, जो लोग फाइनेन्सेज़ रखते हैं, यह सिस्टम है हमारे इस फ्री ट्रेड का कि वह गोडाउन्स में अनाज को जमा करते हैं और उससे उनकी नीयत मुनाफा कमाने की होती है । हमारे समाज ने कानून का व्यवस्था का एक सही तरीका माना हुआ है । उसका एक कानूनी तरीका माना हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, जो परिस्थितियां पिछले ६ महीनों में हमारे प्रान्त में और सारे देश में गुजरीं उन, परिस्थितियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि फ्री ट्रेड का सिस्टम आज की प्लान्ड इकोनॉमी में जहां इतना बड़ा फाइनेन्स खर्च करके आप इनफ्लेटेड मनी क्रियेट कर रहे हैं, जिसमें कन्ज्यूमर्स गुड्स उसी तादाद में पैदा नहीं होते, ऐसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डाइनेमिक सोसाइटी में जिसमें बहुत बड़ा एक्सपेन्डीचर डेवलपमेन्ट के अन्दर खर्च किया जा रहा है, यह लाजमी है कि अगर रेगुलेटरी मैज़र्स नहीं हो, अगर इस प्रकार के मैज़र्स न हों जो नोर्मल फ्री ट्रेड के ऊपर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगाई तो उस फ्री ट्रेड का नतीजा यह होगा कि कुछ तबका उससे पिस जायेगा और कुछ तबके को अनअर्न्ड इन्कम उससे मिलेगी । मैं यह मानता हूं इसके लिए हम एक्स-व्यापारियों को दोषी नहीं कहते । एक्स-व्यापारी ऊंचे भाव पर नहीं बेचे तो वही व्यापारी उससे सस्ता खरीद कर ऊंचे भाव पर बेच देगा । जब आप उस सिस्टम को स्वीकार करते हैं कि स्टेट उसमें इन्टर्वीन नहीं करेगी, जब आप उस सिस्टम को स्वीकार करते हैं कि मुनाफे के लिए कोई आदमी अन्न का संग्रह अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित तादाद में कर सकता है, जब आप उस सिस्टम को स्वीकार करते हैं कि अमुक संग्रहकर्ता व्यापार करेगा और उससे मुनाफा कमायेगा तो दूसरे व्यापारी को बेच सकता है, जब आप इस सिस्टम को स्वीकार करते हैं कि अगर कलकत्ता के व्यापारी को मुनाफा करने की नीयत है तो वह जयपुर के मार्केट का तमाम गेहूं खरीद कर सकता है और वहां पर कलकत्ता में मंगा सकता है । यह जो सिस्टम है यह आपका केपिटलिस्टिक सिस्टम की देन है, आपके फ्री ट्रेड व्यवस्था की देन है और उसका यह अवगुण है जिसका नतीजा हमें पिछले ६ महीनों में भुगतना पड़ा । इस पिछले कटु अनुभव के बाद जबहमने यह मांग की थी कि इसका सही हल यह है कि जिस तरीके की प्लान्ड इकोनोमी पर चलने की इस सरकार ने तैयारी जाहिर की तो उसका लॉजिकल कन्क्लूजन यह है कि आपको सोसाइटी के दूसरे सेक्टर्स में भी रेस्ट्रिक्शन्स को, किसी प्रकार के रेग्युलेशन्स को आपको करना पड़ेगा और फिर ऐसी वस्तुओं पर जो कि इन्सान की जिन्दगी से ताल्लुक रखती हैं, जो कि करोड़ों लोगों की रोटी का सवाल है, उस पर तो सरकार को विशेष तौर से विजिलेन्स रखना पड़ेगा । उसके बारे में जूएबाजी का ख्याल नहीं रखा जा सकता है, उसके बारे में एक्सपेरीमेंट नहीं किया जा सकता है और इसीलिए अगर सरकार गारन्टी करना चाहती है, रियल वेजेज़ आम मजदूरों को, प्रोड्यूसर को वाजिब कीमत मिले और आम लोगों को, उपभोक्ताओं को ठीक कीमत मिले, तो सरकार को इस फील्ड में आना पड़ेगा । स्टेट ट्रेडिंग स्वयं एक ऐसा तरीका है जिससे इस तरह के तीनों तबकों को सही चीज मिल सके–उपभोक्ता को भी, प्रोड्यूसर को भी । यही एक तरीका है जो गारन्टीड तरीके से हो सकता है । आलटरनेटिव हमने देखा है । फ्री ट्रेड का सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है, उसको हमने देखा है, वह हमारी आंखों के सामने फैल हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर खेद हुआ है कि बहुत गम्भीरता से बात कहने में कही जाती है, वह इस तरह से कही जाती है कि इस बात को पोलिटिकल क्वेश्चन नहीं बनाया जाय । इसके बावजूद, जनता की इस तरीके की महंगाई में दिक्कतों के देखने के बावजूद, और माननीय जनसंघ के सदस्यों द्वारा इसी प्रश्न पर, महंगाई के क्वेश्चन पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता का जुलूस लाने के बावजूद उन दलों के माननीय नेताओं द्वारा आज इधर उधर तरीके से उसी फ्री ट्रेड के सिस्टम की हिमायत करे, जिसमें कि कन्जूमर को उसी एक सेक्शन की रहम पर छोड़ दिया जाय, मैं यह समझता हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। गम्भीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है कि आखिर हमने भी देखा कि अगर वास्तव में इन पिछले दिनों में जो सिस्टम आज अभी तक चला आ रहा है वह सिस्टम नाकामयाब रहा है, कीमतों को रोकने में वह सिस्टम नाकामयाब रहा है। उपभोक्ता को वाजिब कीमत में नाज पहुंचाने में चाहे उसमें मैं मानता हूँ कि वह गलती रही है कि मौजूदा लाइसेंसिंग ऑर्डर जो कुछ है उसमें ऊंची से ऊंची कीमत मुकर्रर करके और गोडाउन्स में जो नाज था उसको उन कीमतों पर सरकार बिकवा देती तो किसी हद तक उसमें कुछ राहत लोगों को मिल सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर सरकार ने नहीं किया तो उसके जो लोजिकल कन्क्लूज़न हुए, जिस तरह फ्री ट्रेड हमारी स्वतन्त्र पार्टी चाहती है, स्टेटस–को की वकालत जिस प्रकार से हमारी स्वतन्त्र पार्टी करती है या जिस तरीके से जनसंघ के नेता यह कहते हैं कि मैं तो यह चाहता हूँ कि किसी तरीके से इस स्टेट ट्रेडिंग का ऐसा एक्सपेरीमेंट किया जाय कि यह एक दफा बुरी तरह से फैल हो जाय ताकि आयन्दा के लिए कभी इसका नाम नहीं लिया जाय। मैं समझता हूँ कि निहित स्वार्थों की इससे बड़ी वकालत नहीं की जा सकती। जिन लोगों के सामने भूखे लोगों की कतारें थीं, याद नहीं किस तरीके से दिसम्बर, नवम्बर, जनवरी और फरवरी के महीनों में लोग अनाज के लिए तरस रहे थे कि ३२) रु० मन का नाज कैसे खरीदें ! गालियां दे रहे थे सरकार को और उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके से नाज को दाब रखा था। मुझे अफसोस है कि जनता की बात करने वाले इतनी जल्दी इसी सदन में आज ११ तारीख को इस सदन का अधिवेशन समाप्त हो रहा है और २१ फरवरी को हम मिले तो बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर लेकर सामने आये थे, इस सरकार से लड़ने के लिए आये थे, इस सरकार को मजबूर करने के लिए आये थे कि वह इस तरीके से लोगों को फ्री ट्रेड की रहम पर नहीं छोड़ेगी। इस तरीके से कदम उठायेगी जिससे लोगों को सन्तोष मिल सके, जिससे प्रोड्यूसर को यह सन्तोष मिल सके कि उसको वाजिब कीमत मिलेगी, जिससे उपभोक्ता को यह सन्तोष मिल सके, यह गारन्टी मिल सके कि उसको वाजिब कीमत पर नाज मिल सकेगा। इस तरह से, उपाध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं, हम तो यह समझते हैं, हमारा विश्वास है और हम यह समझते हैं कि सही तरीके से सेन्ट पर्सेन्ट हल इसका स्टेट ट्रेडिंग के जरिये हो सकता है। इसका यह हर्गिज मतलब नहीं है कि हम यह कहें कि अमुक व्यापारी, अमुक लोग इस तरीके से एक जगह भाव बढ़ा सकते हैं, यह तो नासमझ लोग कहते हैं जिनको सारे सिस्टम का पता नहीं है, जिस ट्रेड की एनार्किज़्म को आप स्वीकार करते हैं, ट्रेड के फ्री सिस्टम को स्वीकार करते हैं इसका मतलब यह है कि किसी के भाव पर नियन्त्रण करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या भाव हो गये, उसकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, इस तरह का सिस्टम चल नहीं सकता इस रूप में। उपाध्यक्षजी, अगर सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग को पालिसी के तौर पर स्वीकार करके और स्टेट में लागू नहीं की तो यह सरकार की कमजोरी है, लेकिन फिर भी अगर किसी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, मैं आपसे (श्री रामानन्द से) यह पूछना चाहता हूं कि आप बर्मा में हल कर सके हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, मैं यह समझता हूं कि बर्मा का हाल अच्छा है या बुरा है, वह बर्मा की जनता जानती है, और बर्मा की जनता ने जब वहां पर इतना भाव महंगा हुआ, यह बात साफ सामने आती है कि भाव एकदम से क्रैश हुए हैं, लोगों को वाजिब कीमतों पर चीजें मिली हैं। हमारे लिए कोई एक सिस्टम, कोई एक बाइबल की लकीर हो गयी, कुरान की लकीर हो गई, वेद की लकीर हो गई, इस बात को मानकर नहीं चल सकते हैं। किन परिस्थितियों ने जनता को राहत किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है ? हम समझते हैं क्रिएटिव मार्क्सिज्म वह है, क्रिएटिव तरीका वह है और कोई भी सरकार को इस स्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, प्रोब्लम को सारी हालत, उसकी सारी स्थिति, उसकी तस्वीर....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं आपसे (श्री रामानन्द से) क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि वेद की लकीर होती है कि वेद की ऋचाएं होती हैं। आप ध्यान से बोलें अगर नहीं जानते है तो। अगर आपका उस पर विश्वास नहीं है तो आपको हक क्या है इस तरह से बोलने का ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ऑनरेबल मेम्बर की भावनाओं से सहमत हूँ। मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। ऑनरेबल मेम्बर सबका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप ऋचाएं....

श्री उपाध्यक्ष : No interruption.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास जो धन्धा है उसका भी राष्ट्रीयकरण चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता था कि जहां फ्री ट्रेड का सिस्टम फैल हुआ और कीमतें दुगुनी तक चली गईं, जनता से बड़ी भारी व्याकुलता फैली, ऐसी हालत में सरकार स्टेट ट्रेडिंग की पॉलिसी को स्वीकार करके और पूरी तरह से उसको लागू नहीं करे और फिर उससे आगे एक रेग्युलेटरी मेजर के तौर पर एक कदम उठाये उसका भी विरोध किया जाय, उसको भी स्वीकार न किया जाय, उसको भी हटाने की मांग की जाय, तो मैं समझता हूँ कि हम वास्तविक स्थिति से आंखें मींचने की कोशिश करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम वास्तविक तौर से जनता को टीक कीमत

१ (श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर नाज मिल सके उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी से जी चुरा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका मतलब सीधे तौर पर उस तबके को जो संग्रह करके, केवल मुनाफाखोरी करके और अपना मुनाफा बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है उसके मुफाद को ही मद्देनजर रखेंगे, यानी किसी प्रकार के रेग्युलेशन को, किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन को भी, किसी प्रकार का कन्ट्रोल रखने से इन्कार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अभी जो आम तौर पर व्यापार संघ की ओर से जिस प्रकार का स्टेन्ड और खास तौर पर होलसेलर्स की ओर से जिस प्रकार का स्टेन्ड लिया जा रहा है, जिस प्रकार की मांग सरकार से की जा रही है और जिस प्रकार स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य और जनसंघ के सदस्य उनकी वकालत कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि कोई खास किस्म के रेगुलेटरी मेजर्स नहीं लिये जायं, फ्री ट्रेड अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से छोड़ दिया जाय। इसका मतलब यह है कि दिसम्बर, नवम्बर और जनवरी के महीनों को दुबारा रिपीट किया जाय और हम असहाय लोगों की तरह आम लोगों और जनता की हालत को देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी तरफ से ज्यादा लोग बोलने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह हम महसूस करते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं किया तो रेगुलेटरी मेजर्स क्या सोल्युशन नहीं था ? किसी चीज को ठीक ढंग से करने के लिए यह भी एक कदम है जिसके बारे में सदन को सोचना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह सोचते हैं कि सरकार का इस सम्बन्ध में जो एप्रोच रहा इस रूल के बारे में व्यापारियों के अन्दर जो एप्रोच रहा, वह सही तरीका नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह समझते हैं कि यदि सरकार मुनाफाखोरी को कम करना चाहती है तो रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। ज्यादा मुनाफाखोरी होलसेलर्स करते हैं। जहां तक रिटेलर्स का सवाल है वे उपभोक्ताओं को बेचते हैं, वे तो ऐसा करते हैं कि आज सवेरे खरीदा और शाम तक उसको बेच दिया या कल तक बेच दिया। यह तबका न तो जमाखोरी करता है और न मुनाफाखोरी करता है। इस तबके को सरकार द्वारा होलसेलर के साथ जोड़ना अक्लबन्दी नहीं है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप इनको कैसे अलग करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि जहां तक लाइसेन्सिंग ऑर्डर के क्लॉज़ ६ का ताल्लुक है उसमें आप डीलर्स पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वह रिटेलर्स को ही बेच सकेगा और रिटेलर कन्ज़्यमर्स को बेच सकेगा, दूसरे जिलों में नहीं ले जायगा, स्पेसिफाइड जगह पर ही ले जायगा, होलसेलर को भी बेचेगा नहीं। कोई रिटेलर होलसेलर को नहीं बेचता और दूसरी तहसीलों में भी रिटेलर नहीं ले जाता है। आज बड़े बड़े व्यापारी होलसेलर्स और एजेन्ट्स हैं वे देखने में तो सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन दरअसल में वे रिटेलर्स के खिलाफ हैं जो कन्ज्यूमर्स को बेचने की गारन्टी करता है, जो होलसेलरर्स उस धंधे में घुसना चाहता है वह रिटेलर की रोजी को खत्म करना चाहता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस ऑर्डर से रिटेलर की कन्डीशन मजबूत बनेगी, वह आम लोगों को बेचेगा, वह संग्रह नहीं करना चाहेगा। उसको आपकी क्लॉज़ ६ किसी तरह से दुख देनेवाली नहीं है लेकिन आप जो उस पर सिक्योरिटी का प्रोविज़न लेजाना चाहते हैं यह सही नहीं है। आप उनको मौका दीजिये। आप होलसेलर को इन्हें बर्बाद करने का मौका देते है, यह ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सिक्योरटी का प्रोविज़न रिटेलर्स पर लगाया है उसको आपको स्क्रेप करना चाहिये, सिक्योरिटी से रिटेलर को बचाना चाहिये क्योंकि ५०० क्विन्टल का आपने रखा है तो यह लक्ष्मण की लकीर नहीं बन गई है कि ५०० से आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिटेलर हम किसको कहें ? जो १० क्विन्टल तक रोज व्यापार करता है उसको मानना चाहते हैं या १०० क्विन्टल व्यापार करता है उसको रिटेलर मानना चाहते हैं, जिसको भी आप रिटेलर मानें उस तबके को सरकार द्वारा सिक्योरिटी से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह रिटेलर कन्ज़्यूमर को सप्लाई करने का काम भी कर लेगा और यदि सरकार को एजेन्ट्स मुकर्रर करने की जरूरत हो तो रिटेलर एसोसियेशन या उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके खरीद का काम कर सकती है, आप उनको केपिटल दीजिये, वे काम कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस कन्ट्रोल ऑर्डर में यह संशोधन करें और रिटेलर को यह सुविधा दें, उसको कॉन्फीडेन्स में लें और होलसेलर्स ट्रेड हाथ में रखे तो यह काम सही तरीके से चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योजना मन्त्री।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस वादविवाद के दौरान में........

एक माननीय सदस्य : यह सरकारी जवाब है क्या ?

श्री मथुरादास मथुर : मैं इस वाद-विवाद के मध्यस्थ में बोलने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जो सदन में बहस चल रही है वह एक बहुत अहम मसला है। सदन के माननीय सदस्यों ने, जो मुख्तलिफ दल के लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी है। उनकी राय को सुनने के बाद हम यह जरूरी समझते हैं कि हमारी सरकार की नीति के बड़े बड़े मुद्दे सदन के सामने रखें। सदन में एक राय बड़े जोर से दी गई। फ्री ट्रेड और लेसीज़ फेयर के बारे में बहुत बड़ी चर्चा की गई। यहां तक कि आज अनाज का धन्धा करने वाले जो व्यापारी हैं उनकी हड़ताल के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए सदन में एक माननीय सदस्य ने राय व्यक्त की, सदन में ऐसी राय रखी जो उसके बिल्कुल विपरीत है और यह मकसद, मैं नहीं कहता, माननीय सदस्य जो राय रखते हैं वह उनकी पार्टी की प्रतीक होती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे अहम मसलों पर जिसमें इन्सान की मौत और जिन्दगी का सवाल होता है उसमें यदि हम सही मानें में जनता के हित में लोगों को खाने-पीने की सामग्री सस्ती और सुलभ उपलब्ध कर सकें; इस दृष्टि को सामने रख कर कदम उठावें और राय रखें तो राज्य सरकार को बहुत लाभ

(श्री मथुरादास माथुर)

होगा और हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे। लेकिन मुझे खेद है, चाहे इस तरफ, चाहे उस तरफ बैठने वालों ने जो राय व्यक्त की वह एक्स्ट्रीम हमारे सामने आई। उसको सुनने के बाद मैंने यह जरूरी समझा कि आपको सरकार की नीति और खास तौर से इस बारे में जो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने नीति बनाई है वह आपके सामने पेश करूं।

यह बात ठीक है कि योजनाबद्ध विकास में इन्फ्लेशन होना आवश्यक हो जाता है, रोका नहीं जा सकता और जब इन्फ्लेशन होता है तो चीजों के भाव बढ़ते हैं, कन्ज्यूमर्स गुड्स के भाव बढ़ते हैं और उसके साथ साथ फूड ग्रेन्स और असेन्शियल कोमोडिटीज़ पर भी असर पड़ता है। लेकिन जो ५-६ महीने देश में गुजरे सारे भारतवर्ष में और राजस्थान में भी अनाज के भाव बहुत बढ़ गये। भाव कम करने की कोशिश करने के बावजूद भी गेहूं के भाव ३०) ३२) रु० तक पहुंचे। हमने व्यापारियों से अपील की, उनको समजायश की, हर तरह से कोशिश की कि भाव नीचे आवें। माननीय सदस्यों ने राय दी कि राजस्थान से जो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होता है वह बन्द होना चाहिये, राज्य सरकार ने इस सदन की राय को रखते हुए हमने भारत सरकार को राजी किया और भारत सरकार ने राजस्थान का अलग ज़ोन बनाया और गेहूं की निकासी पर रोक लगाई, दूसरे प्रान्तों में जब डेफिसिट होता तो हमारे यहां से जाता था उस पर रोक लगाई। यह भी एक कदम उठाया गया। पर कदम उठाना काफी नहीं होता।

इसके बाद में भी, जैसा हम सोचते थे, भावों के अन्दर उतार आयेगा, वह उतार यहां तेजी से हमारी उम्मीद के माफिक नहीं आ सका और कन्ज्यूमर और समस्त इन्सानों को जिस भाव से चीजें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलीं। इसलिए सरकार को मजबूर होकर सोचना पड़ा कि जो रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं उनको सख्त तरीके से लागू करें। इसलिए उन रेगुलेटरी तरीकों को अमल में लाने के लिए कानून बनाना पड़ा और कदम आगे बढ़ाना पड़ा। जब कोई कदम उठाया जाता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य की जनता के जो सारे वर्ग होते हैं, जो अंग होते हैं– छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, कन्ज्यूमर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों–ये सब तबके सरकार के सामने अपनी अपनी वकत रखते हैं। इसके साथ ही सरकार की नीति है, मेरी पार्टी की नीति है उसके मुताबिक हम स्टेट ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं। इसलिए हम स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं कि फूड ग्रेन्स और फूड ग्रेन्स प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री के क्षेत्र में सरकार स्टेट ट्रेडिंग करेगी। तो हमने जो कदम बढ़ाया है स्टेट ट्रेडिंग का–यह प्रश्न जितना आसान है, उतना ही माननीय सदस्य मानेंगे कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होती है और जो कदम उठाने चाहिए उनमें कितना वक्त लगता है। अब क्योंकि एकदम ऐसी समस्या आ गई इसलिए हमने जो अभी नीति बनाई है उससे हो सकता है कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य नाखुश हों, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी नाखुश हों और उसमें पूरी तरह से स्टेट ट्रेडिंग का प्रतिबिम्ब नहीं देखते हों। इधर वाले उसमें केवल स्टेट ट्रेडिंग की छाया

Page No. 122

(श्री मथुरादास माथुर)

देखते हों इसलिए वे भी नाखुश हों। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग में विश्वास रखते हुए और इमीजियेटली इसको एक्ज़ीक्यूट करने का विचार रखते हुए पूर्ण सतर्कता से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यह नीति बनाई है। और जो स्टेट ट्रेडिंग का एक सोश्यलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है उसे सम्पूर्ण रूप में न मानते हुए अभी हमने केवल फूड ग्रेन्स और प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री में कदम रखा है और इसको इम्प्लीमेंट करने में यही विचारधारा है कि फूड ग्रेन्स के सम्बन्ध में कन्ज़्यूमर्स को कुछ रिलीफ मिल सके और मंहगाई कुछ कम हो। इस भावना को लेकर यह कदम उठाया है। ट्रेड में जो तीन चैनल्स काम करती हैं, उसमें इस वक्त स्टेट भी ट्रेड में आई है, वह भी अब एक चैनल है, कोऑपरेटिव चैनल भी एक चैनल है, प्राइवेट सेक्टर भी एक चैनल है। इस तरह तीनों चैनल्स इस इन्टेरिम स्टेज में काम करेंगी। हमारा इसके पीछे एक ही मतलब है कि खाद्य पदार्थों के भाव गिरने चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को इमीजियेटली फुलफिल करना चाहते हैं और इसमें अगर मिडल मैन और प्राइवेट ट्रेड को कर्ब कर सकेंगे तो अच्छा है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप स्टेट ट्रेडिंग से भाव गिराने की कह रहे हैं--इसका मतलब क्या यह नहीं है कि काश्तकार को उचित न मिले

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यही होगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस वक्त सरकार की नीति है उससे किसी सेक्शन को जो एक्स्ट्रीम पर सोचती है उनको खुश नहीं कर सकती। न स्वतन्त्र पार्टी को कर सकती है और न जनसंघ को खुश कर सकती है।

श्री नत्थीसिंह : न काश्तकार को खुश कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : क्योंकि वे फ्री ट्रेड में विश्वास करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : आप केवल जनता को खुश करिये।

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिये। आपके लीडर ने भाषण दे दिया है। आप तसल्ली से सुनिये और सोच कर समझिये। फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में तीनों सेक्टर मौजूद है-स्टेट ट्रेडिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और स्टेट सेक्टर मौजूद है। तीनों चैनल्स काम कर रहे हैं। यह बात इम्पलोमेंट करना मुश्किल है और यहां भाषण देना आसान है। स्टेट ट्रेडिंग के ऊपर भाषण करके जजबात उखाड़े जा सकते हैं। जो व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं और जो यहां बैठे हुए हैं उनके जजबातों को जीतने की कोशिश की जा सकती है। यह बात दूसरी है, हमारे.... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of Order, Sir, माननीय मन्त्रीजी गैलेरीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। It is not the procedure. He should not address the galleries.

श्री मथुरादास माथुर : मैं गैलेरी को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, वे कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Don't make reference to the galleries.

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने स्पष्ट कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : जो हड़ताल कर रहे हैं........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो यहां बैठे हुए हैं, यह कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I want your ruling on this subject, Sir.

श्री विजयसिंह झाला : आपने स्पष्ट कहा है कि गैलेरी में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य : मंत्री गैलरी को एड्रेस नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : किसी को एड्रेस किया नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : I am not at all addressing the galleries. I am saying that people are trying to play the galleries.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : This is all the more objectionable. Nobody is playing to the galleries. You are playing to the galleries.

श्री मथुरादास माथुर : It is your opinion.

श्री मानसिंह महार : We never play to the galleries.

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, Sir. आप स्वयं यह मंजूर कर रहे हैं। उसके बाद........

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसका........

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं, he is just saying that he was requesting the M. L. As. that they should not play to the galleries.

श्री विजयसिंह झाला : जिन्होंने हड़ताल की थी वे यहां बैठे हुए हैं गैलेरी के अन्दर इसका मतलब क्या होता है?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तसल्ली से सुनें। आप लोग विचार रखते हैं, जो बात कहते हैं हम भी सुनते हैं।

मैं कह रहा था कि राज्य सरकार की नीति है कि तीनों सेक्टर, प्राइवेट, कोआपरेटिव और स्टेट, फंक्शन करेंगी फूड ग्रेन्स के ट्रेड के अन्दर–इसके अन्दर यह मूल बात है इसको समझ लेना चाहिये। मैं यह कहता हूँ कि सरकार सदन के उन तबकों को, जो प्राइवेट ट्रेड में विश्वास करते हैं, फ्री ट्रेड में विश्वास रखते हैं–उनको खुश नहीं कर पा रही है। हमारी पार्टी की नीति है वह फूड

(श्री मथुरादास माथुर)

ग्रेन्स प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री में स्टेट ट्रेड करने की है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि प्रोड्यूसर को उचित मूल्य मिलना चाहिये कन्ज्यूमर को सस्ता अनाज मिलना चाहिये और प्राड्यूसर और कन्ज्यूमर के बीच के अन्दर जो डिफरेंस है उसको मिनिमम कर सकें, उनको कम किया जाना चाहिये ताकि बीच में प्राफिट कम हो और प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर के बीच में डाइरेक्ट रिलेशन रहे। इस तरह बीच का डिफरेन्स जितना कम किया जा सकता है उतना ही यह प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर के हित में होगा। हमने जो १४, १५ और १६ की रेट फिक्स की है........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वे रेट्स फिक्स की हैं, इनका बेसिस क्या है–प्राइस सपोर्ट की है, प्राइस स्टेबल की है या प्राइस रेगुलेट करने की है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कोई आधार नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : सेन्टीमेन्टल बेसिस पर फैसला किया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या बेसिस हैं, प्राइस सपोर्ट, प्राइस स्टेबल या प्राइस रेगुलेट करने की........

श्री विजयसिंह झाला : दिमाग में कीड़ा कुलबुलाया इसलिए रख दिये हैं। बेसिस कुछ नहीं है। किसानों को मारना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कीड़ा तो मेरे दिमाग में कुलबुलाया, आपके कहीं और जगह कुलबुला, इसीलिए उचक रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले तय हो जाय कि कीड़ा कहां कुलबुलाया ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : I am sorry, Sir.........

एक माननीय सदस्य : इसलिए जल्दी जल्दी उचक रहे हैं।

श्री रामकिशन : आज तो आप नम्बर ले गये, माथुर साहब !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुलबुलाया जरूर लेकिन कहां कुलबुलाया !

श्री मथुरादास माथुर : I am sorry

श्री उपाध्यक्ष : बहस कीड़े पर नहीं, फूड ग्रेन्स पर है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज की हालत में जब कि मिडल मैन इतना प्रोफिट लेता है क्योंकि भाव तीस, बत्तीस के किये हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस का भाव, २६, २७ या ३०, ३२ हैं वह अनाज प्रोड्यूसर से मिडल मैन ने किस भाव पर खरीदा था। इस पर सोचें और इन्क्वायरी करें तो नतीजे पर पहुँचेंगे कि पन्द्रह, सोलह और सत्रह से ऊपर नहीं खरीदा गया था। इसके जो फिगर्स मौजूद हैं वह खाद्य मंत्री बतायेंगे लेकिन जो अनाज ३०, ३२

(श्री मथुरादास माथुर)

में मिलता है वह व्यापारी ने १६, १७, १८ रुपये में खरीदा था और चौदह रुपये मिडल मैन ने प्रोफिट लिया और भावों के ऊपर जाने से प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमने कहा है कि बाजार के अन्दर व्यापारी ट्रेड चलाना चाहें तो चलायें, अनाज खरीदना चाहें तो खरीदें, हम कब रोकते हैं। हम कहते हैं कि वे इस भाव पर नहीं खरीदते हैं तो हमने राजस्थान में २३० मंडियों में खरीदने का इन्तजाम किया है, वहां किसान बेच सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir. मैं एक क्लेरीफिकेशन माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि व्यापारी चाहे जिस भाव खरीद ले, यदि यह छूट है तो व्यापारी कन्ज्यूमर को अपना खर्च लगा कर देगा, प्राइस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फिर ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूं। पूरी बात सुनिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप जब कह रहे हैं कि हमने १४, १५ और १६ मुकर्रर किये हैं भाव, मान लीजिये कि व्यापारी उस भाव पर खरीदने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार खरीदेगी ! जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि किसानों के अनाज को खरीदेगा कौन ? आपने इसके लिये १४), १५) और १६) रु० मन में खरीदने के लिये कीमतें मुकर्रर की है और आप उनको इस भाव से खरीदने के लिये मजबूर करते हैं मगर वे भाव नीचे हैं इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी बजाय आपको १६), १७) और १८) रु० मुकर्रर करने चाहिये जबकि मारकेट में २६) रु० का भाव है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर इस तरह से आप एक एक बोलते रहेंगे तो मैं आपको कैसे....

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने १४), १५) और १६) किस बेसिस पर मुकर्रर किये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार खरीदेगी।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने केटेगोरीकली पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष : Late the Hon'ble Minister finish first.

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आप बोलने तो दीजिये। राज्य सरकार ने मंडियों की लिस्ट दी है।

जैसा आपने कहा है १४), १५) और १६) में सरकार लेगी और आप कहते हैं कि १४), १५) और १६) नीचे है तो कुछ एक-दो रुपये का फर्क हो सकता है।

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मथुरादास माथुर : मैं अभी बोल रहा हूं ।/

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहें तो आपके खत्म होने पर बोल सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात आपने सुनी नहीं, उससे पहले ही आप कहने लग गये ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please order ! There cannot be so many clarifications at a time.

एक माननीय सदस्य : स्टेट मुनाफाखोरी करेगी तो कितना करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार यह भी सोचती है, आप जरा तसल्ली रखिये मैं सब बता रहा हूं, आप शान्ति से सुनें तो सही ।

श्री नत्थीसिंह : On a point of clarificatoin, Sir, मैं माननीय मंत्री महोदय से सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपको इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं हैं । पहली बात यह कि आपके दिमाग नहीं है और योंही पूरी तरह से हाउस का समय खराब कर रहे हैं । आप हमको समझा दीजिये कि जो दो महीने पहले ३२) रु० मन धान बिक रहा है उसे आप कैसे और किस आधार पर जो भाव आपने नियुक्त किये हैं, उन पर ला रहे हैं । यह बात हमें समझा दीजिये । आप किस तरीके से किसानों को क्लेरीफिकेशन देंगे ।

(शोरगुल)

मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडियें खाली पड़ी रहेंगी । आप खरीद नहीं सकते ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य सुनें और मुझे बोलने का हक नहीं है, यह कहना उनका उचित नहीं है । मुझे पूरा हक है । मैं योजना विभाग का मंत्री हूं और मुझे हर विषय पर बोलने का हक है और मैं बोल सकता हूं ।

श्री नत्थीसिंह : आपकी समझ में यह बात नहीं आती, यह ग्रेन की समस्या है ।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप सदन का समय खराब कर रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे बोलने तो दीजिये । यह अभी कहा गया कि १४), १५) और १६ के बजाय जैसा कहा गया है कि १६) १७) और १८) रु० यह भी हो सकता है । मैं इसके साथ दूसरी बात भी कह रहा हूं कि इसके साथ साथ राज्य सरकार इसकी सेलिंग प्राइसेज़ को भी मुकर्रर कर ले ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कितना डिफरेन्स होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए मैं यह कहूंगा कि १४), १५) और १६) रु० जो मुकर्रर किये गये हैं वे भारत सरकार की कन्सेन्ट से किये हैं । लेकिन राज्य सरकार का जो विचार है वह यह है कि १६) वाला २०) तक बिके और १५) वाला १६) तक बिके । यानि चार रुपये की ऊंच-नीच रह सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बहुत ज्यादा है।

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है कि ये चार रुपये मिडलमैन को प्रोफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, मगर फिर भी १५) रु० मन के गेहूँ को १६) रु० तक बेच सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आप बोलने दीजिये ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यह परेशानी किस बात की हो रही है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपको इस बारे में सोचना चाहिये। आप कोआॅपरेटिव की हत्या करने को तैयार हैं।....

(शोरगुल)

आपको कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का धन्धा करना चाहिये........

(शोरगुल)

मैं सच्ची बात कहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : You take your own turn.

आप केवल सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं।

(शोरगुल)

(श्री अब्दुलजब्बार शोरगुल में बोलते रहे तथा अन्य अनेक माननीय सदस्य भी एक साथ बोलते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. One member, please.

श्री मथुरादास माथुर : मैं आधार बता रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश करें। दो तीन हमारे फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। आप जरा शांति से सुनिये। एक तो प्रोक्योरमेंट करना, सेलिंग प्राइसेज़ फिक्स करना जो सरकार ने किया और करना चाहती है। जो प्राइसेज के टायर हैं बढ़ने नहीं पावें ताकि भाव मंहगे नहीं हो जावे इसलिए प्रोक्योरमेंट रेट फिक्स कर रहे हैं। जो मार्जिन ऑफ प्रोफिट है उसको भी फिक्स किया जावे। इसके बाद में फिर भी सरकार की दुकाने तो हैं ही। लाल गेहूँ बाहर से आता है उसकी दुकानें स्टेट सेक्टर में खोली गई हैं। वहां पर १५) या १६) रु० मन के भाव में गेहूँ बिकेंगे। इस तरह से १५०० दूकानें सरकार खोल रही है। कोआॅपरेटिव की दूकानों को माल जाना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से लाल गेहूँ १५), १६) रु० के भाव से राशन की दूकानों पर, कोआॅपरेटिव्ज़ की दूकानों पर मिलते हैं। उसके साथ ही साथ में प्रोक्योर्ड व्हीट बाजार में मिलेगा, वह प्राइवेट दूकानों पर, सरकारी दूकानों पर और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की दूकानों पर मिलेगा। तो ये तीनों तरीके मिला कर सरकार अनाज के भावों को रोक रखने का प्रयत्न कर रही है, अनाज की प्राइसेज को रिड्यूस कर के कम करना चाहती है। छोटे छोटे रिटेलर्स के लिए पहले ही अनाउन्स कर दिया है कि उनसे बिलकुल सिक्योरिटी नहीं ली जायगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो जो इस सम्बन्ध में सरकार की फण्डामेंटल पोलिसी है, उसे मैंने आपके सामने रखा है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी ।

अनेक माननीय सदस्य : इधर के लोगों को बोलने का मौका दिया जाय ।

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा हमारे सामने है उसमें कुछ मुख्य बातें हैं........

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : On a point of order, Sir,

श्री हरिदेव जोशी : कुछ दिनों पहले की बात है........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री नत्थीसिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि खाद्य समस्या पर बहस के लिए अभी ३ घण्टे का समय दिया गया है तो निश्चित रूप से हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने कहा है कि हाउस के विचार इस सम्बन्ध में सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त करूंगा । तो बीच में ही कभी प्लानिंग मिनिस्टर साहब अनाज के सम्बन्ध में सरकार की नीति की बात रखते हैं, कभी कांग्रेस से कोई पदाधिकारी नीति की बात रखते हैं, यह गलत तरीका है । पहले हाउस के विचार सुन कर फिर खाद्य मंत्री, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पर स्पष्ट विचार व्यक्त करें ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

(शोरगुल)

प्रत्येक को समय मिलेगा, समय एक्स्टेन्ड भी हो सकता है ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और जिस तरह दूसरे माननीय सदस्यों को इस सदन में बोलने का अधिकार है उसी तरह मुझे भी बोलने का अधिकार है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप तो पार्टी मीटिंग में अपने विचार रख चुके हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : इस सदन के सदस्य के रूप में यहां बात नहीं कह सकता हूं, ऐसी बात नहीं है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order order! please.

श्री हरिदेव जोशी : खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में अभी तक विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं उनको हमने सुना है, और मैं समझता हूं वे महरबानी करके दूसरे सदस्यों की राय भी सुनने की कोशिश करेंगे । यह ऐसा मौका नहीं है, न ऐसी बात है कि जिसके बारे में केवल उनके खुद के ही

(श्री हरिदेव जोशी)

कुछ ख्याल हो सकते हैं, यह अनाज का मसला एक ऐसा मसला है कि इस सम्बन्ध में जितने आप चिन्तित हैं, दूसरे भी उतने ही चिन्तित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में बोलने का मैं समझता हूं मेरा भी उतना ही अधिकार है, जितना कि किसी दूसरे माननीय सदस्य का हो सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपदेश मत दीजिये, सुझाव दीजिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम फिक्स कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! इन्टरप्शन्स में तो और समय ज्यादा लगेगा। आप शान्ति से सुनें।

श्री हरिदेव जोशी : पिछले दिनों मुझ से और मेरे साथियों से व्यापारियों के कई प्रतिनिधि मिले, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उनसे व्यापार करना असंभव हो जायगा। मार्केट में अनाज नहीं आयेगा, और कई दूसरे प्रकार की बातें हुई। जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमको इसकी पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। आज जो सबसे बड़ा उद्योग इस देश के अन्दर है, वह खेती है। ४५ करोड़ लोगों के जीवन-यापन के लिये अनेक आवश्यक वस्तुओं में से अन्न सबसे आवश्यक वस्तु है। जीवन की इतनी बड़ी उपयोगी वस्तु का जो उत्पादन करते हैं, उनकी सुरक्षा आज यहां क्या है? आज हालत यह है कि किसान चूंकि उसके पास एक ही प्रकार का उद्योग है, पीढ़ियों से उसके यहां एक यही काम चला आ रहा है, वह खेती करता है, खेती कर के समाज के लिये अनेक प्रकार की चीजें पैदा करता है। मगर उसकी मजबूरियों की हालत है कि जिस चीज का वह उत्पादन करता है उसकी ठीक से कीमत पाने के लिये उसकी हैसियत नहीं है। उसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि वह दो महीने, चार महीने अपनी उत्पादन की हुई चीज को अपने पास रख सके। उसको अपनी प्रोडक्शन को फौरन बाजार में लाना पड़ता है, यही नहीं बल्कि उसकी हालत यह है कि कच्ची फसल को ही वह बाजार में ला कर बेचना शुरू कर देता है। इन मजबूरियों के कारण वह अपनी उत्पादन की ठीक ठीक कीमतें नहीं ले पाता। दूसरी तरफ उसका उत्पादन जिनके लिये जरूरी है, वे उपभोक्ता लोग भी उसके मददगार नहीं होते। बल्कि उनके बीच में व्यापारी एक ऐसी एजेंसी है वह किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाता है, क्योंकि किसान अपने उत्पादन को एक दिन भी नहीं रोक सकता, व्यापारी उसकी मजबूरी का बेजा फायदा उठा कर किसान से जिस समय अनाज खरीदता है सस्ते दामों में खरीदता है। जब किसान वापिस बीज के लिये या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये व्यापारी से खरीदता है तो उसे व्यापारी को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। हमने इन सारे हालात को देखा। सदन में यह कहा गया कि ५८ का कानून हमारे सामने था, उसका समय से उपयोग नहीं किया गया। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ महीनों तक उपभोक्ताओं का शोषण हुआ, किसानों का भी शोषण हुआ। अभी जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो हालात बीते हैं उनसे हमें सबक लेना चाहिये, फिर वे हालात नहीं हों, फिर यही परिस्थितियां पैदा नहीं हों, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिये, यदि इस प्रकार

(श्री हरिदेव जोशी)

की व्यवस्था हम नहीं करते हैं तो अपने कर्त्तव्य से च्युत होते हैं, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। इसी विचार को ले कर एक मॉडल के रूप में भारत सरकार ने एक योजना हमारे सामने रखी और राजस्थान सरकार ने और अन्य राज्य सरकारों ने उसे स्वीकार किया है। उसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यापारियों के प्रति कड़ा रुख है, इससे व्यापार खत्म हो जायगा, व्यापारी कहते हैं कि हम पर अविश्वास किया गया है, हमसे सिक्योरिटी मांगी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज लगभग १२ दिनों से व्यापारियों के डेपुटेशन्स एक घर से दूसरे घर, एक संस्था से दूसरी संस्था के पास और सरकार के मन्त्रियों के पास जाते हैं पर जिस समय अनाज के भाव बढ़ते जा रहे थे उस समय व्यापारियों की एसोसियेशन ने इस तरह की अपील नहीं की, मांग नहीं की कि अनाज के भाव नहीं बढ़ने दें, देश के अन्दर अनाज के भाव बढ़ने से जो हालात पैदा हो रही हैं उनको रोकें, इतने महंगे भाव में खरीदने की कन्ज्यूमर्स की शक्ति नहीं रही है, क्या व्यापारियों की किसी एसोसियेशन ने इस प्रकार की चीज रखी, उन्हें हमारे देश के कन्ज्यूमर्स की हालत को देखना चाहिये था....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह काम सरकार का था व्यापारी का नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : स्थिति यह हुई कि व्यापारी एक एजेंसी है एक तबका है जो किसानों और कन्ज्यूमर्स की दोनों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहता है और उसने इनकी मजबूरियों से फायदा उठाने की कोशिश की। इसलिये यह हालात पैदा हुए, इन सब स्थितियों में जब ऐसे हालात पैदा हुए तो सरकार को मजबूर होकर सोचना पड़ा कि अनाज पर नियन्त्रण किया जाय, किसान जो अन्न को पैदा करने वाला है, सबसे पहले उसके हित को ध्यान में रखना चाहिये, जो अनाज पैदा करने वाला किसान है, उसको वाजिब कीमत मिलनी चाहिये। इसलिये अनाज के भाव निर्धारित किये गये हैं, ये इसी वास्ते हैं। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि किसानों के मजदूरों के डोनेशन को, सेक्रिफाइस को ध्यान में रखा जाय, जो मुसीबत उसने उठाई है उसको ध्यान में रखा जाय....

(७.१६ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : १४ रुपया मन का भाव कर दिया, यह आपने किसान का और मजदूर का ध्यान रखा ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह किसानों के साथ ज्यादती है....

(शोरगुल)

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से कार्यवाही के संचालन में सहयोग की उम्मीद करूंगा। इतने महत्वपूर्ण मसले में सबको आवश्यक होगा इतना समय दिया जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए, सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन सरकार से करना चाहता था कि जो किसान पैदा करता है,

(श्री हरिदेव जोशी)

उससे जो प्रोक्योरमेन्ट की प्राइस तय की जाय और कन्ज़्यूमर को बेची जाय उसके बीच का मार्जिन कम से कम होना चाहिये । वह मार्जिन इतना होना चाहिये जिससे कन्ज़्यूमर का और किसान का एक्स्लाइटेशन न हो । हमने देखा है कि व्यापारी साधारण स्थितियों में कम से कम मार्जिन लेकर व्यापार करते हैं । जब एब्नोर्मल हालत आती है तो सारी चीज़ को उलटा कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट लेने की कोशिश करते हैं । एक मध्य मार्ग द्वारा उनके प्रोफिट को केल्कुलेट किया जा सकता है । ज्यादा प्रोफिट की गुन्जाइश रखी गयी तो कन्ज़्यूमर्स और किसान दोनों का एक प्रकार से एक्स्प्लोइटेशन होगा ।

दूसरी चीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे सन् १९५८ के कानून को लाकर सख्ती न बरती हो लेकिन देश के सामने हालत गम्भीर हैं । एक तरफ पाकिस्तान धमकी देता है और दूसरी तरफ चीन धमकी देता है और उस समय यदि देश में इस प्रकार असंतोष पैदा होता है तो देश की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और वे शक्तियां उन लोगों के हाथ मजबूत करती हैं जो देश की सीमाओं पर ताक लगाये बैठे हैं । इसलिए हम सब का यह राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है कि इस गम्भीरता को महसूस करते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसमें मदद दें और मदद नहीं देते हैं तो ऐसे गुट में शामिल होते हैं । मेरी निजी राय हो सकती है कि अमुक कदम ठीक नहीं है, मेरी निजी राय हो सकती है कि अमुक कदम की आवश्यकता नहीं है अथवा थी, मेरी निजी राय हो सकती है पहले यह कदम उठाया होता तो अच्छा होता लेकिन संगठित रूप से कदम उठाने की बात करते हैं तो फन्डामेन्टल चीजों को ध्यान में रख कर सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से करना चाहिये ।

आज जो व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं वह आज की जो देश की स्थिति है उसमें प्रतिकूल है । निजी हितों को ध्यान में रख कर आज राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जा रही है ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं । आज यह कहा जाता है कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग करना चाहती है । पिछले दरवाजे से जाना चाहती है । कानून बिल्कुल साफ है । सभापति महोदय, जहां व्यापारी लाइसेन्स लेकर काम कर देंगे, उनका सरकार लाइसेन्स नहीं छीनेगी । राजस्थान सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा नहीं की । अमुक तबका हाथ बांध कर मजबूर कर दे, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य को नहीं भूला सकती । यह लाज्मी हो जाता है कि यदि कोई बीच की एजेन्सी काम नहीं करती है तो अन्तिम रूप से उस कार्य के लिए जो जिम्मेदार है सरकार, उसको आना पड़ेगा चाहे व्यापारी के रूप में हो या और किसी रूप में हो । सरकार के उसके बीच में आये बगैर नहीं रुक सकती । कोई बीच की एजेन्सी काम नहीं करती है तो उस हालत में सरकारी मशीनरी जाकर बैठती है और राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है । व्यापारी हट जाता है, काम नहीं करता है ऐसी हालत में सरकार बिफल होगी अपने कर्तव्य की पूर्ति में यदि वह उस व्यापारी के काम को हाथ में न ले और उन लोगों की उपेक्षा करेगी जिन्होंने उसको चुन कर भेजा है । सरकार अपने आप स्टेट ट्रेडिंग नहीं थोप रही है । होलसेलर्स ने कन्ज़्यूमर्स को मजबूर दिया है । रिटेलर्स को होल सेलर्स अनाज नहीं दे रहे हैं इसलिए वे बाजार में नहीं ला पा रहे

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। लोग कहते हैं कि रिटेलर्स को और होल सेलर्स को अलग कर देना चाहिये। मेरी निजी राय है दोनों इन्टरडिपेन्डेन्ट हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : होलसेलर सरकार बन जाय।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था जो होल सेलर है, जिसके पास स्टॉक है, वह रिटेलर को देता है वह स्टॉकिस्ट्स सरकार हो या व्यापारी हो। जब तक वह लेकर रिटेलर को नहीं देता है रिटेलर का व्यापार बाजार में नहीं चल सकता है। वह कन्ज्यूमर्स को नहीं दे सकता है। इस तरह से रिटेलर डिपेन्डेन्ट है। वह कोई भी बिजनिस करे। न रिटेलर और न प्रोड्यूसर्स की हालत है कि सारी की सारी चीज़ को खरीद सके, रख सके और मार्केट में पहुंचा सके। होलसेलर के हाथ में वह शक्ति है, जैसा जनसंघ के नेता ने कहा कि अमुक सेठ साहब को कहिये, वे टेलीफोन करके राजस्थान के किसी भी जगह उस चीज़ को मोहैया करवा देंगे। यही तो कारण है। बहुत बड़े बड़े टेप्पू है, घर हैं। टेलीफोन के आधार पर वे कब्जा करते हैं, पूंजी के आधार पर, पैसे के आधार पर छा जाना चाहते हैं और इस प्रकार दूसरों को भूखों मारने की कोशिश करते हैं, हड़ताल करके सरकार को मजबूर कर दें, मैं मानता हूं कि इस प्रकार की मांगों के सामने झुकना अपने आप में कमजोरी होगी। मैं यह भी कह दूं कि सरकार व्यापारियों की दुश्मन नहीं है। सरकार किसी प्रकार रिवेन्जफुल एटीट्यूड लेना चाहती है ऐसा भी नहीं है। जो भी व्यापारी मुझ से मिले मैंने उन्हें भी कहा कि सरकार अनुभव के आधार पर, आज पांच दिन बाद या दस दिन बाद, यह अनुभव करे कि अमुक प्रकार का कानून अन्नेसेसरी है, अथवा अमुक सेक्शन की जरूरत नहीं है, सरकार को उसे उठा लेना चाहिये उसमें प्रेजुडिसेज और प्रतिष्ठा की बात नहीं आनी चाहिये। मुख्य चीज़ यह है कि किसान सफर नहीं करना चाहिये, कन्ज़्यूमर्स से अन्नेसेसरी पैसा नहीं लेना चाहिये और बीच के आदमी को बेजा प्रोफिट नहीं देना चाहिये। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए होलसेलर अपनी पूंजी के आधार पर, अपने प्रोफिट के आधार पर, अपने संगठन के आधार पर एक प्रकार से देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं तो यह कानून उसके दरवाजे पर चौकीदार है। यह कानून देखता रहेगा कि किस तरह से कौन आता है और जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है होल सेलर अपने साधनों का दुरुपयोग नहीं कर सके। इसलिए, सभापति महोदय, इस कानून का व्यापारियों को विरोध नहीं करना चाहिये। नीयर फ्युचर में वे काम शुरू कर दें। नहीं करते हैं तो ऐसी हालत पैदा कर देना चाहते हैं कि सरकार बीच में आवे। कन्ज्यूमर्स और किसान और सबके हित में यह कानून है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : On a point of Clarificatiau, Sir,

(शोरगुल)

श्री सभापति : Order please!
मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सभी दलों की दृष्टि से :

कांग्रेस पार्टी	६० मिनट
स्वतन्त्र पार्टी	४० मिनट
जनसंघ पार्टी	३० मिनट
संयुक्त समाजवादी पार्टी	४० मिनट
कम्युनिस्ट पार्टी	३० मिनट

निर्धारित किये गये थे।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : डेमोक्रेटिक पार्टी को कहां दिया ?

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री रामकिशन (वैर) : संयुक्त समाजवादी पार्टी है। डेमोक्रेटिक और अन-डेमोक्रेटिक सब एक हो गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वे अन-डेमोक्रेटिक हैं ?

श्री सभापति : आप अभी से आपस में कैसे झगड़ रहे हैं ?

इह हिसाब से स्वतन्त्र पार्टी के ४५ मिनिट
कांग्रेस के ६५ मिनिट
जन संघ के २५ मिनिट
कम्युनिस्ट पार्टी २५ मिनिट
संयुक्त समाजवादी २० मिनिट बोल चुके हैं।

इस तरह से :

संयुक्त समाजवादी पार्टी के २० मिनिट
जन संघ ५ मिनिट

कम्युनिस्ट पार्टी के ५ मिनिट का समय शेष है। मंत्री महोदय का जवाब उसके बाद शुरू होगा। फिर सदन की राय हो वैसा किया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, चूंकि यह विषय लोक महत्व का है इस पर सभी दलों के माननीय सदस्यों के विचार जानना आवश्यक है। मैं समझता हूं एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री नत्थीसिंह : निर्दलियों को भी समय दिया जाय।

श्री सभापति : अभी तो समय है उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो बाद में इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस ऑर्डर को लागू करते समय सरकार द्वारा यह दलील दी गई कि व्यापारी वर्ग है वह जो किसानों द्वारा उत्पादित सामग्री है, जिस वक्त वह बाजार में लाता है उसके भाव बहुत कम हो जाते हैं और जिस वक्त उसको जरूरत होती है, उसी के दाम बढ़ा देता है। इस तरह से किसान का शोषण होता है, कन्ज़्यूमर का शोषण होता है, इससे बचाने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है इस ऑर्डर के तहत। सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि सरकार के इस लाइसेन्सिग ऑर्डर द्वारा सरकार शोषण वाली प्रवृत्तियों पर ब्रेक लगाना चाहती है, इसका मैं स्वागत करता हूं यह सही दिशा में एक कदम उठाया गया है। मेरी राय में यह निस्पृह कदम है इससे लाभ

(श्री नत्थीसिंह)

के बजाय नुकसान ज्यादा होने की संभावना है।

दूसरी बात जो मूलभूत गलती की हैं वह यह है कि जिस तरह से व्यापारी किसान का शोषण करते आये हैं आज सरकार भी उसी व्यापारी की नीति पर चल कर किसान का शोषण कर रही है। जब आज से चार पांच और दो-तीन महिने पहले गेहूं का भाव ३२) रुपया मन चला गया था आज आप उसको १४) रुपया मन का भाव देते हैं। जो व्यापारी १४) रुपये मन पर खरीद कर १८) रुपया मन मुनाफा लेना चाहते हैं वही सरकार आज उस अनाज का भाव १४) रुपया मन तय करती है। इस तरह से सरकार यह कदम उठाकर किसानों का गला घोंटना चाहती है। अपनी इसी नीति के कारण सरकार किसानों को राहत नहीं दे रही है। उन्होंने स्वयं ने आॅर्डर बनाया है जिससे किसान कुचला जायगा। अब किसान का अनाज मार्केट में आने वाला है उनके अनाज के दाम निर्धारित करने का काम सरकारी अधिकारियों के जिम्मे है, इस तरह से रिश्वत भ्रष्टाचार को पनपने देने का यह अवसर है। अगर सरकार व्यापार ही करना चाहती है तो होलसेल व्यापार को अपने कब्जे में ले। हमारा जो लक्ष्य है उस ओर कदम बढाते हुए हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। आज होलसेल व्यापार करने के लिये भी सरकार के पास साधन नहीं है। आज केवल पांच करोड़ रुपये की धनराशि तय की है लेकिन क्या इतनी राशि से काम चल जायगा। छोटे छोटे जो रिटेल व्यापारी हैं उसके फीगर्स लेते हैं, कोआॅपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ और अन्य सहकारी समितियों के पास इतने साधन नहीं हैं जिससे वे किसानों का अनाज खरीद सकें। उनके पास स्टोर करने की भी केपेसिटी नहीं है आज सरकार के पास भी इतना अनाज स्टोव करने की केपेसिटी नहीं है। आप जब मजबूर हैं इस प्रकार का इन्तजाम करने में तो आपको इस ओर कदम भी नहीं बढ़ाना चाहिये। आज जो इस क्षेत्र में व्यापारी काम कर रहे हैं, उनको ही काम करने देना चाहिये इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि किसान को अपने पैदावार का सही मूल्य मिल सके व्यापारी बेजा फायदा न उठा सकें उसके साथ साथ कन्ज्यूमर को भी लाभ मिले, उससे भी व्यापारी ज्यादा मुनाफा न कमा सके इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये। यह जो आॅर्डर निकाला गया है वह सही दिशा की ओर कदम जरूर है, लेकिन यह इतना अधूरा अस्पष्ट है कि किसान को इससे ज्यादा नुकसान होगा।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, मंडियों की जो लिस्ट निकाली गई है, उसमें अनाज किसान लाता है तो १४ रुपया मन का दाम मिलेगा। अगर वह नहीं लाता है उससे भी कम दामों पर देना पड़ेगा इस तरह से बाजार में जो कम्पटिशन होता था माल आने पर वह रोक दिया गया है। इस बारे में कानून मन्त्री महोदय ने जो बातें कहीं उनके दिमाग की जो बात थी वह स्पष्ट हो गई है। उन्होंने अपने भाषण में प्रक्योरमेन्ट शब्द का इस्तेमाल किया और यही शब्द कांग्रेस के अध्यक्ष जब बोले तब उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया। जब किसान इतने कम दामों पर अपनी पैदावार नहीं लायेगा तो सरकार सोचती है, सरकार का इरादा है किसान को वह मजबूर करे कि वह कम भावों में पैदावार बेचे अन्यथा प्रोक्योरमेंट जो शब्द निकला है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार जबरदस्ती भी करेगी।

(श्री नत्थीसिंह)

एक तरफ तो आपके द्वारा यह तय नहीं किया गया है कि सेल प्राइस क्या होगी, कितना मुनाफा आप देने का तय करते हैं। इस तरह से किसान को १४) रुपये मन में बेचने के लिये मजबूर करना गलत बात है।

सभापति महोदय, देश में हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ताकि देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान हो सके। उसके लिये जब हम यह कहते हैं कि किसान की फसल की बीमा योजना बनाओ तो आप चुप हो जाते हैं। किसान को इनीशियेटिव देने के लिये, अमुक प्रकार की फसल बोने के लिये प्रोत्साहन दीजिये तो आप चुप हो जाते हैं। लेकिन जब किसान की पैदावार को खरीदने का सवाल आता है उस समय उन पर भाव फिक्स करते हैं और यह करके आप गर्व अनुभव करते हैं। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय तो इस प्रकार से बोले मानो उन्होंने किसानों के लिये स्वर्ग का रास्ता ही खोल दिया हो और यह बताने की कोशिश की कि हम किसानों के लिये इतना फायदा करना चाहते हैं कि उनका अनाज १४) रु० मन खरीदेंगे, क्या आप इसी तरह से उनको उत्साहित करना चाहते हैं ? वैसे खेती का धन्धा पहले से ही नुकसान में चल रहा है उस पर भी आप इस प्रकार का अंकुश लगाकर उसको हड़पना चाहते हैं ताकि किसान खेती करना ही छोड़ दे और अन्य धन्धे की शरण ले। आपको चाहिये तो यह कि जो अनुचित मुनाफा कमाते हैं उनको आप ठीक करें उनके व्यापार पर कब्जा करिये, नियन्त्रण करिये छोटे व्यापारियों को तंग मत करिये। जो व्यापार जितना अधिक करता है उससे उतनी अधिक सिक्योरिटी लीजिये उनके व्यापार पर कन्ट्रोल रखिये, इस तरह से सिक्योरिटी के आधार पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर रखिये। लेकिन जो छोटा व्यापारी पांच दिन, दस दिन या पन्द्रह दिन रखता है उससे आप किस बात की सिक्योरिटी मांगते हैं ? एक हजार क्विंटल जो ज्यादा संग्रह करके चलता है उससे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर सिक्योरिटी लीजिये। आप इस प्रकार का आॅर्डर निकालते हैं जिससे लाखों लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, किसानों को मारना चाहते हैं। उसकी पैदावार का कम मूल्य देना चाहते हैं इस तरह से जो व्यापारी है छोटा व्यापारी है उसका भी नुकसान करना चाहते हैं।

आज आपने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि व्यापारी अनाज खरीदना नहीं चाहता और किसान के पास उस माल को रखने की जगह नहीं और न वह रख सकता है, यह जो आपके द्वारा पैदा किया हुआ क्राइसीज़ है उससे किसान और उपभोक्ता दोनों को गुजरना पड़ रहा है। किसान को मजबूरन अपना माल बेचना पड़ता है। आज यदि उसको आपके निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं मिलता है तो उसको मजबूर होकर १४) रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर वह विक्रय अधिकारी को १) रुपया मन पर दे देता है तो उसका ही माल १६) में वह खरीद लेगा। इस तरह की अव्यवस्था पैदा की है और इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट करने के बाद किस तरह से सही तौर से इसको उपभोक्ता के पास ले जावेंगे ?

मुझे इसका कड़वा अनुभव है। जो सस्ता गल्ला बिका है आपका विशेषकर गांवों में तो एक एक मजदूर को गांव से चार-चार और

(श्री नत्थीसिंह)

पांच-पांच मील की दूरी तक जाकर लेना पड़ा है, क्योंकि आपने हर पंचायत क्षेत्र में दुकान नहीं खोलकर कुछ केन्द्रों पर ही खोल कर रह गये। तो इस तरह से आप करेंगे तो वह ठीक समय पर गल्ला नहीं खरीद सकेगा। चार-पांच मील जाना पड़ेगा और चार-पांच मील आना पड़ेगा। इसमें उस गरीब की मजदूरी का एक दिन तो यों ही चला जावेगा।

तो इस तरह से सारी बातों पर आप ठण्डे दिमाग से नहीं सोचते और किसान के हितों पर कुठाराघात करने की ही केवल योजना बनाते हैं तो कानून के द्वारा आप न अपना हित करेंगे, न आम जनता का ही हित करेंगे न व्यापारी का कर सकेंगे और न किसान का कर पावेंगे।

किसान सबसे बड़ा वर्ग है। उसके हित को पूर्णतः सुरक्षित करते हुए योजना अगर आप बनावेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो नाकामयाबी आपका स्वागत करने को खड़ी है।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत। आप समय को ध्यान राखजो।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : जरूर राखूंगा।

श्री सभापति : स्वतन्त्र पार्टी का तो समय समाप्त हो चुका। आप अपने समय का ध्यान रखिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह कैसे हो गया ?

श्री सभापति : जिस वक्त समय निर्धारित हुआ था आप थे नहीं। आपके लिये ४० मिनिट निर्धारित हुए थे जिसमें आप ४५ मिनिट बोल गये। यह समय मैंने निर्धारित नहीं किया। पूर्व निश्चित है। आवश्यकतानुसार थोड़ा हेरफेर हो सकेगा, इतना मैं कर सकता हूँ।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या कहा आपने स्वतन्त्र पार्टी का समय समाप्त हो चुका ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय, सरकार फूड ग्रेन रो आर्डर जारी करियो और अप्रेल में ईं रा नियम बनाकर लोगों के सामने रख्या। इण पर आज अठे चर्चा हो रही है।

अब सस्ता भाव में राजस्थान में अनाज मिले इण पर विचारविमर्श कर रयां हां।

सभापति महोदय, सरकार के नियमों में अनेकों डिफेक्ट्स हैं। मैं कृषि मन्त्रीजी ने केणो चावूं कि एक हजार की जमानत आप राखी। आ भोत ज्यादा है।

एक जिला सूं दूसरा जिला में लाणे री भी रोक करी। ईसूं बड़ी प्रोब्लम होगी। इन्सपेक्टर जो राख्या अनाज री परख करने खरीदणे रे वास्ते तो ईं में बड़ो भ्रष्टाचार फैलेगा।

भाव भी राख्या जो बहुत नीचा है, ईं भावां पर कुण माल देवेगा। बाजार में ३५), ३६) रु० मण गेहूँ है। आप कई दिनां सूं इण पर विचार नहीं कर पाया।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

आज जब फसलां पाक गई तो अै भाव निर्धारित किया है। इण में थारी कोई सूझ बूझ नही है। योजना मन्त्री और दूसरा व्हिप बात राखी वे ई धन्धा में जाणे नहीं। इण में जनसाधारण को भलो होणे वालो नहीं है।

जदसूं दो कानून राजपत्र में निकल्या, बाजार में स्ट्राइक की हालत हो रही है। इत्ती बड़ी राजधानी जीं में सारा मिनख रेवे १७६ एम. एल. ए. रेवे सस्ता गल्ला की दुकानां सूं ईंको कीं कर गुजारो हो सकेगा। दो आना रो बेसण भी मिलणे की व्यवस्था नहीं है।

जो भाव आप तै करिया ऊँ में किसान ने तो सूली चढा देगा क्योंकि ऊँ री हालत नहीं है कि वो ज्यादा दिनां तक गल्लो रोक सके। निश्चित रूप सूं अणे ने तो बाजार में बेचणो पड़ेगा।

आपरा काम करणे रा तरीका जाणां हां। सिविल सप्लाईज रो काम आपको देख्यों हा। कन्ट्रोल का नाम सूं लोग चिड़ता। किदवाई बड़ी मुश्किल सुं हटायो। आप फेर वो ही रूप दे रया हो। एस. डी. ओ., कलक्टर सब जगह भ्रष्टाचार फैलावेगा खरीद फरोक्त में। पन्द्रह का भाव को नाज बीस में बिकवा देवेगा बीस को पन्द्रह में बिकवा देगा आप रे पास ईं रो इलाज नहीं।

भावों में बढोतरी करो। नहीं करोगा तो माल नहीं मिलेगा। तो एक व्यापार गुड़ शक्कर को करने आप निहाल होग्या। अब ईं नाज का धन्धा में निहाल करोगा।

थोड़ा दिन पेली क्रय विक्रय संघ रे मार्फत शक्कर गुड रो धन्धो आप करियो। इण में जगह जगह ब्लैक मार्केट हुवो, बीजक बणाने में फरजीपणों हुवो, खरीदफरोक्त में फरजीपणों। पचास चालीस को बिकणो चहीजे पर ७०-८०) में बिकायो। लोग त्राहि त्राहि कर रया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडव) : और आप री बात कहणे में फरजीपणों ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : अभी आप बिराज्या रहो वकालत पाछे कर लीजो।

आपने निवेदन ओ करना है कि जियां क्रय-विक्रयसंघ में जिको माल आयो है व्यापार करने में फेल हुयो वियां इस्यो काम करणे रो ओ नतीजो होगो के कोई योजना सफल नहीं होगी।

रिटेलरां रे बाबत जिकी स्थिति राखी है अभी तक जिकी सिक्योरिटी २५०) रुपया की बातचित हुई है रिटेलरां की वा बिल्कुल आपकी वाजिब नहीं है। रिटेलर व्यापारियां के साथ जिसडेड् क्विन्टव बेचने को आधार राख्यो है वह उचित नहीं है। रिटेलरां ने स्टाकिस्टां सूं माल मिले हैं वो बेच दे है व बीकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। स्टाकिस्ट जिका है व बाकी के वास्ते प्रबन्ध कर राख्यो जहां लम्बा सूं लम्बा स्टाकिस्टां रो काम आप कर राख्यो तो इणमें आप आज तक सफल हुया नहीं, आगे होणे री आशा नहीं। कोई भी बातचीत जिका पदचिन्ह पर चाल कामयाबी की बात-चीत हुई तो विश्वास कियो जा सके। एक और प्रोब्लेम भुखमरी की राजस्थान में बिना मतलब झंझट और पैदा करोगा और पैदा होणें रे बादं थारे काबू री बातचीत नहीं

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

रहेगी, लोगबाग तकलीफ पायेगा। जीसे आपसे निवेदन ग्रो है कि जिका सब लोग सोच-समझ-कर जिका लोगां रो कार्य है धन्धो है ...

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

आज जिकी बात याद राखो व्यापारी समझे है ईं तरह सूं व्यापार ने कन्ट्रोल कियो जा सके। अभी फसल रो टाइम है। जिको अनाज व्यापार में आयो जिको रेट पर ठीक मिल सके आप बांके बाद स्टाक करे। स्टाक करण रे बाद कोई एमरजेन्सी आये, तकलीफ पड़े तो बीं माल ने बेचो। इता लम्बा काम रे वास्ते ६ करोड़ राख्या है तो ईं में तो गंगानगाररो धान खरीद नहीं सको। ६ करोड़ में सुं आड़त–दलाली भी लागसी और थारां में सूं भ्रष्ट लोग जिका है वे थोड़ा ही चला सकेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : रुपये की क्यों फिक्र कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : कोई बात आपकी व्यवस्थित हैं नहीं।

ईं वास्ते इण झंझट में पड़ो ना। व्यवस्थित रूप से जिके वखत दाम ऊंचा चढ़े हैं बी वखत ध्यान नहीं करे और अब किसानों रो गला घोटने री बात सोचे। ईं में शक सन्देह री बात नहीं। बीं का परिणाम आप रे सामने बुरो आयगो। इतनो ही निवेदन करनो है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा सिर्फ ५ मिनट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं ५ मिनिट ही बोलूंगा।

श्री सभापति : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आप स्थान ग्रहण करें। जो कुछ कहना है एक एक कहें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपकी आज्ञा का पालन होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के श्री रामानन्द अग्रवाल ने ३० मिनिट ले लिये फिर भी उनके दूसरे सदस्य को ५ मिनट बोलने के लिए आप दे रहे हैं। हमारी सदस्य संख्या ४० है उनको ४५ मिनट दिये। उनका तो और ज्यादा अधिकार है कि जो समय बचा है उसमें बोलें। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले इस पार्टी के सदस्यों को अवसर दिया जाय उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : जहां तक समय निर्धारण का प्रश्न है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया वह अध्यक्ष महोदय द्वारा समय निर्धारण अलग अलग पार्टीज का किया गया है। उस सम्बन्ध में यहां पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और उस दृष्टि से जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है उनको समय ३० मिनिट का दिया हुआ है वह उचित है या अनुचित है उस सम्बन्ध में मैं अभी नहीं जाना चाहता। आवश्यकता इस बात की है कि जो समय निर्धारित है उसमें से २५ मिनट उन्होंने लिये हैं। ५ मिनट का समय इनका बचता है, वह इनको दिया जाता है। यदि समय शेष रहता है उसके बाद और सदन की इच्छा होगी और माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और गवर्नमेंट चाहेगी तो समय बढ़ाने में आसन को क्या आपत्ति हो सकती है कि आप ६ बजे तक बैठें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, पिछले काफी दिनों से जो गम्भीर स्थिति पैदा होती चली गई और जिस प्रकार सारे राजस्थान का ही नहीं बल्कि सारे देश का कन्ज़्यूमर एक बहुत ही गम्भीर स्थिति के अन्दर आ गया और बहुत भारी कीमतों पर इसने नाज खरीदा। उस समय जब कि किमतें ३०) रु० मन थीं और काले नाग रूपी कीमतें फन उठाये हुए खड़े हुए आम जनता को चूस रह थे, उस समय हमारी सरकार बिल्कुल चुपचाप और खामोश बैठी हुई थी। लेकिन जब कि नाज सीजन के अन्दर आ रहा है, सरकार इस क्षेत्र के अन्दर घुस रही है। जहां तक सरकार राजकीय क्षेत्र के अन्दर घुसी है उसके लिए मेरी पार्टी को इस बात की प्रसन्नता है कि स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध के अन्दर आने का आज सरकार ने निश्चय किया, और एक आर्डीनेन्स के जरिये स्टेट ट्रेडिंग के मैदान के अन्दर सरकार आई है और सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि राजस्थान के अन्दर १३४ मंडियों में सरकार इस राजकीय व्यापार को करेगी और उसके साथ कुछ नियम और प्रावधान इस सम्बन्ध में कायम किये गये हैं और दफा ६ के जरिये सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार एक जिले से दूसरे जिले के अन्दर होल सेल में नाज नहीं ले जाने देगी, और उसके साथ साथ होलसेलर्स जो है वे केवल रिटेलर्स को ही बेच सकेंगे। दफा ६ की घोषणा से यह चीज स्पष्ट हो गई है कि सरकार जो है एक जिले से दूसरे जिले को नाज ले जाने का धन्धा करेगी।

सभापति महोदय, जब सरकार अपनी भावनाओं को प्रकट करती है और जब योजना मंत्री बोलते हैं तो उनका आभास यह निकलता है कि सरकार एक मजबूरी के कारण आज केवल एक जिले से दूसरे जिले को नाज ले जाने का धन्धा करेगी, तो इस बात पर बड़ा खेद है। एक कहावत आम चली हुई है कि सांड डकारता है तो कहता है कि हम सांड हैं और जब गोबर करता है तो कहता है कि गाय के जाये हैं। आज राजकीय क्षेत्र में सरकार घुस रही है और जहां १४) १५) और १६)रु. जैसी सरकार कीमतें प्रोड्यूसर को देना चाहती है और कम कीमत पर अनाज देकर कन्ज़्यूमर का मसला हल करना चाहती है और उसके साथ साथ इस घोषणा में सरकार ने मुकम्मल तौर पर रिटेलर किसान को और होलसेलर किसान को जोड़ दिया है। जो कि सरकार की नीति है उस नीति ने रिटेलर डीलर के दिमाग में, रिटेलर व्यापारी के दिमाग में असुरक्षा की भावनाओं को जन्म दे दिया। आज सरकार जमानत मांगती है वह तीन हजार क्विन्टल तक जमानत मांगे। आज जब सरकार राजकीय क्षेत्र में आ गई है, जब स्टेट ट्रेडिंग की बात करती है तो सरकार रियेलाइज़ करती है कि उसके पास में मशीनरी नहीं है। लेकिन उसके साथ जब चारों तरफ की स्थिति को देखा तो जो होलसेलर्स थे जिन्होने कि गरीब जनता का खून चूसा है। गोदामों में अनाज भरा रहते हुए भी जिसने जनता को एक-एक दाने से तरसाया है। वह जिस प्रकार से गुजारे कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है वह रिटेलर को साथ लेकर निकाल रहा है, पल्लेदारों को साथ लेकर निकाल रहा है। वह धानकों व लड्डी वालो को साथ लेकर निकाल रहा है। इसके लिए मैं निश्चित जिम्मेवार सरकार को ठहराऊंगा। सरकार ने जो आर्डीनेन्स घोषित किया है उसमें सरकार अपने आपको स्पष्ट घोषित नहीं कर सकी। रिटेलर जिसको कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होलसेलर एक्स्प्लोइट करता रहा है उसको सरकार अपना दायां हाथ बना सकती थी, अपना एक मजबूत अंग बना सकती थी । वह इस प्रकार से मजबूत अंग हो सकता था कि सरकार को उसका पूरा सहयोग हो सकता था । क्या सरकार सोचती है कि तहसील की करप्ट मशीनरी के जरिये, एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर के जरिये नाज खरीदेगी ? क्या तहसीलदार और पर्चेजिंग ऑफिसर के भरोसे कामयाबी हासिल करेगी जब कि सरकार के पास गोदाम नहीं है, जब कि सरकार के पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, जब कि सरकार के पास रुपया भी पूरा नहीं है, ऐसी दशा में रिटेलर व्यापारी को सरकार को अपने मुकम्मिल कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए था । उसके ऊपर किसी प्रकार की जमानत लागू नहीं करनी चाहिए और उसके साथ साथ रिटेलर व्यापारी को इस तरह का एश्योरेन्स देना चाहिए था कि सरकार रिटेल धन्धे के अन्दर फाइनेन्स भी प्रोवाइड करेगी । सभापति महोदय, रिटेलर जो है वह होर्डर नहीं है । रिटेलर का अपना धन्धा नहीं है । रिटेलर ने प्राइसेज़ को रेज़ करने की कोशिश नहीं की । रिटेलर के संबंध में सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति है इससे गंभीर स्थिति में डाल दिया है ।

(८.०० रात्रि)

अंत में मैं अपने समय को देखते हुए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो कीमत आप ने तय की है वह पूरी नहीं की है । १५), १६) और १७) और १६), १७) व १८) प्राइस लेने की रखी और जिस प्राइस पर कन्ज़्यूमर्स को दें वह ४) क्विन्टल से ज्यादा नहीं होनी चाहिये या २) मरा से ज्यादा नहीं होनी चाहिये इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इस पर धंधा कर सकता है । इसके अलावा वे मेजर्स लेने चाहिये जो लेने आवश्यक हैं । इसके साथ साथ प्रोफिट के मार्जिन की जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में सारे मेजर्स सरकार को ले लेने चाहिये । मंडियों की संख्या को एक्सटेन्ड करना चाहिये, ज्यादा मंडियां परचेज के लिये हों जिनमें ये रिटेलर दलाल के रूप में काम करने के लिये आगे आ सकते हैं । जो रिटेलर्स छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन सकती है, वे एसोसियेशन बनाकर काम कर सकते हैं । इसके अलावा सरकार को मार्केटिंग सोसाइटीज़ खोलनी चाहिये । इस तरह से सरकार काम करे तो कामयाबी हासिल हो सकती है । वर्ना कुछ पार्टीज इस इन्तजार में हैं जो फ्री ट्रेड में विश्वास करती हैं कि सरकार इस मामले को यों ही छोड़ देगी, गंभीर स्थिति में छोड़ देगी । आज होलसेल व्यापारी गिद्ध की तरह हैं, उनके मुंह में आज भी पानी भर आता है । वे इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि कन्ज़्यूमर्स को बहुत ज्यादा रेट पर माल बेच सकेंगे । वे उस तरह का कार्य करना चाहते हैं जो एक तरफ मुर्दे को श्मशान तक पहुंचाने का प्रयत्न करते है और दूसरी ओर कफन का इन्तजाम करते हैं । आज उन बड़े व्यापारियों के मुह में गिद्ध की तरह पानी भर रहा है । सरकार अपनी पोलिसी को ठीक करे, रिटेलर्स को आश्वासन दे और लोगों की ग्रीड्स के खिलाफ मजबूती से कदम उठावे तभी कामयाबी हो सकती है ।

श्री सभापति : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): समय समाप्त हो रहा है, बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : समय बढ़ा हुआ मानकर चलिये, टेक्निकेल्टीज में न जावें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मै लंबा चौड़ा समय नहीं लूंगा। १५.२८ पेज का जो नोट आपने सक्यूलेट किया उसको रात को ३ बजे तक देखने के बाद यह पता लगा कि सरकारी नौकरों के लिये यह कह दिया गया कि उनको एक माह की तनख्वाह के रुपये अग्रिम रूप में दिये जायेंगे जिससे वे अनाज खरीद सके, लेकिन आपने किसानों के लिये कुछ नहीं किया। लंबा-चौड़ा आपने नोट दिया। मैं उसको क, ख, ग से लेकर अंत पढ़ गया, मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं तथ्यों में नहीं जाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मार्केट रेट, पर्चेजिंग रेट ४५) से ५०) रखदी। ४५) से ५६) तक लास्ट स्टेज में प्रति क्विन्टल बेचने की प्राइस रखी उसमें इन्ट्रेस्ट, गोडाउन चार्जेज, डेमेज वगैरह सभी आ जाते हैं। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप व्यापारियों को खुली छूट दें कि वे खरीदें। आप सेन्ट्रल गोडाउन बनाइये और जो लोएस्ट प्राइस है वह फिक्स कर दीजिये और हाइयेस्ट प्राइस ५६) रखिये। मैं आपको केल्कुलेट करके बता सकता हूँ। आप बाजार में अनाज के व्यापारियों को खुली छूट दीजिये, हटा दीजिये लाइसेन्स वगैरह और सेन्ट्रल गोदाम आप अपने बनाइये, जिनसे आप माल खरीदें उनको पूरा पेमेन्ट एक साथ मत दीजिये ५० परसेंट एट ए टाइम दीजिये। और उनकी मर्जी पर डिस्पोज ऑफ कर दीजिये। ऐसा करने से जब फसल होगी तो २) रुपये से ज्यादा इन्क्रीज नहीं हो सकती।

जब आपका सेन्ट्रल गोडाउन हो जायगा और स्टेट सामने आती है तो व्यापारी ऊंचे भाव से नहीं खरीदेंगे और किसान भी उनके पास नहीं जायेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका अच्छा असर पड़ेगा।

इसी तरह मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कोई प्रावधान नहीं रखा कि मौजूदा हालत में व्यापारी के पास कितना स्टोर हो, वह निर्धारित रेट पर बेचेगा या स्टोर करेगा इसका भी कोई प्रावधान नहीं है न आपने कुछ शो किया है। आज आप इस स्थिति में नहीं हैं कि कितना अनाज राजस्थान में स्टोर्ड है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेन्ट्रल गोडाउन खोल दें, खरीद का लाइसेन्स खत्म करदें। कोई ब्लेक नहीं कर सकेंगे जो व्यक्ति बोर्डर से बाहर माल ले जाते हैं उन पर निगाह रखिये। इस तरह से अगर आप लोगों को कोन्फीडेन्स में लेकर काम करिये....

एक माननीय सदस्य : स्टेट ट्रेडिंग आपकी पार्टी की नीति है?

श्री अब्दुलजब्बार : आप बैठ जाइये।

किसान को लोहा खरीदना पड़ता है, किसान को कपड़ा खरीदना पड़ता है, उनको नमक और चमड़ा खरीदना पड़ता है। किसान को शादी विवाह के लिये गुड़, शक्कर और घी खरीदना पड़ता है और प्राइसेज इन सारी कोमोडिटीज की बहुत हाई हो गई हैं। आज

(श्री अब्बदुलजब्बार)

प्राइस इन्डेक्स १३६ तक बढ़ चुका है जब कि सन् ५७ में ६६ था और सन् ६१ में १३६ हो जाता है और आज तो और भी अधिक बढ़ गया है ! आज किसान की झोंपड़ी में जाकर कोई उसकी दर्द भरी हालत को देखने वाला नहीं है। हमारा कानून बनाने वाले डिपलोमा होल्डर और डिग्री होल्डर हो सकते हैं लेकिन किसान के झोंपड़े में जाकर उसकी दर्द भरी हालत उन्होंने कभी नहीं देखी होगी। आज आप किसान की फसल १४) १५) और १६) मण के हिसाब से खरीदना चाहते हैं इससे किसान मर जायेंगे। मैं स्वयं जन्म-जात किसान हूँ एक किसान से १४)रु. मन पर खरीदने का फैसला कौनसा इन्डेक्स नम्बर देखकर किया है। आप स्कूलों में एक किताब पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उसकी कीमत १०) रखी है वह झख मारने के लिये रखी है क्या ? गरीब विद्यार्थी कैसे खरीद कर पढ़ेंगे ? अनाज के भाव तो आप निर्धारित कर रहे हैं लेकिन दूसरी एसेन्शियल कोमोडिटीज के भाव कम हो गये हैं क्या ? आज किसानों को दूसरी चीजें किस भाव से मिलती हैं इसका भी ध्यान दिया है क्या ? सरकार चाहती होगी कि लोगों को दूध मिले लेकिन जानवरों के लिये घास वगैरह की क्या व्यवस्था है ? अकाल क्षेत्र में किसान घास कहां से खरीदेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट ज्यादा लूंगा। आज हालत यह है कि कुदरत की मेहरबानी हो गई तो खुशहाली है अन्यथा सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं रेगिस्तान के इलाके में घूम कर आया हूं, मैंने वहां के लोगों की हालत देखी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि मेरा यह दावा है कि यदि आप खुली छूट देकर मैदान में आते है जिस तरह से पहलवान लंगोट लगाकर मैदान में आते हैं उस तरह से आप खुली छूट देंगे तो नुकसान नहीं होने वाला है। मत लगाइये लाइसेन्स वगैरह, आप भाव निर्धारित करिये, नीचे भाव में कोई नहीं खरीदेगा, ग्रेजुअली इन्क्रीज होगा दस बार बेचेंगे तो रुपया-सवा रुपया बढ़ेगा।

इस तरह सब खर्च निकालने का विचार करना पड़ता है। आपने मिनिमम और मेक्जिमम भाव फिक्स कर दिये और बड़े बड़े व्यापारियों को कह दिया कि गोडाउन सरेन्डर कर दो, इस भाव पर अनाज बेच दो। नहीं बेचते वे लोग। आप गोडाउन ले लीजिये। तो स्टेट ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि व्यापारियों को मार डालें। आप स्टेट ट्रेडिंग करें तो कानून का प्रतिबन्ध लगा कर नहीं करें। लेकिन कानून लगा कर किसानों को परेशान किया तो जनसंघ इसे कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कोई मानव इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान चौदह रुपये में अनाज देने को तैयार नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं पुन: निवेदन करता हूँ आप गौर से इस पर मनन करिये, वापिस आपकी पालिसी पर मनन करिये और जो नाज खरीदने का तरीका हो वह सही तरीका हो। और इसको आप इम्प्लीमेन्ट करेंगे तो वास्तव में किसानों में एक उफान पैदा कर सकेंगे, अन्यथा एक क्राइसिज पैदा करेंगे और किसानों की आप जान ले लेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : समय हो गया है, मैं दो मिनट चाहता हूं।

Page No. 143

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : सभापति महोदय, तीन घंटे के समय में हमें बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय नत्थीसिंह को मौका मिलना चाहिये। इनके मेम्बर्स में से किसी को टाइम नहीं मिला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सबसे ज्यादा हमें टाइम मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आप प्रस्ताव रखिये, मैं सदन में पेश कर दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

('हां' और 'ना' की आवाज)

श्री नत्थीसिंह : क्यों घबराते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इंडिपेंडेंट में से किसी को चान्स नहीं मिला है।

श्री सभापति : नत्थीसिंहजी पांच मिनट बोलेंगे।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, जो कि खाद्यान्न पर हाउस के अन्दर विचार चले, मैं समझता हूँ कि खाद्यान्न के क्षेत्र में तीन फेक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि एक तो उपभोक्ता है, दूसरा उत्पादक जिसको किसान कहते हैं और तीसरा व्यापारी तीनों के बारे में जब सोचते हैं तो उपभोक्ता के बारे में आपके जो विचार हैं, और खास तौर से आपकी पॉलिसी है वह हमारी पॉलिसी से मेल खाती है और इस पालिसी की हम कद्र करते है। मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस तरीके का कन्ट्रोल कर लेंगे सभी चीजों के ऊपर तो उपभोक्ता को काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान की जीविका एकमात्र साधन अनाज है, उस पर आप कन्ट्रोल करना चाहते हैं और उसकी जो आवश्यकता की चीजें हैं, जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने बताया, कपड़ा है, खाद है और बहुत सी चीजें हैं, उनका फ्री सेल है। जिन चीजों का फ्री सेल है उनकी कितनी कीमतें बढ़ी हुई हैं इस पर आपने नहीं सोचा। ऐसी हालत में जो गेहूं पहले ३२ रु० मन मिल रहा था उसको काश्तकार चौदह रुपये में कैसे देगा ? मैं इस बारे में उत्तर चाहूंगा, कि अनाज के बारे में जो रेट फिक्स की हैं वे किस आधार पर की हैं ? क्या आपने उसकी लेबर को आंका है ? क्या आपने उसकी जमीन की कीमत को आंका है ? और जो अन्य लागत लगती है खेती के अन्दर उनको आंका है ? क्या आपने इस चीज पर विचार किया है कि किसान के ऊपर कितना ईश्वर का प्रकोप होता है ? आपने अपनी आंख से देखा, सर्दी ने उनकी फसल को नष्ट कर दिया। आप देखिये, एक तरफ ईश्वरीय प्रकोप है और दूसरी ओर खाद्य मन्त्री का प्रकोप। मैं यह समझ पाया हूं कि यह इसलिए हुआ है कि व्यापारियों में असंतोष फैले। सुखाड़िया साहब ने आपको डिमोरेलाइज़ किया है। वैसे किसानों के उत्पादन की प्राइस फिक्स की है, इसमें आपका इरादा नहीं है। आप नहीं चाहते थे कि इस तरह अनाज की रेट्स तय हों। आज मक्का की ६ रुपये मन कीमत रखी है जबकि १८ रुपये मन में मक्का बिक रही है। आप इस पर अच्छी तरह से सोच लीजिये, मैं

(श्री नत्थीसिंह)

आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि आपकी मंडिया हैं वहां पर कोई भी काश्तकार अपना अनाज नहीं ले जायगा।

मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लिए कहता हूं कि वहां कोई किसान अनाज नहीं ले जायगा क्योंकि उनके दिमाग में असंतोष हैं। जहां अनाज की कीमत दस रोज पहले ३२ रुपये, २८ रुपये मन थी वहां आप १४ रुपये रखना चाहते हैं। इसके अलावा पंजाब में जहां चने की कीमत २५ रुपये मन है, पंजाब हमारा समीपवर्ती राज्य है, वहां २५ रुपये मन है और यहां आप १२ रुपये में लेना चाहते हैं? आपका क्या सिद्धान्त है। किस आधार पर यह रेट्स तय की हैं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि उन लोगों के वोट्स से ही आप यहां बैठे हैं वर्ना आज से १५ साल पहले आप यहां नहीं थे। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय खाद्य मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी में महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी के यह प्रवचन थे कि हम देश में किसान राज्य कायम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो क्या किसान राज्य और समाजवाद काश्तकारों की आर्थिक स्थिति गिराने से आयेगी, जिनकी संख्या हिन्दुस्तान में ७५ प्रतिशत है। उनकी स्थिति एक तरफ गिर गई है, गिरी नहीं है तो गिर जायगी वहां दूसरी तरफ आपने कितने टैक्स लगा रखे हैं, लैंड रेवेन्यू, सरचार्ज और इसके साथ ही पंचायतें कितने टैक्स लगाती हैं, उनके ऊपर इर्रिगेशन टैक्स अलग है—उनके ऊपर टैक्सों का कितना बोझ है। आप उनकी स्थिति किस तरह की बनाना चाहते हैं—यह समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि या तो आप टैक्स हटा दीजिये, मालगुजारी हटा दीजिये या उनको पैदावार बेचने के लिए फ्री छोड़ दीजिये या फिर सब चीजों को कन्ट्रोल कर दीजिये, फ्री सेल बिल्कुल हटा दीजिये। आज किसानों के पास खाने के लिए नाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अलवर और भरतपुर के इलाके में सरसों की फसल होती है वह बिल्कुल नष्ट हो गई है, जिसके आधार पर वे जिन्दा रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे क्या खायेंगे और क्या बचायेंगे और क्या बाहर देंगे। कपड़ा आदि खरीदने में, पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह में वे क्या करेंगे-आपने इस बारे में सोचा नहीं है। आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को कुचल रहे हैं, समाजवाद के सिद्धान्तों को खत्म कर रहे हैं। आपकी क्या पॉलिसी है—यह समझ में नहीं आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने बनेड़ा में मन्डी नहीं रखी है। वहां १०३ गांव हैं और बनेड़ा में एक मन्डी नहीं रखी है। आप बताइये कि कहां वहां के किसान अनाज को ले जायेंगे....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): बनेड़ा किधर है?

श्री नत्थीसिंह: भीलवाड़ा में।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): आप कहते हैं कि राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। १०३ गांव आते हैं बनेड़ा में, लेकिन वहां मन्डी नहीं है। यह पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: इस पर विचार करना चाहिए, जहां नहीं है वहां मन्डी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

खोलनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब, यह बता दें कि बनेड़ा कहां है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरियां : सब बातें राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा और साथ ही उचित समझूंगा कि ये जो भाव फिक्स किये हैं, इनके बजाय करीब २०) रुपये मन गेहूं का भाव रखना चाहिए, १८) रुपये मन चने का भाव रखना चाहिए और कम से कम चार-चार रुपये हर एक में बढ़ाने चाहिए। नहीं तो यह पॉलिसी असफल होगी-यह मैं चैलेंज करता हूं। इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेजरी बेंच के महानुभाव हैं, सदस्यगण हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि उनको पार्टी मीटिंग में इस पॉलिसी का डिस्कशन करना चाहिए। मंत्री महोदय तो मुख्य मंत्री जी के असर में आ जाते हैं और खास तौर पर खाद्य मंत्री ने तो सुखाड़िया साहब के असर की वजह से भाव फिक्स कर दिये हैं और उनके कहने से सेन्टर का ऑर्डर है वह लागू कर दिया है। इस नीति से तो बिल्कुल काश्तकारों की भलाई नहीं होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं दो-तीन मिनट लेना चाहता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : दो मिनट का समय देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : मैं सोचता हूं मुझे अपना जवाब शुरू करना चाहिए।

श्री सभापति : Order please ? दिक्कत समय की है. ३ घंटे का समय था, आप ३ घंटे २० मिनट ले चुके हैं। यह बात सही है कि स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य बोले हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि कितने कितने समय का विभाजन होगा। जब घंटी बजाई जाती है तो कहते हैं कि पार्टी का समय है। बाद में कहते हैं कि एक सदस्य बोले हैं। पहले जो समय निर्धारित कर लिया जाय उससे समय को काम में लें तो सब पार्टियों को समय मिल सकता है। मैंने कोशिश की है कि जिन पार्टियों का जो समय निर्धारित था, उससे पांच मिनट अधिक दिये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में सदन से सहयोग रहा है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि दो मिनट में सुगम नहीं हो जाता, मुकुटबिहारी जी...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : सुझाव लिख कर दे दीजिये। दो मिनट के अन्दर सुझाव नहीं दिये और...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल दो मिनट।

श्री सभापति : आप दो मिनट लेंगे तो फिर दो मिनट राधाकृष्ण जी बोलेंगे। दो मिनट हरदत्तसिंह जी भी बोलेंगे। उन्होंने क्या अपराध किया है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : दो दो मिनट और बोल लेने दीजिये।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि दो दो मिनट की बात करना अच्छा नहीं लगता। या तो समय बढ़ायें, पन्द्रह पन्द्रह मिनट बोलें, फिर तो उसमें क्या आपत्ति है।

अगर समय बढाने के बारे में बहुमत हो तो मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। समय बढ़ाने के लिये आप मोशन रखिये। या आप गवर्नमेंट से बात करिये। वे अगर समय बढ़ाना स्वीकार करते हों तो मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर गवर्नमेंट समय बढ़ाना स्वीकार नहीं करती है तो आसन की मजबूरी है।

एक माननीय सदस्य : ८ बजे का समय था और अब ८.२० मिनट हो गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसलिये समय तो कुदरतन बढ़ा हुआ है। अगर दो मिनट बोलने दिया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से इस संबन्ध में कुछ स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। इस सारे वाद विवाद में १३ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। जिसमें से चार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया और ९ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने। इस प्रकार कुल १३ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इसमें तीन घन्टे और ४५ मिनट का समय लगा है और जिसमें से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ६५ मिनट और ऑपोजिशन के सदस्यों को १६० मिनट मिले हैं। मैं समझता हूं कि काफी समय मिल चुका है और काफी वाद विवाद हो चुका है। वैसे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की आशा करता हुआ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय, दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : अगर आप ही रह गये होते तो मैं आपको समय दे देता। मैंने पहले ही आपको निवेदन किया कि ४॥ घन्टों में दो घन्टे मिल सकते थे क्योंकि कांग्रेस का बहुमत होने से उनको ज्यादा समय मिलना चाहिये था मगर उनका बहुमत होने के बाद भी आपको अधिक से ज्यादा समय दिया गया। अगर हिसाब से देखा जाए तो आपको ३० मिनट ही दिये जाने चाहिये। मगर जो भी किया गया वह सब पार्टीज के लोगों को एकोमोडेट करने के लिये किया गया। फिर भी केवल आप ही बोलनेवाले हो तो मैं आपको एकोमोडेट कर सकता था लेकिन और भी तीन माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मैं आपको बोलने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सदन में आज सुबह मैंने राज्य खाद्यान्नों के क्रय विक्रय के बारे में रखा था उस पर माननीय सदस्यों की पूरी भावनाओं की कदर करते हुए इस सदन की शाम की बैठक बुला कर इस वाद विवाद को हमने चालू रखा। खास तौर से मैं और सरकार यह चाहती थी कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानने का हमें मौका मिले और उनके विचारों को जानकर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमें जो कुछ आगे सोचना है उस बारे में भी कुछ विचार कर सकें। सभापति महोदय, आज जो स्थिति हमारे सामने राजस्थान में खड़ी है उसकी भूमिका में जाना मैं ज्यादा पसन्द नहीं करना चाहता। क्योंकि सदन में इन सारी स्थिति के बारे में मैं समय समय पर प्रकाश डालता रहा हूं। आपको मालूम होगा कि जब चार-पांच महीने पहले लगातार खाद्यान्नों के भाव ऊंचे चढ़ते जा रहे थे, खास तौर से जुलाई से लेकर जनवरी के महीने तक, उस वक्त में राजस्थान के अलग अलग राजनैतिक दलों ने व जनता ने इस बारे में जोर से मांग की कि खाद्यान्नों के भाव तेजी से बढ़ते जा रहे है और सरकार को उन बढ़ते हुए भावों को शीघ्रातिशीघ्र रोकने चाहिये, उसके नियन्त्रण की कोशिश करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में सरकार ने कदम उठाया वह माननीय सदस्यों की जानकारी में है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सामने अपनी यह मांग पेश की कि राजस्थान में खास तौर से खाद्यान्नों के बाहर जाने के बारे में रोक होनी चाहिये और भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को गेहूँ के दृष्टिकोण से अलग ज़ोन घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार ने सारे देश के खाद्यान्नों मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिये वे निर्णय भी मैं समय समय पर सदन में कह चुका हूं पर संक्षेप में फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सारे देश की एक खाद्यान्न नीति होनी चाहिये और यह कॉन्सटीट्यूशन में है। इसलिये सारे देश के खाद्यान्न मंत्रियों ने इकट्ठे होकर इस सारी समस्या पर विचार किया और गौर किया और इस सम्बन्ध में सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि हमें कुछ खाद्यान्नों के वितरण के बारे में, पर्चेज़ के बारे में, कुछ नियंत्रण करना चाहिये। यह भी निर्णय किया गया कि जो कुछ खाद्यान्न है हमें मेग्ज़िमम लिमिट तक बेचना चाहिये उसके भावों के बारे में भी सारे देश की नीति एक होनी चाहिये और इसके बाद में युनेनिमसली तय किया कि खाद्यान्नों की कुछ चीजों के मेग्ज़िमम सेलिंग प्राइसेज़ होनी चाहिये। सभी ने इस बात को स्वीकार किया और इस बारे में भारत सरकार में विचार चल रहा है कि राज्य सरकार की सलाह से किन स्थानों में कितना हो इसके संबन्ध में फैसले भी दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि वे फैसले भी आपके सामने आवेंगे। इसके पहले कि कन्ट्रोल की बात कहूँ उन्होंने एक मोडल ड्राफ्ट तैयार किया कि किस तरह से आने वाली फसलों पर सरकार को कार्य करना चाहिये क्योंकि पहले जो प्रावधान लाइसेंसिंग ऑर्डर के नीचे है उस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता वे समझते नहीं हैं। इसलिए मोडल ड्राफ्ट रखें और यह कहा कि सारे कानून राज्य सरकार को विचार करके लागू करने चाहिये और इसमें सारे खाद्यान्न मंत्रियों की सलाह रही कि युनिफोरमिटी सारे देश में होनी चाहिये। वे मोडल ड्राफ्ट अलग राज्यों में गये और किस तरह से मुख्य मुख्य बातों को माना है और राज्य सरकार के सामने जब वे आये तो राज्य सरकार ने हमारे यहां उनको लागू किया तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई और राजस्थान के व्यापारियों ने ऐसा निर्णय लिया इस कड़े प्रतिबन्ध के नीचे लाइसेन्स लेकर काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने राजस्थान सरकार के सामने रिप्रेज़ेन्टेशन भी रखे। राज्य सरकार ने उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर गम्भीरता से विचार किया और जो उनको तकलीफें थी जिनको राज्य सरकार सोचती थी और जो मूल सिद्धांतों से नहीं टकराते थे उनको स्वीकार किया जिसका जिक्र मैं सदन की फ्लोर पर कर चुका हूं और वह आज के एक्सट्रा ऑर्डिनरी गजट में शाया भी हो चुका है। कुछ अपील का प्रावधान और कुछ लाइसेन्स फीस के बारे में व शॉर्टेज के बारे में जो प्रावधान था उसमें रद्दो-बदल किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे व्यापारियों को संतोष मिलना चाहिये। मगर राजस्थान के व्यापारियों ने जो रवैया रखा और अपनाया वह किसी भी जगह नहीं अपनाया गया। सभी जगह के व्यापारियों ने कानून के नीचे लाइसेन्स लिया है और नियन्त्रण में बराबर काम किया है।

यहां के व्यपारियों ने दस-बारह रोज पहले हड़ताल का काम जारी कर दिया और आज वह बीमारी राजस्थान की कई मंडियों में फैल गई है। पिछले सात-आठ रोज से अनाज के व्यापार की स्थिति को काफी असंतोषजनक यहां के व्यापारियों ने बना दिया है। यहां तक कि गांवों से समाचार आते हैं, इस प्रकार की चिट्ठियां आती हैं इससे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। दूर-दूर गांवों में एक दुकानदार लाइसेंस लेकर बैठता है, केवल अनाज का धंधा ही नहीं, छोटी मोटी और चीजों—नमक, मिर्च, तेल, बीड़ी, तम्बाकू आदि को भी अपनी दुकान में लिए बैठा है। मेरे पास इस प्रकार की निश्चित सूचनाएं आई हैं, लोगों ने समाचार दिये हैं कि उन दुकानदारों के पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमें बीड़ी दो, नमक दो तो व्यापारी हालां कि दुकान खोल कर बैठा है, लोगों को जवाब देता है कि क्योंकि राज ने ऐसा कानून बना दिया है कि जिसकी वजह से मैं धंधा नहीं कर सकता, दूकान खुली है पर वह चीज देने से इन्कार करता है। हमारे पास इस प्रकार के समाचार आये हैं कि वहां व्यापारी लोगों को कोई चीज नहीं देते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति जब हमारे राजस्थान के दूर-दूर इलाकों में पैदा होती है तो लोगों के मानस पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है कि आखिर किस तरह से यह काम चलेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार जनता को परेशानी में, तकलीफों में डाला जाय, व्यापारियों का इस प्रकार का रुख किसी भी तरफ से सही नहीं कहा जा सकता।

उनको लाइसेंस के प्रावधान के नीचे किसी तरह की दिक्कत है, और किसी बात से नाराजगी है तो वे वैधानिक तरीके से अपनी बात रखते। पर राजस्थान के व्यापारियों ने इस प्रकार का वैधानिक तरीका अख्त्यार न करके ऐसा कदम उठाया है जिससे उन्होंने जनता को काफी परेशानी में डाल रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में भी जो नया ढांचा खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सरकार ने चालू कर दिया था उसी का परिणाम है कि जो सस्ता अनाज हम गांवों में और शहरों में दे रहे हैं, वह दे रहे हैं। दूसरी परेशानी को लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जो लोग अनाज को पैदा नहीं करते, जिन लोगों के पास अनाज का स्टॉक नहीं है, जो लोग दो-दो तीन-तीन दिन का अनाज लाकर अपना पेट भरते हैं, उनके सामने काफी कठिनाइयां राजस्थान के व्यापारियों ने हड़ताल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का कदम उठा कर पैदा कर दी है। वे ऐसी बात नहीं करते तो अच्छा था। खैर यह उनके सोचने की बात थी। राजस्थान की जनता की तकलीफें उठाने की बात गुजर रही है। मैं समझता हूँ अब भी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने छोड़ रखा है उसको फिर से चालू करेंगे। जो बातें उन्होंने राजस्थान सरकार के सामने रखीं, जो मानने योग्य थीं उनको सरकार ने माना है। अपनी और कोई बात हो तो वे रखें, राजस्थान सरकार की कोई हठधर्मी नहीं है, जैसा कि कहा जाता है। राजस्थान सरकार एक रुख को लेकर चलती है, इस कानून के पीछे जो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको राजस्थान सरकार सरेंडर नहीं कर सकती। जब कि देश के दूसरे हिस्सों के व्यापारियों ने माना है उसी तरह इनको भी मानना चाहिये, पर राजस्थान के व्यापारियों का आज जैसा रुख है वह यह है कि एक भी पैसा सिक्योरिटी का रखा जाता है तो वे लाइसेंस लेने को तैयार नहीं हैं। यह बिलकुल अनुचित है जब कि हिन्दुस्तान के जितने जितने प्रान्त हैं, वहां यह कानून लागू हो चुका है।

मेरे पास में रेकॉर्ड है, भारत सरकार के स्टेटमेंट हैं, सारे राज्यों के अन्दर जो व्यापारियों ने लाइसेन्सिग आॅर्डर के नीचे सिक्योरिटीज जमा कराई हैं और वे अपना धंधा कर रहे हैं। एक राजस्थान ही बचा है, बाकी सब राज्यों ने फैसला किया उसको वहां के व्यापारियों ने माना है। फिर कहना कि व्यापारियों के पैसे से सरकार धंधा करना चाहती है, यह लांछन का टीका लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये सब दलीलें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। भारत सरकार ने सिक्योरिटी प्रावधान रखने के लिए इसलिए कहा कि व्यापारी नियन्त्रण में किसी प्रकार की खामियां रखते हैं तो लाइसेंसिंग आॅथोरिटीज को सजा दे सकते हैं, रकम वसूल कर सकते हैं, यह सारी भावना इसके पीछे है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की रकम से बहुत बड़ी रकम मिल जायेगी, ऐसी बात नहीं है।

मैंने सूचना इकट्ठी की है, लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की संख्या २०-२१ हजार है, खास तौर से छोटा व्यापार करने वालों की संख्या १७—१८ हजार की तादाद है, होल सेलर्स की तादाद ढाई-तीन हजार है। ५०० से नीचे वालों के लिए कतई रकम नहीं है। तो इन सबकी रकम मिलायें, तो ५—६ लाख से ज्यादा रकम नहीं होगी। यदि ढाई सौ का एवरेज भी लिया जाये तो..........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : केल्कुलेशन तो ठीक लगाइये, आपके हिसाब से भी ५० लाख रुपया हो गया, २० हजार को २५० से गुना करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ५० लाख नहीं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : केवल 'नहीं' कहने से काम नहीं चलेगा, २० हजार को ढाइ सौ से गुना करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : औसत मैंने २५० रुपया माना है, बहुत से मुक्त हो जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसी प्रकार सब हिसाब गलत करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ भी मान लीजिये। इतना बड़ा व्यापार, १७-१८ करोड़ रुपया लगा कर व्यापार करना पड़ेगा, छ-सात करोड़ रुपया टर्न ओवर लगा कर हम करना चाहते हैं, इतने बड़े काम में जो रकम सरकार के पास आती हैं वह कोई मायने नहीं रखती। तो यह कहना कि राजस्थान सरकार व्यापारियों के पैसे से व्यापार करना चाहती है सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि व्यापारियों की रकम से व्यापार करे।

दूसरे, व्यापारियों पर धारा ६ के नीचे यह पाबन्दी लगाई है कि होल सेलर खरीदने के बाद अपने नीचे जो रिटेलर्स हैं, उन्हीं को बेचेगा। वे कहते हैं कि सरप्लस इलाके से होल सेलर डेफिसिट इलाके के होल सेलर को दे दे, इस प्रकार की छूट होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण भावना है, वह यह है कि ट्रान्जेक्शन को बहुत कम किया जाय, जितने ज्यादा ट्रान्जेक्शन्स होते हैं उनसे प्राइस ऊंची जाती है। मैं मंडी का उदाहरण दूं। मार्केटिंग को रेगुलेट करने जा रहे हैं, राजस्थान की सारी मंडियों से डेटाज इकट्ठे किये हैं कि किस तरह होल सेलर्स से रिटेलर्स के खरीदने में, रिटेलर्स से कन्ज़्यूमर्स के खरीदने में किस प्रकार दाम इन्क्रीज हो जाते हैं। इन सारी चीजों के स्टेटिस्टिक्स राजस्थान सरकार के पास मौजूद हैं। वह मैं अभी आपकी मार्फत सदन के सामने रखूंगा। इस कानून के मूल रूप में यह धारा ६ रखी गई है, फार्म बी में यह मौजूद है। इसके बारे में व्यापारी कह रहे हैं, कि इसको बिल्कुल हटा दिया जाय। इसको यदि हटाते हैं तो यह व्यवस्था करने का जो हमारा मकसद है वह सारा का सारा ही खत्म हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा ६ में एक बुनियादी सिद्धान्त की बात है, सरकार को नियन्त्रण करने के लिए निश्चित रूप से ये ये मुद्दे की धारा है, इसको यदि हटा देते हैं तो फिर यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं है।

जो ये सारी परिस्थितियां राजस्थान में मौजूद हैं और हिन्दुस्तान के व्यापारियों ने इन्हीं धाराओं के नीचे, सिवा पंजाब के, जहां का जिक्र ये व्यापारी करते हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने इस कानून को लागू किया है, उनमें प्रावधान मौजूद है, क्लॉज़ ६ मौजूद है और वहां इस प्रकार के प्रावधानों के नीचे दूसरे राज्यों के अन्दर वहां के व्यापारी इस धन्धे को चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो व्यापारियों ने रुख लिया है उसमें परिवर्तन आना चाहिये, हिन्दुस्तान के और लोगों के साथ चलना चाहिये। इन नियन्त्रणों के बाद इस प्रकार के लोगों को जो कठिनाई राजस्थान में हो रही है, उसके लिये राज्य सरकार को चिंता है, उसके लिये सदन के माननीय सदस्यों को भी चिंता है और आगे के बारे में जो योजना है वह हमने मजबूरी की सूरत में माननीय सदस्यों के सामने रखी है।

किसानों का माल आज मण्डियों में आना चालू हो रहा है, खास तौर से चने, जौ और गेहूँ जो इस समय मुख्य फसल हैं, उनकी कीमतों को फिक्स करेंगे। यदि सरकार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किसान के अनाज खरीदने की व्यवस्था नहीं करती है तो किसान को बड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे सदन के कई माननीय सदस्यों ने जोर देकर कहा, गांव के किसान की रिटेनिंग केपेसिटी ज्यादा दिनों की नहीं है, उसको मीलों चल कर मण्डी में अनाज लाना पड़ता है, तब हमने सोचा कि राजस्थान के व्यापारियों की कितने दिन न मालूम हड़ताल चले, इन सारी परिस्थितियों को देख कर सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सरकार फिक्स्ड प्राइस पर किसान से अनाज खरीदे।

आज सदन में कुछ माननीय सदस्य बोलते हैं किसान के नाम से और बात करते हैं व्यापारी की। मैं जानता हूँ कि वे लोग इस प्रकार का प्रचार कर किसानों की भावनाओं को उभाड़ते हैं। आज जो कहा जाता है कि जो गेहूँ ३०) रु०-३१) रु०–३२) रु० में बिकता था उसके भाव सरकार ने १४)रु०-१५)रु०-१६)रु०-फिक्स किये हैं, तो मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं ३०)रु०-३२)रु० वाला गेहूं वह एक स्पेशल फार्म बहुत सुपीरियर क्वालिटी का गेहूं है, इसकी राजस्थान में बहुत कम तादाद थी, यह बहुत समय पहले राजस्थान से बाहर जा चुका था, कमी रह गई तो कुछ लोगों ने ज्यादा कीमतें दे कर खरीदा।

कई लोग कहते हैं कि शीत लहर की वजह से ऐसा हुआ लेकिन ऐसा नहीं है। भाव नीचे आ रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले कुछ जिलों के अन्दर गया। गांव की मंडियों के अन्दर १८॥) रु० और १६) रु० में गेहूँ बिक रहा है। जो कुछ कीमतें राज्य सरकार ने फिक्स की हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो किसानों के नुमाइंदे हैं, जो खुद भी किसान हैं, जोर से कह रहे थे कि ३०) रु०–३२) रु० वाले गेहूँ किसान को १४) रु०–१५) रु० दिये जा रहे हैं। यह किसान की बात नहीं है, किसान मजबूर है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ये भाव इस साल कतई नहीं हुए, आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा आप सच बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ।

मेरे पास में बहुत सी मण्डियों के पिछले तीन-चार साल के भाव उस वक्त के मौजूद हैं जिस समय हार्वेस्ट के बाद किसानों की फसल मण्डियों में आई, उस समय किसानों को उनकी कीमत क्या मिली? खास तौर से १९६३ के अन्दर आंकड़े बहुत इम्पोर्टेंट मण्डीज के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने जो भाव मुकर्रर किये हैं सुपीरियर क्वालिटी के गेहूं, उसका भाव हमने रखा है–४३·१५ रु० प्रति क्विंटल। १९६३ के साल में अप्रेल के महीने में सुपीरियर क्वालिटी का गेहूं जयपुर में बिका है और किसान को जो उसका दाम मिला है वह है ४३·५२ रु० प्रति क्विंटल। इन्फीरियर क्वालिटी के दाम मिले हैं–३५·७७ रु० प्रति क्विंटल। मई के अन्दर इसी अनाज का भाव किसान को जयपुर में मिला है ४३·१४ रु० प्रति क्विंटल, इन्फीरियर क्वालिटी के दाम मिले हैं ३५·७७ रु०

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रति क्विंटल, जून के महीने के अन्दर इसी सुपीरियर गेहूँ का भाव ४४·१० प्रति क्विंटल और इन्फीरियर का ३६·६६ प्रति क्विंटल । औसत तौर से किसान को सुपीरियर का दाम मिला है ४३·५८ रु० और इन्फीरियर क्वालिटी का ३७·०७ रु० औसत से किसान को इसका दाम मिला है । यह पिछले तीन महीनों के प्राइस के आधार पर जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पर मैंने आपको बताया ।

गंगानगर एक दूसरी इम्पोर्टेंट मन्डी है । उसके दाम भी मैं आपके मार्फत सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूँ :

अप्रेल में सुपीरियर गेहूँ के भाव गंगानगर में ४४·३३ न. पै. प्रति क्विंटल,
इन्फीरियर गेहूँ के ४०·१२ न.पै.
मई में सुपीरियर गेहूं के भाव ४२·३३ न.पै.
इन्फीरियर गेहूँ के भाव ३७·१२ न.पै.
जून के महीने के अन्दर सुपीरियर ५३·२६ न.पै.
,, ,, इन्फीरियर ३८·७० न.पै.

ये दाम उनको मिले हैं, तो इन्फीरियर के दाम और सुपीरियर के दाम जो हमने मुकर्रर किये हैं वे किसी कदर इन भावों से कम नहीं हैं । इस प्रकार करणपुर मन्डी के भाव ४२) रु०, ३८) रु०, ३७) रु० और ४१) रु० इन तीन महीनों में औसत रहे हैं । कोटा की रामगंजमंडी एक दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर है, और उसके भाव भी सुपीरियर क्वालिटी के करीब ५०) रु० और ४५) रु० तक रहे हैं और इन्फीरियर के दाम ३८) रु० और ३६) रु० तक रहे हैं । इस प्रकार से मई के अन्दर यह दाम ४६ रुपया, इन्फीरियर का ३५ । जून के अन्दर यह भाव ४५) रु० और इन्फीरियर के ३८) रु० । इस प्रकार से वहां के ये भाव रहे हैं, उस इलाके के कुछ भाव ऊंचे रहे हैं । हमने सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर १४) रु० १५) रु० और १६) रु० के भाव निर्धारित किये हैं ।

इस प्रकार से बारले का भाव राजस्थान सरकार ने मुकर्रर किया है २६·७८ और उसके बाद में जो भाव अलग २ मंडियों में रहे हैं, वे भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं :

अप्रेल में जयपुर में जौ का भाव २४·८१ न०पै० प्रति क्विंटल
मई ,, २७·६६ न०पै०

जून में ,, ३०·३८ न०पै० प्रति क्विंटल रहा है और एवरेज आता है २७·६१ रु० प्रति क्विंटल । गंगानगर के अन्दर जौ का भाव इसी तरह से,—

अप्रेल के अन्दर २६) रु०, मई के अन्दर २७) रु० और जून में २६) रु०, औसत उसका आता है २७) रु० और कुछ नए पैसे । इस प्रकार से करणपुर में यह भाव २६) रु० २५) रु० और २६) रु० औसत २६) रु० इसी प्रकार से बारान की मंडी के अन्दर जो कोटा की इम्पोर्टेन्ट मंडी है उसके भाव २६) रु० २७) रु० २६) रु० और औसत करीब २८) रु० आता है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो इस प्रकार से जो प्राइस हमने फिक्स की है वह राजस्थान के किसान को पिछले साल भाव मिले हैं उससे दूर नहीं है।

पिछली मंडियों में जो ग्राम के भाव थे उनके आंकड़े हमने इकट्ठे किये हैं और उस हिसाब से हमने १२) रु० मन रखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : पांच मन बीघा पैदावार थी अब कम हो गयी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोडक्शन तो बढ़ा है।

ग्राम की प्राइसेज मेरे पास हैं। मंडियों से आंकड़े हमने इकट्ठे किये हैं। हमने ३२) रु० प्रति क्विंटल तय किया है— जो ३८), ३६), ३७) रु० रहे हैं। ग्राम की कीमतों के बारे में यह है कि प्रोड्यूसर्स को ठीक प्राइस मिले, इस पर विचार किया जाय और निर्णय पर पहुंचेंगे तो रिविज़न की बात सोची जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ××××यह बात सही है।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंहजी।

श्री नत्थीसिंह : ××××

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंहजी ने जो कुछ भी बोला है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैं कहता हूं, आपको बाद में समय दिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले साल की औसत कीमतें किसान को हार्वेस्ट के वक्त मिली, उसके कम्पेरिज़न में राज्य सरकार ने फिक्स की प्राइसेज और उसके मुकाबले में दी है।

अब कन्ज्यूमर्स को सेलिंग प्राइसेज क्या होंगी और सरकार को क्या मार्जिन होगा? व्यापारी का है उससे ज्यादा न हो और एक्सप्लोयटेशन न हो। इसके लिए भी सभापति महोदय, एक बात जो खास तौर से पूछ रहे थे कि किसानों को इससे क्या फायदा हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के पास से जब मंडी में जाता है, एक होल सेलर के पास से दूसरे होल सेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है। मैं उनके ट्रान्जेक्शन को मान लेता हूं। ऐसी कई मंडियां हैं जिनके आंकड़े और इन पर कितने चार्जेज़ हैं उन सारी बातों की इन्फोर्मेशन राज्य सरकार के पास है। मैं सारी मंडियों की सूचना देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन खास तौर से व्यापारियों का इन्सीडेन्टल जुड़ता है और प्रोड्यूसर के देने के बाद में इन्सीडेन्टल जुड़ता हुआ किस प्रकार कन्ज्यूमर्स के पास पहुंचता है और कितने में पहुंचता है - उसकी एक मिसाल सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मैं एक वह उदाहरण रखूंगा बूंदी के मंडी से वहां के किसान से होल सेलर खरीदता है और होल सेलर का माल जयपुर के होल सेलर के पास आता है और जयपुर का होल सेलर रिटेलर के मार्फत कन्ज्यूमर के पास किस तरह से पहुंचाता है और उसमें कितना इन्सीडेन्टल और कितने प्राइसेज़ जुड़ते हैं, प्रोड्यूसर

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को क्या मिलता है, होल सेकर को क्या मिलता है, रिटेलर को कितना मिलता है, स्टोरेज और ट्रान्स्पोर्ट में कितना खर्च मेंजुड़ता है, मैं इसकी एक मिसाल देकर बताना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, एक व्यापारी ने २५० मन गेहूँ बूंदी के मार्केट में प्रोड्यूसर से से ४०६२.४६ नये पैसे में खरीदा। यह करेक्ट मिसाल है; बहियों और आंकड़ों से उस को बताना चाहता हूँ ।

एक माननीय सदस्य : कौन सा साल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अप्रेल १६६२ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कौन व्यापारी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिटेल में बताने की बात नहीं है। सैकड़ों इन्स्टान्सेज़ हैं।

व्यापारी अपने आपको काबिल और इन्टेलीजेन्ट समझता है।

श्री रामकिशन (वैर) : सोलिटरी इन्फोमेशन बता रहे हैं या एक्चुअल बता रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई इन्स्टान्सेज़ हैं उनमें से टाल कर बता रहा हूँ ।

२५० मन गेहूँ बूंदी का होल सेलर ४०६२.४६ नये पैसे में खरीदता है । उस होल सेलर बूंदी वाले का वहां पर जो उसका फील्ड से लाने का खर्चा, उसके बाद में पर-माइल पर क्या रेट थी उसका खर्चा जोड़ता था, ऑक्ट्रोय, चैरिटी, कर्दा, लेबर, क्लीनिंग, तुलाई, बोरियां फटी हुई और भी कई बातें हैं, उन सारी चीजों का पैसा जोड़ने के बाद उस होल सेलर ने अपनी कीमत का २५३ रुपया उस माल पर जोड़ा और उस होल सेलर ने प्रोफिट जोड़ कर उस माल का दाम ४,३४६.५० नये पैसे चार्ज किया और इस कीमत पर यह होल सेलर जयपुर के पास यह माल पहुंचा। होल सेलर जयपुर ने इसी प्रकार के सारे खर्चे, कर्दा, धर्मादा, तुलाई, स्टोरेज, ट्रान्स्पोर्ट चार्ज जोड़ कर ५०६ रुपया अपनी तरफ से जोड़ कर, ४,८५२.५२ नये पैसे उस २५० मन की कीमत कर दी। उसके बाद वह माल जयपुर के रिटेलर के पास गया और रिटेलर ने बेचना शुरु किया । रिटेलर ने अपने इन्ट्रेस्ट का दाम, स्टोरेज का दाम, मार्जिन अपने प्रोफिट का जोड़ कर, ७६) कुल जोड़ कर, ५,१०२.२ नये पैसे पर यह माल कन्ज्यूमर्स के हाथ में बेचा । इस प्रकार से एक होल सेलर से दूसरे होल सेलर के पास और दूसरे होल सेलर के पास से रिटेलर के पास माल पहुंचते पहुंचते ४०६२) में खरीदा गया; माल कन्ज्यूमर के हाथ में पहुंचते पहुंचते ५१०२) का हो गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ५,१०२) रु० में उस साल के कौन से महीने में बिका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खर्चा जोड़ने के बाद में है। २५० मन पर यह सारा मार्जिन १,०१० का बन गया । इस हिसाब से एक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बोरी पर ४.८ नये पैसे जाता है। यह कन्ज़्यूमर्स को ज्यादा देना पड़ा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इसलिये चार रुपया रखना चाहते हैं या बीच का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रखना कितना चाहते हैं, उस पर फिर गोर करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : योजना मन्त्री ने कहा है कि चार रुपया रखना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह उन्होंने अपने हिसाब से कह दिया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रेक्टिकली पिछले साल के ट्रान्ज़ेक्शन हुए हैं, उसका बेसिस रखा है।

(६.०० म. प.)

इसके बाद में कितना मार्जिन एक होलसेलर से दूसरे होलसेलर के पास जाता है तो रहता है और उसके बाद रिटेलर के पास जाकर वह कितने मार्जिन पर बिकता है इसके लिये मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखकर बताया। इस प्रकार के एक मंडी से दूसरी मंडी पर आकर कितना औसत मार्जिन रहता है वह निकाल कर एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। इससे आप स्वयं महसूस करेंगे कि एक होलसेलर से दूसरे होलसेलर के पास जाता है और उसके बाद रिटेलर के पास जाता है। फिर वह कन्ज़्यूमर के पास जाता है उसमें ४.८ न० पै० पर मन पर इन्सीडेन्स बढ़ जाता है। कई ट्रान्ज़ेक्शन्स ऐसे होते हैं; एक नहीं, तीन-तीन होलसेलर के हाथों से गुजरता है। इस तरह से माल के गुजरने से जो स्थिति बनी, जो अनाज १५ रुपये मन पर खरीदा गया वह २८ तक पहुंच गया, ट्रान्ज़ेक्शन के बाद। इस तरह से अगर हम उनकी मर्जी पर छोड़ देते हैं, डिमान्ड और सप्लाई के बीच में बेलेन्स टूट जाता है, तो निश्चित तौर पर प्राइसेज ऊपर की तरफ जायेंगे। नोर्मल तौर पर बिजनेस बाजार में चलता रहे तो राज्य सरकार को बीच में आने की व हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं।

देश की दो-तीन सालों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ देश में फेमीन की स्थिति रही, कुछ जगह पर कोल्ड वेव के कारण फसल को क्षति हुई, इसका फायदा व्यापारियों ने उठाने की कोशिश की। व्यापारी यह दलील देते हैं कि व्यापार को नोर्मल तरीके से चलने दीजिये, आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं ? हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार व्यापारियों का रहा है उसको देखते हुए हमने इस ऑर्डर द्वारा होलसेलर और रिटेलर के बीच के व्यापार का नियन्त्रण करने का प्रावधान किया है। इससे दूर हटना कन्ज़्यूमर पर बोझा डालना होगा। किसान को लाभ नहीं मिलने वाला है। व्यापारी तो अभी से कहने लग गये हैं, गेहूं का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया है; इसलिये किसानों को हानि होगी। हमने यह निश्चय कर लिया है कि किसानों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे, हमने जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भाव निर्धारित कर दिये है अगर उससे नीचे जाता है तो सरकार किसान के माल को खरीदेगी, हम इससे नीचा भाव नहीं जाने देंगे। सरकार की यह कभी इच्छा नहीं रही है कि वह व्यापारी के व्यापार को अपने हाथ में ले, लेकिन अगर व्यापारी किसान के कमदामों के अनाज को कम दामों में खरीद कर उससे ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा तो सरकार वह बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिये राज्य सरकार ने निश्चय किया ६०–६२ मंडियों में जिनका नाम इसमें दिया हुआ है, राज्य सरकार खुद खड़ी रहेगी ताकि किसान का गेहूं, किसान का जौ, उन कीमतों में जो राज्य सरकार ने मुकर्रर की है नीचे नहीं गिरे। इस बात का भरोसा मानकर चलती है कि किसान को इतनी कीमत तो मिलनी ही चाहिये, यदि इससे नीचे कीमत मिलती है तो राज्य सरकार मंडियों में व्यापारियों के काम चालू करने के बाद भी खड़ी रहेगी ताकि किसान का माल नीची कीमत पर नहीं बिक सके।

जहां तक कन्ज़्यूमर के लिये प्राइस फिक्स करने का सवाल है उस पर भी सरकार का विचार और गौर चल रहा है। सरकार सारी बातों को ध्यान में रखकर कितना मार्जिन-मुनाफा होना चाहिये, कितना इस पर खर्च आदि बैठेगा, उस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कन्ज़्यूमर के लिये प्राइस फिक्स करेगी, जो कन्ज़्यूमर के लिये रियलिस्टिक हो। कन्ज़्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में मार्जिन ऐसा हो जो वाजिब हो, उसको रखकर उचित दाम किसान को दिलवायेगी और कन्ज़्यूमर को भी उचित दाम में दिलवाने के लिये सरकार मजबूरी की सूरत में मैदान में आयी है। इन सारी बातों के कहने के बाद, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य जो यह चाहते हैं कि हमें इस प्रदेश के किसान को सुखी बनाना है, कन्ज़्यूमर को सुखी बनाना है तो वह केवल नारे देने से सुखी नहीं बन सकते। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पोलिसी इवोल्व करनी पड़ेगी। पुरानी जो धारणायें चल रही हैं उनको भी धीरे धीरे समाप्त करके नये रास्ते अपनाने होंगे....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह व्यापार भी क्रय विक्रय संघ को दे दीजिये, ताकि मैदान ही साफ हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मानसिंहजी साहब आपको क्रय विक्रय संघ और सहकारी समितियों से, इस सिद्धान्त से आपको नाराजगी है तो उसको इस तरह से निकालना नहीं चाहिये। इस तरह से आपके कहने से जो सिद्धान्त हमने अपनाया है वह छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम आपका इस प्रकार का क्रिटिसिज़्म सहन न करें तो सहकारिता का मजा ही क्या रहा? जो चर्चायें उठाते हैं ४३ लाख का गबन हो गया आदि सब बातें फिजूल की हैं, इनमें कोई सार नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभापति महोदय, यह वह चीज है जिसके बारे में सदन में आश्वासन दिया गया था और इस बारे में मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी रखा है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है उसमें जो गड़बड़–घोटाला हुआ

Page No. 157

(श्री मुकटबिहारी गोयल)

है इसलिये इस प्रश्न पर मन्त्री महोदय की ओर से कुछ नहीं कहा जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सभापति महोदय, अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मुझे खेद है कि जहां इस प्रकार की महत्वपूर्ण पोलिसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके लिये किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया । कन्ज्यूमर के लिये क्या सीलिंग प्राइस आप रखना चाहते हैं, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा । उनके लिये यह देने की जरूरत नहीं, माननीय सदस्यों को गोलमाल बातें ही कहनी है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमने सुझाव रखा था, २) रुपये का मार्जिन रखिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जरूर कहा है, लेकिन प्रेक्टिकल क्या हो सकता है, उसकी क्या गाथा होनी चाहिये, इसकी जरूरत नहीं समझी माननीय सदस्यों ने । क्योंकि उनके ऊपर बोझ नहीं है, उनका तो ध्येय यही रहता है कि किसी भी मामले को किसी तरह से हो उसको कन्फ्यूज किया जाय ताकि उससे लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके, किसान को नाराज किया जा सके, कन्ज्यूमर को नाराज किया जा सके....

एक माननीय सदस्य : वे तो हो गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी तरफ से तो हो गये और कमी रह गई है वह कोशिश करेंगे । हमें तो कोई न कोई बेलेन्स निकालना पड़ेगा, कुछ प्रेक्टिकल नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हमें तो प्रेक्टिकल रूप में इसको करना है....

श्री मानसिंह महार : बैलेन्स किसका निकाला जाता है; दिमाग का तो खो चुके ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों को मेरी बातें सुन कर सन्तोष हुआ होगा । आज वे यहां से अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे सही वातावरण वहां पैदा करें, जो योजना हमने बनायी है उसका सही रूप से प्रचार करें, किसान को उसकी उचित बात समझायी जाय, कन्ज्यूमर को उसके हित की बात समझायी जाय, व्यापारी को उसके हित की बात समझायी जाय । मैं आशा करता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व को इस प्रकार से निभायेंगे, सही तौर पर, सही जानकारी देंगे तो राजस्थान का जो इन पिछले दिनों में वातावरण बना है उसको शान्त करके जो समस्या उलझी हुई है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ।

श्री सभापति : अब व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी । जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहें वे सदस्य खड़े हो सकते हैं और जितना भी स्पष्टीकरण वे चाहें प्रश्नों के रूप में पूछ लें । जो भी क्लेरिफिकेशन सीक करना है उसको आप प्रश्नों के रूप में रख दीजिये । अगर आपने भाषण देना ही प्रारम्भ कर दिया तो मुझे टोकना पड़ेगा । इतने सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूं । सब माननीय सदस्यों के प्रश्न करने के बाद जितना आवश-

(श्री सभापति)

यक मन्त्री महोदय समझेंगे उनका जवाब देंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक व्यवस्था का सवाल है । इस बहस का जहां तक सवाल है उसके लिये यह निश्चित हुआ था कि इस प्रश्न पर बहस होने के बाद इसके बारे में अन्तिम निर्णय करेंगे । जैसा कि अभी अभी बताया गया है....

श्री सभापति : इसमें आपका पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री मुकुटबिहारी गोयल : व्यवस्था का यह सवाल है जब कि यह निर्णय हुआ था कि इस पर बहस करने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायगा, लेकिन सरकार की ओर से जो घोषणा गजट में निकाली गई है उसमें सरकार ने अपनी मन्शा पूरी व्यक्त कर दी । इसका मतलब यह हुआ कि बिना सदन को कॉन्फीडेन्स में लिये ही सरकार ने घोषणा कर दी, जो उनकी पूर्व निश्चित धारणा थी उसी पर आचरण किया है । इसका मतलब यह हुआ कि सदन में जो बातें कही गई, सदन की भावना को स्वीकार करके कोई अन्तिम निर्णय लेती, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया, वे बातें नहीं हुई ।

इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लेने से पहले ही महत्वपूर्ण आज्ञा प्रसारित कर दी । इसका मतलब यह हुआ कि सदन के विशेषाधिकार का हनन किया गया, सदन की मजाक बनाई गई ।

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

अभी श्री मुकुटबिहारीलाल ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पेश करने की अनुमति चाही । सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया वह अन्तिम नहीं है । सदन के विचार और भावनाओं के अनुरूप उसमें संशोधन करना चाहेंगे तो कर सकेंगे ।

कल सदन के सभी विरोधी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद वह आवश्यक कदम सरकार ने उठाया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वहां मैं भी उपस्थित था । ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी बात मान कर यह ऑर्डर दिया गया है ।

श्री सभापति : आपने ऑर्डर देखा है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने कहा कि सबकी राय लेकर कदम उठाया गया है, यह नहीं है ।

श्री सभापति : यह कोई आवश्यक भी नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा महत्वपूर्ण सवाल....

श्री सभापति : आप अपने विशेषाधिकार का प्रश्न लिख कर दे दीजियेगा, विचार करेंगे ।

Page No. 159

श्री नाथूराम मिर्धा : अमेंडमेंट तो इस बात पर निकला है, जिसका मैं विवेचन कर चुका हूँ। मैंने जो कमिटमेंट किया था उस पर निकाला है। अब जो बहस की है उस पर और विचार करेंगे।

श्री सभापति : Yes, Shri Kadar Nath.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : गंगानगर जो प्रोड्यूसिंग एरिया हैं उसके पास के एडजोइनिंग एरिया में जो प्राइसेज हैं ज्यादा अच्छा होता मैग्जिमम और फ्लोर प्राइसेज उनके मुताबिक होती। इसमें सरकार की क्या पॉलिसी है ?

नम्बर दो, सिक्योरिटी के बारे में, मैं नहीं चाहता आप वेव करें, पर पंजाब ने नई डेफीनिशन निकाली है। उन्होंने दो हजार क्विन्टल के स्टॉक करने पर ढाई सौ और ज्यादा पर ५०० की सिक्योरिटी रखी है, इससे हमारा भी सवाल हल हो सकता है। स्टॉक रखने की मेन्टेलिटी से मार्जिन प्रोफिट को कर्व करें, यही हमारी इससे मंशा है, वह मंशा इससे हल हो जावेगी।

तीसरी चीज, गंगानगर की मंडी का सिस्टम पंजाब के बराबर है। वहां आड़तिये लोग बायर (buyer) नहीं होते, केवल कमीशन एजेन्ट होते हैं, कुछ बायर (buyer) होकर होर्ड करते हैं, पर जो केवल कमीशन एजेन्ट होते हैं, किसान से लेकर माल कन्ज्यूमर को दिला दिया तो उसके ट्रान्जेक्शन को नहीं माना जावे, उसको एग्ज़ेम्प्ट किया जावे। मैं समझता हूं, ये बड़ी मेजोरिटी में काम करते हैं। इनको एग्ज़ेम्पट करने से डेडलॉक रिज़ोल्व हो जावेगा, वे लाइसेन्स के लिये एप्लीकेशन दे देंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : जो यह कहा गया कि पिछले साल की कीमतों के मुकाबले में ज्यादा रखी हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विवाद की जरूरत है। पर उनके दिमाग में यह फैक्टर क्यों नहीं आ रहा है कि इसके साथ साथ किसान की जरूरत की चीजें-कपड़ा, सीमेन्ट, लोहे का सामान आदि की कीमतें भी बढ़ी हैं, वे आज भी नहीं घटीं। आपने नाज की घटा दीं। तो क्या आप इन दो विचारों को साथ साथ जोड़कर नये ढंग से विचार करने को तैयार हैं।

दूसरी बात रिटेलर और होल सेलर की परिभाषा करने को आप तैयार हैं। आपने खिचड़ी कर रखी है। आप स्पष्ट अर्थ की सूचना दे दें तो व्यापारी या छोटे छोटे लोगों की आशंकाएं भी दूर हो जावेंगी।

परचेज के लिये एच. ई. ओज. को अधिकार दिये हैं। पर आपको भी जैसी पूरी जानकारी है भ्रष्टाचार को इसमें से कम करने के लिये क्या आप कोई कमेटी बनाने के विचार को तैयार हैं ?

मण्डियों की तादाद में कलेक्टर को अधिकार आपने जरूर दिये हैं, पर उनका क्या होगा जहां इन्टीरियर से आता है। दो-चार बढ़ा भी देंगे तो रिटेलर और होल सेलर की परिभाषा नहीं की तो गाड़ी उठाकर अनाज लावेगा तो खर्चा बढ़ेगा; कीमत में नहीं बढ़ी पर काम छोड़ कर आवेगा उस

(श्री रामकिशन)

वजह से श्रम के घंटे घटेंगे, उस माने में व्यवस्था करने को आप क्या तैयार हैं ?

श्री सभापति : Yes, Shri Surana.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पांच करोड़ की आपने व्यवस्था की है इससे आप ज्यादा से ज्यादा दस प्रतिशत अनाज खरीद सकोगे, अगर रिज़र्व बैंक पांच करोड़ पर पांच करोड़ आपको और दे दे तो आप बीस परसेन्ट खरीद सकोगे, बाकी ८० प्रतिशत के लिये क्या करेंगे ? कौन खरीदेगा उसे ?

आपकी क्या यह मंशा है कि हम तो केवल १४), १५) और १६) की कीमत जब आवेगी तब खरीदेंगे, अन्यथा व्यापारियों को छूट है वे खरीदें तो इससे स्थिति यह होगी कि हिन्दुस्थान में जो कीमतें आज हैं और जो हमारे अड़ोस-पड़ोस में हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए, हमारा किसान आपको १४), १५), १६ में कभी नहीं देगा।

फिर आप चना, जौ और बाजरा और भी कम में ११), १२), १३) में खरीदना चाहते हैं। वह भी नहीं आवेगा। तो क्या सरकार इस परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार है कि यदि वे कीमतें न आवें तो सारे ट्रेड की घोषणा करने के बावजूद एक मन अनाज भी मुहैया न हो और सरकार खरीद न सके। काश्तकार तब बेचेगा जब प्राइसेज लेवल पर आ जावेंगी। तो उस प्राइस लेवल को लाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करना चाहती है ?

एक बात और यह जानना चाहता हूं कि जो इलाके डेफ़ीसिट हैं उनमें जो सरकारी समितियां काम कर रही हैं उन समितियों को माल खरीदने के लिये सरकार क्या सहूलियतें देना चाहती है, ताकि वह माल कोऑपरेटिव्ज के जरिये खरीदा जाकर कोऑपरेटिव सेक्टर भी इस स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर बढ़ सके, इसकी क्या व्यवस्था की है ?

चौथी बात इन्टर डिस्ट्रिक्ट से माल लाने, ले जाने की आपने परमिट व्यवस्था की सोची है। यह हम-आप सब जानते हैं कि यहां भ्रष्टाचार के कीटाणु पनपेंगे, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यह स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं तो एक छोटी सी बात निवेदन करूंगा कि जबसे आपने खाद्य का यह महकमा सम्भाला है इसमें बहुत मडल हो रहे हैं। तो आपसे यही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस महकमे को महीने, दो महीने के लिये छोड़ दें; किसी और को सम्भला दें, मुख्य मन्त्रीजी को ही सम्भला दें। आपके दिमाग से बोझा उतर जावेगा और मुख्य मन्त्रीजी के पास जाकर यह विभाग ठीक हो जावेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : यह आप सजेशन देने का कष्ट क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किसी पंचायत के सरपंच को सस्पेण्ड करवाना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कन्ज्यूमर को अनाज पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं ? कन्ट्रोल ऑर्डर में जो डेफीनिशन देकर आपने एग्जेम्प्ट किया है कल्टीवेटर को, तो जो आज कृषि की व्यवस्था है उसके अनुसार ऐसे कम हैं जो पर्सनल कल्टीवेशन करते हों। अधिकतर ऐसे हैं, अन्य व्यवस्था का सहारा लेकर कल्टीवेशन करते हैं । तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करेगी ?

दूसरा, सरकार क्या इस बात की जानकारी रखती है कि किसान को आज कोई एडवान्सेज देकर उसका स्टॉक उसके ही पास रिजर्व करा ले तो उसको रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

दूसरा, और फिर बाद में वह व्यापारी, आज भले ही उसके पास लाइसेन्स न हों, पर कल व्यापार का ही लाइसेन्स लेकर और उसके पास रिजर्व किये हुए माल को उसी पहले के भाव से जो उसने ले लिया था, पर उसके पास ही रिजर्व कर लिया था, लेकर महंगे भाव बेचेगा बाद में, तो इसकी क्या व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापतिजी, मैं कुछ पोइन्ट्स पर माननीय मन्त्री महोदय से क्लेरीफिकेशन चाहूंगा । नम्बर एक तो यह है कि जो फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है और जो सिलिंग प्राइस गवर्नमेंट मुकर्रर करने जा रही है माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात की ओर कोई संकेत नहीं किया, यानी कोई भी ठोस कदम नहीं बताया कि जिससे जनता को किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी यह गारन्टी सरकार दे सकती कि हम इतनी नीची कीमतों पर मार्केट में ऊंची कीमत होते हुए फ्लोर प्राइस मुकर्रर कर रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। किसी भी हालत में एक साल में इस प्रकार की गारन्टी के कोई भी संकेत ठोस रूप से सरकार की ओर से इंगित नहीं हुए। पिछली साल जैसी स्थिति हुई उस प्रकार से अब नहीं होगी, उसके बारे में मन्त्री महोदय को बताना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि फ्लोर प्राइस मुकर्रर की है। पिछली साल जो प्राइस लेवल थी उसके आधार पर मुकर्रर की; लेकिन पिछली साल की प्राईस लेवल और जनरल प्राइस इन्डेक्स लेवल को आप देखें, फूड प्राइस के अलावा भी उसमें काफी बड़ा अन्तर है। इसलिए यह किसानों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होगा कि पिछली साल की प्राइस लेवल के आधार पर ही आप फ्लोर प्राइस अब मुकर्रर करें। आपको उस प्राइस लेवल को ध्यान में रखते हुए कुछ ऊंची कीमतें मुकर्रर करनी चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आप सारे ट्रेड को चेनेलाइज करना चाहते हैं। जो आपका फूड ग्रेन ऑर्डर है उसमें बड़ा लेकुना मालूम पड़ता है। वह यह है कि जहां तक आपने होलसेलर्स की एक्टीवीटीज सीमित की हैं अगर वह स्टेट में जो ट्रान्जेक्शन होना चाहिये वह जरूर हो जायेगा, रिटेलर तक माल पहुंच जायेगा, रिटेलर कन्ज्यूमर्स तक पहुंचा देगा।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन जो एक ट्रान्ज़ेक्शन होता है उसका लेकुना मुझे मालूम पड़ता है। वह यह है कि देहात से हर हालत में प्रोड्यूसर मण्डी तक माल नहीं लाता है। अभी लिंक यह है कि प्रोड्यूसर एक छोटे व्यापारी जिसको मैं होलसेलर भी नहीं कहता, जो रिटेलर भी नहीं है वह इस किस्म का आदमी लेता है– मैं यह तो नहीं चाहूंगा कि आप क्लॉज़ ६ में इस प्रकार का प्रावधान कर दो कि होल-सेलर होलसेलर को कहीं भी बेच सकता है लेकिन इस प्रकार के ट्रान्ज़ेक्शन को जो कि छोटी आड़त वाले लेते हैं जिसका नामकरण कोई भी दे सकते हैं, गांवों से सबसे अधिक मण्डी तक लाने का उसको आप खुली छूट मत दो कि कहीं भी ले जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : ऐसा है कि क्लेरीफि-केशन सीक कीजिये, सेटिस्फेक्शन की स्टेज तो चली गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चौथी बात जो सिक्योरिटी के लिए कही थी कि आप रिटेलर से सिक्योरिटी लेंगे तो रिटेलर को सिक्योरिटी से मुक्त कराने के बारे में क्या सोचते हैं ?

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अलग हैं, बाकी सारे हिन्दुस्तान के रूल्स और सेक्शन ६ है, लाइसेंसिंग ऑर्डर का उसके बात में ज्यादा उलझनें पैदा होती हैं। व्यापारियों की हड़ताल भी उसके ऊपर हुई है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपको पंजाब के मॉडल को एडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है, इसको जरा साफ कर दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, जैसा खाद्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि गंगानगर, करणपुर और रायसिंहनगर की दो तीन सालों की मण्डियों के भाव को बेस मानकर आपने प्राइसेज़ फिक्स की हैं। लेकिन राजस्थान में सभी मण्डियों में एक भाव नहीं होते। जहां तक गंगानगर की पोज़ीशन है, आप उनसे सिंचाई की रेट्स कम लेते है, उनसे आप जमीन का लगान कम लेते है तो वहां अनाज भी ज्यादा पैदा होता है। दूसरी तरफ भीलवाड़ा जिला है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है यहां पर छोटे छोटे तालाबों और कुओं से बड़ी मेहनत करके मुश्किल से अन्न पैदा करते हैं। अब सभापति महोदय, उससे क्या होता है कि वहां पर ज्यादा मेहनत के बाद और जब कि वहां पर किसान ज्यादा लगान देते है, ज्यादा सिंचाई को दरें देते हैं फिर वहां पर गंगानगर के मुकाबिले में २), ३) रुपया रेट ज्यादा रहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वहां के और वहां के किसानों में फर्क समझो। इसलिए आप अलग अलग मण्डियों के अलग अलग भाव बांध दीजिए। आप गंगानगर की मण्डी का गंगानगर के हिसाब से और भीलवाड़ा की मण्डी का भीलवाड़ा के हिसाब से कर दीजिए। ३ वर्षों में अगर भावों में फर्क रहता है तो वह भाव हमारे किसानों को देना पड़ेगा। हमारे यहां के किसान ज्यादा सिंचाई की रेट देते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं।

उसके बाद में यहां पर मक्का के लिए आपने कुछ नहीं कहा। ३ साल में कभी भी ६ रुपये मन मक्का बिकी हो तो मैं यहां से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जाने के लिए तैयार हूं। मक्का का भाव कभी भी १२ रुपये से कम नहीं हुई है। अन्दाजे से रेट्स नहीं चलेंगे। चनों के भाव के लिए तो तय किया है। जैसा खाद्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हम चनों के लिए और करेंगे। भीलवाड़ा से लाखों मन मक्का जाती है। आपने मक्का का ९) रुपये मन रखा है। बाजरा एक बीघा में २ मन से ज्यादा नहीं होता और आपने बाजरे का भाव ११) रुपये लगा दिया। मालूम होता है मन्त्री महोदय ने बाजरा खाया नहीं है। खाया होगा तो किसी रिश्तेदार या मेहमान बनकर खा लिया होगा। यहां के बाजरे के भाव की जांच करा लीजिए। बाजरा और मक्का को ठीक कीजिए और जिन मण्डियों में ज्यादा भाव हैं उनको उस तरह से बतायें। उसके बाद सभापति महोदय, एक अर्ज करना चाहता हूं....

श्री सभापति : उस समय समय नहीं मिला, उस समय की कसर मत निकालो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने भाव तो फिक्स कर दिये, लेकिन मण्डियां बहुत दूर रहेंगी, तो उनको ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा? आप यह तय कर दीजिये कि किसान मण्डियों में लाकर उपभोक्ताओं का सीधा लेकर बेच देगा। किसानों को सीधा मिल जाये पैसा तो बुरी बात नहीं है। आपने मण्डियों की सूची दी है। हमारे यहां गंगापुर और आस-पास ८०० स्क्वायर मील में एक भी आपने मण्डी नहीं रखी। मेरा निवेदन यह है कि आप अलग अलग मण्डियों में अलग अलत रेट्स बांध दीजिए। आपने गंगापुर की मण्डी नहीं रखी और रायपुर में मण्डी नहीं रखी।

श्री सभापति : मैं समझता हूं....

एक माननीय सदस्य : माननीय चेयरमैन, थोड़ा समय हमको मिल जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, जैसा कि अभी क्लेरिफिकेशन के लिए निवेदन किया कि राजस्थान के २०,००० गांव के लोग जो अभी तक मंडियों में नहीं आये हैं उनको मंडियों में लाकर अनाज बेचने की व्यवस्था की गई है। इससे जो परेशानी और असुविधा होगी इसके सम्बन्ध में क्या राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है कि जिससे असुविधाएं मिटाई जा सकेंगी।

दूसरी बात यह है कि क्या राज्य सरकार के पास में पर्याप्त व्यवस्था है कि राजस्थान भर में पूरा अनाज खरीद सकेगी, फाइनेन्स कर सकेगी, स्टोरेज कर सकेगी और अनाज खराब नहीं हो जाय, इसकी व्यवस्था कर सकती है? जैसी कि राजस्थान सरकार की योजना है, जैसा कि आपने बताया तो राज्य सरकार की त्रिविध नीति है। वह चाहती है कि व्यापारी भी काम करें, सहकारी सेक्टर में भी काम हो और स्टेट ट्रेडिंग भी हो। तो ऐसी हालत में जब कि राज्य के पास में इतनी सुविधा और सामग्री नहीं है कि सारे राजस्थान में व्यापार स्वयं कर सके तो क्या राजस्थान सरकार इस बात पर दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहती हैं? तो क्लॉज ९ पर इस प्रकार से सोचिये कि ापकी मन्शा भी पूरी हो जाय और कठोरता

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

भी न हो, केश सिक्योरिटी प्राप्त करने में ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय चैयरमैन महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह जो ऑर्डर आपने निकाला है, लेकिन इसके अन्दर जो कि खुद कल्टीवेटर है उनके लिए यह छूट रखी गई है कि चाहे ३० हजार मन की कल्टीवेशन करता हो तो स्टोरेज के ऊपर चैक नहीं लगाया है और आज जो सबसे ज्यादा मंहगाई करने वाले लोग हैं ऐसे लोग हैं जो खुद इतना इतना अनाज पैदा करते हैं; वे गंगानगर, करनपुर और रायसिंहनगर के लोग ४०-४० हजार मन पैदा करते हैं । उनको आपने डीलर नहीं माना है । उनको लाइसेन्स नहीं लेना पड़ेगा । इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा ।

इसके अलावा जो ये व्यापारी हैं, रिटेलर्स; उनको जो फॉर्म दिया गया है, रिटर्न्स भरने का इतने ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड हैं । मैंने उस मीटिंग में भी अर्ज किया था और यहां भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वे गुड़ के बजाय नाज लेते हैं, नमक के बजाय नाज लेते हैं, और इस तरह से एक-एक दिन में, ५-७ मन अनाज इकट्ठा करता है उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि वह उस प्रोफॉर्मा को भर कर भेजे, तो उसका सिम्प्लीफिकेशन करना चाहिए ।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मंडियों का क्राइटेरिया आपने क्या माना है ? भीलवाड़ा के अन्दर १०३ गांव हैं । वहां के लोग कहां जायेंगे नाज बेचने के लिए । आपने नाम नहीं रखे हैं । ऐसी कितनी ही मंडियां हैं उसके अन्दर आपने नहीं रखा ।

खरीद-फरोख्त का सारा काम आपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया है लाइसेन्स के लिए आप लेने की बात कहते हैं । मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जानते हैं, सारी चीज को जानते हैं, क्योंकि वे सप्लाई मिनिस्टर थे । उन्होंने उस वक्त वहां पर नॉन-ऑफिशियल्स की कमेटियां बनाई और उसके अन्दर सारे कन्ट्रोल में ज्यादा कामयाबी हासिल की । आज सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा करवाना चाहते हैं और खास तौर से उन लोगों के द्वारा जो पंचायत समितियों के अन्दर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उन्हें हम जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियन्स है और किस तरह का अभी काम कर रहे हैं । उनसे काम चलने वाला नहीं है । इसलिए इस पर दुबारा विचार करें ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, मुझे केवल दो बातें कहनी हैं । नं० १ तो यह कि अभी सरकार ने जवाब दिया कि सरकार को व्यापारियों की हड़ताल ने मजबूर किया स्टेट ट्रेडिंग में लाने के लिए; तो मैं साफ पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जिन व्यापारियों ने हड़ताल की है उस हड़ताल को लीगल मानती है क्या ? अगर इल्लीगल हड़ताल है तो उनके खिलाफ डी. आई. आर. के अनुसार क्या एक्शन लिया गया है ? उनके पास कितना स्टॉक है और क्या हिसाब से लिया गया है ? जो स्टॉक है

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उस पर कितना बैंक का रुपया है। जो समाज का रुपया है जिसको व्यापारी लेकर व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग कर रहा है और उसके आगे के लिए व्यापारियों को बैंकों से रुपया नहीं मिले इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री सभापति : काफी क्लेरिफिकेशन उसके लिए हो गया है एक घंटा भर। मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि एक घंटा बढ़ाने का था जिसके लिए सरकारी पक्ष तैयार नहीं था उसको मैं पौने दो घन्टे तक ले आया। केवल इसी दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण के लिए समय दिया गया कि आज आखिरी दिन है सदन की कार्यवाही का, इसलिए सदन के माननीय सदस्य कम से कम असन्तोष लेकर नहीं जायं, अधिक संतोष लेकर जायं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अपना सारा स्पष्टीकरण दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इसमें आप कई स्पष्टीकरण मेरे से चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि हर एक क्वेश्चन का जवाब दूं तो शायद कई तो मुझे याद नहीं रहे, क्योंकि जब सदस्य लोग बोल रहे थे तो मैं नोट भी नहीं कर रहा था। मैं फिर भी जनरल तौर से जो कुछ मुझे याद रहा है उसके बारे में कुछ कहूंगा।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ जानकारी चाही थी कि ५-६ करोड़ रुपये से इस काम को हम चालू करना चाहते हैं तो सिर्फ १० पर्सेन्ट ही उसमें खरीद सकेंगे। तो मैं आपके मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ५-६ करोड़ हमारे सामने कोई सीमा नहीं है। हमारी सीमा काफी ऊंची तक जा सकती है। पर उसके साथ यह भी ध्यान माननीय सदस्यों को हमारे नोट से मालूम होगी कि यह हमारा आइडिया है कि कन्ज़्यूमर के पास में प्रोड्यूसर से जितना जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके उस व्यवस्था को हम मंडियों में जारी कर सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो कुछ एडवान्स दिया है वह इसी इरादे से दिया है कि वह अनाज जितना उनको जरूरत हो इसी हार्वेस्टिंग पीरियड में किसानों से खरीद सकें। उसके बाद में प्राइवेट ट्रेडर्स जो लाइसेन्स लेकर काम करेंगे वे भी कुछ इस धन्धे को चलायेंगे। मुझे आशा है कि बहुत से व्यापारियों को अब काफी ऐसा अहसास हुआ होगा कि ठीक सोचें और ठीक काम करें, तो वे भी फील्ड में आयेंगे और लाइसेन्स लेंगे तो सारी की सारी समस्या राज्य सरकार के पास नहीं रहेगी। इसके बावजूद धन की जितनी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वह करेंगे, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था और करनी है उसको भी करेंगे।

मंडियों का सवाल ठीक है, कुछ रखी हैं वे कम हैं। बनेड़ा को नहीं रखा तो मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था का अख्त्यार कलेक्टर को दिया है कि जहां जरूरत हो और जहां किसान का अनाज बिकने की गुन्जायश हो और बनेड़ा में गाड़ियां आयेंगी और किसान बेचने को तैयार होंगे, तो बनेड़ा में इन्तजाम किया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : लड्ढा साहब 'ना' तो नहीं कर गये पहले से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसान का माल बिकना चाहिए, किसान को बेचने का मौका मिलना चाहिए। कलेक्टर स्वयं इसका निर्णय करेगा, और जहां कलेक्टर नहीं करेगा उसके बाद राज्य सरकार इन्टर्वीन करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा फैले, इस बात का इन्तजाम करेगी।

इसके बाद में, खास तौर से, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कच्ची आड़त का कहा। क्या है वह व्यवस्था ? इस ट्रान्जेक्शन में मैं सोचता हूं, तो कुछ राहत मिल सकती है। लाइसेन्स ले सकेंगे, इन सारी बातों को तुरन्त जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

इसके बाद में जैसा कि ट्रेड का रुख रहा, अभी तक का, उसको छोड़कर अगर लाइसेन्स ले लें और अगर उनकी तकलीफ जिनुआइन है और बुनियादी तौर से हमारे सिद्धान्तों से मेल खाती है, उनके लिए छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स के बारे में हम तैयार हैं। प्रेक्टीकल डिफिकल्टी होती हैं उसका किस प्रकार से हल निकालें, इसके बारे में हम सजग हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। मगर इसके साथ साथ यह कहा गया कि छोटे २ व्यापारियों को रिटर्न देने में और जो बार्टर सिस्टम से काम करते हैं, उन व्यापारियों को काफी तकलीफ होगी, कॉम्प्लीकेटेड फार्म भरने में। तो माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में होगी कि कोई भी इस प्रकार के लोग हैं जिनको कि वास्तव में दिक्कत हो और जिनकी वजह से प्राइसेज़ में किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता हो तो ऐसे लोगों को कानून के प्रावधान से एग्ज़ेम्प्ट भी कर सकते हैं और राज्य सरकार एग्ज़ेम्पशन की क्लॉज को जिस सही स्थिति में लागू करना उचित समझेगी उसको लागू करेगी और उस प्रकार से उनकी जो जिनुआइन तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेगी।

पंजाब की बात कही है कि उसकी नकल क्यों नहीं करते ? तो नकल हम किसी की नहीं करना चाहते हैं। पंजाब ने जो कुछ किया है वह कितना ठीक किया है, भारत सरकार की नीति से मेल खाता हुआ अमल किया है या नहीं किया है, ये कई प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं।

इसलिये हम किसी की नकल करके नहीं चलना चाहते हैं। नकल की आवश्यकता भी नहीं है। हमारी स्थिति को ध्यान में रख कर हमें जो कुछ करना है, हिन्दुस्तान की नीति को ध्यान में रखकर करेंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी से हम अपनी नीति निर्धारित करते हैं, कोई नकल करने का प्रश्न नहीं है।

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि व्यापारियों ने इस प्रकार का रुख लिया है, राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्यों नहीं कदम उठाया ? मैं इस बारे में कुछ कहना पसन्द नहीं करूंगा क्योंकि राज्य सरकार की मन्शा कठोरता की नहीं रही है, एक प्रकार की नीति को लेकर चलते है, वे चाहे कैसा ही रुख रखें, राज्य सरकार ने उनको मौका दिया है उन पर असर होना चाहिये। यदि यही स्थिति ज्यादा दिन रहती है तो कुछ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सोचना पड़ेगा, वह क्या हो या क्या करेंगे, इस बात को मैं सदन में नहीं कहना चाहता । जो कदम उठाना पड़ेगा उठायेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कीमतों के बारे में बता दीजिये । १४), १५) और १६) रु० में माल नहीं मिला तो क्या करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भीलवाड़ा मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मक्का, बाजरा, ज्वार की कीमत के बारे में कहा और फिर गेहूं की कीमत के बारे में कहा कि गंगानगर में कम कोस्ट आती है ।

माननीय सभापतिजी, छोटे छोटे क्षेत्रों पर विचार करें तो तहसीलवाइज़, जिला वाइज हरेक की सूचना चाहिये । मैं समझता हूँ वह राजस्थान के लिये कॉम्पलीकेटेड होगी । अलग अलग मंडियों में कोस्ट पर ध्यान देना होगा, सैकड़ों तरह के हैं । मशीनरी के बारे में सिम्पल से सिम्पल प्रोसीजर जो आसानी से समझ में आ सके इसमें वही रखा है और यदि डिटेल में जाकर करेंगे तो बारीकियों में फंस सकते हैं । खास तौर से मक्का और बाजरा के लिये कहा गया, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी फसल और हारवेस्ट का अभी टाइम नहीं है । अभी इनके आने की गुंजायश नहीं है, नोशनल प्राइस रखी है । किसी के पास सरप्लस हो और बेचना चाहता हो तो कन्ज़्यूमर्स और सप्लायर्स से सीधी खरीद फरोख्त कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हारवेस्टिंग का टाइम नहीं है इसलिये प्राइसेज़ जो कुछ रखी हैं उनमें कोई खरीददार नहीं हो तो हमने कहा कि इन प्राइसेज़ में हम खरीदने को तैयार होंगे इसलिये यह नोशनल प्राइस है । हारवेस्टिंग का समय आयगा और राज्य सरकार को सोचना पड़ा तो दुबारा गौर किया जा सकता है कि कन्ज़्यूमर्स के लिये क्या भाव रखना वाजिब है ।....

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार को निर्धारित रेट पर माल नहीं मिला तो आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है । माल आयगा या नहीं आयगा, यह तो भविष्य बतायेगा । मण्डियों में अनाज आना शुरू हो गया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माल आ गया है, खरीदना शुरू कर दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कहां पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलवर में, उदयपुर में माल आ रहा है, खरीद भी रहे हैं । आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है । नहीं आयेगा तो आगे विचार कर सकते हैं, सदन विचार करेगा, सदन सैशन में नहीं होगा तो हम विचार करेंगे और सदन के नोटिस में लायेंगे ।

मैं समझता हूं, मैं, जितने प्रश्न याद रख

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकता था उतनों का जवाब देने की कोशिश की और आपको पूरा संतोष हुआ होगा। आप अपने इलाकों में जाकर लोगों को संतोष दिला सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये परमिट की व्यवस्था है, उस पर प्रकाश डाल दीजिये। राज्य सरकार किन सूरतों में पर्मिट देना चाहती है वह बता दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह आवश्यक है, हमारा इलाका अकालग्रस्त है। मंडी आप बनायेंगे कोलायत और नोखा में, जिनके आसपास खास प्रोडक्शन नहीं है। ऐसी सूरत में मंडी रखने से अनाज आयेगा कहां से? आपने यह रखा है कि कोई थोक व्यापारी ला नहीं सकता....

श्री नाथूराम मिर्धा : डेफिसिट मंडियों में माल नहीं है तो सरप्लस मंडियों में माल सरकार खुद खरीदेगी और डेफिसिट में भेजेगी। दूसरे व्यापारी खरीदेंगे, उनके माल का मूवमेंट लाइसेन्सिंग ऑथेरिटीज़ डाइरेक्शन के मुताबिक जरूरत होगी तो करायेंगे। अभी जो नया प्रावधान रखा है उसमें सारी व्यवस्था मौजूद है, कौन ऑथोरिटीज़ होंगी, कौन मूवमेंट करायेगा आदि।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने दिनों में आ जायगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको कोई तकलीफ अब तक नहीं होने दी है। मिनिमम टर्न से काम चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने रुपये....

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि काफी प्रश्न हो गये हैं।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : व्यापारी हड़ताल कर बैठे है, लाइसेन्स नहीं ले रहे हैं; ऐसी हालत में गंगानगर से माल कैसे पहुंचेगा दूसरे स्थानों पर जहां नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने अभी समझाया था। गंगानगर के होलसेलर्स के माल को राज्य सरकार जिन इलाकों में मांग है वहां पहुंचाने का काम करेगी। लाइसेन्सिंग ऑथोरिटीज़ अलग अलग जगहों के लिये इजाजत देगी।

श्री सभापति : अभी एक उदाहरण दिया था जिसमें ४) रु. मार्जिन ऑफ प्रोफिट कन्ज्यूमर के बीच अनफेयर कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा इतना अन्तर है। मैंने 'अनफेयर' शब्द काम में नहीं लिया, एक्चुअल स्थिति की बात कही।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आगामी अधिवेशन की तिथि की घोषणा

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्थगन से पहले यह तय हुआ था कि अगला अधिवेशन कब होगा, उसकी घोषणा हो जाय तो ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ३ अगस्त, १९६४ को।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : धन्यवाद। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ९.४८ बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)।

—*—

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४)

(सायंकालीन बैठक)

राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक वाद-विवाद

श्री नाथूराम मिर्धा, खाद्य मंत्री, द्वारा प्रातःकालीन बैठक में प्रस्तुत राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर बहस जारी रही।

खाद्य मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा, ने बहस का उत्तर दिया। सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

—*—

* शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४ (सायंकालीन बैठक)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	६--७	राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक वाद-विवाद	**राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक वाद-विवाद**
११	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
१४ व १७	शीर्षक	योजना विषयक	योजना विषयक
१९	शीर्ष	(श्री ज्यालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
२१ व ६०	१९ व २२	**श्री रघुनाथ विश्नोई**	**श्री रघुनाथ बिश्नोई**
२९--३०	शीर्षक	–११ अप्रेल, ६१–	–११ अप्रेल, ६४–
३३--३४	,,	–११ अप्रेल, ६४–	–११ अप्रेल, ६४--
४३	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
४४	शीर्षक	योथना	योजना
४५--४६	,,	–११ अग्रेल, ६४–	--११ अप्रेल, ६४--
४८	८	**श्री मथुरादास मथुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
५१	शीर्ष	(श्री मथुरादाम माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
५८	१७	Late the	Let the
६४	२३	**श्री उपाध्द्द**	**श्री उपाध्यद्द**
६६	शीर्षक	योजवा	योजना
६७	,,	खाद्यान्न लय	खाद्यान्न क्रय
७२	,,	योजता विषयक वाय-विवाद	योजना विषयक वाद-विवाद
७३	,,	राजस्थाद की	राजस्थान की
,,	२२	इह हिसाब	इस हिसाब
७९	शीर्षक	खाद्यान्य क्रय	खाद्यान्न क्रय
८२	७	(मांडव)	(मांडल)
८३	४	घंटी)	घंटी)
८४	शीर्षक	योजना	योजना

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
८६	६	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुल जब्बार
१२१	शीर्ष	(श्री मुकट बिहारी गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
१२३	११	श्री मुकुटबिहारी गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१४४	६	श्री नाथूलाल करोल	श्री नाथूलाल करोल
१४५	शीर्ष	(श्री नाथूराम मिर्धा)	——
१४७–१४८	शीर्षक	संक्षिप्त-विवरण—११ अप्रेल, ६४—संक्षिप्त विवरण	——

* नोट:—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।